सत्यमेव जयते

# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
# का प्रतिवेदन

## 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
## (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र)

# राजस्थान सरकार
## वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या 1

# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
# का प्रतिवेदन

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र)

## राजस्थान सरकार
## वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या 1

**http://www.cag.gov.in**

## विषय-सूची


| | सन्दर्भ | |
|---|---|---|
| | अनुच्छेद | पृष्ठ |
| प्राक्कथन | - | v |
| **अध्याय I<br>प्रस्तावना** | | |
| इस प्रतिवेदन के बारे में | 1.1 | 1 |
| लेखापरीक्षित इकाईयों का खाका | 1.2 | 1 |
| लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति | 1.3 | 2 |
| कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर का संगठनात्मक ढ़ाँचा | 1.4 | 3 |
| लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन | 1.5 | 3 |
| लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष | 1.6 | 4 |
| निष्पादन लेखापरीक्षाओं/प्रारूप अनुच्छेदों पर विभागों का प्रत्युत्तर | 1.7 | 13 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही | 1.8 | 13 |
| **अध्याय II<br>निष्पादन लेखापरीक्षा** | | |
| **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग**<br>राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन | 2.1 | 15 |
| **गृह विभाग**<br>राजस्थान में पुलिस बल का आधुनिकीकरण | 2.2 | 41 |
| **जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग**<br>पेयजल की गुणवत्ता | 2.3 | 65 |

| | सन्दर्भ | |
|---|---|---|
| | अनुच्छेद | पृष्ठ |
| **अध्याय III<br>अनुपालन लेखापरीक्षा** | | |
| **नियमों एवं विनियमों की अनुपालना नहीं किया जाना** | **3.1** | |
| **जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग** | | |
| पाईपों की आपूर्ति पर परिहार्य व्यय | 3.1.1 | 95 |
| अनियमित एवं अनधिकृत व्यय | 3.1.2 | 97 |
| **औचित्यता के विरूद्ध लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त न्यायोचितता के बिना व्यय के मामले** | **3.2** | |
| **श्रम विभाग** | | |
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन नहीं किया जाना | 3.2.1 | 100 |
| **चिकित्सा शिक्षा विभाग** | | |
| तीन वर्ष से अधिक समय तक निधियों का अवरोधन | 3.2.2 | 104 |
| **जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग** | | |
| परियोजना के निष्पादन में विलम्ब | 3.2.3 | 106 |
| परिहार्य अतिरिक्त दायित्व का सृजन | 3.2.4 | 108 |
| **सतत् एवं व्यापक अनियमितताऐं** | **3.3** | |
| **वित्त विभाग** | | |
| पेंशन का सतत् अधिक भुगतान | 3.3.1 | 110 |
| **कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं शासन में विफलता** | **3.4** | |
| **जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग** | | |
| एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना का क्रियान्वयन | 3.4.1 | 112 |

| | सन्दर्भ | |
|---|---|---|
| | अनुच्छेद | पृष्ठ |
| **महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गृह विभाग** | | |
| बालिकाओं के साथ भेदभाव को रोकने की योजनाओं का क्रियान्वयन | 3.4.2 | 125 |
| **युवा मामले एवं खेल विभाग** | | |
| खेल अवसंरचना/स्टेडियम का निर्माण | 3.4.3 | 143 |
| **चिकित्सा शिक्षा विभाग** | | |
| सरकारी देयताओं की वसूली का अभाव | 3.4.4 | 157 |
| **जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग** | | |
| निधियों के अवरोधन से ब्याज की हानि | 3.4.5 | 159 |
| **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** | | |
| गैर-परिचालित छात्रावासों से अनुदान की वसूली का अभाव | 3.4.6 | 161 |
| **जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग** | | |
| विशेष केन्द्रीय सहायता का अनुपयोगी रहना | 3.4.7 | 163 |
| **सामान्य** | | |
| लेखापरीक्षा प्रेषणों का उत्तर | 3.4.8 | 165 |

## परिशिष्ट


| | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **परिशिष्ट 2.1** | प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दर्शाने वाला विवरण पत्र | 169 |
| **परिशिष्ट 2.2** | वर्ष 2009-14 के दौरान विभिन्न घटकों के प्रापण में भौतिक एवं वित्तीय कमी को दर्शाने वाला विवरण पत्र | 172 |
| **परिशिष्ट 2.3** | जिला प्रयोगशालाओं में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण पत्र | 174 |
| **परिशिष्ट 2.4** | जिला प्रयोगशालाओं में अपर्याप्त परीक्षण सुविधाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण पत्र | 175 |
| **परिशिष्ट 2.5** | प्रयोगशालाओं में आवश्यक स्टॉफ, स्वीकृत पदों और कार्यरत व्यक्तियों की स्थिति | 177 |
| **परिशिष्ट 2.6** | एफटीके के माध्यम से परीक्षण किये जल स्त्रोतों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण पत्र | 178 |
| **परिशिष्ट 2.7** | 2011-14 की अवधि के दौरान एफटीके के माध्यम से किये गये जल नमूनों का परीक्षण और जिला प्रयोगशालाओं में उनके प्रति-सत्यापन का विवरण पत्र | 180 |
| **परिशिष्ट 2.8** | ऑनलाइन पंजीकृत शिकायतों की देरी से निवारण करने की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्र | 181 |
| **परिशिष्ट 3.1** | मुअ, जस्वाअवि एवं अधिअ, सवाईमाधोपुर द्वारा अनुमोदित पाईप की दरों के बीच अन्तर को दर्शाने वाला विवरण पत्र | 183 |
| **परिशिष्ट 3.2** | किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध नहीं कराये जाने का विवरण पत्र | 186 |
| **परिशिष्ट 3.3** | निरीक्षण प्रतिवेदनों में टिप्पणी की गई अनियमितायें जो कि मार्च 2014 तक लम्बित थी, के श्रेणीवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्र | 187 |

# प्राक्कथन

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत, राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में राजस्थान सरकार के सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृष्टांत वे हैं जो वर्ष 2013-14 की लेखापरीक्षा जाँच के दौरान ध्यान में आये, साथ ही ऐसे प्रकरण जो पिछले वर्षों में ध्यान में आये किन्तु उन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका अथवा वर्ष 2013-14 की अवधि के आगे से सम्बन्धित मामले, जहाँ कहीं आवश्यक थे, भी सम्मिलित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

# अध्याय I

# प्रस्तावना

# अध्याय I
# प्रस्तावना

## 1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से चयनित कार्यक्रमों तथा गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा में उजागर हुए मामलों एवं अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित है।

अनुपालन लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाईयों के व्ययों से संबंधित लेनदेनों की जाँच से संदर्भित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या भारत के संविधान, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों के प्रावधानों की अनुपालना की जा रही है। दूसरी ओर निष्पादन लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा के साथ-साथ यह भी जाँच करती है कि क्या कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभाग के उद्देश्यों को मितव्ययिता पूर्वक एवं प्रभावी रूप से प्राप्त किया गया है।

प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानसभा के समक्ष लाना है। लेखापरीक्षा मानकों के लिए यह आवश्यक है कि लेनदेनों की प्रकृति, आकार एवं महत्व, रिपोर्टिंग के महत्वपूर्ण स्तरों के अनुसार होने चाहिये। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष, प्रत्याशा करते हैं कि ये कार्यपालक को सुधारात्मक उपाय लेने एवं नीति-निर्देश बनाने में समर्थता प्रदान करें, जो कि संगठन के वित्तीय प्रबन्धन में सुधार हेतु उसका मार्ग-दर्शन करेंगे, एवं इस प्रकार उसे सुशासन में भागीदार बनायेंगे।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा आयोजना एवं व्याप्तियों की व्याख्या के अतिरिक्त, चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण कमियाँ, लेनदेनों की लेखापरीक्षा के दौरान लिये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों एवं विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई के संकलन को प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन के अध्याय II में चयनित कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा में उजागर निष्कर्ष शामिल हैं। अध्याय III में सरकारी विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण शामिल हैं।

## 1.2 लेखापरीक्षित इकाईयों का खाका

राजस्थान सरकार के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत, 40 विभाग एवं 195 स्वायत्तशाषी निकाय हैं, जो कि मुख्य शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों द्वारा नियंत्रित एवं उनके अन्तर्गत आने वाले उपशासन सचिवों/आयुक्तों एवं अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहयोगित किये जाते हैं,

जिनकी प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है।

राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान किये गये व्ययों की तुलनात्मक स्थिति **तालिका-1** में दी गयी है।

**तालिका 1: व्ययों की तुलनात्मक स्थिति**

**(₹ करोड़ में)**

| | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|---|
| **राजस्व व्यय** | | | |
| सामान्य सेवायें | 18,709 | 20,496 | 23,339 |
| सामाजिक सेवायें | 21,928 | 25,293 | 31,486 |
| आर्थिक सेवायें | 12,744 | 17,408 | 20,436 |
| सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान | 273 | 265 | 249 |
| **योग** | **53,654** | **63,462** | **75,510** |
| **पूंजीगत एवं अन्य व्यय** | | | |
| पूंजीगत परिव्यय | 7,119 | 10,684 | 13,665 |
| संवितरित कर्ज एवं अग्रिम | 1,109 | 2,412 | 811 |
| लोक ऋण की अदायगी | 3,490 | 4,707 | 4,116 |
| आकस्मिकता निधि | - | - | - |
| लोक लेखा संवितरण | 1,22,320 | 1,50,175 | 1,05,605 |
| **योग** | **1,34,038** | **1,67,978** | **1,24,197** |
| **कुल योग** | **1,87,692** | **2,31,440** | **1,99,707** |

**स्त्रोत: राज्य वित्त पर सम्बन्धित वर्षो के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

## 1.3 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकृति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा की प्राधिकृति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा सीएजी के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवाओं की शर्तें) अधिनियम, 1971 से ली गयी हैं। प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर, राजस्थान सरकार के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों एवं स्वायत्तशाषी निकायों के व्ययों की लेखापरीक्षा, सीएजी (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवाओं की शर्तें) अधिनियम की धारा 13[1], 14[2],

1. (i) राज्य की समेकित निधि से सभी व्ययों, (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखाओं से संबंधित सभी लेनदेनों एवं (iii) सभी व्यापार निर्माण, लाभ एवं हानि खातों, तुलन पत्र एवं अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।
2. (i) राज्य की समेकित निधि में से अनुदान या ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय/प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों एवं व्ययों तथा (ii) किसी निकाय या प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों एवं व्ययों, जहाँ ऐसे निकाय या प्राधिकरण को राज्य की समेकित निधि से ऋण एवं अनुदान वित्तीय वर्ष में ₹ 1 करोड़ से कम नही हो, की लेखापरीक्षा।

15[3], 17[4], 19(2)[5], 19(3) एवं 20[6] के अन्तर्गत करते हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए सिद्धान्त एवं विधियाँ, सीएजी द्वारा जारी मैन्युअलों में निर्दिष्ट की गयी हैं।

## 1.4 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर का संगठनात्मक ढ़ाँचा

सीएजी के निर्देशों के अन्तर्गत, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों एवं स्वायत्तशाषी निकायों के अन्तर्गत आने वाले सरकारी विभागों/कार्यालयों/स्वायत्तशाषी निकायों/संस्थाओ, जो कि पूरे राज्य में स्थापित हैं, की लेखापरीक्षा करता है। वर्ष 2013-14 के दौरान, 49 लेखापरीक्षा दलों जिनमें वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी तथा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी सम्मिलित थे, द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों एवं स्वायत्तशाषी निकायों (पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों के अलावा) एवं बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना इत्यादि की चयनित इकाईयों की वित्तीय, निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा संचालित की गयी।

## 1.5 लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया, विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/स्वायत्तशाषी निकायों एवं योजना/परियोजना इत्यादि के जोखिम प्रदर्शन के मूल्यांकन के साथ प्रारम्भ होती है। जोखिम का मूल्यांकन व्ययों, गतिविधियों की आलोच्यता/जटिलता, वित्तीय शक्तियों के सौंपने का स्तर, समग्र आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन एवं भागीदारों की चिन्ताओं पर आधारित होता है। इस अभ्यास में गत वर्षो के लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी ध्यान में रखे जाते हैं।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरांत, लेखापरीक्षा निष्कर्षो का समावेश करते हुए, इकाई प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं।

---

3. भारत या राज्य की समेकित निधि में से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी प्राधिकरण या निकाय को दिये गये ऋण या अनुदान की लेखापरीक्षा, जिसके द्वारा कार्यविधि की संवीक्षा हेतु स्वीकृति देने वाला प्राधिकरण स्वयं को सन्तुष्ट करता है कि उन शर्तो की पूर्ति कर ली गयी है, जिनके अन्तर्गत ऐसे अनुदान या ऋण दिये गये थे।
4. भण्डार एवं स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा।
5. सम्बन्धित विधानों के प्रावधानों के अनुसार संसद द्वारा बनाये गये नियमों या उनके अन्तर्गत संस्थापित किये गये निगमों (कम्पनियों के अलावा) के लेखाओं की लेखापरीक्षा।
6. राज्यपाल के अनुरोध पर किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा, उन शर्तो एवं निबंधनों पर जो कि सीएजी एवं राज्य सरकार के बीच तय की गयी हों।

इकाईयों से, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर, जवाब प्रेषित करने हेतु निवेदन किया जाता है। जब भी जवाब प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटारा कर लिया जाता है या अनुपालना के लिए अग्रेतर कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उजागर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है।

वर्ष 2013-14 के दौरान, सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों की 12,140 इकाईयों में से 1,305 इकाईयों में, 6,795 लेखापरीक्षा दल दिवसों को लेखापरीक्षा के लिए उपयोजित किया गया। लेखापरीक्षा आयोजना में उन इकाईयों/विभागों को आवृत्त किया गया जो कि जोखिम मूल्यांकन के अनुसार महत्वपूर्ण जोखिमों के प्रति सुरक्षित नहीं थीं।

## 1.6 लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

पिछले कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने, निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से, चयनित विभागों में विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के क्रियान्वयन में एवं साथ ही आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता पर कई महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है, जिन्होंने कार्यक्रमों की सफलता एवं विभागों के कार्य को प्रभावित किया। इसी प्रकार, सरकारी विभागों/संगठनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान उजागर हुई कमियों को भी प्रतिवेदित किया गया है।

### 1.6.1 कार्यक्रमों/विभागों की गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

इस प्रतिवेदन के अध्याय II में राजस्थान में 'सर्व शिक्षा अभियान' का कार्यान्वयन तथा 'पुलिस बल का आधुनिकीकरण' की निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है। इसमें राजस्थान में उपलब्ध 'पेयजल की गुणवत्ता' की निष्पादन लेखापरीक्षा को भी सम्मिलित किया गया है। निष्पादन लेखापरीक्षाओं के संक्षिप्त सार की निम्न अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है:

#### 1.6.1.1 राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान

भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उददेश्य से 'सर्व शिक्षा अभियान' की, एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में शुरूआत (2000-01) की गई। 'नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009' द्वारा, सर्व शिक्षा अभियान के 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क, अनिवार्य एवं सुगम बाल शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विस्तारित किया गया। राज्य में कार्यक्रम के क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए 'राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद', उत्तरदायी है। सर्व शिक्षा अभियान, जिला स्तरीय योजनाएँ बनाने में योजना का नीचे (विद्यालय स्तर) से ऊपर की ओर प्रवाह की परिकल्पना करता है। तथापि, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा इस

परिकल्पना का ध्यान नहीं रखा गया। नमूना जॉच किये गये 95 विद्यालयों में से 22 विद्यालयों ने विद्यालय विकास योजना तैयार नहीं की। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन/प्रतिधारण में मुश्किल से कोई सुधार हुआ है। वर्ष 2013-14 के अन्त तक राज्य में 'विद्यालय से बाहर' 9.07 लाख बच्चे थे।

सर्व शिक्षा अभियान का संशोधित ढ़ांचा 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों' (सीडब्लूएसएन) के लिए 'वैयक्तिक शिक्षा आलेख' (आईईपी) तैयार करने तथा उन्हे विशिष्ट उपकरणों की सहायता से पढ़ाने की परिकल्पना करता है। जबकि वर्ष 2009-10 में कुल चिन्हित बच्चो में से छः प्रतिशत सीडब्ल्यूएसएन, विद्यालय से बाहर थे, वर्ष 2013-14 में भी यह संख्या सात प्रतिशत थी जो नामाकिंत नहीं थे। नमूना जॉच किये 19 ब्लाकों में 43,365 सीडब्ल्यूएसएन में से मात्र 793 सीडब्ल्यूएसएन के लिए ही वैयक्तिक शिक्षा आलेख बनाया गया। अधिकतर उपकरण जिनका उपयोग सीडब्ल्यूएसएन के लिये कल्पित था, विद्यालयों के संसाधन कक्षों में बेकार पड़े थे।

सर्व शिक्षा अभियान के मार्गनिर्देशों में प्रारंभिक स्तर पर 6-14 वर्ष के आयु वर्ग में सामाजिक एवं लैंगिक अन्तरालों को वर्ष 2013-14 के अन्त तक पाटने की भी परिकल्पना की गई थी। जबकि अवधि 2009-14 के दौरान समग्र लैंगिक अन्तराल में मात्र 1.11 प्रतिशत की कमी आई। 'प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' के क्रियान्वयन के दस साल (2003-13) बाद भी राज्य में महिला साक्षरता दर 52.1 प्रतिशत थी जो कि राष्ट्रीय स्तर (64.6 प्रतिशत) से अभी भी कम है तथा यह सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में निम्नतम स्थान पर खड़ा है। जनगणना 2001 से तुलना करने पर राज्य में महिला साक्षरता में वृद्धि 8.22 प्रतिशत थी जो कि राष्ट्रीय वृद्धि 10.18 प्रतिशत से भी कम थी।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की अवधारणा पर जोर देते हैं। तथापि, 141 विद्यालयों का संचालन बिना विद्यार्थियों के किया जा रहा था तथा 12,782 विद्यालय एकल शिक्षक द्वारा संचालित किये जा रहे थे। नमूना जांच किये गये जिलों में 1,526 प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात प्रतिकूल था। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक स्तर पर विषयाध्यापकों की कमी थी। अधिकतर विद्यालय, भवनों में संचालित हो रहे थे तथा पेयजल और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था थी। तथापि, 80,074 विद्यालयों में से 48,285 विद्यालयों में खेल के मैदान नही थे, 31,677 विद्यालयों में पुस्तकालय नही थे, जबकि, 14,644 विद्यालयों में चारदीवारी की कमी थी। अतिरिक्त कक्षा-कक्ष व चारदीवारी निर्माण के 113 सिविल कार्य एक वर्ष से अधिक समय से अपूर्ण पड़े थे।

विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबन्ध समितियों की बैठको का आयोजन, निर्धारित मानदंडो के अनुसार नहीं किया जा रहा था तथा जिला स्तर पर अनुश्रवण की प्रक्रिया हेतु दौरो में स्पष्ट कमी थी। तथापि, राज्य स्तर पर कार्यकारी समिति की कुछ बैठकें आयोजित की गई परन्तु शाषी परिषद की योजना के प्रारम्भ से अब तक कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

***(अनुच्छेद 2.1)***

### 1.6.1.2 राजस्थान में पुलिस बल का आधुनिकीकरण

राज्य पुलिस बलों की परिचालन क्षमता में सुधार एवं उन्हे आन्तरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की उभरती चुनौतियों का प्रभावीं ढंग से सामना करने के लिए सुसज्जित करने हेतु भारत सरकार ने 'राज्यों में पुलिस बलों की आधुनिकीकरण की योजना' का शुभारम्भ किया। इस योजना को लागू करने और इसका समुचित लाभ प्राप्त करने के लिए, राजस्थान सरकार ने कोई परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की। वार्षिक योजनाऐं भारत सरकार को विलम्ब से प्रस्तुत की गयी। राज्य सरकार ने इस योजना में ना ही अपना अंशदान दिया और ना ही उपलब्ध केन्द्रीय धनराशि का उपयोग किया।

राज्य सरकार को, अवधि 2009-14 के दौरान 15,884 आधुनिक हथियारों की आवश्यकता के विरूद्ध केवल 3,962 हथियार प्राप्त हुए। इस योजना के तहत क्रय किए गये अधिकतर हथियार (2,350), क्षेत्र की इकाइयों को वितरित नहीं किए गये तथा ये निष्क्रिय पड़े रहे। धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद, 31 मार्च 2014 को 2,252 वाहनों की कमी रही। क्रय किये गये अधिकांश परिचालन वाहन निष्क्रिय वाहनों से समायोजित/प्रतिस्थापित किये गये तथा कुछ वाहन केन्द्रीय स्टोर में पड़े हुए थे।

विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में बड़ी तादात में नमूने, विश्लेषण के लिए लम्बित थे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की खरीद में देरी हुई तथा उनके संचालन हेतु तकनीकी जनशक्ति की कमी रही। मरम्मत/रखरखाव के अभाव में उपकरणों के अनुपयोगी रहने से पुलिस जाँच पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडा। पुलिस थाना प्रभारियों द्वारा अधिकतम मामलों में पुलिस प्रतिक्रिया समय की गणना नही की जा सकी क्योकि आवश्यक जानकारी अपराध पंजिका में दर्ज नहीं की गई थी।

कर्मचारियों के लिए आवासीय/गैर आवासीय भवनों के निर्माण में विलम्ब हुआ। ऐसे कई प्रकरण पाये गये जिनमें पूर्ण भवनों को विलम्ब से सौंपा गया। निर्माण स्थलों के चयन व ड्राइंग्स इत्यादि को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण 235 कार्य शुरू नहीं किए गये। 31 मार्च 2014 को कार्यरत 81,804 के समक्ष केवल 25,649 स्टाफ क्वाटर्स थे।

***(अनुच्छेद 2.2)***

### 1.6.1.3 पेयजल की गुणवत्ता

पेयजल के लिए राजस्थान, मूल रूप से भूजल पर निर्भर है। राज्य के बड़े भू-भाग में, जल में रासायनिक संदूषक, जैसे फ्लोराइड, नाईट्रेट एवं लवण इत्यादि हैं, जो इसे पीने के लिये असुरक्षित बना देते है। भू-जल जलाशयों के तेजी से क्षीण होने से रासायनिक मापदण्डों पर जल की गुणवत्ता में कमी आ रही है। पेयजल की निरंतर मांग और आपूर्ति में संतुलन व गुणवत्ता उन्नयन हेतु, राजस्थान सरकार ने जल संसाधन आयोजना के लिये, 'राज्य जल नीति (एसडब्ल्यूपी) 2010' अपनाया है। यद्यपि, 2003 में निवासियों हेतु जल गुणवत्ता उन्नयन हेतु 'राष्ट्रीय बसावट सर्वेक्षण' नाम से एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण के उपरान्त कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया।

जल को फ्लोराइडमुक्त करने हेतु, वर्ष 2005 में, तीन चरणों वाला 'राजस्थान एकीकृत फ्लोरोसिस शमन कार्यक्रम' (आरआईएफएमपी), प्रारम्भ किया। आरआईएफएमपी के चरण-I के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये, जबकि चरण-II के परिणामों को भी संकलित नहीं किया गया। चरण-II/III के अधीन फ्लोराइड निवारण इकाइयों के परिचालन/संधारण एवं अनुश्रवण नहीं करने के प्रकरण ध्यान में आये। विभाग द्वारा रिवर्स आस्मोसिस (आरओ) संयत्रों के स्थापना की परियोजना प्रारम्भ की गयी। ऐसे आरओ संयत्रों के अनुचित तरीके से कार्य करने तथा उनके निष्पादन के अनुश्रवण मे अभाव के प्रकरण ध्यान में आये।

ब्लीचिंग पाउडर क्रय करने हेतु आपूर्ति आदेश जारी करने से पूर्व, क्लोरीन की आवश्यकता का आंकलन नहीं किया गया। अपेक्षित मानक परीक्षण, उपयुक्त सेम्पलिंग तथा भण्डार में उपलब्ध ब्लीचिंग पाउडर के आवधिक परीक्षण नहीं किये गये थे।

पेयजल के नमूनों की जांच हेतु स्थापित प्रयोगशालाओं में पर्याप्त अवसंरचना/परीक्षण सुविधाऐं और योग्य कर्मचारी नहीं थे। 237 ब्लाकों में से मात्र 69 ब्लाकों में ही ब्लाक स्तर पर प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई थी। फील्ड टेस्टिंग किट के साथ जल नमूनों के परीक्षण के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये। चल प्रयोगशाला का प्रदर्शन भी उपयुक्त नहीं था।

***(अनुच्छेद 2.3)***

### 1.6.2 अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण

आलोच्य क्षेत्रों में लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण कमियां उजागर की जिन्होने राज्य सरकार की प्रभावोत्पादकता को प्रभावित किया। अनुपालन लेखापरीक्षा कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष (3 थीमेटिक लेखापरीक्षा अनुच्छेद तथा 12 प्रारूप

अनुच्छेद) अध्याय III में प्रतिवेदित किये गये है। प्रमुख आक्षेप निम्न श्रेणियों से सम्बन्धित हैं:

### 1.6.2.1 नियमों एवं विनियमों का अनुपालन नहीं किया जाना

अच्छे वित्तीय प्रशासन एवं वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार हो। यह वित्तीय अनुशासन बनाये रखने में सहायता करता है तथा अनियमितताओं, दुर्विनियोजन एवं धोखाधड़ी को रोकता है। इस प्रतिवेदन में नियमों एवं विनियमों की अनुपालना नहीं करने के ₹ 20.44 करोड़ के प्रकरण सम्मिलित हैं, जो निम्नानुसार हैं:

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में संवेदकों द्वारा अनुचित उच्च दरों पर पाईपों की आपूर्ति किये जाने से ₹ 1.06 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

***(अनुच्छेद 3.1.1)***

वित्तीय शक्तियों के विपरीत अतिरिक्त कार्यो के निष्पादन पर जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा ₹ 19.38 करोड़ का अनियमित एवं अनधिकृत व्यय किया गया।

***(अनुच्छेद 3.1.2)***

### 1.6.2.2 औचित्यता के विरूद्ध लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त न्यायोचितता के बिना व्यय के मामले

लोक निधियों से व्यय की प्राधिकृति, सार्वजनिक व्यय को करने की औचित्यता एवं दक्षता के सिद्धान्तों द्वारा मार्ग दर्शित होनी चाहिये। प्राधिकारियों, जो कि व्यय करने के लिए प्राधिकृत है, से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उसी सतर्कता के साथ व्यय करेंगे जैसा कि एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति अपने स्वयं की धनराशि को व्यय करने में बरतता है। लेखापरीक्षा जाँच में अनौचित्यता एवं अतिरिक्त व्यय के ₹ 49.08 करोड़ के प्रकरण दर्शित हुए। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

श्रम विभाग में, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कर्ष केन्द्रों में उन्नयन करने की योजना के कमजोर क्रियान्वयन के कारण, 27 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नयन नहीं किया गया तथा ऋण राशि ₹ 32.94 करोड़ अनुपयोजित रही एवं बेरोजगार युवाओं के कौशल में उन्नयन का उद्देश्य भी विफल रहा।

***(अनुच्छेद 3.2.1)***

शहरी जनसहभागिता योजना के अन्तर्गत, बिना कार्मिकों के परिनियोजन सुनिश्चित किये, जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में कार्डियो थोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी इकाई के निर्माण व उपकरणों के क्रय करने से, ₹ चार करोड़ की निधियाँ तीन वर्षों से भी अधिक समय तक अवरूद्ध रही।

*(अनुच्छेद 3.2.2)*

33 केवी फीडर लाईन के कार्य का निष्पादन नहीं करने के कारण ₹ 4.12 करोड़ की निधियाँ सात वर्ष से अधिक के लिए अवरूद्ध रही एवं 138 गांवों की जनता पेयजल योजना की आपूर्ति से वंचित रही।

*(अनुच्छेद 3.2.3)*

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा द्वितीय न्यूनतम निविदादाता की समझौता दरें, को निरस्त करने एवं निविदा प्रक्रिया के अन्तिमीकरण में असामान्य देरी एवं संवेदक के उच्च प्रस्तावों को स्वीकार करने के अविवेकपूर्ण निर्णय से, कार्य का आवंटन ₹ 8.02 करोड़ की अतिरिक्त परिहार्य लागत/दायित्व पर किया गया।

*(अनुच्छेद 3.2.4)*

### 1.6.2.3 सतत् एवं व्यापक अनियमितताऐं

एक अनियमितता यदि वर्ष-दर-वर्ष बाद भी जारी रहती है तो यह सतत् अनियमितता समझी जाती है। यदि यह सम्पूर्ण प्रणाली में विद्यमान रहती है तो यह व्यापक अनियमितता हो जाती है। पिछली लेखापरीक्षा में बताये जाने के बावजूद अनियमितताओं की पुनरावृत्ति होना, न केवल कार्यपालक के गंभीर नहीं होने का सूचक है, बल्कि प्रभावी अनुश्रवण के अभाव का भी सूचक है। इसकी परिणिती नियमों/विनियमों के पालन में जानबूझकर किये गये विचलनों को प्रोत्साहित करना है जो परिणामत: प्रशासकीय संरचना को कमजोर करती है। लेखापरीक्षा में सतत् एवं व्यापक अनियमितताओं का निम्नलिखित प्रकरण विदित हुआ:

कोषाधिकारियों द्वारा निर्धारित जांच करने में असफल रहने के कारण पेंशन/ पारिवारिक पेंशन राशि ₹ 153.75 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान हुआ।

*(अनुच्छेद 3.3.1)*

### 1.6.2.4 कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं शासन में विफलता

सरकार संरचनात्मक ढ़ाँचे तथा सार्वजनिक सेवाओं के उन्नयन के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास आधारभूत संरचना के उन्नयन, लोक सेवा आदि के

क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उत्तरदायी है। लेखापरीक्षा ने कुछ दृष्टांत सूचित किये हैं जिनमें सरकार द्वारा सामुदायिक लाभ हेतु सार्वजनिक संपत्तियों के सृजन के लिए निर्मोचित की गई निधियाँ अनिश्चयता, प्रशासकीय पर्यवेक्षण या विभिन्न स्तरों पर संगठित कार्यवाही की कमी के कारण अनुपयोजित/अवरोधित रही या निष्फल/अनुत्पादित सिद्ध हुई। लेखापरीक्षा नमूना जाँच में कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं शासन की विफलता के मामलों में ₹ 40.50 करोड़ की राशि शामिल है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न प्रकार है:

कक्षा VI से XII तक के जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने हेतु राजस्थान में 'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना' वर्ष 2002-03 में प्रारम्भ की गयी। ये आवासीय विद्यालय थे और इनके द्वारा विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा एवं आधारभूत सुविधाऐं यथा भोजन, पोशाक, स्वेटर, जूते, जूराबें इत्यादि उपलब्ध कराया जाना था। 100 प्रतिशत निधियाँ अनुदान के रूप में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जानी थी। अब तक, आठ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय इस योजनान्तर्गत संचालित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, छः एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन हैं।

राज्य स्तरीय सोसायटी और विद्यालय स्तर पर प्रबंधन समिति, जिसका गठन आवासीय विद्यालयों के कामकाज का प्रबंध करने के लिए अपेक्षित था, कार्यशील नहीं थी। अन्य कमियां जैसे योग्य शिक्षकों की नियमित रूप से भर्ती नहीं करना, शिक्षण स्टाफ की कमी, छात्रों का कम प्रतिधारण, शिक्षण तथा सीखने के उपकरणों की उपलब्धता की कमी, छात्रावास में अपर्याप्त सुविधायें, इत्यादि ने योजना के समग्र प्रदर्शन को प्रभावित किया।

नये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के निर्माण की प्रगति धीमी थी और पूर्ण होने की निर्धारित दिनाकं से दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी ये कार्य अपूर्ण थे, जिससे छात्र योजना के लाभ से वंचित रहे।

***(अनुच्छेद 3.4.1)***

बालिकायें भारतीय समाज की सबसे कमजोर सदस्य हैं। बालिका के जीवन में भेदभाव के तत्व जीवन के हर कदम पर परिलक्षित होते हैं। सामाजिक परिवेश में बालिकाओं एवं महिलाओं के खिलाफ लैंगिक भेदभाव उनके घर, स्कूल समुदाय तथा समाज में होता है। सामाजिक-आर्थिक परिवेश, अक्षमता एवं निवास का स्थान (ग्रामीण-शहरी) उसकी असुरक्षा को और भी बढ़ा देती है। तकनीकी विकास का सहयोग, पुत्रियों के प्रति घृणा एवं पुत्रों को वरीयता प्रदान करने की गहरी मानसिकता की वजह से, राजस्थान में 2011 में बाल लिगांनुपात 909 बालिकाओं (2001) से घटकर 888 प्रति 1000 बालक की नकारात्मक वृद्धि के साथ उजागर हुयी। अखिल भारतीय सर्वलिंगानुपात

943:1000 की तुलना में, राजस्थान में समग्र लिंगानुपात 928:1000 था। 2011 की जन गणना के अनुसार सर्व साक्षरता दर 66.1 प्रतिशत के विरूद्ध महिला साक्षरता दर भी 52.1 प्रतिशत थी।

2003 में संशोधित, 'गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) (पीसी एण्ड पीएनडीटी) अधिनियम 1994', बाल लिगांनुपात में गिरावट को रोकने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विधायी हस्तक्षेप है। राजस्थान सरकार ने जिला एवं उप-संभाग स्तर सलाहकार समिति में चिकित्सा अनुवांशिकीविद्, प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता तथा कानूनी विशेषज्ञ को नामित नहीं किया, जिसका उपयुक्त प्राधिकारियों को आवश्यक सलाह प्रदान करने के लिये अधिनियम के अन्तर्गत गठन किया जाना आवश्यक था। 2012-14 के दौरान नमूना जाँच किये गये जिलों में सोनोग्राफी केन्द्रो के आवश्यक निरीक्षण नही किये गये।

नमूना जांच जिलों में, सूचित किये गये 651 शिकायती प्रकरणों में से 196 प्रकरण या तो झूठे पाये गये या उनमें बच्चे बालिग पाये गये। 454 प्रकरणों में संबंधित बाल विवाह निषेध अधिकारी द्वारा शादियाँ रूकवायी गई।

भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित, 'किशोरी शक्ति योजना', गरीब परिवारों की बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिये 11 से 15 वर्ष के आयु वर्ग में उनके पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करने के उद्देश्य से वर्ष 2000-01 में प्रारम्भ की गयी। किशोरी बालिकाओं के बहु-आयामी समस्याओं के समाधान हेतु किशोरी शक्ति योजना एवं किशोरी बालिका पोषाहार कार्यक्रम को समाहित करते हुये एक व्यापक योजना, 'राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना' अथवा 'सबला' दिसम्बर 2010 से प्रारम्भ की गयी। किशोरी शक्ति योजना और सबला दोनों योजनाओं के अन्तर्गत पोषाहार का लाभ ₹ 5 प्रति दिन प्रति लाभार्थी की दर से प्रदान किया गया। यह मध्यान्ह भोजन योजना में उपलब्ध करवाये जाने वाले खाद्यान्न से भी कम है, और इसे भी किशोरियों के एक बडे हिस्से को उपलब्ध नही करवाया जा रहा है। बालिका सम्बल योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की पहचान तथा यूटीआई बॉण्ड के वितरण हेतु उचित तंत्र उपलब्ध नही था।

*(अनुच्छेद 3.4.2)*

'राष्ट्रीय खेल नीति 2001' के अनुसार केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, ओलंपिक संघ, एवं राष्ट्रीय खेल संघ के साथ संयोजन कर, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के व्यापक आधार तैयार करने एवं उत्कृष्टता प्राप्त करने के दोहरे उद्देश्यों को सम्मिलित रूप से प्राप्त करने का प्रयास करेगी। 'राज्य खेल नीति' अप्रेल 2013 में आरम्भ की गई जिसमें खेलों के प्रति बच्चों में अधिकतम आकर्षण हेतु उपयुक्त खेल वातावरण, बुनियादी ढांचे के विकास तथा राष्ट्रीय

एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की भागीदारी को बढ़ावा देने एवं श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु सुविधाऐं उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गयी। यद्यपि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के आधार पर राजस्थान, देश में आठवें स्थान पर है, परन्तु 34 वें राष्ट्रीय खेल 2011 में राज्य का स्थान 20 वें पायदान पर था।

उचित दीर्घकालीन/पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजनाओं को तैयार नही किया जा रहा था। राजस्थान राज्य खेल परिषद का गठन खेल निकायों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए नहीं किया गया था, और परिषद विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा नामित सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रबन्धित की जा रही थी।

स्टेडियमों के निर्माण, खेल के आधारभूत ढाचें का सृजन तथा मौजूदा स्टेडियमों के रखरखाव इत्यादि के 49 कार्य ₹ 18.79 करोड़ व्यय करने के उपरान्त भी प्रगति पर थे तथा 16 कार्य निविदाओं के अन्तिमीकरण नहीं होने, भूमि विवाद या कार्य आदेश के देरी से जारी हाने के कारण प्रारम्भ नही हुए। बारां और फतेहगढ़ स्टेडियम में खेल सुविधाओं से सम्बन्धित दो निर्माण कार्य, मार्च 2012 व दिसम्बर 2013 में पूर्ण किये गये, जो राजस्थान राज्य खेल परिषद को क्रमशः 31 और 10 माह की अवधि के बाद भी हस्तान्तरित नहीं किये गये। बजट 2012-13 में उद्घोषित जोधपुर में गौशाला खेल परिसर में ₹ 5 करोड की लागत का सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण कार्य प्रारम्भ नही किया गया। जुलाई 2008 में स्वीकृत बीकानेर में एक नये वेलोड्रम के निर्माण का कार्य अभी प्रारम्भ किया जाना है।

***(अनुच्छेद 3.4.3)***

चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा कम निःशुल्क जाँच प्रकरणों पर अनुज्ञप्तिधारी से ₹ 85.30 लाख की वसूली नहीं की गयी एवं लेखापरीक्षा में अदेय मौद्रिक लाभ पहुँचाया जाना पाया गया।

***(अनुच्छेद 3.4.4)***

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में 33 केवी डेडीकेटेड पावर फीडर लाईन के निष्पादन नहीं होने से ₹ 17.57 करोड़ की निधियां लगभग तीन वर्षो के लिए अवरूद्ध रही तथा उस पर ₹ 1.99 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

***(अनुच्छेद 3.4.5)***

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा छात्रावासों का परिचालन नहीं करवाने वाली संस्थानों से ₹ 6.97 करोड़ के अनुदान की वसूली का अभाव रहा।

***(अनुच्छेद 3.4.6)***

लेखापरीक्षा में, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में क्रियान्वयन एजेंसी के चयन में सही प्रक्रिया का पालन न होने से विशेष केन्द्रीय सहायता ₹ 9.36 करोड़ के उपयोग का अभाव रहा तथा जनजातीय छात्रों का रोजगार के अवसरों से वंचित रहना पाया गया।

*(अनुच्छेद 3.4.7)*

## 1.7 निष्पादन लेखापरीक्षाओं/प्रारूप अनुच्छेदों पर विभागों का प्रत्युत्तर

प्रारूप अनुच्छेदों को संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को प्रत्युत्तर देने हेतु उनका ध्यान आकर्षित करने के लिये अग्रेषित किया जाता है। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे अनुच्छेदों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की संभावना देखते हुये, जिन्हें राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यह वांछनीय होगा कि मामले पर उनकी टिप्पणी शामिल कर ली जाये। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षा/थीमेटिक लेखापरीक्षा/प्रारूप अनुच्छेदों पर चर्चा करने के लिए प्रधान महालेखाकार के साथ बैठक आयोजित करें। तद्नुसार, इस प्रतिवेदन में प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षा/थीमेटिक लेखापरीक्षा/प्रारूप अनुच्छेदों को प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को अग्रेषित किया गया।

अध्याय II एवं III में लिये गये 18 निष्पादन लेखापरीक्षाओं/थीमेटिक लेखापरीक्षा अनुच्छेदों/प्रारूप अनुच्छेदों में से दो के प्रत्युत्तर सम्बन्धित विभागों ने प्रेषित नहीं किये। 16 अनुच्छेदों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों की प्रतिक्रियाओं को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समुचित रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

## 1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निश्चय किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदों/समीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं, पर एक्शन टेकन नोट्स (एटीएन), प्रतिवेदन के विधानसभा में प्रस्तुत होने के तीन माह के अन्दर, लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा कर, जन लेखा समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिये। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किये गये विभिन्न विभागों से संबंधित अनुच्छेदों/निष्पादन समीक्षाओं पर बकाया एटीएन की समीक्षा में पाया गया कि नवम्बर 2014 को संबंधित विभागों से 20 एटीएन[7] लम्बित थे।

7. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त) 2012-13 के अनुच्छेद 1.2.4, 1.4.4, 1.9.2, 1.9.4, 2.3.2.1, 2.3.3, 2.3.5, 2.5, 2.8, 3.2, 3.3, 3.4 एवं 3.5 तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) 2012-13 के अनुच्छेद 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.4.1, 2.4.3, 2.4.7 एवं 2.4.9 ।

# अध्याय II
# निष्पादन लेखापरीक्षा

# अध्याय II
# निष्पादन लेखापरीक्षा

यह अध्याय राजस्थान में' सर्व शिक्षा अभियान' का कार्यान्वयन, 'पुलिस बल का आधुनिकीकरण' तथा राजस्थान में उपलब्ध 'पेयजल की गुणवत्ता' की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रस्तुत करता है।

## प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

### 2.1 राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन

**कार्यकारी सांराश**

भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उददेश्य से सर्व शिक्षा अभियान की, एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में शुरूआत (2000-01) की गई। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009) द्वारा, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य को 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क, अनिवार्य एवं सुगम बाल शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए, विस्तारित किया गया। राजस्थान में साक्षरता दर 60.41 (जनगणना 2001) से बढ़कर 66.1 प्रतिशत (जनगणना 2011) हो गयी। लेकिन फिर भी यह समग्र भारत की साक्षरता दर 73 प्रतिशत (जनगणना 2011) से कम है। राज्य में कार्यक्रम के क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए 'राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद', उत्तरदायी है। सर्व शिक्षा अभियान, जिला स्तरीय योजनाएँ बनाने में योजना का नीचे (विद्यालय स्तर) से ऊपर की ओर प्रवाह की परिकल्पना करता है। तथापि, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा इस परिकल्पना का आमतौर पर ध्यान नहीं रखा गया।

सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना तथा उनके नामांकन/प्रतिधारण में वृद्धि करना था। तथापि समीक्षा अवधि के दौरान, राज्य में इन क्षेत्रों में मुश्किल से किसी सुधार के साथ, सरकारी व निजी, दोनों ही विद्यालयों में बच्चों की नामांकन दर लगभग स्थिर रही। अवधि 2009-13 के दौरान प्रतिधारण दर में भी कोई सुधार नहीं आया। वर्ष 2013-14 के अन्त तक राज्य में 'विद्यालय से बाहर' 9.07 लाख बच्चे थे।

सर्व शिक्षा अभियान का संशोधित ढ़ांचा 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों' (सीडब्लूएसएन) के लिए 'वैयक्तिक शिक्षा आलेख' (आईईपी) तैयार करने तथा उन्हें

विशिष्ट उपकरणों की सहायता से पढ़ाने की परिकल्पना करता है। जबकि वर्ष 2009-10 में कुल चिन्हित बच्चो में से छः प्रतिशत सीडब्ल्यूएसएन, विद्यालय से बाहर थे, वर्ष 2013-14 में भी यह संख्या सात प्रतिशत थी जो नामांकित नहीं थे। नमूना जाँच किये 19 ब्लाकों में 43,365 सीडब्ल्यूएसएन में से वैयक्तिक शिक्षा आलेख मात्र 793 सीडब्ल्यूएसएन हेतु ही आईईपी बनाया गया। अधिकतर उपकरण, जिनका उपयोग सीडब्ल्यूएसएन के लिये कल्पित था, संसाधन कक्षों में बेकार पड़े थे।

सर्व शिक्षा अभियान के मार्गनिर्देशों में प्रारंभिक स्तर पर 6-14 वर्ष आयु वर्ग में लैंगिक अन्तरालों को वर्ष 2013-14 के अन्त तक पाटने की परिकल्पना की गई थी। लेखा परीक्षा निष्कर्षों में पाया गया कि अवधि 2009-14 के दौरान लैंगिक अन्तराल में मात्र 1.11 प्रतिशत की कमी आई। 'प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' के क्रियान्वयन के दस साल (2003-13) बाद भी राज्य में महिला साक्षरता दर 52.1 प्रतिशत थी जो कि राष्ट्रीय स्तर (64.6 प्रतिशत) से अभी भी कम है तथा यह सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में निम्नतम स्थान पर खड़ा है। जनगणना 2001 से तुलना करने पर राज्य में महिला साक्षरता में वृद्धि 8.22 प्रतिशत थी जो कि राष्ट्रीय वृद्धि 10.18 प्रतिशत से भी कम थी।

'शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' तथा सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की अवधारणा पर जोर देते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मुख्यतः छात्र-शिक्षक अनुपात के संधारण तथा आधारभूत संरचना की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यह देखा गया कि अवधि 2009-14 के दौरान सरकारी विद्यालयों में नामांकन में गिरावट के साथ ही निजी विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि हुई। 141 विद्यालयों का संचालन बिना विद्यार्थियों के किया जा रहा था तथा 12,782 विद्यालय (17 प्रतिशत) एकल शिक्षक द्वारा संचालित किये जा रहे थे। नमूना जांच किये गये जिलों में 1,526 (13.48 प्रतिशत) प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात प्रतिकूल था। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक स्तर पर विषयाध्यापकों की कमी थी।

अधिकतर विद्यालयो में भवन, तथा पेयजल और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था थी। लेखा परीक्षा द्वारा संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि कई जगह शौचालय जलापूर्ति से नहीं जुड़े थे तथा इनमें से कुछ क्षतिग्रस्त होने के कारण उपयोगी भी नहीं थे। आधे से अधिक विद्यालयों में खेल मैदान उपलब्ध नहीं थे तथा लगभग 40 प्रतिशत विद्यालयों में पुस्तकालय नहीं थे। लगभग 18 प्रतिशत विद्यालयों में चार दीवारी का निर्माण नहीं किया गया था। चार दीवारी का निर्माण बच्चों को, विशेषकर बालिकाओं को, सुरक्षा प्रदान करने के लिये महत्वपूर्ण है तथा यह विद्यालय में बालिकाओं की प्रतिधारण दर में वृद्धि करने में दूरगामी सिद्ध हो सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह भी देखा गया कि भूमि विवाद तथा भूमि की अनुपलब्धता के कारण, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष व चारदीवारी निर्माण के 113 सिविल कार्य एक वर्ष से अधिक समय से अपूर्ण पड़े थे।

विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबन्ध समितियों की बैठको का आयोजन, निर्धारित मानदंडो के अनुसार नहीं किया जा रहा था तथा जिला स्तर पर अनुश्रवण की प्रक्रिया हेतु दौरो में स्पष्ट कमी थी। जबकि राज्य स्तर पर कार्यकारी समिति की कुछ बैठकें आयोजित की गई परन्तु शाषी परिषद की योजना के प्रारम्भ से अब तक कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

***प्रस्तावना***

भारत सरकार द्वारा देश में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्य से राज्य सरकार के साथ मिलकर एक फ्लैगशिप कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ (2000-01) किया गया था। कार्यक्रम का विशेष बल 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन एवं प्रतिधारण तथा गुणवत्ता शिक्षा की व्यवस्था पर था।

भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21(ए) अन्तर्स्थापित किया गया जिसके द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। इस मूलभूत अधिकार की क्रियान्विति के लिये भारत सरकार ने अप्रेल 2010 में बच्चों का 'नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009' बनाया जो शिक्षा के समग्र दृष्टिकोण अर्थात समानता एवं गुणवत्ता, पहुँच, लैंगिक सोच, अध्यापकों की केन्द्रीयता तथा शैक्षिक प्रबन्धन की दक्ष एवं एकीकृत प्रणाली सहित, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को मार्च 2013 तक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक, निकटवर्ती विद्यालय में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित होने के पश्चात, भारत सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण तथा इसकी गुणवत्ता में वृद्धि के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान के दिशा-निर्देशों को संशोधित (मार्च 2011) किया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 29 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी की। यद्यपि राजस्थान की साक्षरता दर 60.41 (2001 जनगणना) से बढ़कर 66.1 प्रतिशत (2011 जनगणना) हो गई है फिर भी समग्र भारत की साक्षरता दर 73 प्रतिशत (2011 जनगणना) से यह 6.9 प्रतिशत कम है। राज्य में साक्षरता दर में वृद्धि के बावजूद लिंग अन्तराल, पुरूष साक्षरता दर 79.19 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 52.12 प्रतिशत के साथ, बहुत अधिक है।

### *2.1.1 अभियान के उद्देश्य*

सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य उद्देश्य थे:

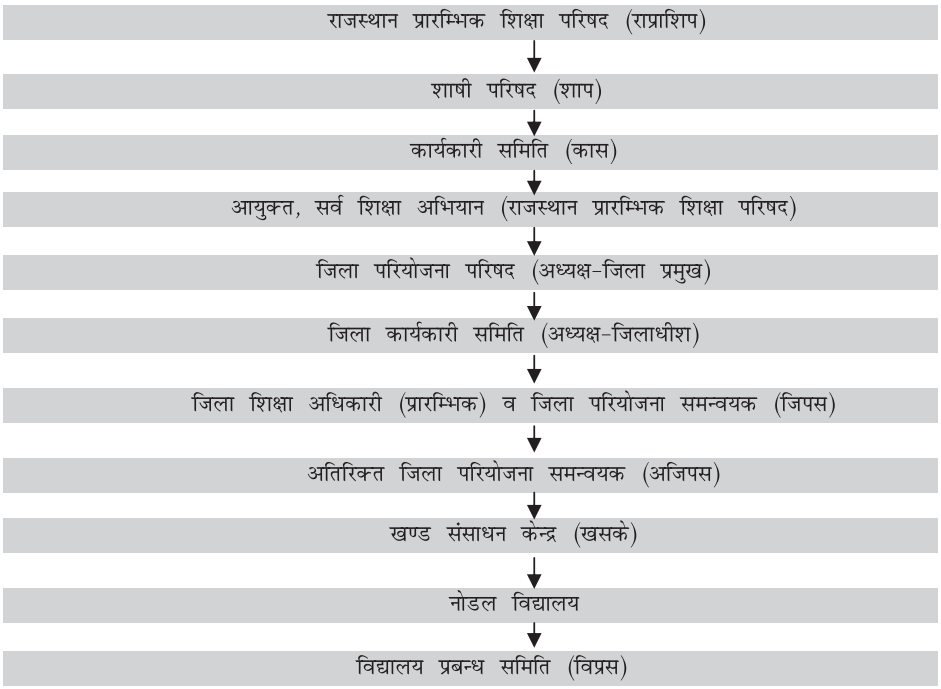
- सार्वभौमिक पहुँच एवं नामांकन द्वारा 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निकटवर्ती स्कूलों में नि:शुल्क, अनिवार्य एवं सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराना।
- सभी बच्चों का, अनिवार्यत: आठवर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा चक्र पूर्ण करवाने हेतु बच्चों का सार्वभौमिक प्रतिधारण सुनिश्चित करना।
- सभी बच्चों को अधिगम की आवश्यक कार्यनिर्वाह क्षमता का स्तर प्राप्त करवाने हेतु शिक्षा की गुणवत्ता में समुचित सुधार पर ध्यान देना।
- प्रारम्भिक स्तर पर सामाजिक एवं लिंग अंतरालों को पाटना।

### *2.1.2 संगठनात्मक ढांचा*

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, 'राजस्थान सोसाइटी पंजियन अधिनियम 1958' के अर्न्तगत एक पंजीकृत संस्था है जिसका प्रमुख, आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान (राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद), कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इसकी राज्य स्तर पर दो अपेक्स समितियाँ, यथा- शाषी परिषद तथा कार्यकारी समिति हैं। मुख्यमंत्री शाषी परिषद का अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार एवं प्रमुख शासन सचिव (विद्यालय एवं संस्कृत शिक्षा) कार्यकारी समिति के क्रमश: अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष हैं।

राज्य परियोजना कार्यालय, जिसका प्रमुख आयुक्त होता है, कार्यक्रम के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करता है। जिला परियोजना समन्वयक, कार्यक्रम के जिला स्तर पर समन्वय तथा क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। जिला परियोजना समन्वयक को कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने हेतु, प्रत्येक खण्ड में खण्ड संसाधन केन्द्र स्थापित किये गये हैं। सभी सरकारी विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समितियाँ गठित की गई हैं जो स्कूल स्तर पर क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी हैं। इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसके क्रियान्वयन के लिए परामर्श देने हेतु, राज्य परामर्शदायी परिषद के गठन की परिकल्पना करता है।

संगठनात्मक ढाँचा निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:




### *2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य*

निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य, यह आंकलन करना था कि:

- कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए योजना प्रक्रिया पर्याप्त तथा प्रभावी थी;
- सर्व शिक्षा अभियान का विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर ध्यान देते हुऐ 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निकटवर्ती विद्यालयों में नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा था;
- छात्र-शिक्षक अनुपात निर्धारित मानदण्डानुसार था और आधारभूत सुविधाऐं पर्याप्त थी और
- सर्व शिक्षा अभियान का आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रभावी था।

### *2.1.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड*

निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्न मापदण्ड अंगीकृत किये गये:

- सर्व शिक्षा अभियान दिशा निर्देश/कार्यतंत्र 2011;
- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009;

- भारत सरकार, राजस्थान सरकार तथा राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जारी नियम, विनियम तथा परिपत्र;
- वार्षिक कार्य योजना एवं बजट, 2009-14;
- जिला स्थानीय वार्षिक योजनायें, 2009-14 एवं
- राज्य परियोजना कार्यालय का सर्वे प्रतिवेदन वर्ष 2009-14

### *2.1.5 लेखापरीक्षा व्याप्ति*

राज्य स्तर पर, राज्य परियोजना कार्यालय के सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित अभिलेखों की समीक्षा की गई। क्षेत्रीय स्तर पर लेखापरीक्षा में 33 में से आठ[1] जिला परियोजना समन्वयक तथा 69 में से 19[2] खण्ड संसाधन केन्द्रों के अभिलेखों की समीक्षा की गई जिनका चयन व्यवस्थित सामान्य नमूना पद्धति से किया गया। इसके साथ ही प्रत्येक खण्ड संसाधन केन्द्रों से पाँच विद्यालयों तथा एक कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय[3] की नमूना जाँच भी की गई। नमूना जाँच अवधि 2009-10 से 2013-14 थी।

### *2.1.6 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली*

क्षेत्र यात्रा के दौरान राज्य, जिला, खण्ड एवं विद्यालय स्तर पर संधारित अभिलेखों का गहन परीक्षण/विश्लेषण किया गया। लेखापरीक्षा दल द्वारा खण्ड संसाधन केन्द्र के प्रतिनिधियों के साथ 95 चयनित विद्यालयों एवं चयनित खण्डों में प्रत्येक में से एक कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय का संयुक्त भौतिक निरीक्षण भी किया गया। 16 अप्रैल 2014 को आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान के साथ प्रविष्टि चर्चा की गयी जिसमें लेखा परीक्षा उद्देश्य एवं निष्पादन लेखा परीक्षा के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट किया गया तथा लेखा परीक्षित इकाइयों से आँकड़े/सूचना प्रदान करने के लिये सहयोग चाहा गया। 19 नवम्बर 2014 को नियंत्रक (वित्त) एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ निर्गम चर्चा आयोजित की गयी जिसमें लेखा परीक्षा निष्कर्षो पर विस्तृत चर्चा की गयी।

---

1 अलवर, भीलवाड़ा, झालावाड़, झुन्झुनू, जोधपुर, करौली, सीकर और टोंक

2 तिजारा, रामगढ़, बहरोड़, मुण्डावर (अलवर), आसीन्द, शाहपुरा, सहारडा (भीलवाड़ा), झालरापाटन, सुनेल (झालावाड़), झुन्झुनू, नवलगढ़ (झुन्झुनू) करौली (करौली), बिलाड़ा, मण्डोर, जोधपुर शहर (जोधपुर), नीम का थाना, लक्ष्मणगढ़ (सीकर), निवाई, देवली (टोंक)।

3 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय एक प्रकार का आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है (कक्षा 6 से 8) जो राज्य के 200 खण्डो में 'विद्यालय से बाहर' बालिका मुख्यत: अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. एवं अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित है जो अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सकी हो, के लिए खोले गये।

## लेखा परीक्षा निष्कर्ष

राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखा परीक्षा निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गयी है:

### 2.1.7 योजना

सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों में योजना को निचले स्तर तक पहुँचाने पर ध्यान दिया गया अर्थात जिला स्तर की योजनाएँ तैयार करने के लिये, प्रारम्भिक योजनाएँ निचले स्तर (विद्यालय स्तर) पर तैयार की जानी थी। राज्य स्तर पर राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार की गयी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट जिला स्तरीय योजनाओं पर आधारित होनी थी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि विद्यालयों की शैक्षिक एवं आधारभूत आवश्यकता हेतु विशेष बिन्दुओं को ध्यान में रखा गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सर्जित नियमों में भी विद्यालय प्रबंध समितियों[4] की स्थापना पर बल दिया गया जिसमें स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधि, अभिभावकों या संरक्षकों के प्रतिनिधि, अध्यापक, विद्यार्थी आदि हों।

#### 2.1.7.1 विद्यालय विकास योजनायें

विद्यालय प्रबंध समितियों द्वारा एक ऐसी विद्यालय विकास योजना तैयार करनी अपेक्षित थी जो तीन वार्षिक उपयोजनाओं को समाहित करते हुए एक त्रिवर्षीय योजना हो तथा जिसमें आधारभूत संरचना, मानवश्रम एवं निधियों की आवश्यकताओं का समावेश हो। जिला स्तरीय योजनाएँ इन विद्यालय विकास योजना पर आधारित होनी थी तथा इन्हें अन्ततः राज्य स्तर पर संकलित किया जाना था।

नमूना जॉच किये गये 95 विद्यालयों में से 22 विद्यालयों[5] ने विद्यालय विकास योजना तैयार नहीं की। इसके अभाव में उनकी आधारभूत आवश्यकताएँ (सुविधायें जैसे कक्षाओं की संख्या, शौचालय, चारदीवारी एवं पेयजल सुविधा आदि) आंकी नहीं जा सकी।

राज्य सरकार ने कहा (दिसम्बर 2014) कि राज्य स्तर पर वार्षिक योजनाएँ, विद्यालय प्रबंध समिति, खण्ड एवं जिला स्तर पर तैयार की गयी योजनाओं के आधार पर तैयार की जा रही हैं। तथापि, तथ्य रहा कि जिला स्तरीय योजनाएँ तैयार करते समय विद्यालय स्तर की सूचनाओं को पूर्णतः ध्यान में नहीं रखा गया।

---

[4] विद्यालय प्रबन्ध समिति, विद्यालय के कार्य संचालन एवं इसकी वित्तीय व्यवस्थाओं के अनुश्रवण के लिय सक्षम है।

[5] झालावाड़-7, जोधपुर-6, करौली-2, सीकर-7

### *2.1.7.2 वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में कमियाँ*

सर्व शिक्षा अभियान के कार्यतंत्र के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अनुमोदन एवं निधियों को जारी करने के लिये, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा, जिला स्तरीय योजनाओं पर आधारित वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार किया जाना चाहिये। जिला स्तरीय योजनाएँ, विद्यालय विकास योजना एवं प्रत्येक विद्यालय के सम्बन्ध में शिक्षा की जिला सूचना प्रणाली (डाईस) में प्रविष्ट आँकड़ों के आधार पर तैयार की जानी चाहिये।

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट की जाँच मे निम्न कमियाँ पाई गई:

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसार कोई भी बालक ऐसे किसी शुल्क या प्रभार या व्यय संदाय करने का दायी नहीं होगा जो उसे प्रारम्भिक शिक्षा लेने और उसे पूरी करने से रोकती हो। तथापि, चूँकि राज्य सरकार द्वारा, शिक्षा का अधिकार नियमों के तहत जारी अधिसूचना में विद्यालय पोशाक का प्रावधान शामिल नहीं किया गया, इसे वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में भी शामिल नहीं किया जा सका। परियोजना अनुमोदन मंडल द्वारा भी इसे कार्ययोजना एवं बजट अनुमोदित करते समय इंगित किया गया।

- राज्य के 33 जिलों में से 20 जिलों (60 प्रतिशत) को भारत सरकार द्वारा, शिक्षा में सुधार हेतु अतिरिक्त निवेश उपलब्ध करवाने के लिये विशेष ध्यान देने योग्य जिलों के रूप में चिन्हित किया गया। वर्ष 2013-14 के प्रस्तावों की जाँच के दौरान पाया गया कि कुल ₹ 3247.34 करोड़ की लागत के समक्ष विशेष ध्यान देने योग्य जिलों के लिये केवल ₹ 1306.47 करोड़ (40.23 प्रतिशत) की राशि अनुमोदित की गयी।

### *2.1.8 कार्यक्रम क्रियान्वयन*

सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उददेश्य 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना है। यह कक्षा आठ तक, अर्थात प्राथमिक स्तर (कक्षा एक से 5) एवं उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8), की शिक्षा का प्रावधान करता है। शिक्षा पर सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, सर्व शिक्षा अभियान नये विद्यालय खोलने के लिये अनुबन्धित करता है तथा विद्यालयों में बच्चों के नामांकन एवं प्रतिधारण में सुधार के लिये निर्देश देता है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन की लेखा परीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

### *2.1.8.1 स्कूली बच्चों का नामांकन*

सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य, 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009', को लागू करना था जिसमें बच्चों के नामांकन में सुधार एवं उनके प्रतिधारण में वृद्धि को परिकल्पित किया गया है। नामांकन की स्थिति पर चर्चा नीचे की गयी है:

- ***'विद्यालय से बाहर' बच्चे***

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, की धारा 4 के तहत, यदि 6 वर्ष से अधिक आयु के किसी बच्चे को किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया हो अथवा, यद्यपि प्रवेश दिया गया हो परन्तु वह अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सका हो, तो ऐसे बच्चे को उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2010 में करवाये गये 'चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे (सीटीएस)' से पता चला कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 12,10,917 बच्चे विद्यालय से बाहर थे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा इन आँकड़ों के सत्यापन करने पर 2,90,335 बच्चों (मृत, स्थानांतरित, अधिक आयु या कम आयु) को कम कर दिया गया तथा सत्र 2010-11 की समाप्ति पर 'विद्यालय से बाहर' केवल 9,20,582 बच्चे रह गये।

दिशा निर्देशों के अनुसार, 2013 तक 'विद्यालय से बाहर' बच्चों का 100 प्रतिशत नामांकन किया जाना था। विभाग द्वारा सत्र 2011-12 से ऐसे 'विद्यालय से बाहर' बच्चों को विशेष नामांकन अभियान (प्रवेशोत्सव) के द्वारा नियमित विद्यालयों में नामांकित करना प्रारम्भ किया गया। राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा 2013-14 में, सीटीएस तथा इस अवधि के दौरान नामांकित/छोड़ गये बच्चों के आँकड़ों के आधार पर 'विद्यालय से बाहर' बच्चों की संख्या प्रक्षेपित की गयी जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

| वर्ष | वर्ष के प्रारंभ में 'विद्यालय से बाहर' बच्चों की संख्या | मुख्य धारा में नामांकित बच्चों की संख्या | वर्ष के दौरान छोड़ गये बच्चों की संख्या | वर्ष के अंत में 'विद्यालय से बाहर' बच्चों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5(2-3+4)** |
| 2011-12 | 9,20,582 | 6,28,578 | 1,62,457 | 4,54,461 |
| 2012-13 | 4,54,461 | 1,07,432 | 66,428 | 4,13,457 |
| 2013-14 | 4,13,457 | 1,72,060 | 59,893 | 3,01,290 |

स्त्रोत: राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध करवाये गये आँकड़े

उपर्युक्त तालिका से यह दृष्टिगत होता है कि सत्र 2013-14 की समाप्ति पर 'विद्यालय से बाहर' 3,01,290 बच्चे थे।

यह भी देखा गया कि सीटीएस प्रतिवेदन 2010 के अनुसार, तीन वर्ष की आयु के 13.32 लाख बच्चे थे। उनमें से 7.26 लाख बच्चों को, छः वर्ष की आयु पूर्ण

करने पर सत्र 2013-14 में, कक्षा प्रथम (निजी व सरकारी विद्यालयों) में नामांकित किया गया था, सत्र के अन्त में 6.06 लाख बच्चे अनामांकित रहे। यह इंगित करता है कि प्रवेशोत्सव प्रभावशाली नहीं रहा तथा 'विद्यालय से बाहर' बच्चों की संख्या लगभग स्थिर रही।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि 1.77 लाख बच्चों का नामांकन सत्र 2014-15 में कर लिया गया है, शेष 4.29 लाख बच्चे अनामांकित रहे। इन बच्चों को नामांकित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रत्येक विद्यालय को 'विलेज ऐजुकेशन रजिस्टर (वीईआर)' का संधारण करना आवश्यक था जिसमें विद्यालय के आस पास के क्षेत्र के अनामांकित/'विद्यालय से बाहर' बच्चों के आंकड़े शामिल हों ताकि इन 'विद्यालय से बाहर' बच्चों को नामांकित करने के प्रयास किये जा सकें। चयनित 95 विद्यालयों के भौतिक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि 37 विद्यालयों में वीईआर का संधारण नहीं किया गया था जिसके अभाव में 'विद्यालय से बाहर' बच्चों का प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने तथ्य स्वीकार करते हुए कहा (दिसम्बर 2014) कि सभी विद्यालयों में वीईआर संधारित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

- ***सरकारी विद्यालयों में नामांकन की घटती प्रवृति***

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों की जाँच में पाया गया कि सरकारी विद्यालयों में, नीचे दिये गये विवरण के अनुसार, बच्चों के नामांकन में 12,18,939 बच्चों (15.71 प्रतिशत) की गिरावट आयी जबकि इसी अवधि में निजी विद्यालयों में 12,04,915 बच्चों (26.51 प्रतिशत) की वृद्धि हुई:

| विद्यालय की श्रेणी | वर्ष के दौरान नामांकन | | कमी (-) वृद्धि (+) | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| | 2008-09 | 2013-14 | | |
| सरकारी विद्यालय | 77,59,455 | 65,40,516 | (-)12,18,939 | (-) 15.71 |
| निजी विद्यालय | 45,44,574 | 57,49,489 | (+)12,04,915 | (+) 26.51 |
| कुल | **1,23,04,029** | **1,22,90,005** | **(-) 14,024** | **(-) 0.11** |

उक्त सारणी यह दर्शाती है कि कुल मिलाकर नामांकन सीमान्ततः घटा (0.11 प्रतिशत) है।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि सरकारी विद्यालयों में नामांकन की घटती प्रवृति का कारण गाँवों में निजी विद्यालयों का खुलना तथा अंग्रेजी माध्यम के निजी

विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं के कारण अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को इनमें शिक्षा दिलाने को वरीयता देना है।

- ***प्रतिधारण दर में सुधार नहीं होना***

सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों में, बच्चों के सार्वभौमिक प्रतिधारण के लिए यह सुनिश्चित करना, कि प्रत्येक बच्चे द्वारा आठ वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा चक्र को आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाय, प्राविधित किया गया है।

विगत चार वर्षो में राज्य में, कुल प्रतिधारण दर स्थिर रही और यह 50 प्रतिशत से भी कम रही। राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार राज्य स्तर पर प्रतिधारण दर वर्ष 2009-10 में 49.60 प्रतिशत और वर्ष 2012-13 में 49.25 प्रतिशत रही।

राज्य सरकार ने तथ्य स्वीकार करते हुये सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि प्रतिधारण दर में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं।

### *2.1.8.2 विद्यालयों तक पहुँच*

विद्यालयों तक बच्चों की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में विद्यालय उपलब्ध करवाये गये हों एवं ये बस्तियों के निकट स्थित हों। विद्यालयों में सार्वभौमिक नामांकन एवं बच्चों के प्रतिधारण में सुधार के प्रयास किये जाने आवश्यक हैं।

#### *विद्यालयों की पर्याप्तता*

सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों के अनुसार नये प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय केवल उन क्षेत्रों में खोले जाने थे जहाँ किसी बस्ती के एक/तीन किलोमीटर की परिधि में कोई स्कूल नहीं हो। ऐसी वंचित बस्तियों में जहाँ एक किमी की परिधि में कोई विद्यालय नहीं हो तथा जहाँ 6-14 आयु वर्ग में कम से कम विद्यालय जाने वाले 15 बच्चे उपलब्ध हो वहाँ पर खोले जा सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर 'वैकल्पिक शिक्षा प्रत्याभूति विद्यालय' वंचित बस्तियों में खोले जा सकते हैं।

'भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्रण' (2010-12) के अनुसार प्राथमिक स्तर पर 1,24,101 बस्तियों में से 72,960 (59 प्रतिशत) बस्तियों में विद्यालय सेवा उपलब्ध करवायी गयी थी तथा 51,141 (41 प्रतिशत) में उपलब्ध नहीं थी। उच्च प्राथमिक स्तर पर 1,23,521 बस्तियों में से 34,164 बस्तियों (28 प्रतिशत) में विद्यालय सेवा उपलब्ध करवायी गयी थी तथा 89,357 (72 प्रतिशत) में विद्यालय सेवा उपलब्ध नहीं

थी। कुल वंचित बस्तियों में से केवल 1,411 (एक प्रतिशत) एवं 1,402 (एक प्रतिशत) बस्तियाँ 'स्टेट नेबरहुड नॉर्म्स' के अनुसार क्रमशः नये प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिये योग्य पाये गये थे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 2009-10 में परियोजना अनुमोदन मण्डल ने प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय से वंचित बस्तियों को शामिल करते हुए प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, दोनों विद्यालय 2:1 के अनुपात खोलने का अनुमोदन किया। तथापि, यह पाया गया कि 2012-14 के दौरान राज्य सरकार ने 2,901 प्राथमिक विद्यालय एवं 2,253 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले। दूसरी तरफ 141 विद्यालयों में कोई भी विद्यार्थी नामांकित नहीं था।

राज्य सरकार ने तथ्य स्वीकारते हुए कहा (दिसम्बर 2014) कि 1 से 15 के बीच नामांकन वाले विद्यालय अगस्त 2014 में आपस में विलीन कर दिये गये हैं। आगे यह भी कहा कि नये विद्यालय खोलना एवं विद्यालयों की पर्याप्तता नीतिगत मामले हैं।

### *2.1.8.3 समावेशन*

सर्व शिक्षा अभियान में समावेशन की अवधारणा, अन्य बातों के अलावा लैंगिक अन्तराल को पाटने के लिए लड़कियों तथा 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों' का समावेश करना है। लेखा परीक्षा द्वारा समीक्षा में निम्न पाया गया:

- ***लैंगिक अन्तर को नहीं पाटना***

सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रारम्भिक स्तर पर 6-14 वर्ष आयु वर्ग समूहों के सभी लैंगिक तथा सामाजिक अन्तरालों को 2012-13 के अन्त तक पाटना था। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े खण्डों में लैंगिक अन्तरों को पाटने के लिये 'प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिऐ राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल)' तथा 'कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)' योजना लागू की गयी।

(i) भारत सरकार ने वर्ष 2003 में, सर्व शिक्षा अभियान के अतिरिक्त घटक के रूप में एनपीईजीईएल कार्यक्रम उन शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े खण्डों (ईबीबी), जिनमें 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत (46.13 प्रतिशत) से नीचे थी, में प्रारम्भ किया। इसके अनुसार एनपीईजीईएल कार्यक्रम लागू करने के लिए 31 जिलों के 186 खण्डों में 4,710 मॉडल क्लस्टर विद्यालयों (एमसीएस) का चयन किया गया।

यद्यपि, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के पास योजना प्रारम्भ करने से पूर्व एवं बाद के ग्रामीण महिला साक्षरता दर के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, जनगणना 2011

के आंकड़ों की जाँच में पाया गया कि 31 जिलों में से 20 जिलों[6] में ग्रामीण महिला साक्षरता दर 33.02 और 45.92 प्रतिशत (जनगणना 2011) के मध्य थी, जो कि राष्ट्रीय औसत 46.13 प्रतिशत (जनगणना 2001) एवं 57.9 प्रतिशत (जनगणना 2011) से कम थी।

इस प्रकार, कार्यक्रम के 10 वर्ष (2003-13) तक क्रियान्वयन करने के बाद भी राज्य में महिला साक्षरता दर 52.12 प्रतिशत रही जो राष्ट्रीय स्तर 64.64 प्रतिशत से नीचे तथा सभी राज्यों/संघ शासित राज्यों की पंक्ति में न्यूनतम स्तर पर थी। राज्य में महिला साक्षरता में 8.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो की राष्ट्रीय वृद्धि 10.18 प्रतिशत की तुलना में (जनगणना-2001) कम थी।

(ii) राज्य स्तर पर अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2009-10 में राज्य में लैंगिक अन्तराल 9.17 प्रतिशत था। यद्यपि वर्ष 2013-14 में लैंगिक अन्तराल घटकर 8.06 प्रतिशत रहा फिर भी यह काफी अधिक है। बालक और बालिकाओं के नामांकन अनुपात में भी 1:0.83 से 1:0.85 का मामूली सुधार हुआ।

नमूना जाँच किये गये आठ जिलों में लैंगिक अन्तराल की स्थिति निम्न प्रकार थी:

| क्र.सं. | जिले का नाम | 2009-10 (प्रतिशत में) | 2013-14 (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|
| 1. | अलवर | 8.33 | 8.10 |
| 2. | भीलवाड़ा | 12.13 | 7.55 |
| 3. | झालावाड़ | 9.14 | 7.48 |
| 4 | झुन्झुनू | 7.81 | 8.76 |
| 5 | जोधपुर | 7.66 | 9.96 |
| 6 | करौली | 5.49 | 8.32 |
| 7 | सीकर | 6.04 | 7.25 |
| 8 | टोंक | 9.20 | 5.90 |

स्त्रोत: डाईस के आंकड़े

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते है कि नमूना जाँच किये गये चार जिलों (जोधपुर, झुन्झुनू, करौली एवं सीकर) में, वर्ष 2009-10 की तुलना में कुल गिरावट की प्रवृति के बावजूद लैंगिक अन्तराल में वृद्धि हुई है, तथ्यों को स्वीकार करते हुये राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि लड़कियों के नामांकन में वृद्धि के प्रयास कर, लैंगिक अन्तराल को कम किया जा रहा है।

---

[6] अजमेर (41.87), बांसवाड़ा (40.47), बाड़मेर (38.92), भीलवाड़ा (41.08), बीकानेर (44.81), बून्दी (41.56), चितौड़गढ़ (40.68), डूंगरपुर (44.75), जैसलमेर (36.06), जालौर (37.03), झालावाड़ (42.01), जोधपुर (41.99), नागौर (45.92), पाली (43.74), प्रतापगढ़ (39.05), राजसमन्द (43.77), सवाईमाधोपुर (42.65), सिरोही (33.02), टोंक (40.14), उदयपुर (40.46)।

- ***'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों' की समावेशित शिक्षा का प्रावधान***

सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य बल, 'विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन)' को सामान्य विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था। समावेशन शारीरिक, सामाजिक एवं गुणात्मक पहुँच के रूप में होना था। सर्व शिक्षा अभियान के संशोधित कार्यतंत्र का अनुच्छेद 3.12 परिकल्पित करता है कि विकलांगता के प्रकार, श्रेणी एवं अंश पर विचार किये बिना, प्रत्येक सीडब्ल्यूएसएन को उचित वातावरण में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान किये जाने को सुनिश्चित किया जाये। सीडब्ल्यूएसएन को चिन्हित किया जाये और उन्हें औपचारिक विद्यालयों में नामांकित कर उपयुक्त रूप से पढ़ाया जाये। प्रत्येक सीडब्ल्यूएसएन की आइईपी तैयार कर उसके अनुसार पढ़ाया जाये। विशेष नि:शक्तता (पूर्णतया अंधे, मन्द बुद्धि, बहुविकलांग, ऑटिज्म एवं सेरिब्रल पाल्सी) वाले बच्चों को 'गृह आधारित शिक्षा पद्धति' के अन्तर्गत उनके घर पर ही शिक्षा दी जानी है।

वर्ष 2009-14 के दौरान 'विद्यालय से बाहर' सीडब्ल्यूएसएन की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है:

| वर्ष | चिन्हित | नामांकित | अनामांकित | अनामांकित का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 249551 | 234301 | 15250 | 6 |
| 2010-11 | 234121 | 220626 | 13495 | 6 |
| 2011-12 | 117180 | 94525 | 22655 | 19 |
| 2012-13 | 130327 | 115857 | 14470 | 11 |
| 2013-14 | 116358 | 107806 | 8552 | 7 |

स्त्रोत: आंकड़े राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के द्वारा उपलब्ध कराये गये।

उक्त सारिणी में देखा जा सकता है कि जहाँ वर्ष 2009-10 मे कुल चिन्हित बच्चों में से छ: प्रतिशत बच्चे 'विद्यालय से बाहर' थे, वर्ष 2013-14 में भी सात प्रतिशत बच्चे अनामांकित रहे। सरकार ने तथ्य स्वीकार करते हुये बताया (दिसम्बर 2014) कि वर्ष 2014-15 मे 'विद्यालय से बाहर' सीडब्ल्यूएसएन बच्चों की संख्या में कमी लाने के प्रयास किये गये हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के दिशा-निर्देशों में परिकल्पित था कि प्रत्येक सीडब्ल्यूएसएन का आइईपी तैयार किया जाना था। नमूना जाँच किये गये 19 खण्डों में पाया गया कि 43,365 सीडब्ल्यूएसएन को वर्ष 2009-14 के दौरान नामांकित किया गया, लेकिन 793 सीडब्ल्यूएसएन की ही आइईपी तैयार किया गया, जो या तो गृह आधारित शिक्षा में या उन विद्यालयों में जहाँ संसाधन कक्ष स्थापित था, में नामांकित थे। इस प्रकार अन्य विद्यालयों, जिनमें संसाधन कक्ष नहीं थे, में नामांकित सीडब्ल्यूएसएन की आइईपी तैयार नहीं की गयी।

आगे, नमूना जाँच किये 19 खण्डों के समस्त 43,365 सीडब्ल्यूएसएन को आवश्यक रूप से 'सम्बलन' (संसाधन कक्ष में शारीरिक व मानसिक अभ्यास) उपलब्ध कराना था

जिनमें से यह मात्र 14,625 (आइईपी वाले 793 सीडब्ल्यूएसएन सहित), जिनको गृह आधारित शिक्षा प्रदान की जा रही थी, को ही उपलब्ध कराया गया।

सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि 793 के स्थान पर 2,351 सीडब्ल्यूएसएन की आईईपी तैयार की गयी। प्रत्युतर के साथ प्रमाण स्वरूप कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया तथा नमूना जाँच किये गये खण्डों में भी इसका प्रमाण उपलब्ध नहीं था। सीडब्ल्यूएसएन के लिये स्थापित संसाधन कक्ष में अधिकांश उपकरण जैसे ट्रेडमिल, व्हील चेयर, ट्राई साईकल, फिजिओ बाल एवं ग्रुप हियरिंग ऐड, इत्यादि, खराब थे। इनके अभाव में सीडब्ल्यूएसएन को शारीरिक अभ्यास कराया जाना सुनिश्चित नहीं हो सका। सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि अधिकांश उपकरणों की अब मरम्मत करा दी गयी है और ये उपयोग में लिये जा रहे हैं। परन्तु इसका कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

लेखा परीक्षा में आगे यह भी पाया गया कि 2,46,467 बच्चे विशेष नि:शक्तता से पीड़ित थे जिनको गृह आधारित शिक्षा की आवश्यकता थी। राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद ने बताया (अप्रेल 2014) कि वर्ष 2009-14 के दौरान केवल 20,511 (8.32 प्रतिशत) विशेष नि:शक्तता से पीड़ित सीडब्ल्यूएसएन को गृह आधारित शिक्षा में नामांकित किया गया। आगे, 10,090 पूर्णांध श्रेणी के सीडब्ल्यूएसएन में से 7,341 बच्चों को ब्रेल पुस्तिकाऐं उपलब्ध कराई जा सकी। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान अल्प दृष्टि के 91,339 सीडब्ल्यूएसएन में से 1,231 बच्चों (1.35 प्रतिशत) को मोटी छपाई की किताबें उपलब्ध कराई गई।

### *2.1.8.4 शिक्षा की गुणवत्ता*

शिक्षा की गुणवत्ता, अध्यापकों का पर्याप्त नियोजन एवं आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराने पर निर्भर है। शिक्षा की गुणवत्ता पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों की नीचे चर्चा की गयी है:

#### *अध्यापकों का नियोजन*

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षा की गुणवत्ता पर बल दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम भी इस पहलू पर जोर देता है। इसको सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है, कि विद्यालयों में अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करवाये जायें। लेखा परीक्षा द्वारा समीक्षा में पाया गया कि:

- ***शून्य नामांकन के विद्यालय***

राज्य स्तर पर वर्ष 2013-14 के अन्त तक शून्य नामांकन के कुल 141 विद्यालय संचालित हो रहे थे, जबकि इन विद्यालयों में 248 अध्यापक नियुक्त थे। शून्य नामांकन के कारण सरकार द्वारा विभिन्न मदों, जैसे कि आधारभूत सुविधाओं व अध्यापको के वेतन इत्यादि, पर किया गया व्यय अलाभकारी रहा। इन अध्यापकों को

आवश्यकता वाले विद्यालयों में पुनर्नियोजित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये। लेखा परीक्षा द्वारा जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय के प्रतिनिधियों के साथ की गयी संयुक्त जाँच के दौरान अभिभावकों, स्थानीय व्यक्तियों तथा अध्यापकों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, अभिभावकों का अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की ओर झुकाव, आस-पास की बस्तियों में प्राथमिक कक्षाओं हेतु बच्चों की अनुपलब्धता, सरकारी विद्यालयों का निम्न शैक्षणिक स्तर, अध्यापकों द्वारा जनगणना आंकड़ो के सकंलन में व्यस्तता, तथा एक ही गाँव में एक से अधिक सरकारी विद्यालयों का संचालन, शून्य नामांकन के प्रमुख कारण थे।

चयनित जिलों में, वर्ष 2013-14 के अन्त में, शून्य नामांकन के विद्यालयों तथा पदस्थापित अध्यापकों का विवरण निम्न प्रकार था:

| क्र.सं. | जिला | शून्य नामांकन वाले विद्यालय | विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक |
|---|---|---|---|
| 1. | अलवर | 15 | 26 |
| 2. | भीलवाड़ा | 01 | 01 |
| 3. | झालावाड़ | 09 | 07 |
| 4 | झुन्झुनू | 32 | 66 |
| 5 | जोधपुर | 10 | 17 |
| 6 | टोंक | 01 | 01 |
| | **योग** | **68** | **118** |

स्त्रोत: जिला परियोजना समन्वयक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

सारणी से यह दर्शित है कि वर्ष 2013-14 के अन्त तक शून्य नामांकन के कुल 68 विद्यालय संचालित थे जबकि इन विद्यालयों में 118 अध्यापक पदस्थापित थे। राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (दिसम्बर 2014) कि शून्य नामांकन के विद्यालय आपस में समावेशित कर दिये गये हैं तथा इन विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षको को अन्य विद्यालयों में पुनर्नियोजित कर दिया गया है।

- ***एकल अध्यापक द्वारा संचालित विद्यालय***

सर्व शिक्षा अभियान के निर्धारित मानदण्डों व 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा हेतु एक अध्यापक होना चाहिए।

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के अभिलेखो की समीक्षा (अप्रेल 2014) में पाया गया कि वर्ष 2013-14 के दौरान कुल 73,069 विद्यालयों (प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय) में से 12,782 विद्यालय (17 प्रतिशत) एकल अध्यापकों द्वारा संचालित थे। इसी प्रकार, आठ जिलो की नमूना जांच में कुल 19,357 विद्यालयों (प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय) में से 2,848 विद्यालय (15 प्रतिशत) एकल अध्यापकों द्वारा संचालित किये जा रहे थे।

जिला परियोजना समन्वयक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, अलवर व जोधपुर जिलों मे 17 विद्यालय ऐसे थे जिनमें छात्रों की संख्या 150 से अधिक थी परन्तु वर्ष 2013-14 के दौरान ये एकल अध्यापक द्वारा संचालित थे। इस प्रकार अध्यापकों का आवश्यकता से कम संख्या में नियोजन, सर्व शिक्षा अभियान के गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को बुरी तरह प्रभावित करता है। राज्य सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2014) सूचित किया गया कि अध्यापकों का पदस्थापन/स्थानांतरण किया जा रहा है तथा विद्यालयों में आवश्यकतानुसार अध्यापक उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

- ***अध्यापको की कमी***

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 25(1) में वर्णित है कि अधिनियम के लागू होने (अप्रेल 2010) के छः महीनों के भीतर, समुचित सरकार और स्थानीय प्रधिकारी यह सुनिशिचित करेंगे कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 'छात्र-शिक्षक अनुपात', अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार संधारित किया जा रहा है। तदनुसार, 60 बच्चों तक 2 अध्यापक (30:1), 120 बच्चों तक प्रत्येक अतिरिक्त 30 बच्चों पर एक अतिरिक्त अध्यापक एवं 200 बच्चों तक पाँच अध्यापक (40:1) का अनुपात निर्धारित किया गया। 200 बच्चों से ऊपर यह अनुपात 40:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। छात्र-शिक्षक अनुपात 30:1 (120 छात्रों तक) तथा 40:1 (120 छात्रों से ऊपर) का होना चाहिए।

नमूना जाँच में सम्मिलित जिलों में अध्यापकों की अपर्याप्तता की स्थिति निम्न सारणी में दर्शित है:

| जिला | प्राथमिक विद्यालयों की संख्या | शिक्षको की आवश्यकता | पदस्थापित शिक्षकों की संख्या | कमी | उच्च छात्र-शिक्षक अनुपात के विद्यालयों की संख्या | छात्र-शिक्षक अनुपात |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5 (3-4)** | **6** | **7** |
| 120 तक नामांकन (छात्र-शिक्षक अनुपात 30:1) | | | | | | |
| अलवर | 1601 | 3808 | 3437 | 371 | 454 | 36:1 to 42:1 |
| भीलवाड़ा | 2040 | 4611 | 3709 | 902 | 428 | 33:1 to 38:1 |
| झालावाड़ | 1072 | 2482 | 2220 | 262 | - | 29:1 |
| जोधपुर | 2498 | 5636 | 5041 | 595 | 147 | 29:1 to 35:1 |
| करौली | 1094 | 2466 | 2246 | 220 | 65 | 29:1 to 33:1 |
| सीकर | 1449 | 3135 | 3071 | 64 | - | 25:1 to 27:1 |
| टोंक | 1055 | 2286 | 2185 | 101 | 26 | 28:1 to 31:1 |
| 120 से **ऊपर** नामांकन (छात्र-शिक्षक अनुपात 40:1) | | | | | | |
| अलवर | 170 | 869 | 605 | 264 | 170 | 48:1 to 52:1 |
| भीलवाड़ा | 67 | 335 | 230 | 105 | 67 | 43:1 |
| झालावाड़ | 69 | 354 | 251 | 103 | 09 | 40:1 to 82:1 |
| जोधपुर | 111 | 568 | 407 | 161 | 111 | 42:1 to 58:1 |
| करौली | 47 | 235 | 197 | 38 | 47 | 43:1 |
| सीकर | 30 | 152 | 145 | 07 | 02 | 29:1 to 65:1 |
| टोंक | 14 | 70 | 61 | 09 | - | 33:1 |
| **योग** | **11,317** | **27,007** | **23,805** | **3,202** | **1,526** | **-** |

उपरोक्त आँकड़ों के विश्लेषण में ज्ञात हुआ कि नमूना जाँच जिलों (सिवाय झुंझुनू) में कुल 11,317 प्राथमिक विद्यालयों में 3,202 अध्यापको की अपर्याप्तता थी, इसीलिये छात्र-शिक्षक अनुपात संधारित करने में असफल रहे। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े जिलों जैसे भीलवाड़ा और झालावाड़, जहाँ साक्षरता दर राज्य औसत से पाँच फीसदी कम है, में क्रमशः 1,007 व 365 अध्यापकों की कमी थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने के चार वर्ष बाद भी, 11,317 प्राथमिक विद्यालयों में से 1,526 प्राथमिक विद्यालयों में (13.48 प्रतिशत), छात्र-शिक्षक अनुपात निर्धारित मानदंडो के विपरीत था **(परिशिष्ट 2.1)**।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2014) सूचित किया कि विद्यालयों में आवश्यकतानुसार अध्यापक उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। छात्र-शिक्षक अनुपात बनाये रखने के सन्दर्भ में सूचित किया कि अध्यापकों का पुनर्नियोजन किया जा चुका है।

- ***उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विषय अध्यापकों की उपलब्धता***

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुसूची के अनुसार, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन तथा भाषा विषयों हेतु, प्रत्येक के लिये कम से कम एक अध्यापक का पदस्थापन आवश्यक है।

नमूना जाँच किये गये आठ जिलों के 34 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि 13 विद्यालयों में विज्ञान अध्यापक (12 में 2009-10 से तथा 1 में 2013-14 से), 18 विद्यालयों में गणित अध्यापक (15 में 2009-10 से, 1 में 2010-11 से तथा 02 में 2013-14 से) 06 विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन अध्यापक (2009-10 से) एवं 03 विद्यालयों में भाषा अध्यापक (2 में 2009-10 से व 1 में 2011-12 से) पदस्थापित नहीं थे। तथ्यों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रक्रियाधीन है।

***आधारभूत सुविधाएँ***

- ***विद्यालयो में आधारभूत सुविधाओं की अपर्याप्तता।***

सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए कार्यतंत्र के अनुच्छेद 1.5 के अनुसार, 31 मार्च 2013 तक प्रत्येक विद्यालय (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक) में, बारहमासी भवन, प्रत्येक अध्यापक हेतु कम से कम एक कक्षा-कक्ष, बाधा मुक्त प्रवेश, लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय, स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल व्यवस्था, खेल मैदान, चारदीवारी और पुस्तकालय, उपलब्ध होना चाहिए।

वर्ष 2013-14 के अन्त तक राज्य स्तर पर आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति निम्न प्रकार थी:

| | विद्यालयों की संख्या प्रा./उ.प्रा. | भवन रहित | एकल कक्ष | बालिकाओं हेतु पृथक शौचालय नहीं | पेयजल का न होना | खेल मैदान का न होना | चारदीवारी न होना | पुस्तकालय का न होना |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल | 80074 | 1313 | 2089 | 3214 | 3967 | 48285 | 14644 | 31677 |
| प्रतिशत | | (1.64) | (2.61) | (4.01) | (4.95) | (60.30) | (18.29) | (39.56) |

स्त्रोत: राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ें।

अधिकांश विद्यालयों में भवन, पेयजल सुविधा और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय उपलब्ध थे। तथापि, यह देखा गया कि बड़ी संख्या में विद्यालय, बिना चारदीवारी, खेल मैदान तथा पुस्तकालय के थे। चारदीवारी का निर्माण बच्चों में विशेषकर बालिकाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ाने में महत्वपूर्ण होती जो विद्यालय में बालिकाओं की प्रतिधारण दर में सुधार लाने हेतु दूरगामी सिद्ध हो सकती है।

आठ नमूना जाँच जिलों के 95 विद्यालयों में, लेखा परीक्षा द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ किये गये संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि 78 विद्यालयों के शौचालय जलापूर्ति से नहीं जुड़े थे तथा इनमें से 11 विद्यालयों के शौचालय जीर्णक्षीर्ण अवस्था में होने के कारण उपयोगी नहीं थे।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (दिसम्बर 2014) कि आवश्यक आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

- ***अपूर्ण निर्माण कार्यों पर निष्फल व्यय***

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार, विद्यालय परिसर में स्थान की उपलब्धता व निर्माण कार्य की आवश्यकता का आकंलन, स्कूल मैपिंग के अनुसार किया जावे ताकि स्वीकृत कार्यों को बाद में निरस्त करने की अथवा निलम्बित रखने की स्थिति उत्पन्न न हो। वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार सभी सिविल निर्माण कार्य, स्वीकृति दिनांक से 2 से 6 माह की अवधि में पूर्ण हो जाने चाहिए। विद्यालय प्रबन्ध समिति सभी निर्माण कार्यो को समय पर पूर्ण करने हेतु जिम्मेदार हैं।

अवधि 2009-14 के दौरान, राज्य स्तर पर, परियोजना अनुमोदन मण्डल द्वारा कुल 1,19,431 अनुमोदित कार्यों में से केवल 93,897 कार्य स्वीकृत किये गये जिनमें से 31

मार्च 2014 तक, 86,382 कार्य पूर्ण किये गये थे तथा 7,515 कार्य (आठ प्रतिशत) अपूर्ण अथवा शुरू नहीं किये गये थे।

नमूना जाँच आठ जिलों में अपूर्ण कार्यों[7] की स्थिति निम्न प्रकार से थी:

(₹ करोड़ में)

| स्वीकृति का वर्ष | लंबित कार्यों की संख्या | लंबित कार्यों हेतु स्वीकृत राशि | व्यय किया | अपूर्ण रहने के कारण |
|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 16 | 0.20 | 0.17 | कार्य, भूमि विवाद, भूमि का उपलब्ध न होना व कार्यों का विद्यालय प्रबंध समिति के स्तर पर शुरू न किया जाना, के कारण अपूर्ण पड़े थे। |
| 2010-11 | 45 | 0.75 | 0.62 | |
| 2011-12 | 29 | 0.55 | 0.47 | |
| 2012-13 | 23 | 0.94 | 0.66 | |
| **योग** | **113** | **2.44** | **1.92** | |

स्त्रोत: सम्बन्धित जिला परियोजना समन्वयक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

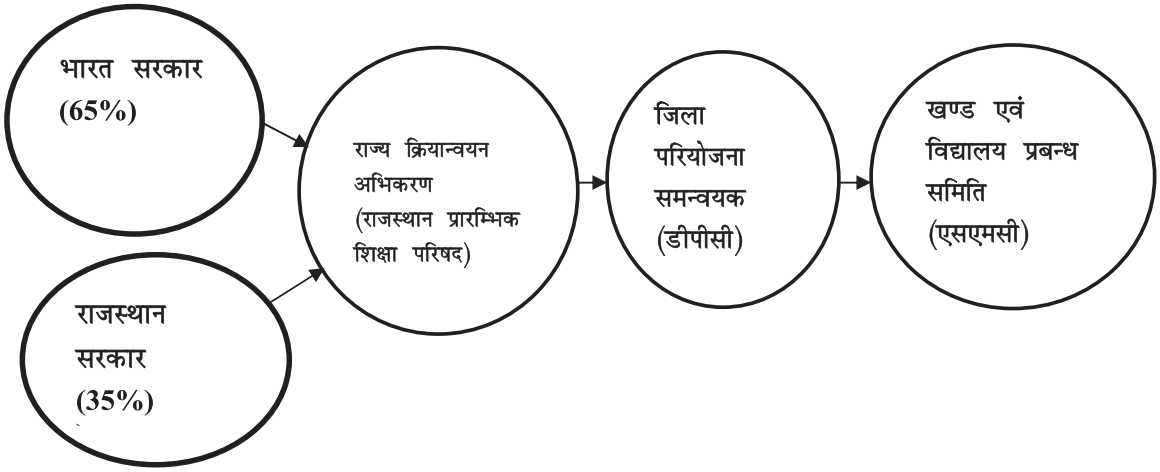
इस प्रकार सम्बन्धित कार्यकारी सस्थाओं द्वारा कुल स्वीकृत राशि ₹ 2.44 करोड़ के समक्ष ₹ 1.92 करोड़ का व्यय करने के बावजूद, 113 कार्य भूमि विवाद, न्यायालय वाद एवं विद्यालय प्रबंध समिति की लापरवाही के कारण, एक वर्ष से अधिक समय से अपूर्ण पड़े थे।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (दिसम्बर 2014) कि भूमि विवादों को निपटाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

### *2.1.8.5 वित्त प्रबंधन*

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार कर, अनुमोदन के लिए परियोजना अनुमोदन मण्डल को प्रस्तुत किया जाता है। भारत सरकार द्वारा निधियाँ सीधे ही राज्य क्रियान्वयन अभिकरण को दो किस्तों में जारी की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार द्वारा, वर्ष 2009-10 के अनुपात 60:40 को छोड़कर, 65:35 के अनुपात में निधियाँ उपलब्ध करवाई जानी थी। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा राज्य के प्रारम्भिक शिक्षा के लिए जारी सहायता अनुदान को कुल परिव्यय में शामिल किया गया लेकिन भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के मध्य निधियों की गणना से पूर्व, तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त सहायता अनुदान को कुल परिव्यय में से कम किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान में निधियों के प्रवाह का रेखा चित्र निम्न प्रकार हैं:

[7] अतिरिक्त कक्षा कक्ष, चारदीवारी, पेयजल सुविधायें, विद्युतीकरण रैम्प तथा टायलेट।




वर्ष 2009-14 के दौरान भारत सरकार(भास)/राजस्थान सरकार(रास) द्वारा राज्य क्रियान्वयन अभिकरण को जारी निधियों तथा व्ययों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | स्वीकृत लागत | सहायतार्थ अनुदान (तेरहवाँ वित्त आयोग) | प्रारम्भिक शेष | द्वारा जारी की गयी निधियाँ | | अन्य प्राप्तियाँ | कुल | कुल व्यय | अन्तिम शेष | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | भास | रास | | | | | |
| 2009-10 | 2172.69 | - | 255.27 | 1271.24 | 702.58 | 9.81 | 2238.90 | 1992.31 | 246.59 | 11.01 |
| 2010-11 | 3023.83 | - | 246.59 | 1461.82 | 1180.73 | 16.48 | 2905.62 | 2644.25 | 261.37 | 9.00 |
| 2011-12 | 3525.62 | 320.00 | 261.37 | 1485.81 | 1222.10 | 21.15 | 3310.43 | 3047.69 | 262.74 | 7.94 |
| 2012-13 | 3784.31 | 356.00 | 262.74 | 1535.20 | 1417.57 | 19.68 | 3591.19 | 3405.54 | 185.65 | 5.16 |
| 2013-14 | 3247.34 | 394.00 | 185.65 | 2424.89 | 1129.00 | 8.05 | 4141.59 | 3541.00 | 600.59 | 14.50 |

स्त्रोत: वर्षवार लेखा परीक्षित लेखा विवरण।

- ***अग्रिमों का समायोजन न होना***

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के वर्ष 2013-14 के तुलन पत्र की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिला परियोजना समन्वयकों तथा राज्य परियोजना कार्यालय को जारी ₹ 160.24 करोड़ के अग्रिम, उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभाव में, 31 मार्च 2014 तक असमायोजित थे। व्यय विवरणों/उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभाव में, निधियों के उपयोग को, लेखा परीक्षा द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका। राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुऐ बताया (दिसम्बर 2014) कि विद्यालय प्रबन्ध समितियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण, समय पर अग्रिमों का समायोजन नहीं किया जा सका। अग्रिमों के समायोजन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

यद्यपि जन लेखा समिति ने वर्ष 2011-12 के 48वें प्रतिवेदन में, इसकी पुनरावृति रोकने के लिये आवश्यक व्यवस्था करने की अनुशंसा की थी, अग्रिमों का बकाया रहना अभी भी जारी है।

### 2.1.9 आंतरिक नियंत्रण

***सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के आंतरिक नियंत्रण का अभाव***

- मानव संसाधान विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 'वित्तीय प्रबन्धन एवं प्राप्ति नियमावली-2010' के अनुसार राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद अथवा अन्य स्तरों पर, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से पूर्ण एवं आंशिक रूप से सृजित परिसम्पत्तियों की एक पंजिका, निर्धारित प्रारूप में संधारित की जानी चाहिये। यह पाया गया कि यद्यपि सृजित परिसम्पतियों का मूल्य वार्षिक लेखों में दर्शाया जा रहा था परन्तु राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद तथा आठ नमूना लेखा जांच जिलों में से किसी में भी, परिसम्पति पंजिकाओं का निर्धारित प्रारूप में संधारण नहीं किया जा रहा था। परिणाम स्वरूप, कार्यक्रम की निधियों से अधिग्रहित/सृजित परिसम्पतियों के संधारण एवं सुरक्षा को लेखा परीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। तथ्यों को स्वीकारते हुऐ राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2014) कि विद्यालय प्रबन्ध समितियों को परिसम्पति पंजिकायें संधारित करने के लिये दिशा निर्देश जारी (फरवरी 2014) किये जा चुके हैं।

- राज्य परियोजना कार्यालय में आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली स्थापित नहीं थी जबकि सर्व शिक्षा अभियान के लिए वित्तीय प्रबन्धन एवं प्राप्ति नियमावली में यह प्रावधित था। राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2014) कि जिला परियोजना समन्वयक, खण्ड संसाधन केन्द्र, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति की आन्तरिक लेखा परीक्षा सम्पन्न करवाई जा रही है। तथ्यानुसार, राज्य परियोजना कार्यालय तथा राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद की आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं करवाई जा रही थी।

### 2.1.10 अनुश्रवण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वित्तीय प्रबन्धन एवं प्राप्ति नियमावली के अनुच्छेद 101 के अनुसार अनुश्रवण, कार्यक्रम के क्रियान्वयन तथा परिणाम चिन्हिकरण, दोनों के लिये, एक सतत् प्रक्रिया होगी। राज्य में कार्यक्रम के तहत अनुश्रवण तीन स्तरों पर किया जा रहा है (i) स्थानीय समुदाय/विद्यालय स्तर पर (ii) जिला स्तर पर, तथा (iii) राज्य स्तर पर। कार्यक्रम का अनुश्रवण राज्य सरकार को करना था।

- ***विद्यालय स्तर पर***

अधिसूचना दिनांक 29 मार्च 2011 के अनुच्छेद 4(3) के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा के लिए स्कूल स्तर पर माह में एक बार विद्यालय प्रबंध समितियों[8] की बैठक की जानी चाहिए। चयनित विद्यालयों की नमूना

[8] विद्यालय प्रबन्ध समिति (विप्रस) विद्यालय की गतिविधीयों तथा वित्त के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी है।

जाँच के दौरान यह पाया गया कि विद्यालय प्रबंध समितियों की बैठकें निर्धारित मानदण्डानुसार नहीं की जा रही थी। वर्ष 2009-14 के दौरान प्रत्येक विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा की जाने वाली 60 बैठकों के विरूद्ध मात्र 11 से 53 बैठकें ही आयोजित की गई थी।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि अधिकांश महिला सदस्यों एवं अभिभावकों के कृषि कार्यों में व्यस्त रहने के कारण, वे विद्यालय प्रबंध समितियों की बैठकों मे भाग लेने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए बैठकें मानदण्डानुसार आयोजित नहीं की जा सकी।

- ***जिला स्तर पर***

जिला प्रभारी अधिकारी को अनुश्रवण की दृष्टि से माह में दो दिवस का दौरा करना था जिनमें जिला मुख्यालय, एक खण्ड, एक नोडल केन्द्र तथा तीन विद्यालयों को शामिल किया जाना था। उनके द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन सात दिवस में राज्य स्तर पर स्थित अनुश्रवण शाखा को प्रस्तुत किया जाना था। अनुश्रवण शाखा को मासिक प्रगति प्रतिवेदनों का विश्लेषण कर कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये जाने थे।

इंगित किये जाने पर, जिला परियोजना समन्वयकों ने अवगत कराया (जुलाई 2014) कि जिला प्रभारी अधिकारी के दौरों के अभिलेख, जिला स्तर पर संधारित नहीं किये जाते हैं। यह अनुश्रवण प्रक्रिया में कमी को दर्शाता हैं। राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक द्वारा 14, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा 28 तथा सहायक अभियन्ता द्वारा 36 स्थानीय दौरे किये जाने के मासिक लक्ष्य निर्धारित (2010-11) किये गये थे। नमूना जाँच जिलों में वर्ष 2010-14 के दौरान नीचे दर्शाये अनुसार, इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया:

| क्र.सं. | जिले का नाम | दौरे के लिये मानदण्ड | | | वास्तविक दौरे | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जिला परियोजना समन्वयक (14x12x4) | अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (28x12x4) | सहायक अभियन्ता (36x12x4) | जिला परियोजना समन्वयक | अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक | सहायक अभियन्ता |
| 1. | अलवर | 672 | 1344 | 1728 | NA | NA | 326 |
| 2. | भीलवाड़ा | 672 | 1344 | 1728 | NA | 28 | 36 |
| 3. | झालावाड़ | 672 | 1344 | 1728 | NA | NA | NA |
| 4. | झून्झुनु | 672 | 1344 | 1728 | 232 | 233 | 330 |
| 5. | जोधपुर | 672 | 1344 | 1728 | NA | 460 | 1065 |
| 6. | करौली | 672 | 1344 | 1728 | 287 | 691 | 1056 |
| 7. | सीकर | 672 | 1344 | 1728 | NA | 856 | 1518 |
| 8. | टोंक | 672 | 1344 | 1728 | NA | 85 | 383 |

स्त्रोत: जिला परियोजना समन्वयकों द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि राज्य स्तर पर जिला प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रतिवदेन, अनुश्रवण शाखा को प्रेषित किये जा रहे हैं। इस प्रकार के कोई दस्तावेज नमूना जाँच जिलों तथा राज्य परियोजना कार्यालय में संधारित नहीं पाये गये। राज्य सरकार ने पुनः बताया कि जिला परियोजना समन्वयक के पास जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला परियोजना समन्वयक का दोहरा प्रभार होने के कारण निर्धारित संख्या में दौरे नहीं किये जा सके।

- ***राज्य स्तर पर***

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 15 के अनुसार परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा तथा व्यापक नीतिगत मार्गदर्शन एवं निर्देशन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली शाषी परिषद की वर्ष में कम से कम दो बार बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 34 के अनुसार परिषद के उदेश्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक आयोजित की जानी चाहिए। शाषी परिषद की एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई यद्यपि इसका गठन नवम्बर 1998 में किया गया था। इस प्रकार शाषी परिषद परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा तथा नीतिगत मार्गदर्शन एवं निर्देश प्रदान करने के कार्य का निर्वहन करने में विफल रही। इसके अतिरिक्त वर्ष 2009-14 के दौरान कार्यकारी समिति की बीस के विरूद्ध मात्र सात बैठकें आयोजित की गई। कार्यकारी समिति की बैठकों में मुख्यतया वार्षिक कार्य योजना तथा बजट, वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा कार्मिकों की नियुक्तियों सम्बन्धी मुददों पर विचार विमर्श हुआ।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुऐ बताया कि कार्यकारी समिति की बैठकें आवश्यकता पड़ने पर ही आयोजित की गई थी इसीलिये बैठकों की संख्या कम थी।

सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के लिए कार्यतंत्र के अनुच्छेद 6.10.2 के अनुसार निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्यों के दौरान एक स्वतन्त्र तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन किया जाना अनिवार्य था तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी निर्देशित किया था कि वर्ष विशेष में स्वीकृत शत प्रतिशत कार्यों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन कराया जाना चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में कोई भी निर्माण कार्य, तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकित नहीं किया गया। इस प्रकार, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद ने कहा (मई 2014) कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तृतीय पक्ष मूल्यांकन ही मात्र विकल्प नहीं हैं। इस अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा पर्याप्त निधियाँ तथा स्वीकृतियाँ प्रदान नहीं करने के कारण निर्माण कार्यो का तृतीय पक्ष

मूल्यांकन नहीं कराया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्माण कार्यों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन अनिवार्य था।

भारत सरकार ने राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी अनुश्रवण के लिए तीन बाह्य संस्थाओं यथा-'विकास अध्ययन संस्थान', 'सोशियल पॉलिसी रिसर्च इन्स्टीट्यूट', एवं 'सेन्टर फॉर डवलपमेंट एण्ड कम्यूनिकेशन स्टड्ीज' को नामित किया था। इन संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के अनुसार निरीक्षण किये गये विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध नहीं थे, शिक्षक, 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम' में उल्लिखित शिक्षकों के कर्त्तव्यों और दायित्वों के बारे में जागरूक नहीं थे, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जागरूक नहीं थे, विद्यालयों में दोपहर का भोजन निम्न स्तरीय था, विद्यालयों में प्रगति पत्रक नहीं दर्शाये गये थे तथा विद्यालयों के अभिलेख अद्यतन नहीं थे।

### *2.1.11 निष्कर्ष एवं अनुशंषाऐं*

सर्व शिक्षा अभियान ने राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में बड़े कदम बढ़ाने में सहायता प्रदान की है। राजस्थान की सकल साक्षरता दर 2001 में 60.41 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 66.10 प्रतिशत हो गयी। आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति से ज्ञात होता है कि राज्य में कुल 80,074 प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में से अधिकांश विद्यालयों में भवन, पेयजल सुविधा तथा छात्राओं के लिए पृथक शौचालय उपलब्ध थे। फिर भी, कुछ कमियों तथा अन्तरालों पर ध्यान दिया जाना था, जिनको नीचे उल्लेखित किया गया है:

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने (अप्रेल 2010) के तीन वर्ष के भीतर सभी बच्चों को विद्यालयों मे नामांकित करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया। वर्ष 2009-10 में कुल चिन्हित में से छः प्रतिशत विशेष आवश्यकता वाले बच्चे 'विद्यालय से बाहर' थे जबकि वर्ष 2013-14 में ये सात प्रतिशत थे जिन्हें नामांकित नहीं किया गया।

***राज्य सरकार को प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक 'विद्यालय से बाहर' बच्चों को नामांकित करने के प्रयास करने चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन के लिए भी विशेष प्रयास करने चाहिए।***

राज्य में सकल लिंग अन्तराल 1.11 प्रतिशत कम हुआ परन्तु यह 8.06 प्रतिशत है जो अभी भी अधिक है। महिला साक्षरता दर 52.12 प्रतिशत, अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम थी। नमूना जाँच वाले चार जिलों (जोधपुर, झुंझुनू, करौली तथा सीकर) में लिंग अन्तराल वास्तव में बढ़ा है।

***राज्य को छात्राओं के नामांकन में सुधार तथा लिंग अन्तराल को पाटने के कार्यक्रमों पर जोर देने की आवश्यकता है। राज्य सरकार को शैक्षणिक भ्रमण, प्रदर्शनियों, वृतचित्रों, नुक्कड़ नाटकों आदि द्वारा लड़कियों, अभिभावकों तथा समुदायों में, लड़कियों को स्कूलों में नामांकित कराने के बारे में जागरूकता लाने के भी प्रयास करने चाहिए।***

राज्य में 12,782 स्कूल एकल शिक्षकों द्वारा संचालित थे। यह गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके अलावा यहाँ अपर्याप्त छात्र-शिक्षक अनुपात भी है जो छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में अनुवर्ती प्रभाव डालता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विषयाध्यापकों की कमी है।

***राज्य सरकार को शिक्षकों की रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने, अपर्याप्त छात्र-शिक्षक अनुपात में प्रगति लाने के साथ-साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर विषयाध्यापकों की नियुक्ति के लिए समन्वित प्रयास करने चाहिए।***

अनुश्रवण, कार्यक्रम के क्रियान्वयन तथा परिणाम चिन्हिकरण, दोनों के साथ, एक सतत प्रक्रिया है। जहाँ विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठकें निर्धारित मानदण्डानुसार नहीं की गई, जिला स्तर पर भी कार्यक्रम अनुश्रवण के लिए की जाने वाली यात्राओं में स्पष्ट रूप से कमी थी। राज्य स्तर पर, शाषी परिषद की प्रारम्भ से ही कोई बैठक आयोजित नहीं की गई जबकि कार्यकारी समिति की कुछ बैठकें आयोजित हुई।

***गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने तथा योजना के उचित क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यालय स्तर पर नियमित बैठकें; जिला प्रभारी अधिकारियों द्वारा अधिक दौरे तथा व्यापक नीतिगत मार्गदर्शन एवं निर्देश देने के लिए शाषी परिषद की बैठकें आयोजित की जावें।***

# गृह विभाग

## 2.2 राजस्थान में पुलिस बल का आधुनिकीकरण

### कार्यकारी सांराश

राज्य पुलिस बलों की परिचालन क्षमता में सुधार एवं उन्हे आन्तरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए सुसज्जित करने हेतु भारत सरकार ने 'राज्यों में पुलिस बलों की आधुनिकीकरण की योजना' का शुभारम्भ किया। यह देखा गया कि इस योजना को लागू करने और इसका समुचित लाभ प्राप्त करने के लिए, राजस्थान सरकार ने कोई परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की। वार्षिक योजनाऐं भी भारत सरकार को विलम्ब से प्रस्तुत की गयी। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए अपना अंशदान भी नहीं दिया क्योंकि राज्य सरकार पुलिस आधुनिकीकरण के लिए पृथक से वस्तुओं की खरीद कर रही थी। इसके अलावा राज्य सरकार केन्द्रीय योजनाओं के तहत उपलब्ध धनराशि का 36 और 79 प्रतिशत के मध्य उपयोग नहीं कर सकी।

राज्य सरकार को, अवधि 2009-14 के दौरान 15,884 आधुनिक हथियारों की आवश्यकता थी, जिसके समक्ष केवल 3,962 हथियार (25 प्रतिशत) प्राप्त हुए, परिणामत: आधुनिक हथियारों की कमी रही। इस योजना के तहत क्रय किए गये अधिकतर हथियार, क्षेत्रीय इकाइयों को वितरित नहीं किए गये तथा ये निष्क्रिय पड़े रहे। धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद राज्य में 31 मार्च 2014 को 8,132 वाहनों की आवश्यकता के समक्ष 2,252 वाहनों की कमी रही।

पुलिस थानों की नमूना जांच में बुनियादी उपकरण, जैसे लाठी, शील्ड, बॉडी प्रोटेक्टर आदि की पर्याप्त कमी देखी गई।

अपराध स्थल तक पहुँचने के लिए ग्रामीण और शहरी पुलिस दलों के लिए अलग-अलग प्रतिक्रिया समय निर्धारित किया गया है, तथा इस प्रतिक्रिया समय को पुलिस थानों में अपराध पंजिका में दर्ज किया जाना आवश्यक है। पुलिस थाना प्रभारियों द्वारा अधिकतम मामलों में प्रतिक्रिया समय की गणना तथा आवश्यक जानकारी अपराध पंजिका में दर्ज नहीं की गई।

विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में बड़ी संख्या में नमूने, विश्लेषण के लिए लम्बित थे जिससे पुलिस जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लम्बित मामलों के लिए तकनीकी स्टॉफ की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया।

राज्य सरकार द्वारा आवासीय/गैर आवासीय भवनों के निर्माण हेतु उच्च प्राथमिकता दी गई। तथापि, कर्मचारियों के लिए आवासीय/गैर-आवासीय भवनों के निर्माण में विलम्ब हुआ। 31 मार्च 2014 को कार्यरत 81,804 के समक्ष केवल 25,649 स्टाफ क्वाटर्स थे, इस प्रकार स्टाफ क्वाटर्स की भारी कमी थी। कई प्रकरणों में पूर्ण भवनों को विलम्ब से सौंपा गया। निर्माण स्थलों के चयन व ड्राइंग्स को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण 235 कार्य शुरू नहीं किए गये।

राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति (एसएलईसी) की बैठकें कम होने के कारण, महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे वाहन, हथियार, भवन/क्वार्टर निर्माण आदि पर सरकार द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिया गया।

***प्रस्तावना***

कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है तथा मुख्यतया: यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने पुलिस बलों को आधुनिक एवं पर्याप्त रूप से उपकरणों से लैस बनाये।

आन्तरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने हेतु राज्य पुलिस बलों की परिचालन कार्यक्षमता में सुधार एवं उन्हें पर्याप्त रूप से सुसज्जित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 'पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना' प्रारम्भ (1969) की गई। योजना का उद्देश्य वाहन, हथियार, संचार प्रणाली, प्रशिक्षण, विधि विज्ञान प्रयोगशाला/फिंगर प्रिंट ब्यूरो, उपकरण और भवनों के मामलों में पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करना है।

योजना, 2000-01 में पुनरीक्षित की गई और इसे 10 वर्षो की अवधि के लिए बढ़ाया गया। योजना में 19 नवम्बर 2003 तक भारत सरकार और राज्य सरकारों के मध्य, लागत की हिस्सेदारी 50:50 थी। 20 नवम्बर, 2003 से यह संशोधित कर 60:40 कर दी गयी। योजना की समीक्षा सितम्बर 2005 में की गई और राज्यों को 100 और 75 प्रतिशत की केन्द्रीय सहायता के साथ दो समूहों[9] क्रमश: 'ए' और 'बी' श्रेणी में विभाजित किया गया। राजस्थान को 'बी' श्रेणी में रखा गया। बाद में, वर्ष 2012-13 से केन्द्रीय सहायता संशोधित कर क्रमश: 90 और 60 प्रतिशत कर दी गयी। क्योंकि राजस्थान 'बी' राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत था इसलिये यह 60 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता का हकदार था। 'पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना' को 2011-12 तक परिचालन के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के लिए 2016-17 तक अनुमोदित कर दिया गया।

[9] श्रेणी ए: जम्मू एवं कश्मीर राज्य और सिक्किम सहित आठ उत्तर पूर्वी राज्य, श्रेणी बी: शेष राज्य।

डेजर्ट पुलिसिंग को पहली बार, वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2005-06 में सम्मिलित किया गया था जो 2010-11 तक अस्तित्व में रहा। इसके बाद 2011-12 में इसे आधुनिकीकरण योजना से हटा दिया गया।

### *2.2.1 पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा व्याप्ति*

लेखा परीक्षा द्वारा पूर्व में वर्ष 2006-07 में योजना की समीक्षा की गई थी और 31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), राजस्थान सरकार, के अनुच्छेद 3.2 में इसे सम्मिलित किया गया था। प्रतिवेदन में मुख्यत:, राज्य सरकार द्वारा स्वयं का अंशदान नहीं दिया जाना, निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना, स्टाफ क्वाटर्स की कमी, बेकार वाहनों के प्रतिस्थापन के लिए खरीदे गये वाहनों का उपयोग, आधुनिक हथियारों की तैनाती में विलम्ब, पर्याप्त मानव शक्ति की योजना बनाये बिना, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के संचालन हेतु मंहगे उपकरणों का क्रय करना जैसे प्रकरण सम्मिलित थे। जन लेखा समिति (पीएसी) द्वारा निष्पादन लेखा परीक्षा की जांच, वर्ष 2011-12 (117वां प्रतिवेदन) में की गई थी और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को आगे जन लेखा समिति द्वारा (2012-13 का 185 वां प्रतिवेदन) जांचा गया जिसे अनुच्छेद संख्या 2.2.8.3 और 2.2.9 में सम्मिलित किया गया है।

### *2.2.2 लेखा परीक्षा उद्देश्य*

लेखा परीक्षा द्वारा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा कर यह निर्धारण करना था कि क्या:

- योजना के उद्देश्य, जैसे परिचालन दक्षता, क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचे आदि को हासिल करने के लिए पर्याप्त योजनाऐं तैयार की गई थी;
- वित्तीय प्रबन्धन कुशल था;
- राज्य पुलिस बल का प्रभावी आधुनिकीकरण किया गया था और
- प्रभावी अनुश्रवण की प्रणाली मौजूद थी।

### *2.2.3 लेखा परीक्षा मापदण्ड*

योजना के क्रियान्वयन के बेंचमार्क हेतु लेखा परीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित से आहरित किये गये:

- भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये योजना के निर्देश एवं दिशा-निर्देश;

- अस्त्र-शस्त्र, वाहन आदि के विभिन्न परिचालित मानकों के लिए पुलिस अनुसन्धान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएण्डडी) द्वारा निर्धारित मानदण्ड एवं मापदण्ड;
- राजस्थान बजट मैनुअल और सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधान और
- योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित अनुश्रवण प्रणाली।

### *2.2.4 संगठनात्मक ढांचा*

मुखिया के रूप में, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति (एसएलईसी) योजना की क्रियान्विति का अनुश्रवण करती है। समिति के सदस्यों के रूप में अतिरिक्त मुख्य सचिव और महानिदेशक पुलिस, अध्यक्ष को सहायता प्रदान करते हैं।

महानिदेशक पुलिस, पुलिस संगठन के प्रमुख हैं तथा अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस (आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण) आधुनिकीकरण योजना के क्रियान्वयन के प्रभारी हैं। सात पुलिस रेंजों के प्रभारी, महानिरीक्षक (पुलिस) हैं एवं दो पुलिस रेंजों (जयपुर एवं जोधपुर) के प्रभारी, आयुक्त (पुलिस) हैं। दो पुलिस आयुक्तालयों के अन्तर्गत 34 पुलिस जिलों का मुखिया, अधीक्षक, पुलिस एवं छः पुलिस जिलों का मुखिया उपायुक्त (पुलिस) हैं। योजना से सम्बन्धित सभी निर्माण कार्य राजस्थान राज्य सड़क विकास निर्माण निगम एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपे गये हैं। संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रारूप में दिखाया गया है।

राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति (एसएलईसी)
(भारत सरकार को प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक कार्य योजनाओं का विश्लेषण करना एवं योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण)

↓

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह
(योजना की क्रियान्विति के लिए उत्तरदायी)

↓

महानिदेशक पुलिस
(योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राशि के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करना)

↓

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
(योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रभारी अधिकारी)

↓

जिला अधीक्षक पुलिस/उपायुक्त पुलिस
(जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी)

### 2.2.5 लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति

2009-10 से 2013-14 की अवधि के लिए जून-जुलाई 2014 में निष्पादन लेखा परीक्षा की गई। गृह विभाग, महानिदेशक पुलिस कार्यालय के अतिरिक्त नौ (23 प्रतिशत) पुलिस जिलों (नौ रेंजो[10] में से प्रत्येक में एक) के साथ इन जिलों के 35 पुलिस थानों[11] (20 प्रतिशत) के अभिलेखों की जांच की गई। इसके अलावा, विधि विज्ञान प्रयोगशालांऐं[12], फिंगर प्रिंट ब्यूरो जयपुर, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र एवं पुलिस प्रशिक्षण स्कूल जोधपुर व झालावाड़, निदेशक पुलिस संचार जयपुर, महानिदेशक (गृह रक्षा), अतिरिक्त महानिदेशक (पुलिस), अपराध और यातायात पुलिस के अभिलेखों की भी नमूना जांच की गई। निर्माण कार्यों की प्रगति का आंकलन करने के लिए राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड (आरएसआरडीसीसीएल) व सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अभिलेखों की भी लेखा परीक्षा द्वारा जांच की गई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के साथ 26 मई 2014 को एक प्रविष्टि बैठक आयोजित की गई जिसमें लेखा परीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र तथा मापदण्ड पर विचार विमर्श किया गया। लेखा परीक्षा निष्कर्षो पर विस्तार से चर्चा अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के साथ, 12 नवम्बर 2014 को आयोजित निर्गम बैठक में की गई। सरकार के विचारों व उत्तरों को निष्पादन लेखा परीक्षा में समुचित रूप से सम्मिलित किया गया।

## लेखा परीक्षा निष्कर्ष

### 2.2.6 आयोजना

'पुलिस बल का आधुनिकीकरण योजना (योजना)' के दिशा-निर्देशों के पैरा-1 के अनुसार बीपीआरएण्डडी के मानदण्डों (राज्य सरकार ने बीपीआरएण्डडी मानदण्डों के

---

10 अजमेर (टोंक), भरतपुर (करौली), बीकानेर (चूरू), जयपुर (झुन्झुनू), जयपुर आयुक्तालय (जयपुर पश्चिम), जोधपुर (जोधपुर ग्रामीण), जोधपुर आयुक्तालय (जोधपुर पश्चिम) कोटा (झालावाड़) एवं उदयपुर (चित्तौड़गढ़)।

11 टोंक:4 (उनियारा, अलीगढ़, पचेवर एवं कोतवाली), करौली:4 (सूरौठ, नादौती, करनपुर एवं कैलादेवी), चूरू: 4 (राजगढ़ डूडवाखारा, सुजानगढ़ एवं हमीखास), जयपुर पश्चिम: 3 (झोटवाड़ा, भांकरोटा एवं मुरलीपुरा), झुन्झुनू: 4 (बुहाना, उदयपुरवाटी, बगड़ एवं सुरजगढ़), जोधपुर पश्चिम:2 (चौपासनी ,हाउसिंग बोर्ड एंव झंवर), जोधपुर ग्रामीण: 4 (बिलाड़ा पीपाड़ सिटी, जाम्बा एवं बोरून्दा), झालावाड़:5 (मिसरोली, जावर, पिड़ावा, कामखेड़ा एवं डग), एवं चित्तौड़गढ़: 5 (जावदा, बड़सोरा, निकुम्भ, रावतभाटा, एवं निम्बाहेड़ा)।

12 जयपुर एवं जोधपुर।

विपरीत अपने स्वयं के मानदण्ड[13] अपनाये)। के तहत पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के विभिन्न घटकों की कमियों का चिन्हीकरण एवं विश्लेषण कर, उपकरणों की प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य पंचवर्षीय सामरिक योजना तैयार करनी थी

भारत सरकार को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व, पुलिस महानिदेशक द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक धनराशि के लिए, वार्षिक कार्य योजनाऐं तैयार की जानी थी, जिसकी राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति द्वारा सूक्ष्म परीक्षण किया जाना था। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार हर वर्ष भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप वार्षिक कार्य योजना तैयार करती है। योजना के तहत विभिन्न घटकों में कमियों को दर्शाते हुए पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना के अनुरूप वार्षिक कार्य योजनाऐं तैयार की जानी होती है।

### *2.2.6.1 दीर्घ कालीन योजना का अभाव*

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को दीर्घ कालीन अवधि के लिये पंच वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजनाएं 2005-10 एवं 2010-15 बनाना आवश्यक था। इसके विपरीत राज्य सरकार द्वारा कोई परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई, इससे दर्शित होता है कि योजना के विभिन्न घटकों में कमियों का विश्लेषण एवं पहचान व राज्य की आवश्यकता का निर्धारण किए बिना सम्बन्धित वार्षिक कार्य योजनाऐं तैयार की गई थी।

यद्यपि, पुलिस महानिदेशक द्वारा 2011-16 की सामरिक योजना तैयार कर, अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भेजी गई (फरवरी 2012) लेकिन उसे भारत सरकार को अग्रेषित नहीं किया गया। राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि भारत सरकार द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस (23 मार्च 2012) के दौरान, प्रमुख शासन सचिव के साथ हुए विचार-विमर्श में बताया गया कि पंचवर्षीय सामरिक योजना के स्थान पर केवल वार्षिक कार्य योजना 2012-13 भेजी जावे। उत्तर योजना के अनुरूप नहीं है, क्योंकि 2011-16 की सामरिक योजना 2009-10 में तैयार की जानी थी, जबकि कान्फ्रेंस मार्च 2012 में आयोजित की गई थी। साथ ही, भारत सरकार द्वारा (दिसम्बर 2010) सभी राज्य सरकारों से निवेदन किया गया था कि योजना के विभिन्न घटकों में कमियों का विश्लेषण व चिन्हीकरण करने के साथ, राज्य पुलिस बल की व्यावसायिक कार्य क्षमता

---

[13] भवन (मार्च 2000): 100 प्रतिशत आवास, वाहन (दिसम्बर 2011): आयुक्तालय के लिए एक जीप एवं चार मोटर साइकिल, तीन मोटर साइकिल शहरी एवं दो मोटर साइकिल ग्रामीण के प्रत्येक पुलिस थाने के लिए, हथियार (मई 2006): निरीक्षक/उपनिरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक (9 एमएमपिस्टल) हैड कॉन्सटेबल (इन्सास/एके राइफल) एवं कॉन्सटेबल (7.62 एसएलआर) आदि एवं उपकरण (अगस्त 2007): स्वीकृत पदों के 50 प्रतिशत एफ आर पी हेलमेट्स, 50 प्रतिशत पोली कार्बोनेट लाठी, 40 प्रतिशत पोली कार्बोनेट शील्ड एवं 40 प्रतिशत बोडी प्रोटेक्टर।

व संचालन दक्षता में सुधार के लिए, अवधि 2011-16 के लिए पंच वर्षीय सामरिक योजना तैयार कर अनुमोदन हेतु भारत सरकार को अग्रेषित की जाये। सामरिक योजना के अभाव में संचालन दक्षता में सुधार के लिए राज्य सरकार की रणनीति, भारत सरकार को सूचित नहीं की गयी।

### *2.2.6.2 वार्षिक कार्य योजना का विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना*

महानिदेशक पुलिस कार्यालय के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अवधि 2009-14 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा वार्षिक कार्य योजनाऐं भारत सरकार को

विलम्ब से प्रस्तुत की गई, जैसा निम्नानुसार दर्शाया गया है:

| वर्ष | गृह मंत्रालय पुलिस आधुनिकीकरण खण्ड से प्राप्त पत्र की देय तिथि | गृह मंत्रालय पुलिस आधुनिकीकरण खण्ड से प्राप्त पत्र की वास्तविक तिथि | दिशा-निर्देशों के अनुसार गृह मंत्रालय पुलिस आधुनिकीकरण खण्ड को वार्षिक कार्य योजनाऐं प्रस्तुत करने की देय तिथि | गृह मंत्रालय पुलिस आधुनिकीकरण खण्ड के पत्र के अनुसार पुलिस आधुनिकीकरण खण्ड को वार्षिक कार्य योजनाऐं प्रस्तुत करने की देय तिथि | गृह मंत्रालय पुलिस आधुनिकीकरण खण्ड को वार्षिक कार्य योजनाऐं प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि | गृह मंत्रालय पुलिस आधुनिकीकरण खण्ड को वार्षिक कार्य योजनाऐं प्रस्तुत करने में विलम्ब अवधि (दिवस में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | अक्टूबर 2008 का प्रथम सप्ताह | 22 दिसम्बर 2008 | 31 दिसम्बर 2008 | 7 जनवरी 2009 | 2 जनवरी 2009 | - |
| 2010-11 | अक्टूबर 2009 का प्रथम सप्ताह | 30 दिसम्बर 2009 | 31 दिसम्बर 2009 | 22 जनवरी 2010 | 21 जनवरी 2010 | - |
| 2011-12 | अक्टूबर 2010 का प्रथम सप्ताह | 2 दिसम्बर 2010 | 31 दिसम्बर 2010 | 27 दिसम्बर 2010 | 17 फरवरी 2011 | 53 दिवस |
| 2012-13 | 31 दिसम्बर 2011 | 20 मार्च 2012 | 15 जनवरी 2012 | 15 अप्रेल 2012 | 13 मई 2012 | 29 दिवस |
| 2013-14 | 31 दिसम्बर 2012 | 25 मार्च 2013 | 15 जनवरी 2013 | 15 अप्रेल 2013 | 26 जून 2013 | 73 दिवस |

स्त्रोत: महानिदेशक पुलिस द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं

उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 2011-12 से 2013-14 तक की वार्षिक कार्य योजनाएं, प्रस्तुत करने की देय तिथि से 29 एवं 73 दिवस की देरी से भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी। गृह मंत्रालय द्वारा भी इंगित किया गया कि वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करने तथा भारत सरकार को प्रस्तुत करने के गम्भीर प्रयास नहीं किए गये।

आगे, गृह मंत्रालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने राज्य सरकार को 2012-13 के लिए संशोधित वार्षिक कार्य योजना भिजवाने के लिये निर्देशित किया (3 जुलाई 2012)। यह देखा गया कि भारत सरकार को संशोधित वार्षिक कार्य योजना, छः माह के विलम्ब से, जनवरी 2013 में भेजी गई।

### 2.2.7 वित्तीय प्रबन्धन

#### 2.2.7.1 कोष प्रवाह एवं वित्तीय स्थिति

वर्ष 2009-12 की अवधि के दौरान, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा योजना में 75:25 के अनुपात में, निधियां उपलब्ध करानी थी। इसे 2012-13 से 60:40 के अनुपात में संशोधित किया गया। वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुमोदन के पश्चात, तीन कार्यकारी संस्थाओं यथा राज्य सरकार, आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) एवं राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, को भारत सरकार अपने हिस्से की राशि सीधे ही जारी करती है।

अवधि 2009-14 के दौरान भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी निधियां एवं उसके समक्ष किए गये व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | अनुमोदित कार्यान्वयन योजना | प्रारम्भिक शेष | जारी की गयी राशि | | कुल उपलब्ध राशि (3+4+5) | वर्ष के दौरान किया गया व्यय | अन्तिम शेष (प्रतिशत) | अंशदान जो राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | भारत सरकार द्वारा | राज्य सरकार द्वारा | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2009-10 | 119.91 | 17.54 | 51.18 | 0.00 | 68.72 | 34.01 | 34.71 (51) | 17.06 |
| 2010-11 | 111.73 | 34.71 | 47.88 | 0.00 | 82.59 | 52.63 | 29.96 (36) | 15.96 |
| 2011-12 | 96.95 | 29.96 | 33.10 | 0.00 | 63.06 | 38.58 | 24.48 (39) | 11.03 |
| 2012-13 | 161.22 | 24.48 | 15.88 | 0.00 | 40.36 | 22.65 | 17.71 (44) | 10.59 |
| 2013-14 | 179.41 | 17.71 | 62.83 | 0.00 | 80.54 | 17.31 | 63.23# (79) | 41.89 |
| **योग** | **669.22** | | **210.87** | 0.00 | | **165.18** | | **96.53** |

स्त्रोत: वार्षिक कार्यान्वयन योजना एवं महानिदेशक पुलिस द्वारा दी गयी सूचना

# राजस्थान राज्य सड़क विकास निर्माण निगम लिमिटेड: ₹ 58.06 करोड़, विधि विज्ञान प्रयोगशाला: ₹ 0.64 करोड़ एवं राजस्थान सरकार: ₹ 4.53 करोड़।

उपरोक्त सारणी से निम्न बिन्दु दृष्टिगत हुये:

- राज्य सरकार द्वारा 2009-14 की अवधि के दौरान स्वंय का निर्धारित अंशदान ₹ 96.53 करोड़ नहीं दिया गया।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि उसने एक आवासीय योजना की शुरूआत की है, जिसके लिये 'आवासीय शहरी विकास निगम' (हुड़कों) से ₹ 563.61 करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया एवं ₹ 96.00 करोड़ प्रति वर्ष का पुनर्भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकार ने आगे सूचित किया (नवम्बर 2014) कि पुलिस आधुनिकीकरण के विभिन्न मदों के क्रय के लिये राज्य योजना के अन्तर्गत राशि (₹ 194.70 करोड़) जारी की गयी थी। तथ्य रहा कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय योजना में स्वंय का अंशदान नहीं दिया था।

- 2009-14 की अवधि के दौरान, विभाग 36 से 79 प्रतिशत तक की निधियों का उपयोग नहीं कर सका। इससे दर्शित होता है, कि योजना के विभिन्न मदों को लागू करने के लिये विभागीय तन्त्र को तैयार नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने स्वीकार किया (नवम्बर 2014) कि अथक प्रयासों के बावजूद क्रय में विलम्ब हुआ। सरकार ने बताया कि योजना की राशि का उपयोग करने के लिये निष्ठापूर्वक प्रयास किये जायेंगे।

महानिदेशक, पुलिस के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि यद्यपि 2009-14 की अवधि में विभाग के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध थी, विभाग ने नीचे दर्शाये अनुसार अधिकतम व्यय (21 से 77 प्रतिशत के बीच) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह (मार्च) में, किया:

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | 1 अप्रेल को उपलब्ध राशि | वर्ष के दौरान किया गया व्यय | मार्च माह में किया गया व्यय | मार्च मे किये गये व्यय का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 17.54 | 13.14 | 10.11 | 77 |
| 2010-11 | 34.71 | 20.49 | 9.43 | 46 |
| 2011-12 | 29.96 | 27.74 | 11.49 | 41 |
| 2012-13 | 24.48 | 17.25 | 3.61 | 21 |
| 2013-14 | 17.06* | 9.45 | 4.33 | 46 |
| **योग** | **123.75** | **88.07** | **38.97** | **44** |

* राज्य सरकार द्वारा ₹ 0.65 करोड़ का पुनर्वैधीकरण नहीं किया गया।
स्त्रोत: महानिदेशक, पुलिस (सेन्ट्रल स्टोर) द्वारा दी गयी सूचना।

### *2.2.8 कार्यक्रम क्रियान्वयन*

योजना का उद्देश्य वाहन, अस्त्र-शस्त्र, संचार प्रणाली, प्रशिक्षण, विधि विज्ञान प्रयोग- शाला, उपकरण और भवन निर्माण द्वारा पुलिस बलों को आधुनिक स्वरूप प्रदान करना था। राज्य सरकार को अपनाये गये मानदण्डों[13] के अनुसार योजना के सभी मदों की आवश्यकताओं का, आंकलन एवं अभिग्रहण करना था।

वर्ष 2009-14 के लिये वार्षिक कार्यान्वयन योजना में प्रस्तावित विभिन्न मदों के विरूद्ध, इस अवधि में उपकरणों की वास्तविक प्राप्तियों के विश्लेषण में पाया गया कि प्राप्तियों में 17 से 100 प्रतिशत की भौतिक कमी, एवं 3 से 100 प्रतिशत की वित्तीय कमी रही। वार्षिक कार्यान्वयन योजना की वृहद् मदों, यथा वाहन, अस्त्र-शस्त्र, संचार उपकरणों आदि का विवरण ***परिशिष्ट 2.2*** में दिया गया है। राज्य सरकार ने

बताया (नवम्बर 2014) कि उनके द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण के विभिन्न मदों के क्रय के लिये, योजना से अलग भी राशि जारी की गयी थी। राशि की उपलब्धता के बावजूद, विभाग भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सका। आगे के अनुच्छेदों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन में विभाग के निष्पादनों की चर्चा की गयी है:

### *2.2.8.1 अस्त्र-शस्त्र*

भारत सरकार ने वर्ष 2009-14 के दौरान आधुनिक अस्त्र-शस्त्र, यथा 7.6 एमएम सेल्फ लोडेड राईफल्स (एसएलआर), 5.56 इन्सास राईफल्स, 9 एमएम कार्बाइन, रॉकेट लॉन्चर (आरएल), 51 एमएम मोर्टार, लाइट मशीन गन (एलएमजी), एके राईफल्स, अन्डर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (यूबीजीएल), टीयर गैस गन्स इत्यादि के क्रय के लिये ₹ 44.44 करोड़ अनुमोदित किये। इसके समक्ष, मार्च 2014 तक विभाग ने ₹ 19.82 करोड़ के अस्त्र-शस्त्र क्रय किये। आधुनिक अस्त्र-शस्त्र की आवश्यकता का निर्धारण, प्राप्ति एवं उपयोग में पायी गयी कमियां निम्नानुसार हैं:

- ***आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों की कमी***

अनुमोदित वार्षिक कार्यान्वयन योजना के अनुसार, वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान 15,884 आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों की आवश्यकता थी। इसके समक्ष, राज्य सरकार ने 4,956 (31 प्रतिशत) आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों का आदेश दिया और मार्च 2014 तक विभिन्न उपक्रमों[14] से केवल 3,962 (25 प्रतिशत) अस्त्र-शस्त्र प्राप्त किये गये। यद्यपि, समग्र कमी 75 प्रतिशत की थी, वर्षवार कमी 99 प्रतिशत (2009-10), 22 प्रतिशत (2010-11), 17 प्रतिशत (2011-12), 76 प्रतिशत (2012-13) एवं 47 प्रतिशत (2013-14) रही।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया (नवम्बर 2014) कि उसी वित्तीय वर्ष के दौरान जिसमें आदेश जारी किये गये थे, अस्त्र-शस्त्र प्राप्त नहीं होने और उनके मूल्यों में वृद्धि होने के कारण, कम संख्या में अस्त्र-शस्त्रों को क्रय किया गया। आगे यह भी बताया कि भारत सरकार द्वारा ओएफबी को सीधे ही राशि स्थानान्तरित की गयी।

उत्तर सहमति योग्य नहीं था, क्योंकि 15,884 अस्त्र-शस्त्रों में से 12,992 अस्त्र-शस्त्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उपक्रमों, यथा ओर्डनेन्स फेक्ट्रीज और सीआरपीएफ जैसी सेन्ट्रल पैरा-मिलिट्री फोर्सेज से, क्रय करने थे।

[14] राइफल फैक्ट्री, ईशापुर, गन कैरिज फैक्ट्री, जबलपुर, स्माल आर्म्स फैक्ट्री, कानपुर, सीआरपीएफ, रामपुर एवं भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा आयात

- ***इकाईयों को वितरण के अभाव में अस्त्र-शस्त्रों का निष्क्रिय रहना***

सेन्ट्रल स्टोर, जयपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जहाँ एक तरफ विभाग में अस्त्र-शस्त्रों की कमी थी, वहीं दूसरी तरफ योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये आधुनिक अस्त्र-शस्त्र, पुलिस स्टेशनों को जारी नहीं किये गये एवं निम्नानुसार सेन्ट्रल स्टोर के स्टॉक में जमा थे:

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | अस्त्र-शस्त्रों के नाम | प्राप्त अस्त्र-शस्त्रों की संख्या | मूल्य | वितरित अस्त्र-शस्त्रों की संख्या | सेन्ट्रल स्टोर में रखे अस्त्र-शस्त्रों की संख्या | आनुपातिक मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कार्बाईन 9एम एम/1ए1 | 190 | 0.66 | 326[15] | 0 | 0 |
| 2 | 9 एम एम पिस्टल/ऑटो | 624 | 1.91 | 124 | 500 | 1.53 |
| 3 | एस एल आर 7.62 एम एम | 196 | 0.94 | 196 | 0 | 0 |
| 4 | इन्सास/5.56 इन्सास | 559 | 2.39 | 454 | 105 | 0.45 |
| 5 | 12 बोर पम्प एक्शन गन | 929 | 4.61 | 605 | 324 | 1.61 |
| 6 | रॉकेट लॉन्चर | 11 | 1.32 | 16[15] | 0 | 0 |
| 7 | 51 एम एम मोर्टार | 14 | 0.19 | 37[15] | 0 | 0 |
| 8 | एल एम जी 5.56 एम एम | 33 | 0.39 | 18 | 15 | 0.18 |
| 9 | पिस्टल ग्लोक | 626 | 1.28 | 0 | 626 | 1.28 |
| 10 | एम पी 5-ए3 | 196 | 2.47 | 0 | 196 | 2.47 |
| 11 | एम पी 5-के | 36 | 0.55 | 0 | 36 | 0.55 |
| 12 | एम पी 5-एस डी | 36 | 0.88 | 0 | 36 | 0.88 |
| 13 | गैस गन/एम बी एल | 80 | 0.17 | 0 | 80 | 0.17 |
| 14 | ए जी एल 30 एम एम | 7 | 1.20 | 0 | 7 | 1.20 |
| 15 | ए के सीरीज | 425 | 0.86 | 0 | 425 | 0.86 |
| | **योग** | **3,962** | **19.82** | **1,776** | **2,350 (59 प्रतिशत)** | **11.18** |

2009-14 की अवधि के दौरान प्राप्त हुये 3,962 अस्त्र-शस्त्रों में से 2,350 अस्त्र-शस्त्र 31 मार्च 2014 को सेन्ट्रल स्टोर में रखे हुये थे। इस प्रकार, क्रय किये गये अस्त्र-शस्त्रों में से 59 प्रतिशत, क्षेत्रीय इकाईयों को वितरित नहीं किये गये।

यह भी देखा गया कि महानिदेशक, पुलिस द्वारा निर्देश (अगस्त 2012, जनवरी और मई 2013) जारी किये गये थे कि नये क्रय किये गये अस्त्र-शस्त्रों (राकेट लॉन्चर, राईफल एसएमजी, एमपी 5 एसडी, एमपी 5 के, एमपी 5 ए 3) को, प्रशिक्षण दिये

[15] 164 अस्त्र-शस्त्र (कार्बाइन 9 एमएम/1 ए1: 136, राकेट लॉन्चर:5 एवं 51 एमएम मोर्टार:23) पूर्व अवधि में अधिक क्रय किए गये एवं वितरित नहीं किए गये।

जाने के बाद ही क्षेत्रीय कार्यालयों को वितरित किया जाये। लेकिन इन अस्त्र-शस्त्रों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में सम्मिलित ही नहीं किया गया।

नौ चयनित पुलिस जिलों के 35 पुलिस स्टेशनों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (जुलाई 2014) कि 1,227 अस्त्र-शस्त्रों की आवश्यकता के समक्ष, 918 (75 प्रतिशत) की कमी के साथ, केवल 309 अस्त्र-शस्त्र उपलब्ध थे। इससे दर्शित होता है कि क्षेत्रीय स्तर पर पुलिस इकाईयों, जो कि कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होती हैं, को मजबूत और सुसज्जित नहीं किया गया अथवा ये इकाईयां पुराने अस्त्र-शस्त्रों से सज्जित थी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि 'विभागीय निरीक्षण समिति' के द्वारा निरीक्षण किये जाने के बाद ही क्षेत्रीय इकाईयों/जिलों को अस्त्र-शस्त्र आवंटित किये जाते हैं। प्राप्त होते ही अस्त्र-शस्त्रों को जल्दी से जल्दी क्षेत्रीय इकाईयों को वितरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को तीन महीने में पूर्ण करने के निर्देश जारी किये गये हैं और वर्तमान मे स्टॉक शून्य है।

- ***बन्दूकों की वारंटी अवधि समाप्ति के पश्चात् गोलाबारूद क्रय किया जाना***

जनरल मैनेजर, गन कैरिज फेक्ट्री, जबलपुर द्वारा महानिदेशक, पुलिस को 99 बन्दूकों (₹ 44.50 लाख) की आपूर्ति (फरवरी 2011) की गयी। लेखा परीक्षा जांच मे पाया गया कि इन बन्दूकों की वारंटी अवधि फरवरी 2012 तक थी और उपयोगकर्ता द्वारा इनका समुचित भण्डारण एवं उत्पाद का निर्धारित शर्तों के अनुरूप उपयोग करना था। तथापि, विभाग ने एम्यूनिशन फैक्ट्री, खड़की, पूणे को गोलाबारूद (एन्टी-रिओट रबर बुलेट्स), जो कि इन बन्दूकों में उपयोग करना था, की आपूर्ति के लिये जुलाई 2012 में आदेश दिया। गोलाबारूद की आपूर्ति वांरटी अवधि की समाप्ति के दो वर्ष बाद फरवरी 2014 में प्राप्त हुई। इसके परिणामस्वरूप बन्दूकों की वारंटी अवधि के अन्दर जाँच नहीं की जा सकी।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि बन्दूकें फरवरी 2011 में प्राप्त हुयी थी और गोलाबारूद के लिये प्रोफार्मा इन्वाइस मार्च 2012 में प्राप्त हुआ। तद्नुसार, गोलाबारूद के क्रय का आदेश जुलाई 2012 में दिया गया।

### *2.2.8.2 उपकरण*

साम्प्रदायिक, राजनीतिक एवं अन्य आन्दोलनकारी गतिविधियों के नियन्त्रण हेतु, पुलिस बलों को साधनों से सुसज्जित होना आवश्यक है, ताकि कानून व्यवस्था सम्बन्धी समस्या उत्पन्न न हो।

35 नमूना जांच पुलिस स्टेशनों में राज्य सरकार के मानदण्डानुसार [13] (अगस्त 2007), 2,772 उपकरणों[16] की आवश्यकता थी, जबकि केवल 422 (15.23 प्रतिशत) उपकरण

[16] एफआरपी हेलमेट:771, पॉली कार्बोनेट लाठी: 771, शील्ड:615 और बॉडी प्रोटेक्टर: 615

ही उपलब्ध थे। इस प्रकार, वहाँ 2,350 (84.77 प्रतिशत) उपकरण कम थे। इससे दर्शित होता है, कि पुलिस कार्मिक अपने क्षेत्र कर्तव्यों के लिये पूर्ण रूप से सुसज्जित नहीं थे।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि आगे पुलिस स्टेशनों को चरण बद्ध रूप से सुसज्जित किया जावेगा।

### *2.2.8.3 गतिशीलता*

'पुलिस बल का आधुनिकीकरण योजना' के दिशा-निर्देशों (नवम्बर 2010) के अनुच्छेद 7.7 (एफ) के अनुसार वित्तीय आवंटन का 25 प्रतिशत गतिशीलता संबलन के लिये होना चाहिए। लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि गतिशीलता के लिये आवंटन 18 प्रतिशत[17] था।

कानून व्यवस्था की स्थिति को सम्भालने के साथ-साथ अपराधों को रोकने एवं पता लगाने तथा सुरक्षा एवं निगरानी को सुनिश्चित करने के लिये, पुलिस बलों की कार्यवाही परिचालन दक्षता वृद्धि हेतु, उनका गतिशील होना आवश्यक है। गतिशीलता में वृद्धि से प्रतिक्रिया समय में कमी और पुलिस बलों की कार्यवाही दक्षता में वृद्धि होती है।

भारत सरकार ने 2009-14 की अवधि के लिये वार्षिक कार्यान्वयन योजना में नये वाहन क्रय हेतु ₹ 120.91 करोड़ अनुमोदित किये, इसके समक्ष केवल ₹ 50.33 करोड़ का व्यय किया गया। वाहनों के क्रय एवं उपयोग की जांच में निम्नानुसार कमियाँ पायी गयी:

- ***वाहनों की कमी***

महानिदेशक, पुलिस के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि राज्य सरकार के मानदण्डानुसार (दिसम्बर 2011)[13] आवश्यक कुल 8,132 वाहनों के समक्ष, 2,252 वाहनों की कमी के साथ, केवल 5,880 वाहन उपलब्ध थे। 31 मार्च 2014 की स्थिति को नीचे तालिका मे दर्शाया गया है:

| क्र.सं. | विवरण (31 मार्च 2014 को) | वाहनों की संख्या | | | | | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भारी वाहन | मध्यम वाहन | हल्के वाहन | मोटर साइकिल | अन्य | |
| 1 | आवश्यकता | 438 | 575 | 2,287 | 4,585 | 247 | 8,132 |
| 2 | उपलब्ध | 220 | 480 | 2,274 | 2,759 | 147 | 5,880 |
| 3 | कमी (प्रतिशत) | 218 (50) | 95 (17) | 13 (1) | 1,826 (40) | 100 (40) | 2,252 (28) |

स्त्रोत: महानिदेशक, पुलिस द्वारा दी गयी सूचना

[17] भारत सरकार ने 2009-14 के दौरान ₹ 669.22 करोड़ अनुमोदित किये, उसमें से वाहनों के लिये ₹ 120.91 करोड़ अनुमोदित किये जो कि कुल अनुमोदित राशि का 18 प्रतिशत था।

सबसे अधिक कमी भारी वाहनों (50 प्रतिशत) में थी वहीं मोटर साइकिल व अन्य वाहनों (40 प्रतिशत प्रत्येक) में भी कमी थी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि वाहनों की कमी को पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

- ***नये वाहनों का प्रतिस्थापन हेतु क्रय***

अनुमोदित वार्षिक कार्यान्वयन योजना एवं दिशा निर्देशानुसार, अनुपयोगी वाहनों का प्रतिस्थापन, योजना के अन्तर्गत प्राविधित राशि में से न करके, राज्य बजट से किया जाना था। जन लेखा समिति (पीएसी) की 2012-13 की 185वें प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 4 (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन-सिविल 2006-07 के अनुच्छेद संख्या 3. 2.9.1, राजस्थान सरकार) में सिफारिश की गयी थी कि अनुपयोगी वाहनों के प्रतिस्थापन द्वारा समायोजन के सम्बन्ध में, भारत सरकार के अनुमोदन के समर्थित दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें, क्योंकि योजनानुसार अनुपयोगी वाहनों का प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता। विभाग ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की और अनियमितता अभी भी की जा रही थी।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि योजना राशि से 1,203 वाहनों (₹ 50.33 करोड़) का क्रय किया गया एवं ₹ 7.97 करोड़ मूल्य के 222 वाहनों (18 प्रतिशत) का उपयोग पुराने वाहनों के प्रतिस्थापन के लिये किया गया। प्रतिस्थापन के विवरण को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

| क्र. सं. | वाहन का नाम | 31.3.2009 को उपलब्ध वाहनों की संख्या | 2009-14 के दौरान क्रय किये गये वाहनों की संख्या | 31.3.2014 को वाहनों की कुल संख्या | 31.3.2014 को उपलब्ध वाहनों की वास्तबिक संख्या | प्रतिस्थापित पुराने वाहनों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भारी वाहन | 174 | 19 | 193 | 193 | - |
| 2 | मध्यम वाहन | 399 | 112 | 511 | 480 | 31 |
| 3 | हल्के वाहन | 1,828 | 563 | 2,391 | 2,274 | 117 |
| 4 | मोटर साइकिल | 2,355 | 478 | 2,833 | 2,759 | 74 |
| 5 | अन्य | 108 | 31 | 139 | 139 | - |
| | **योग** | **4,864** | **1,203*** | **6,067** | **5,845** | **222** |

*राज्य सरकार द्वारा क्रय किये गये वाहनों को सम्मिलित नहीं किया गया है (भारी वाहन: 27, अन्य:8)
स्त्रोत: महानिदेशक, पुलिस द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2014) कि अनुपयोगी वाहनों का प्रतिस्थापन जनहित में किया गया। दिशा निर्देशों के सन्दर्भ में उत्तर सही नहीं है, क्योंकि वाहनों का प्रतिस्थापन राज्य बजट से किया जाना था।

- ***योजना के अन्तर्गत नहीं आने वाले वाहनों का क्रय***

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 7.6(जी) के अनुसार, केवल परिचालन वाहन जैसे जीप, मोटर साइकिलें, मध्यम/भारी वाहन ही क्रय करने की अनुमति थी। योजना के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत कार जैसे वाहनों के क्रय को अनुमोदित नहीं किया गया था। लेखा परीक्षा जाँच मे पाया गया कि 2009-14 की अवधि के दौरान, परिचालन वाहनों की कमी के बावजूद, अनुमोदित वार्षिक कार्यान्वयन योजना एवं दिशा-निर्देशों के विपरीत, ₹ 3.78 करोड़ मूल्य की 66 कारों[18] का अनियमित क्रय किया गया।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया (नवम्बर 2014) कि कारों का क्रय विशेष परिचालनों हेतु किया गया था। उत्तर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि कारों का क्रय अनुमत्य नहीं था और इनको वार्षिक कार्यान्वयन योजना में भी अनुमोदित नहीं किया गया था। भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय इकाईयों के लिये केवल परिचालन वाहनों जैसे जीप, मोटर साइकिलें, मध्यम/भारी वाहनों को ही अनुमोदित किया गया था।

- ***सेन्ट्रल स्टोर द्वारा वाहनों को प्रतिधारित करना***

योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय इकाईयों के कर्मचारियों की परिचालन दक्षता में वृद्धि करना है। लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि 2,252 (28 प्रतिशत) परिचालन वाहनों की कमी के बावजूद, सेन्ट्रल स्टोर के द्वारा ₹ 0.53 करोड़ मूल्य के 11 परिचालन वाहनों[19] (2009-10: 4, 2010-11: 1, 2011-12: 1, 2012-13: 3 और 2013-14: 2) को प्रतिधारित किया गया तथा क्षेत्रीय इकाईयों को जारी नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि कुछ वाहनों को विशेष कार्यों, आपातकाल, ब्रेकडाउन आदि की आवश्यकता के आधार पर महानिदेशक, पुलिस द्वारा प्रतिधारित करवाया गया। भारत सरकार के फरवरी 2010 के निर्देशों के सन्दर्भ में, जिसमें वाहनों को केवल पुलिस थानों, आउट पोस्टों और अन्य परिचालन क्षेत्रों मे लगाया जाना सुनिश्चित करना निर्दिष्ट है, स्थिति की समीक्षा की जानी चाहिये।

- ***वाहनों के आवंटन में विलम्ब***

योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये सत्ताईस वाहनों[20] को सेन्ट्रल स्टोर द्वारा 12 से 41 माह के विलम्ब से क्षेत्रीय इकाईयों को आवंटित किया गया। इससे दर्शित होता है कि वाहनों को क्रय करने से पूर्व उनके समय पर उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया गया।

---

[18] इन्डिगो: 29, एम्बेसडर: 04, स्विफ्ट डिजायर: 32 एवं मारूति एसएक्स 4: 01

[19] एल वी: 9 और एम/सी: 2

[20] 2009-10: 8 और 2010-11: 19

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि वास्तविक स्थिति ज्ञात करने के बाद ही वाहनों का आवंटन किया जाता है। कुछ प्रकरणों में, विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये, वाहनों का आवंटन रोक दिया गया था।

### *2.2.9 विधि विज्ञान प्रयोगशाला*

अपराधिक न्याय व्यवस्था के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य तैयार करने में सहायता प्रदान करने हेतु, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर एवं पाँच क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाऐं, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं जयपुर, स्थापित की गई थी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, विधि साक्ष्यों के विश्लेषण के जरिये जाँच में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती हैं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने भी समय-समय पर राज्य सरकारों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला को सुदृढ़ करने हेतु, रिक्त पदों पर प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करने के सुझाव दिए। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर एवं क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर के लेखों की जाँच में निम्न अनियमितताएँ पाई गई।

- ***नमूनों के विश्लेषण लम्बित रहना***

जन लेखा समिति ने वर्ष 2012-13 के 185वें प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 6 (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 2006-07 के अनुच्छेद 3.2.11) के द्वारा, बकाया अपराधिक मामलों के शीघ्र निस्तारण की सिफारिश की थी, लेकिन मामले अभी भी यथावत् लम्बित हैं। विभाग ने बताया (जून 2014) कि स्टाफ की कमी के कारण मामलों की जाँच संभव नहीं हो सकी, यद्यपि पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर के लेखों की जाँच में पाया गया कि 31 दिसम्बर 2013 को 12,907 मामले जांच के लिए लम्बित थे, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

| वर्ष | प्रारम्भिक शेष | वर्ष के दौरान प्राप्त मामले | कुल मामले | वर्ष के दौरान जाँच किए गए मामले | लम्बित मामले |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 10,765 | 23,675 | 34,440 | 22,670 | 11,770 |
| 2010 | 11,770 | 23,533 | 35,303 | 21,468 | 13,835 |
| 2011 | 13,835 | 24,229 | 38,064 | 23,010 | 15,054 |
| 2012 | 15,054 | 25,565 | 40,619 | 26,847 | 13,772 |
| 2013 | 13,772 | 25,991 | 39,763 | 26,856 | 12,907 |

स्त्रोत: राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर द्वारा उपलब्ध सूचनायें

गत दो वर्षों में प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षणों की संख्या लगभग समान रहने से दर्शित होता है कि अतिरिक्त परीक्षणों की जांच के लिये प्रयोगशालाओं की क्षमता स्थिर रही। विभिन्न प्रयोगशालाओं में लम्बित मामलों के लिए तकनीकी कर्मचारियों की कमी 37 से 53 प्रतिशत थी।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि रिक्त पदों को अनुबंध के आधार पर भरने के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2011 की अपेक्षा 2012 में उपलब्धियां अधिक थी, जो कि उपलब्ध कर्मचारियों द्वारा किए गये अतिरिक्त प्रयासों का परिणाम था।

- ***जीन सीक्वेंसर की खरीद में विलम्ब***

भारत सरकार ने डीऑक्सीराइबो न्युक्लिक एसिड प्रयोगशाला के मुख्य उपकरण 'जीन सिक्वेंसर' की खरीद के लिए राशि ₹ 1.25 करोड़ अनुमोदित की थी (सितम्बर 2006)। राज्य सरकार द्वारा मात्र ₹ 27.60 लाख जारी किए गये (अक्टूबर 2008)। इसके पश्चात भारत सरकार से योजना से हटाये गये कुछ मदों के एवज में उपकरण क्रय करने हेतु स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया (फरवरी 2010)। भारत सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एसटीसी), नई दिल्ली से उपकरण क्रय करने हेतु स्वीकृति एवं आदेश जारी किए (मार्च 2010)। एसटीसी ने ₹ 1.22 करोड़ लागत के इस उपकरण की आपूर्ति जनवरी 2011 में की। इस प्रकार क्रय आदेश जारी करने में चार वर्षो से अधिक का समय लगा तथा प्रयोगशाला में फरवरी 2011 से कार्य प्रारम्भ हुआ। राज्य स्तर पर यह देखा गया कि डीएनए प्रयोगशाला को संचालित करने हेतु (अक्टूबर 2006) में स्वीकृत नौ पदो[21] को (नवम्बर 2014) तक नहीं भरा गया था।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि निधियों को राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु चिन्हित नहीं किये जाने के कारण विलम्ब हुआ।

- ***विधि विज्ञान उपकरणों की मरम्मत/अनुरक्षण के अभाव में अनुपयोगिता***

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर के 2009-14 की अवधि के अभिलेखों की जाँच के दौरान देखा गया कि राशि ₹ 0.55 करोड़ के विभिन्न उपकरण, मरम्मत/अनुरक्षण के अभाव मे अनुपयोगी पड़े रहे। विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | उपकरण का नाम | कब से कार्यशील नहीं | उपकरण की लागत |
|---|---|---|---|
| 1 | हाई परफॉरमेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफ | अगस्त 2011 | 0.23 |
| 2 | फोरियर ट्रॉंसफार्म इन्फ्रा रेड स्पेक्ट्रोमीटर | दिसम्बर 2010 | 0.15 |
| 3 | हाई परफॉरमेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफ | मार्च 2012 | 0.17 |
| | **योग** | | **0.55** |

स्त्रोत: संयुक्त निदेशक, क्षेविविप्र जोधपुर द्वारा उपलब्ध सूचनायें।

[21] सहायक निदेशक: 1, वरिष्ठ विज्ञान अधिकारी: 2, वरिष्ठ विज्ञान सहायक: 2, प्रयोगशाला सहायक: 2 एवं प्रयोगशाला परिचारक: 2

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि उपकरणों की मरम्मत हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

### *2.2.10 बुनियादी ढांचे की उपलब्धता*

- ***आवासीय एवं गैर आवासीय भवन***

पुलिस स्टेशन, समाज में प्रशासन की विद्यमानता का प्रतीक हैं। पुलिस के लिए भवन सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। राज्य सरकार ने इस घटक को उच्च प्राथमिकता दी है। 'पुलिस बल का आधुनिकीकरण योजना' के दिशा-निर्देशों (नवम्बर 2010) के पैराग्राफ 7.7 (एफ) के अनुसार निर्माण से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए वित्तीय आवंटन, कुल आवंटन का 50 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए।

भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत, 2009-14 की अवधि के दौरान, सिविल कार्यों हेतु कार्यकारी एजेन्सियों (आरएसआरडीसीसी/पीडब्ल्यूडी) को ₹ 97.28 करोड़ जारी किए गये। राज्य सरकार ने भी आरएसआरडीसीसी को ₹ 13.94 करोड़ की निधियाँ उपलब्ध कराई। वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान आरएसआरडीसीसी (104 कार्य: ₹ 34.82 करोड़) तथा पीडब्ल्यूडी (438 कार्य: ₹ 84.53 करोड़) को आवंटित 542 कार्यों की स्थिति निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

| निर्माण एजेन्सी का नाम | आवंटित कार्यों की संख्या | स्वीकृत राशि | व्यय | विलम्ब की अवधि महीनों में (31 मार्च 2014 को) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **(अ) आरएसआरडीसीसी** | | | | |
| पूर्ण एवं सुपुर्द कार्य | 45 | 10.89 | 10.08 | 2 से 12 |
| पूर्ण किन्तु सुपुर्द नहीं किये गए कार्य | 19 | 3.56 | 3.23 | 2 से 15 |
| अधूरे रहे कार्य | 2 | 1.10 | 0.89 | 8 से 35 |
| प्रारम्भ नहीं किये गये कार्य | 38 | 19.27 | 0.04 | 12 से 60 |
| **योग** | **104** | **34.82** | **14.24** | |
| **(ब) पीडब्ल्यूडी** | | | | |
| पूर्ण एवं सुपुर्द कार्य | 205 | 30.55 | 27.50 | 2 से 12 |
| पूर्ण किन्तु सुपुर्द नही किये गए कार्य | 23 | 4.54 | 4.66 | 36 से 60 |
| अधूरे रहे कार्य | 13 | 2.22 | 1.43 | 24 से 60 |
| प्रारम्भ नहीं किये गये कार्य | 197 | 47.22 | 1.93 | 12 से 60 |
| **योग** | **438** | **84.53** | **35.52** | |
| **महायोग** | **542** | **119.35** | **49.76** | |

स्त्रोत: आरएसआरडीसीसी लिमिटेड द्वारा उपलब्ध सूचनायें

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 42 कार्यों (आरएसआरडीसीसी: 19 एवं पीडब्ल्यूडी: 23) के ₹ 7.89 करोड़ की लागत से पूर्ण होने के 2 से 60 माह पश्चात् भी सुपुर्दगी नहीं ली गई (मार्च 2014)। इसके अलावा, 15 कार्यों (आरएसआरडीसीसी: 2 एवं पीडब्ल्यूडी: 13), जिन पर ₹ 2.32 करोड़ का व्यय किया गया, अपूर्ण रहे तथा 235 कार्यों (आरएसआरडीसीसी: 38 एवं पीडब्ल्यूडी:197), जिनकी अनुमानित लागत ₹ 66.49 करोड़ थी, नक्शों को अन्तिम रूप देने, स्थल के चयन में देरी आदि कारणों से प्रारम्भ नहीं किये गये, यद्यपि इन पर ₹ 1.97 करोड़ का व्यय पहले ही किया जा चुका था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवम्बर 2014) कि 19 कार्यों को पूर्ण कर, सुपुर्दगी दे दी गई है तथा 235 कार्यों में से 21 कार्य, अब प्रारम्भ कर दिये गये हैं, हालांकि कार्यवार विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

### *स्टॉफ क्वार्टर्स की कमी*

राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए शत्-प्रतिशत आवासों का प्रावधान करवाने हेतु सिफारिश की गई थी (मार्च 2000)। यह देखा गया कि 31 मार्च 2014 को कार्यरत 81,804 कर्मियों के लिए केवल 25,649 स्टॉफ क्वार्टर (31 प्रतिशत) ही उपलब्ध थे।

नौ पुलिस जिलों की नमूना जाँच में पाया गया कि 12,096 कार्यरत कर्मियों हेतु केवल 2,707 क्वार्टर्स (22 प्रतिशत) उपलब्ध थे। मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 9,389 (78 प्रतिशत) क्वार्टर्स की कमी का विवरण निम्न तालिका मे दर्शाया गया है:

| क्र.सं. | पुलिस अधीक्षक कार्यालय का नाम | कार्यरत कर्मियों की संख्या | | | उपलब्ध क्वार्टर्स की संख्या | | | क्वार्टर्स की कमी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | उ.अ.* | नि.अ.* | योग | उ.अ.* | नि.अ.* | योग | उ.अ.* | नि.अ.* | योग |
| 1 | टोंक | 121 | 1,307 | 1,428 | 32 | 421 | 453 | 89 | 886 | 975 |
| 2 | करौली | 106 | 1,127 | 1,233 | 34 | 69 | 103 | 72 | 1,058 | 1,130 |
| 3 | चूरू | 82 | 1,219 | 1,301 | 34 | 355 | 389 | 48 | 864 | 912 |
| 4 | जयपुर (पश्चिम) | 134 | 713 | 847 | 27 | 102 | 129 | 107 | 611 | 718 |
| 5 | झुंझुंनू | 117 | 988 | 1,105 | 22 | 357 | 379 | 95 | 631 | 726 |
| 6 | जोधपुर (पश्चिम) | 223 | 2,038 | 2,261 | 0 | 0 | 0 | 223 | 2,038 | 2,261 |
| 7 | जोधपुर (ग्रामीण) | 78 | 1,009 | 1,087 | 49 | 373 | 422 | 29 | 636 | 665 |
| 8 | झालावाड़ | 96 | 1,243 | 1,339 | 64 | 389 | 453 | 32 | 854 | 886 |
| 9 | चित्तौड़गढ़ | 143 | 1,352 | 1,495 | 48 | 331 | 379 | 95 | 1,021 | 1,116 |
| | **योग** | **1,100** | **10,996** | **12,096** | **310** | **2,397** | **2,707** | **790** | **8,599** | **9,389** |

*उ.अ.: उच्च अधीनस्थ, * नि.अ.: निम्न अधीनस्थ

पैंतीस पुलिस स्टेशनों की नमूना जाँच में कर्मचारियों के आवासों की स्थिति, उनके कर्तव्य स्थल से दूर पायी गयी जिसका विवरण निम्न तालिका मे दर्शाया गया है:

| क्र.सं. | पुलिस अधीक्षक कार्यालय का नाम | चयनित पुलिस स्टेशन | पुलिस स्टेशन से दूर रह रहे पुलिस कर्मियों की संख्या | पुलिस स्टेशन से दूरी | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 से 1 कि.मी. | 1 से 3 कि. मी. | 3 से 5 कि.मी. | 5 से 10 कि.मी. |
| 1 | टोंक | 4 | 69 | 44 | 25 | 0 | 0 |
| 2 | करौली | 4 | 67 | 55 | 12 | 0 | 0 |
| 3 | चूरू | 4 | 86 | 73 | 13 | 0 | 0 |
| 4 | जयपुर (पश्चिम) | 3 | 134 | 4 | 0 | 38 | 92 |
| 5 | झुंझुंनू | 4 | 93 | 87 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | जोधपुर (पश्चिम) | 2 | 51 | 16 | 0 | 0 | 35 |
| 7 | जोधपुर (ग्रामीण) | 4 | 59 | 34 | 25 | 0 | 0 |
| 8 | झालावाड़ | 5 | 66 | 48 | 0 | 0 | 18 |
| 9 | चित्तौड़गढ़ | 5 | 103 | 84 | 19 | 0 | 0 |
| | **योग** | **35** | **728** | **445** | **100** | **38** | **145** |

स्टॉफ क्वार्टर की कमी के कारण पुलिस कर्मियों को उनके कार्य स्थल से दूर रहना पड़ता है, जो आपातकालीन स्थितियों में उनकी परिचालन क्षमता पर प्रभाव डाल सकता है।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि पुलिस कर्मियों को शत-प्रतिशत आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 'ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डवलपमेंट' को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

### *2.2.11 अनुश्रवण*

भारत सरकार के पत्र दिनांक 25 अप्रेल 2001 एवं योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वार्षिक कार्यान्वयन योजना को तैयार करने, उनके क्रियान्वन एवं कार्यक्रमों के अनुश्रवण हेतु, राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति (एसएलईसी) द्वारा प्रत्येक महीने में एक बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए। लेखा परीक्षा मे देखा गया कि 2009-14 की अवधि के दौरान एसएलईसी द्वारा निर्धारित 60 बैठकों के समक्ष केवल 10 बैठकें ही आयोजित की गई। परिणामस्वरूप वाहनों, शस्त्रों, अपूर्ण भवनों/क्वाटरों के निर्माण आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि पुलिस आधुनिकीकरण योजना की प्रगति पर राज्य सरकार और विभाग द्वारा समय-समय पर अनुश्रवण किया जा रहा है। प्रत्युत्तर सहमति योग्य नहीं है, क्योंकि एसएलईसी की बैठकों के अभाव में अनुश्रवण को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

### 2.2.12 प्रभाव आंकलन

#### 2.2.12.1 अपराध के मामलों में वृद्धि

राज्य अपराध शाखा को राज्य मे अपराधों का पता लगाने एवं रोकथाम का दायित्व सौंपा गया है। इस दायित्व के कार्यभाग के रूप में अपराध शाखा सभी महत्वपूर्ण जाँच कार्यो पर निगरानी रखता है। लेखा परीक्षा मे अपराध मामलों की स्थिति की समीक्षा की गई एवं अपराध की बढ़ती प्रवृति एवं जाँच की धीमी गति पाई गई, जिसे निम्न प्रकार दर्शाया गया है।

**राज्य में 2009 एवं 2013 की अवधि के दौरान अपराध मामलों में वृद्धि**

| क्र.सं. | अपराध का प्रकार | वर्ष 2009 के दौरान दर्ज मामलो की संख्या (जनवरी से दिसम्बर) | वर्ष 2013 के दौरान दर्ज मामलों की संख्या (जनवरी से दिसम्बर) | अपराधों मे वृद्धि का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | डकैती | 53 | 59 | 11 |
| 2 | लूट | 886 | 1,065 | 20 |
| 3 | धोखा | 5,294 | 5,783 | 9 |
| 4 | चोरी | 22,144 | 28,928 | 31 |
| 5 | अपहरण | 2,870 | 4,986 | 74 |
| 6 | दुर्व्यवहार | 2,485 | 4,829 | 94 |

स्त्रोत: महानिदेशक पुलिस द्वारा उपलब्ध सूचनाऐं

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 2009 एवं 2013 की अवधि के दौरान डकैती, लूट, धोखाधड़ी, चोरी, अपहरण एवं दुर्व्यवहार के मामलों में 9 से 94 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि 2009-14 की अवधि के दौरान 'पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना कोष' से पुलिस बल का आधुनिकीकरण, आंतरिक सुरक्षा की आकस्मिक चुनौतियों की प्रभावी जाँच एवं उन्हे सुसज्जित करने में, ₹ 165.18 करोड़ का व्यय किया गया, फिर भी अपराध के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2014) कि मुख्य वृद्धि दुर्व्यवहार के मामलों में हुई है, यद्यपि झूठे मामलों में भी वृद्धि हुई जिसकी वजह से अन्य मामलों में विलम्ब हुआ।

#### 2.2.12.2 प्रतिक्रिया समय

कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए, पुलिस के अपराध स्थल तक पहुँचने हेतु अधिकतम प्रतिक्रिया समय निर्धारित किया जाना आवश्यक है। महानिदेशक, पुलिस (मुख्यालय), राजस्थान, जयपुर द्वारा ग्रामीण और शहरी पुलिस दलों के लिए अपराध स्थल पर पहुँचने हेतु अलग-अलग प्रतिक्रिया समय तय किया गया। (नवम्बर 2007 एवं जुलाई 2010)। ग्रामीण पुलिस के लिए जांच अधिकारी को तैयारी के लिए

15 मिनट तथा घटना स्थल तक पहुँचने के लिए 5 मिनट प्रति किलोमीटर की अनुमति दी गई। बड़े शहरों (शहरी क्षेत्रों), जहाँ पुलिस मोबाइल वैन पुलिस नियन्त्रण कक्ष से जुड़े होते हैं, जांच अधिकारी को तुरन्त अपराध स्थल तक पहुँचना आवश्यक है। तीन मिनट प्रति किलोमीटर का समय अनुमत किया गया है। तैयारी के लिए समय अुनमत नहीं किया गया है। गम्भीर प्रकृति के अपराधों, यथा डकैती, हत्या, बलात्कार, आतंकवाद, गम्भीर सड़क दुर्घटनाओं आदि के मामलों में पुलिस को तुरन्त अपराध स्थल पर पहुँचना चाहिए। पुलिस स्टेशनों को अपराध पंजिका में प्रतिक्रिया समय दर्ज करना भी आवश्यक है।

चयनित नौ जिलों में पैंतीस पुलिस स्टेशनों के दो महीने (दिसम्बर 2009 एवं दिसम्बर 2013) की अवधि के अभिलेखों (1,000 मामलों) की नमूना जाँच में निम्नानुसार देखा गया:

| क्र. सं. | जिला का नाम | चयनित पुलिस स्टेशनों की संख्या | दिसम्बर 2009 एवं दिसम्बर 2013 में दर्ज मामलों की कुल संख्या | मामले जहाँ प्रतिक्रिया समय मानदण्डानुसार था | मामले जहाँ प्रतिक्रिया समय मानदण्ड के अनुसार नहीं था। | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 12 घंटे के अन्दर | 12 से 48 घंटे | 48 से 120 घंटे | 120 से 412 घंटे | प्रतिक्रिया समय दर्ज नहीं किया गया |
| 1 | टोंक | 4 | 111 | 11 | 29 | 25 | 3 | 2 | 41 |
| 2 | करौली | 4 | 98 | – | 10 | 16 | 18 | 6 | 48 |
| 3 | चूरू | 4 | 160 | – | 2 | – | – | – | 158 |
| 4 | जयपुर पश्चिम | 3 | 174 | 26 | 27 | – | – | – | 121 |
| 5 | झुंझुनू | 4 | 142 | – | – | – | – | – | 142 |
| 6 | जोधपुर पश्चिम | 2 | 77 | – | – | – | – | – | 77 |
| 7 | जोधपुर ग्रामीण | 4 | 61 | – | 9 | 3 | 3 | – | 46 |
| 8 | झालावाड़ | 5 | 86 | 5 | 4 | – | – | – | 77 |
| 9 | चितौड़गढ | 5 | 91 | 2 | 31 | 43 | 4 | 6 | 5 |
| | **योग** | **35** | **1000** | **44** | **112** | **87** | **28** | **14** | **715** |

स्त्रोत: पुलिस स्टेशनों द्वारा उपलब्ध सूचनाएं

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि केवल 4 प्रतिशत मामलों में ही पुलिस सही समय पर अपराध स्थल पर पहुँची। यह भी देखा गया कि 715 मामलों (72 प्रतिशत) में थाना प्रभारी (एसएचओ) द्वारा अपराध पंजिका में आवश्यक सूचनायें दर्ज नहीं की जिससे प्रतिक्रिया समय की गणना नहीं की जा सकी। यह अपराध पंजिका के संधारण, पंजीयन एवं प्रतिक्रिया समय के दर्ज करने की कमी को दर्शाता है। यह भी दर्शित होता है कि अधिकांश मामलों में निर्देशों की पालना नहीं किये जाने से जाँच प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2014) कि निर्धारित समय में अपराध स्थल पर पहुँचने हेतु जिलों को निर्देश जारी कर दिए गये हैं।

### *2.2.12.3 योजना का मूल्यांकन*

यद्यपि यह योजना गत 14 वर्षों से संचालन में है, राज्य सरकार द्वारा किसी भी स्तर पर इसका मूल्यांकन नहीं कराया गया। 'ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डवलपमेंट' द्वारा 'अर्नेस्ट एण्ड यंग प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव' के माध्यम से 2000-10 की अवधि के लिए 8 राज्यों एवं 2 केन्द्र शासित प्रदेशों[22] में प्रभाव आंकलन (जनवरी से मार्च 2010) कराया गया था। इसके निष्कर्षों के अनुसार सीमावर्ती राज्यों, राजस्थान एवं गुजरात, जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, में निम्नलिखित कमियों को पूरा किया जाना था।

- भवनों का समय पर पूरा करने एवं उन्नयन/अनुरक्षण की आवश्यकता थी;
- सभी हथियार 'पुलिस बल आधुनिकीकरण' के माध्यम से प्राप्त किया जाना आवश्यक था, हथियारों की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी एवं वितरण समय पर नहीं किया गया था;
- कुछ और बसों एवं ट्रकों की आवश्यकता थी;
- उपकरणों की मात्रा एवं गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता थी;
- वायरलेस के अलावा भी अन्य संचार उपकरणों की अधिक सख्या में आवश्यकता थी।

इन निष्कर्षों से मोटे तौर पर, लेखा परीक्षा द्वारा पूर्वगामी अनुच्छेदों में निकाले निष्कर्षों की पुष्टि होती है।

राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2014) कि वस्तुओं का क्रय उपलब्ध बजट के आधार पर किया गया है तथा उपकरणों की गुणवत्ता निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुनिश्चित की गई है।

### *2.2.13 निष्कर्ष एवं सिफारिशें*

पुलिस बल के आधुनिकीकरण की गति धीमी रही। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दीर्घकालिक सामरिक योजना तैयार नहीं की गई।

---

[22] आन्ध्रप्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, जम्मू एण्ड कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़ एवं दमन एण्ड दीव।

***दीर्घकालिक सामरिक योजना की तैयारी को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि राजस्थान की एक लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है तथा इसके लिए पुलिस बल को हर समय तैयार रहना आवश्यक है।***

आधुनिक हथियारों की निरन्तर कमी थी। फिर भी बड़ी मात्रा में हथियार केन्द्रीय भण्डार में पड़े हुए थे जिससे क्षेत्रीय स्तर पर पुलिस बल का कार्य प्रभावित हो रहा था। बुनियादी उपकरण (जैसे हैलमेट, लाठी, शील्ड, बॉडी प्रोटेक्टर) आदि की अधिक कमी थी जो कि पुलिस बल को आन्दोलनों, धरनों, रैलियों आदि में अपने क्षेत्र कर्तव्यों के लिए न्यूनतम बचाव प्रदान करते हैं। वाहनों की कमी पुलिस बल की गतिशीलता बाधित कर रही थी जिससे जाँच प्रक्रिया एवं प्रतिक्रिया समय पर विपरीत प्रभाव पड़ा। वाहनों की कमी का मुख्य कारण, वाहनों का क्रय नकारा वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु करना था।

***राज्य सरकार द्वारा योजना की आवश्यकतानुसार आधुनिक हथियारों की खरीद एवं क्षेत्रीय इकाइयों के लिए उनका उचित वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों को क्षेत्र कर्तव्यों हेतु पर्याप्त बुनियादी उपकरण प्रदान किये जाने की सुनिश्चितता भी की जानी चाहिए।***

विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा, पर्याप्त मानव शक्ति की योजना बनाये बिना, मँहगे उपकरण क्रय किये गये जिससे नमूनों के विश्लेषण एवं जाँच प्रक्रिया के परिणामों में देरी हुई।

***राज्य सरकार द्वारा प्रयोगशालाओं की दक्षता में सुधार हेतु समयबद्ध तरीके से रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए।***

विभाग में स्टॉफ क्वाटर्स की कमी थी जिसके कारण पुलिस कर्मियों को उनके कार्य स्थल से दूर निवास करना पड़ा और इसलिए आपातकालीन स्थितियों के लिये वे आसानी से उपलब्ध नहीं थे जो कि उनके कर्तव्य निर्वहन के लिए अनुकूल नहीं था। आवासीय भवनों से सम्बन्धित कार्य या तो अधूरे पड़े थे या प्रारम्भ ही नहीं किये गये थे।

***राज्य सरकार को, समयबद्ध तरीके से स्टाफ क्वार्टर्स का पर्याप्त संख्या में निर्माण करने के लिए, अतिरिक्त आवासीय सुविधाओं की स्वीकृति हेतु, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के साथ वार्ता कर, इस कमी को दूर करने के प्रयास करने चाहिये।***

राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति की बैठकों की कम संख्या के कारण वाहनों, हथियारों, भवनों/क्वाटर्स का निर्माण आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया।

***योजना के क्रियान्वयन एवं उचित अनुश्रवण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति की अध्यक्षता कार्यकारी प्रधान, जो योजना के क्रियान्वन हेतु सीधे तौर पर उत्तरदायी हो, को करनी चाहिए।***

# जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

## 2.3 पेयजल की गुणवत्ता

### कार्यकारी सारांश

पेयजल के लिए राजस्थान, मूल रूप से भूजल पर निर्भर है। राज्य के बड़े भू-भाग में, जल में रासायनिक संदूषक, जैसे फ्लोराइड, नाईट्रेट एवं लवण इत्यादि हैं, जो इसे पीने के लिये असुरक्षित बना देते है। भू-जल जलाशयों के तेजी से क्षीण होने से रासायनिक मापदण्डों पर जल की गुणवत्ता में कमी आ रही है। राजस्थान की अधिकांश बस्तियाँ पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त है। पेयजल की निरंतर मांग और आपूर्ति में संतुलन व गुणवत्ता उन्नयन हेतु, राजस्थान सरकार ने जल संसाधन आयोजना के लिये, 'राज्य जल नीति (एसडब्ल्यूपी) 2010' अपनायी है। यद्यपि 2003 में भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय बसावट सर्वेक्षण' नाम से एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण करवाया था किंतु राज्य सरकार ने निवासियों हेतु जल गुणवत्ता उन्नयन संबंधी कोई राज्य विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं करवाया।

फ्लोराइड, राजस्थान के सभी जिलों में व्याप्त है तथा 21 जिलों में यह स्वास्थ्य के लिए गम्भीर खतरा बन गया है। जल को फ्लोराइडमुक्त करने हेतु, राज्य सरकार ने वर्ष 2005 में, तीन चरणों में पूर्ण होने वाला 'राजस्थान एकीकृत फ्लोरोसिस शमन कार्यक्रम' (आरआईएफएमपी), प्रारम्भ किया। यद्यपि, आरआईएफएमपी के चरण-I के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये, जबकि सरकार द्वारा चरण -II के परिणामों को भी संकलित नहीं किया गया। चरण II/III के अधीन फ्लोराइड निवारण इकाइयों के परिचालन/संधारण एवं अनुश्रवण नहीं करने के प्रकरण लेखा परीक्षा के ध्यान में आये। परीक्षण परिणामों से प्रकट हुआ कि कार्यक्रम के चरण- I और II पूर्ण होने के पश्चात् भी फ्लोराइड की समस्या यथावत थी।

अन्य संदूषकों की समस्या के समाधान हेतु विभाग द्वारा, रिवर्स आस्मोसिस (आरओ) की एक परियोजना देरी से वर्ष 2012-13 में शुरू की गयी। आरओ संयत्रों की स्थापना हेतु चार जिलों में एक पायलट परियोजना, प्रारम्भ की गयी। तत्पश्चात्, 1,000 आरओ संयत्रों की स्थापना का कार्यक्रम 12 जिलों में शुरू किया गया। इन आरओ संयत्रों के उपयुक्त क्रियान्वयन एवं उनके निष्पादन का अनुश्रवण न करने के मामले ज्ञात हुये।

पेयजल जलाशयों की समुचित सफाई नहीं कराई गयी। ब्लीचिंग पाउडर क्रय करने हेतु आपूर्ति आदेश जारी करने से पूर्व, क्लोरीन की आवश्यकता का आंकलन नहीं किया

गया। अपेक्षित मानक परीक्षण, उपयुक्त सेम्पलिंग तथा भण्डार में उपलब्ध ब्लीचिंग पाउडर के आवधिक परीक्षण नहीं किये गये थे।

पेयजल के नमूनों की जांच हेतु स्थापित प्रयोगशालाओं में पर्याप्त अवसंरचना/परीक्षण सुविधाऐं और योग्य कर्मचारी नहीं थे। 237 ब्लाकों में से मात्र 69 ब्लाकों में ही ब्लाक स्तर पर प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई थी। फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके) के साथ जल नमूनों के परीक्षण के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये। चल प्रयोगशाला का प्रदर्शन भी उपयुक्त नहीं था।

### *प्रस्तावना*

पेयजल या पीने योग्य जल, वह जल है जो मानव द्वारा उपयोग के लिए सुरक्षित हो। पेयजल, रोगजनक तथा रासायनिक संघटनों से मुक्त, स्वाद में रुचिकर और घरेलू प्रयोजनों में उपयोगी होना चाहिए। जल की गुणवत्ता इसके रासायनिक, भौतिक व जैविक गुणों पर निर्भर करती है तथा यह पेयजल की गुणवत्ता मापने के लिये बनाये मानकों के द्वारा निर्धारित की जाती है। अत्यधिक रासायनिक संदूषक, भारी धातुओं के जमाव के माध्यम से, चिरकालिक स्वास्थ्य जोखिमों का कारण होते हैं, जबकि भौतिक संदूषक पेयजल के स्वरूप और स्वाद को प्रभावित करते हैं। पेयजल में जीवाणु संदूषक, जठरान्त्र रोगों के मुख्य कारण होते हैं जो कि शिशु मृत्युदर व अतिसार जन्य मृत्यु का प्रमुख कारण होते हैं। आम तौर पर किसी भी स्त्रोत से लिये गये जल (सतही या भूजल) को उपभोग के लिए वितरित करने से पूर्व शुद्ध किया जाना चाहिए।

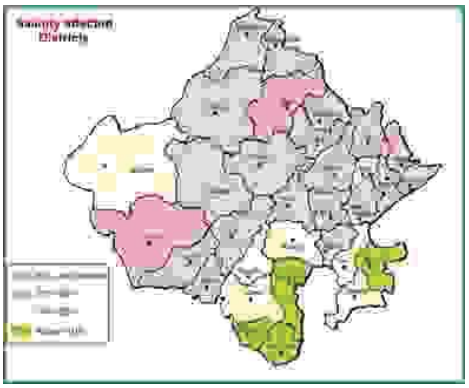
राजस्थान, पेयजल के लिए मूल रूप से भूजल पर निर्भर है। राज्य के बड़े भू-भाग में, जल में रासायनिक संदूषक जैसे फ्लोराइड, नाईट्रेट एवं लवण इत्यादि विद्यमान हैं, जिसके कारण यह पीने के लिये असुरक्षित है। कृषि, उद्योग तथा घरेलू इस्तेमाल की वजह से भूजल जलाशयों के तेजी से रिक्त होने से, रासायनिक मापदण्डों पर जल की गुणवत्ता में कमी हो रही है। राजस्थान की अधिकांश बस्तियाँ पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त है और इसलिए, जल प्रदाय योजनाओं में पेयजल को रासायनिक व जैविक संदूषकों से सुरक्षित करने के लिए जल की गुणवत्ता का सतत् अनुश्रवण आवश्यक है।

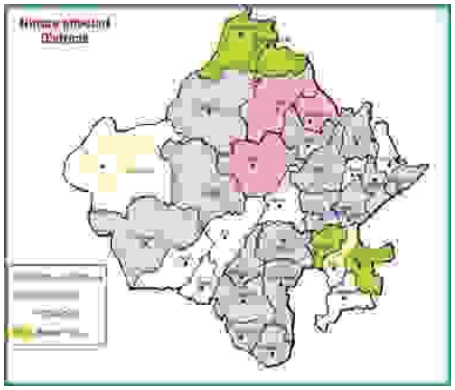
### *राजस्थान में जल गुणवत्ता की स्थिति*

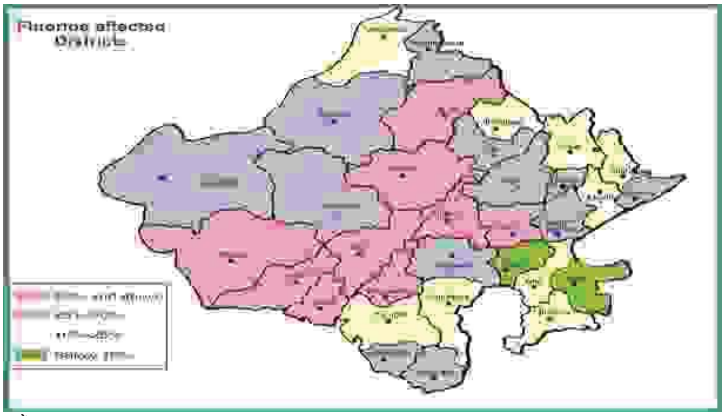
भूजल व सतही जल की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान, जल की कमी वाला राज्य है। यह अधिकतर भूजल पर निर्भर है जिसकी गुणवत्ता सामान्यतः पेयजल के निर्धारित मानकों से पुष्ट नहीं होती है। मांग व आपूर्ति के बढ़ते असंतुलन, भूजल जलाशयों में जल स्तर की गिरावट, गुणवत्ता ह्रास आदि जैसे समीचीन प्रकरणों का समाधान करने हेतु, सतत् रूप से जल संसाधनों के नियोजन, विकास व प्रबन्धन हेतु बहु

आयामी दृष्टिकोण के संयोजन के उद्देश्य के साथ, राज्य सरकार ने दिनांक 17 फरवरी 2010 को 'राज्य जल नीति' अपनाई। जल की न्यूनता और भू-जल स्तर में गिरावट के कारण, भू-जल की गुणवत्ता सामान्यत: खराब है। राज्य सरकार ने लवणीयता, नाईट्रेट व फ्लोराइड मानकों के आधार पर विभिन्न जिलों में उपलब्ध भूजल की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया (2000-2002)।

विभिन्न जिलों की बस्तियों में संदूषकों की स्थिति निम्न मानचित्रों में प्रदर्शित की गयी है:








स्त्रोंत: https://communities.acs.org/docs/DOC-4537

ऊपर प्रदर्शित मानचित्रों में यह देखा जा सकता है कि अधिकांश बस्तियों में बड़ी मात्रा में लवणीयता, नाईट्रेट व फ्लोराईड सान्द्रता है। जल की गुणवत्ता की जांच हेतु, राज्य सरकार ने प्रयोगशालाओं का जाल स्थापित किया है। राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों ही, राज्य में जल गुणवत्ता उन्नयन हेतु कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहे हैं।

### *2.3.1 संगठनात्मक स्वरूप*

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) राज्य में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति हेतु उत्तरदायी है। प्रमुख शासन सचिव, पीएचईडी, विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं जिनको

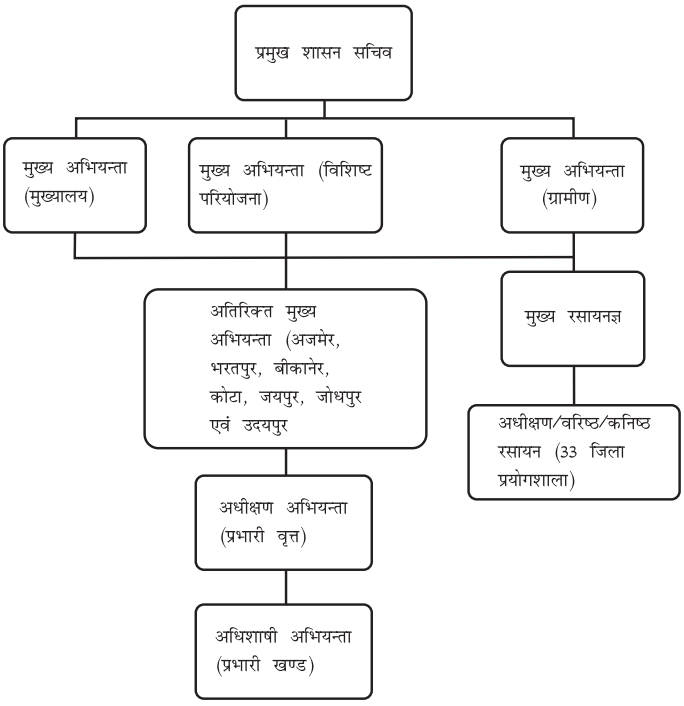
मुख्य अभियंता (मुख्यालय), मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) तथा मुख्य अभियन्ता (विशिष्ट परियोजना) सहायता करते हैं।

मुख्य अभियंता (मुख्यालय) मुख्य रूप से 'नगरीय जल प्रदाय व मल प्रवाह योजनाओं' के लिए तथा केन्द्रीयकृत प्राप्ति तथा अन्य प्रकरणों के पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। मुख्य अभियंता (ग्रामीण) 'ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं' और कुओं की खुदाई के लिए उत्तरदायी है। मुख्य अभियंता (विशिष्ट परियोजना), उन सभी मुख्य शहरी व ग्रामीण परियोजनाओं के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं जो ₹ 25 करोड़ से अधिक की हों।

राजस्थान को सात क्षेत्रों[23] में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक क्षेत्र अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं के अधीन है। क्षेत्रों को आगे वृत्तों में विभाजित किया गया है जिनके प्रमुख, अधीक्षण अभियन्ता (एसई) होते है एवं खण्ड स्तर पर अभिशाषी अभियन्ता (ईई) उनके अधीन हैं।

राज्य स्तर पर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी प्रयोगशाला का मुखिया, मुख्य रसायनज्ञ है जो कि आम जनता को आपूर्तित जल की रासायनिक व जीवाणुविक जांच तथा इसके गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु जिम्मेदार है। सभी 33 जिलों की जिला प्रयोगशालायें हैं जिनके प्रमुख, अधीक्षण रसायनज्ञ/वरिष्ठ रसायनज्ञ/कनिष्ठ रसायनज्ञ हैं।

विभाग की संगठनात्मक व्यवस्था निम्न रेखाचित्र में प्रदर्शित है:




[23] अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर।

### *2.3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य*

राजस्थान सरकार ने जनसंख्या वृद्धि के साथ मांग व आपूर्ति के मध्य बढते असंतुलन, भूजल संसाधनों की क्षीणता, जल गुणवत्ता में गिरावट तथा जल उपलब्धता की अनिश्चितता के महत्वपूर्ण प्रकरणों के समाधान हेतु राज्य जल नीति को अपनाया। राज्य जल नीति की पृष्ठभूमि में, पेयजल की गुणवत्ता पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, यह सुनिश्चित करने हेतु की गई कि:

- गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बनाई गई आयोजना उपयुक्त थी;
- पेयजल, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा जारी 'पेयजल की मानक विनिर्दिष्टाऐं' और केन्द्रीय जन स्वास्थ्य व पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन द्वारा जारी 'जल प्रदाय व उपचार नियमावली' में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप प्रदान किया जा रहा था;
- पेयजल की गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशाला सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराई गई थीं और
- उपभोक्ता शिकायत/परिवेदना निवारण तंत्र प्रभावी था।

### *2.3.3 लेखापरीक्षा मापदण्ड*

लेखापरीक्षा मापदण्डों के स्त्रोत निम्न में से व्युत्पन्न किये गये थे:-

- राज्य जल नीति 2010;
- भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी पेयजल की भारतीय मानक विनिर्दिष्टताएं, जल के सूक्ष्म जीवाणुविक परीक्षण एवं उसके नमूने लेने तथा जल के (भौतिक व रासायनिक) परीक्षण एवं नमूने लेने की विधियाँ;
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण तथा निगरानी कार्यक्रम की क्रियान्वयन नियमावली;
- केन्द्रीय जन स्वास्थ्य व पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन द्वारा जारी 'जल आपूर्ति व उपचार' नियमावली और
- जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेश, परिपत्र व अधिसूचनाएं।

### 2.3.4 लेखापरीक्षा व्याप्ति, नमूना चयन और कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा में पीएचईडी द्वारा 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान पेयजल गुणवत्ता में सुधार हेतु संचालित किये गये कार्यक्रमों और गतिविधियों को शामिल किया गया। सभी 33 जिलों में अधिकतम संदूषित बस्तियों (फ्लोराइड, लवणीयता, नाइट्रेट, लौह, आर्सेनिक आदि के अनुसार) को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर यादृच्छिक रूप से 10 जिले चयनित किये गये। आगे, 23 ब्लाकों[24] (चयनित जिलों के सभी ब्लॉकों का 25 प्रतिशत) में अधिकतम संदूषित बस्तियों को, संदूषण के क्रम में व्यवस्थित करते हुए चयन किया गया। इसके अतिरिक्त, मुख्य रसायनज्ञ और मुख्य अभियन्ता कार्यालयों के सूचना संग्रहण व अभिलेखों की संवीक्षा के साथ, चयनित जिलों के सभी अधीक्षण रसायनज्ञों/वरिष्ठ रसायनज्ञों/कनिष्ठ रसायनज्ञों और खण्डों/उपखण्डों के कार्यालयों को, निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु शामिल किया गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली पर दिनांक 6 जून 2014 को जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के अधिकारियों समेत प्रमुख शासन सचिव से प्रविष्टि बैठक कर विचार-विमर्श किया गया। दिनांक 20 नवम्बर 2014 को सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ निर्गम वार्ता भी आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विस्तृत रूप में विचार-विमर्श किया गया।

### 2.3.5 अभिस्वीकृति

निष्पादन लेखापरीक्षा क्रियान्वयन के दौरान, राजस्थान सरकार, मुख्य अभियन्ताओं, मुख्य रसायनज्ञ तथा पीएचईडी के अन्य सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा दिये गये सहयोग के लिए, लेखापरीक्षा अभिस्वीकृति करती है।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने, निष्पादन लेखापरीक्षा में पीएचईडी द्वारा पेयजल गुणवत्ता उन्नयन हेतु की गई गतिविधियों और कार्यक्रमों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित अनुभागों में व्यवस्थित किया गया है:

- गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आयोजना की पर्याप्तता;
- पेयजल गुणवत्ता उन्नयन हेतु उठाये गये कदम;

[24] बाड़मेर (बाड़मेर और सिणधरी); भरतपुर (सेवर और नगर); भीलवाड़ा (आसीन्द, भीलवाड़ा और शाहपुरा); डूंगरपुर (आसपुर और सागवाड़ा); जयपुर (आमेर, बस्सी, चाकसू और सांगानेर); जालौर (भीनमाल और रानीवाड़ा); जोधपुर (बालेसर और ओसियां; नागौर (नागौर और रियां); श्रीगंगानगर (अनूपगढ़ और सूरतगढ़) और टोंक (निवाई और उनियारा)।

- पेयजल गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशाला सुविधाऐं और
- उपभोक्ताओं की परिवेदना निवारण और सूचना, शिक्षा और संचार अभियान।

### *2.3.6 गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आयोजना की पर्याप्तता*

राज्य जल नीति, में परिकल्पित किया गया कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र, दोनों में, सभी नागरिकों को पर्याप्त पीने योग्य जल के प्रावधान की सुनिश्चिता के साथ, लवणीय जल के अलवणीकरण हेतु लागत प्रभावी तकनीकों के अन्वेषण, विशोधन, क्लोरिनीकरण और फ्लोराइड निवारण द्वारा घरेलू जल की गुणवत्ता में उन्नयन किया जावे। यह जल गुणवत्ता उन्नयन की आयोजना हेतु बस्तीवार आंकड़ों की समीक्षा को भी परिकल्पित करती है।

पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के आधार को सुविधाजनक बनाने हेतु, भविष्य की रणनीति विकसित करने के लिए, देशव्यापी 'राष्ट्रीय बसावट सर्वेक्षण 2003 (एनएचएस 2003)' संचालित किया। तत्पश्चात्, प्रत्येक पांच वर्षो के अन्तराल पर सर्वेक्षण आयोजन व बस्तियों के क्षेत्रवार आंकड़ों को ऑनलाईन अपलोड करना राज्यों के लिए अनिवार्य किया गया। फरवरी 2012 में इस के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अनुदेश जारी किये गये।

पीएचईडी के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि जल गुणवत्ता उन्नयन हेतु आयोजना के लिए बस्तीवार आंकड़ों की समीक्षा नहीं की गई थी। एनएचएस 2003 के पश्चात बस्तियों का राज्य विशिष्ट सर्वेक्षण भी नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि भारत सरकार के चाहे अनुसार, जल की गुणवत्ता सहित आंकड़ों को क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा वार्षिक अद्यतन किया जाकर, भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया गया था। तथापि, प्रत्युत्तर में प्रत्येक पांच वर्षो के अन्तराल पर सर्वेक्षण आयोजित करने के भारत सरकार के दिशा-निर्देशों व फरवरी 2012 में जारी अनुदेशों की अनुवर्तन कार्यवाही के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया।

राज्य जल नीति ने विभिन्न जल मानकों के विश्लेषण, अनुश्रवण व मिलान हेतु विभागीय क्षमता के निर्धारण को भी परिकल्पित किया। जिला स्तर पर जल विश्लेषण क्षमता में सुधार के लिए एक सतत् कार्यक्रम भी प्रारम्भ करना था। पीएचईडी के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि ना तो विभिन्न जल मानकों के विश्लेषण, अनुश्रवण और मिलान के लिए विभागीय क्षमता के निर्धारण की समीक्षा की गई थी और ना ही जिला स्तर पर जल विश्लेषण क्षमता सुधार हेतु रोलिंग कार्यक्रम शुरू किया गया।

विभाग द्वारा सिवाय राज्य जल नीति को पारित करने के, गतिविधियों, समय सीमा तथा जल गुणवत्ता उन्नयन हेतु संसाधनों के साथ रणनीति नहीं बनाई गई। विभाग द्वारा पेयजल के नवीन अनवरत जल स्त्रोतों को चिन्हित करने हेतु उठाये गये किसी ठोस कदम से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया। जल गुणवत्ता उन्नयन के लिए राज्य स्तर पर पहले से ही विद्यमान योजनायें जारी रखी गई।

### *2.3.7 भू-जल के फ्लोराइड निवारण के लिए किये गये उपाय*

जल में उच्च फ्लोराइड सान्द्रता, स्वास्थ्य के विभिन्न खतरों जैसे दन्त एवं अस्थि फ्लोरोसिस के रूप में परिणित होती है। फ्लोराइड राजस्थान के सभी 33 जिलों में व्याप्त है और 21 जिलों में यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट बन गया है। राज्य सरकार ने जल के फ्लोराइड निवारण[25] के लिए वर्ष 2005 में 'राजस्थान एकीकृत फ्लोरासिस लघुकरण कार्यक्रम (आरआईएफएमपी)' की पहल की। आरआईएफएमपी, प्रभावित बस्तियों को, जहां विश्वसनीय स्त्रोतों से जलापूर्ति उपलब्ध नहीं है, तत्काल एवं अल्पकालीन मध्यम अवधि की राहत प्रदान करने के लिए हैण्डपम्प और नलकूपों पर फ्लोराइड निवारण इकाइयों को स्थापित कर करता है। आरआईएफएमपी तीन चरणों में प्रारम्भ की गई। यह चरणबद्धता, जल स्त्रोतों में फ्लोराइड सान्द्रता के स्तर के आधार पर की गयी थी। बस्तियों/गांवों को 1.5 मिग्रा/ली. और 5 मिग्रा/ली.के मध्य एवं अधिक फ्लोराइड सान्द्रता वाले पेयजल स्त्रोतों के आधार पर तीन चरणों में लक्ष्यित किया गया जिसका विवरण नीचे है:

| चरण (प्रस्तावित अवधि) | फ्लोराइड वर्ग | 2005 के दौरान बस्तियों की कुल संख्या (गांव एवं अन्य) |
|---|---|---|
| प्रथम (2004-2005) | 5.0 मिग्रा/ली. से अधिक | 2,643 |
| द्वितीय (2005-2007) | 3.0 से 5.0 मिग्रा/ली. | 7,699 |
| तृतीय (2007-2010) | 1.5 से 3.0 मिग्रा/ली. | 12,955 |
| | **कुल** | **23,297** |

स्त्रोत: पीएचईडी के अभिलेख

आरआईएफएमपी का चरण-I फरवरी 2008 में पूर्ण हो गया था। चरण-II के अन्तर्गत किये क्रियाकलापों के परिणामों के विवरण सरकार द्वारा संकलित नहीं किये

[25] डी फ्लोराइडेशन के लिए, क्रियात्मक एलुमीना(माध्यम) पेयजल को फ्लोराइड से हटाने हेतु व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है जो कि एक दानेदार और एल्युमीनम ट्रीहाइड्रेट को आवश्यक रूप से शामिल करते हुए अत्यन्त झरझरी सामग्री है। क्रियात्मक एलुमीना को इसके पुन: उपयोग के लिए सज्जीदार पानी(सोडियम हाइड्रोक्साइड सलफरिक एसिड और फिटकरी) के घोल द्वारा संर्जीवित किया जा सकता है। पानी से निक्षालित फ्लोराइड की मात्रा एलुमिना फिल्टर मिडिया के साथ सम्पक्र अवधि पर छानने पर निर्भर करती है।

गये। परियोजना का चरण-III वर्ष 2011-12 में आरम्भ हुआ। आरआईएफएमपी के तीनों चरणों के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं की चर्चा नीचे की गई है।

### *2.3.7.1 चरण-I के अन्तर्गत उपलब्धि*

चरण-I के अधीन 5 मिग्रा/ली. से अधिक फ्लोराईड सान्द्रता वाली कुल 2,643 बस्तियों को आवरित किया जाना लक्ष्यित था। राज्य सरकार ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि 331 हैण्डपम्प संलग्न फ्लोराइड निवारण इकाईयाँ (एचपीएडीएफयू) स्थापित की गई तथा घरेलू स्तर पर ग्रामीणों को 1,403 घरेलू फ्लोराइड निवारण इकाईयां (डीडीएफयू) वितरित की गई। यह देखा गया कि 2,643 बस्तियों को आवरित करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका था यद्यपि, फरवरी 2008 में यह चरण पूर्ण हो गया था।

### *2.3.7.2 चरण-II के अधीन स्थापित हैण्डपम्प संलग्न फ्लोराइड निवारण इकाईयों (एचपीएडीएफयू) का परिचालन/संधारण*

चरण- II की गतिविधियों के विवरणों का संकलन विभाग द्वारा दिसम्बर 2014 तक नहीं किया गया था। तथापि, अधिशाषी अभियन्ता, डूँगरपुर के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पीएचईडी, उदयपुर ने 300 हैण्डपम्पों पर एचपीएडीएफयू की स्थापना का कार्य आवंटित किया, (नवम्बर 2007) जिसमें डूँगरपुर जिले के 3 मिग्रा/ली. से अधिक फ्लोराईड सान्द्रता वाले 226 हैण्डपम्प सम्मिलित थे। संवेदक को एचपीएडीएफयू का परिचालन एवं संधारण, उनकी स्थापना पश्चात दो वर्षो तक करना था। संवेदक ने सभी एचपीएडीएफयू की स्थापना की और 19 दिसम्बर 2011 तक इन्हें संधारित किया। तत्पश्चात, इनके परिचालन एवं संधारण का कार्य, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अभाव में उपेक्षित रहा। इस प्रकार, बस्तियों को फ्लोराईड मुक्त जल प्रदान कराने का उद्देश्य विफल हो गया।

राज्य सरकार ने बताया(दिसम्बर 2014) कि पूर्व में स्थापित संयत्रों के परिचालन और संधारण हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

### *2.3.7.3 चरण-III का कार्यान्वयन*

***(i)*** चरण-III के अधीन, कुल 12,955 बस्तियों को आवरित किया जाना था। वर्ष 2010-11 के दौरान बस्तियों के पूर्व चिन्हीकरण के बिना, जहां उन्हे स्थापित किया

जाना था, छः क्षेत्रों[26] में 5,300 एचपीएडीएफयू की आपूर्ति एवं स्थापना, उनके पांच वर्षों तक दोष दायित्व अवधि सहित, व्यापक संचालन एवं संधारण प्रस्तावित की गयी थी। सभी छः संभागों के लिए न्यूनतम बोलियाँ मैसर्स पुंज लॉयड लिमिटेड (पीएलएल) की अनुमोदित की गई (जनवरी एवं फरवरी 2011)। पीएलएल ने 2,687[27] एचपीएडीएफयूएस स्थापित किये तथा शेष कार्य छोड़ (2011-12) दिया। विभाग ने न तो कार्य के अभित्याजन के लिए पीएलएल के विरूद्ध कार्यवाही की और न ही शेष कार्य पीएलएल की जोखिम एवं लागत पर अन्य किसी संवेदक को आवंटित किया। इसके परिणामस्वरूप इन बस्तियों को फलोराईड मुक्त जल उपलब्ध करवाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ। स्थापित 2,687 एचपीएडीएफयूएस को बिना संचालन/संधारण ने अकार्यशील बना दिया।

### *(ii) नलकूप संलग्न फ्लोराइड निवारण संयंत्रों की निगरानी*

- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, भरतपुर ने छः[28] 'नलकूप संलग्न फ्लोराइड निवारण संयंत्रो (टीडब्ल्यूएडीएफपी)' की आपूर्ति तथा स्थापना और उनके पांच वर्ष रख-रखाव के लिए कार्य आदेश जारी (मार्च 2011) किया। ठेकेदार ने मार्च 2014 तक तीन[29] टीडब्ल्यूएडीएफपी स्थापित किये और शेष तीन, स्थापित नहीं किये क्योंकि स्थापना के लिए उपयुक्त स्थल नहीं पाये गये थे।

- ठेकेदार को टीडब्ल्यूएडीएफपी की स्थापना से पहले और बाद में पानी का अपेक्षित परीक्षण, प्रयोगशाला से करवाना था तथा उनके निष्पादन, सम्पोषण एवं माध्यमों के प्रतिस्थापना से संबंधित मासिक प्रतिवेदन संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को प्रस्तुत करना था। टीडब्ल्यूएडीएफपी के निष्पादन के अनुश्रवण के लिए नियमित रूप से परीक्षण का आयोजन करना विभाग के लिए भी अपेक्षित था। जांच से प्रकट हुआ कि ठेकेदार ने ई-कोलाई के लिए जीवाणु परीक्षण नहीं करवाया तथा कोई मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। विभाग ने भी टीडब्ल्यूएडीएफपी के निष्पादन के अनुश्रवण के लिए नियमित रूप से कोई भी परीक्षण आयोजित नहीं किये।

- वरिष्ठ रसायनज्ञ, भरतपुर ने 28 अक्टूबर 2013 को टीडब्ल्यूएडीएफपी का संयुक्त निरीक्षण किया तथा अधिशाषी अभियन्ता, भरतपुर को प्रतिवेदित किया कि

---

[26] अजमेरः 1200, भरतपुरः 300, जयपुरः 1500, जोधपुरः 500, कोटा:300 और उदयपुरः 1500

[27] अजमेर क्षेत्रः 888, भरतपुर क्षेत्रः 113, जपपुर क्षेत्र:586, जोधपुर क्षेत्र 255, कोटा क्षेत्र 269 और उदयपुर क्षेत्र 576

[28] बहज, बरोली चौथ(2 संख्या), जनूथर, शोरावाली(डीग ब्लाक) और कामां(कामां ब्लॉक)।

[29] बरोली चौथ, पूंछड़ी का लोठा और श्याम ढाख।

ठेकेदार कच्चे और उपचारित जल का नियमित रूप से परीक्षण, शिकायत पंजिका का संधारण तथा मासिक प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण नहीं कर रहा था। ठेकेदार के पास रासायनिक और जीवाणु परीक्षण के लिए परीक्षण उपकरण उपलब्ध नहीं थे और किसी भी टीडब्ल्यूएडीएफपी पर क्लोरिनीकरण भी नहीं किया जा रहा था। अधिशाषी अभियन्ता द्वारा संविदात्मक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गयी थी।

### *(iii) अन्य मानकों की अनुमत्य सीमा से ऊपर विद्यमानता*

नागौर जिले में, 771 टीडब्ल्यूएडीएफपी की स्थापना का काम, पांच वर्ष के लिए संचालन और रखरखाव सहित, तीन ठेकेदारों को आवंटित (मार्च 2011) किया गया था, जहां पानी के अन्य मानक अनुमत्य सीमा, जैसे कि कुल घुलित ठोस (टीडीएस): 2000मिग्रा/ली, नाईट्रेट: 100 मिग्रा/ली तथा क्लोराइड: 1500 मिग्रा/ली, के भीतर थे ।

लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराये 126 परीक्षण प्रतिवेदनों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 21 नलकूपों में निर्गम जल के परीक्षण परिणामों में टीडीएस, नाइट्रेट और क्लोराइड की मात्रा अनुमत्य सीमा से ऊपर थी। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, अधिशाषी अभियन्ता, मेड़ता सिटी (नागौर), ने सूचित (जुलाई 2014) किया कि फ्लोराइड की गंभीर समस्या के कारण टीडब्ल्यूएडीएफपी स्थापित किए गए थे हालांकि अन्य मानक इन बस्तियों में अनुमत्य सीमा से ऊपर थे। इस प्रकार ये 21 बस्तियां, टीडब्ल्यूएडीएफपी की स्थापना के बाद भी असुरक्षित पानी प्राप्त कर रही थी। अन्य मानकों को, जोकि अनुमत्य सीमा से ऊपर थे, को भी संभालने की आवश्यकता थी।

### *2.3.7.4 राजस्थान एकीकृत फ्लोरोसिस शमन कार्यक्रम का प्रभाव*

राज्य सरकार ने फ्लोराइड शमन के लिए आरआईएफएमपी 2005 में प्रारम्भ की थी। चरण-I फरवरी 2008 में पूर्ण हो गया था। चरण- II के अन्तर्गत गतिविधियों के विस्तृत विवरण विभाग द्वारा संकलित नहीं किये गये थे। कार्यक्रम का चरण-III वर्ष 2011-12 में प्रारम्भ किया गया था, जो बस्तियों के फ्लोराइड को कम कर 1.5 से 3 मिग्रा/ली की सीमा के अन्दर लाने पर केन्द्रित था।

नमूना जांच किये गये 23 ब्लाकों के जल नमूनों के परीक्षण परिणामों के ऑकड़ों की जांच में प्रकट हुआ कि फ्लोराईड की समस्या यथावत थी। 2013-14 के दौरान 3 मिग्रा/ली. से अधिक स्तरों की फ्लोराईड सांद्रता वाली बस्तियों की स्थिति नीचे दी गई तालिका में विवरणित है:

| जिला | ब्लॉक का नाम | बस्तियों की संख्या (2013-14) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | बस्तियों की संख्या जहां के नमूने जाँचे गये थे | फ्लोराइड सांद्रता स्तर 3 मिग्रा/ली. से अधिक बस्तियों की संख्या | प्रतिशत (फ्लोराइड सांद्रता 3 मिग्रा/ली. से अधिक बस्तियां) |
| बाडमेर | बाडमेर | 841 | 74 | 8.80 |
| | सिणधरी | 301 | 17 | 5.65 |
| भरतपुर | सेवर | 562 | 17 | 3.02 |
| | नगर | 108 | 20 | 18.52 |
| भीलवाडा | आसीन्द | 810 | 102 | 12.59 |
| | भीलवाडा | 624 | 87 | 13.94 |
| | शाहपुरा | 437 | 318 | 72.77 |
| डूँगरपुर | आसपुर | 499 | 122 | 24.45 |
| | सागवाडा | 639 | 27 | 4.23 |
| जयपुर | चाकसू | 1,436 | 381 | 26.53 |
| | सांगानेर | 260 | 31 | 11.92 |
| | बस्सी | 1806 | 48 | 2.66 |
| | आमेर | 1,139 | 4 | 0.35 |
| जालौर | भीनमाल | 499 | 66 | 13.23 |
| | रानीवाड़ा | 118 | 58 | 49.15 |
| जोधपुर | बालेसर | 365 | 35 | 9.59 |
| | ओसियां | 1,119 | 82 | 7.33 |
| नागौर | नागौर | 267 | 110 | 41.20 |
| | रियां | 265 | 111 | 41.89 |
| श्रीगंगानगर | अनूपगढ | 254 | 2 | 0.79 |
| | सूरतगढ | 442 | 6 | 1.36 |
| टोंक | निवाई | 789 | 235 | 29.78 |
| | उनियारा | 344 | 48 | 13.95 |
| | **कुल** | **13,924** | **2001** | **14.37** |

स्त्रोत: पेयजल विभाग की वेबसाईट ( http://indiawater.nic.in )

इस प्रकार जांच किये गये ब्लॉकों में बस्तियों के लगभग 15 प्रतिशत में चरण-I और चरण-II के पूर्ण होने के बावजूद भी जल स्त्रोतों में फ्लोराइड की सांद्रता 3 मिग्रा/ली. से अधिक थी। क्योंकि चरण- II के विवरण विभाग द्वारा संकलित नहीं किये गये थे और चरण- III में संस्थापित बहुत से एचपीएडीएफयूएस अपरिचालित थे, अत: लेखा परीक्षा में कार्यक्रम की सफलता सत्यापित नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि फ्लोराइड की समस्या के शमन के लिए दीर्घकालिक निदान, उपलब्ध बांधों से सतही जल को लाने में ही निहित है।

### 2.3.8 नाइट्रेट हटाने तथा अलवणीकरण के लिए किए गए उपाय

राज्य जल नीति के अन्तर्गत, पायलेट परियोजनाओं को प्रारम्भ करते हुए, क्षेत्र की स्थिति के तहत खारे भूजल के अलवणीकरण के लिए विभिन्न तकनीकों की खोज तथा इन प्रौद्योगिकियों के मूल्यांकन की परिकल्पना की गई थी। इस संदूषकों के समाधान हेतु, पीएचईडी ने 2012-13 में विभिन्न जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ)[30] संयंत्र की स्थापना के लिये, विलम्बित रूप से परियोजनाएं लागू की।

एक पायलट परियोजना, 35 आरओ संयंत्रों की स्थापना के लिए, चार जिलों[31] में शुरू की गयी थी। चार माह की अवधि के भीतर स्थापना कार्य को पूरा करने के लिए तीन ठेकेदारों[32] को कार्य आदेश (अप्रैल-मई 2013) जारी किये गये। अप्रैल 2014 तक, 32 आरओ संयंत्र स्थापित किये गये जबकि जोधपुर जिले में 3 संयंत्रों को संस्थापित किया जाना शेष था। इस दौरान (अप्रैल 2013) मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) ने 12 जिलों[33] में विभिन्न जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में 1,000[34] आरओ संयंत्रों की स्थापना के लिए 'राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति' को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

राजस्थान में बाईस जिले लवणीयता से गम्भीर रूप से प्रभावित (लवणीयता से प्रभावित 25 प्रतिशत एवं अधिक आबादी) हैं, जबकि 12 जिलों में केवल 1,035 आबादियों को ही लिया गया। इस प्रकार सभी प्रभावित बस्तियों के लिए आरओ संयंत्रों की स्थापना परियोजना को अभी लागू किया जाना है।

---

30 रिवर्स आस्मोसिस कम शुद्ध विलयन से अपेक्षाकृत शुद्ध पानी को पृथक करते हुए एक झिल्ली पारगमन प्रक्रिया है।विलयन एक समुचित अर्द्ध पारगमन झिल्ली की सतह से पोषित विलयन के प्रभावी ओस्मोटिक दबाव से अधिक दबाव पर गुजरता है। पारगमित तरल उत्पादन के रूप में संग्रहित किया जाता है और सान्द्रित पोषित विलयन सामान्यत: अलग कर दिया जाता है।

31 भरतपुर: 6; झुंझुनू:10; जोधपुर: 15 और करौली: 4

32 मै. वाटर मेट टेक्नोलोजिस प्रा. लि.: झुंझुनू जिले में 10 संयत्र ; मै. दोशियान वीडब्ल्यूएस प्रा. लि.: जोधपुर जिले में 15 संयत्र और मै. वाटर लाइफ इण्डिया प्रा. लि.: भरतपुर जिले में 6 संयत्र तथा करौली जिले में 4 संयत्र।

33 बाड़मेर: 160; भरतपुर: 300; चित्तौड़गढ़: 40; चुरू: 25; जयपुर: 15; जैसलमेर: 40; जालौर: 40; झुंझुनू: 60; जोधपुर: 130; करौली: 30; नागौर: 140 और सीकर: 20

34 उनमें से 516(बाड़मेर: 36; भरतपुर: 130; चित्तौड़गढ़: 7; चुरू: 4; जैसलमेर: 4; जालौर: 27; झुंझुनू: 12; जोधपुर: 62; नागौर: 139; पाली: 50 और सीकर: 45) अप्रैल 2014 तक स्थापित किये गये थे।

### *2.3.8.1 रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्रों का क्रियान्वयन*

**(i)** अति. मुख्य अभियन्ता, भरतपुर ने 133 आरओ संयंत्रों के प्रदाय, स्थापित और प्रारम्भ करने के लिए तीन कार्य आदेश जारी (अप्रैल और अगस्त 2013) किए, जिनमें से 59[35] (पायलट परियोजना के तहत छः और 1,000 संयत्रों में से 53) मार्च 2014 तक स्थापित किये गये। लेखापरीक्षा जांच में निम्न तथ्य उजागर हुये।

- अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार, आरओ संयंत्रों के लगातार निष्पादन और 'कुल घुलित ठोस (टीडीएस)' की मात्रा 100 और 250 मिग्रा/ली के बीच बनाए रखा जाना आवश्यक था। उत्पादित जल भी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के आईएसः 10500[36] की विशिष्टताओं के सदृश होना आवश्यक था। जल की गुणवत्ता का मूल्यांकन तीन महीने की अवधि में किया जाना था। यह देखा गया कि आईएसः 10500 में विनिर्दिष्ट सभी निर्धारित परीक्षण आयोजित नहीं किये गये। आगे, पीएचई प्रयोगशाला, भरतपुर के प्रतिवेदनों में परिलक्षित हुआ कि आठ[37] आरओ संयंत्रों के उत्पादित जल की रासायनिक विशिष्टताएं बीआईएस मानकों की पूर्ति नहीं करती थी और आरओ संयंत्रों से उत्पादित जल में टीडीएस 250 मिग्रा/ली से अधिक था।

- अनुबंध की विशेष शर्तो के पैरा 4.1 में परिकल्पित किया गया था कि ठेकेदार आरओ संयंत्रों के निष्पादन पर अधिशाषी अभियन्ता को मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। तथापि, यह देखा गया कि ठेकेदार अधिशाषी अभियन्ता, पीएचईडी खण्ड भरतपुर को मासिक निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। संविदात्मक शर्त को लागू कराने के लिए अधिशाषी अभियन्ता द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

- वरिष्ठ रसायनज्ञ, भरतपुर द्वारा आयोजित (जनवरी-जून 2014) नमूनों के विश्लेषण के दौरान 16[38] आरओ संयंत्र से उत्पादित जल जीवाणु संदूषित दर्शाया गया। तथापि विभाग द्वारा, इस मामले में की गई कार्यवाही अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी।

**(ii)** बाड़मेर जिले में, जिला प्रयोगशाला द्वारा आयोजित(अप्रैल-जून 2014) 25[39] आरओ संयंत्र से उत्पादित जल की जांच में टीडीएस 250 मिग्रा/ली से अधिक दर्शित था।

---

35 मै. वाटर लाइफ इन्डिया प्रा.लिः 6, मै. एलवीजे प्रोजेक्ट प्रा.लि.: 9 और मै. हाई-टेक वाटर सोल्यूसन प्रा. लि.: 44

36 आईएस 10500: 1991के भारतीय मानक पेयजल विनिर्देशन(प्रथम संशोधित)

37 अकाता, बंशीखुर्द, भोसिंगा, वोराय, गगवाना, हसनपुर, लुल्हारा और नगला बखता।

38 अजान, अकता, अरोदा,अवार, वडेसरा, बंशीखुर्द, बोराय, दान्दू, गगवाना, झरकाय, करीली, कुछावटी, लुल्हारा, रासिया, टमरेर और उड़का

39 आलमसर, अरनियाली, बहालीसर, भंवार, भावगिरीका मेठा, बीसासर, वोरान का तला, धनाऊ, दूधू, गालानडी, गोहार का तला I, खट्टू, खूमे की बेरी, लीलसर, लोहारवा, मिठराऊ, मीठे का तला II, राणासर का तला, साजीमाली पदमसिंह, सारला, सवा, सैयद अली सोज का तला, शोभाला जेतमालान, तालसर और उदासर।

इससे इंगित होता है कि स्थापित आरओ संयंत्र (उक्त (i) और (ii) पर संदर्भित) सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे थे।

### *2.3.9 जीवाणु जनित संक्रमण को हटाने के लिये किये गये उपाय*

आपूर्तित पेयजल के विसंक्रमण के लिए इसका क्लोरिनीकरण, पीएचईडी की एक नियमित गतिविधि है। यह पानी में जल जनित बीमारियों के लिए जिम्मेदार, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों (जैसे बैक्टीरिया, वायरस और अमीबा) को नष्ट या निष्क्रिय करती है। क्लोरिनेशन के लिए ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमे कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है जो पानी के साथ मिश्रित होने पर विघटित होता है और क्लोरीन देता है। इसलिए ब्लीचिंग पाउडर द्वारा हुई क्रिया, पानी में गैसीय क्लोरीन द्वारा होने वाली क्रिया के समान होती है।

#### *2.3.9.1 ऐसी योजनाओं में पेयजल का क्लोरिनीकरण जिनमें सीधे पाइप लाइनों में पानी प्रवाहित किया जाता है*

जल आपूर्ति और उपचार पर सीपीएचईईओ मैनुअल में उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने से पहले भूजल का क्लोरिनीकरण प्राविधित है। इस क्रम में मुख्य अभियंता (मु.) ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देशित किया (अक्टूबर 2011) कि जहां नलकूपों (टीडब्ल्यूस) से सीधे वितरण प्रणाली में जल प्रवाहित किया[40] जाता है, पानी का क्लोरिनीकरण, हाइपोक्लाराइट सोल्यूशन इंजेक्टिंग द्वारा किया जाना चाहिए।

23 नमूना जांच किये गये ब्लॉकों में से 11 में, यह देखा गया कि 365[41] टीडब्ल्यूस के माध्यम से की गई जल आपूर्ति में पानी सीधे वितरण प्रणाली में प्रवाहित किया गया लेकिन क्लोरिनीकरण नहीं किया गया।

---

[40] वितरण प्रणाली का प्रयोजन उपभोक्ता को समुचित अवशिष्ट दबाव पर पर्याप्त मात्रा में सुविधाजनक बिन्दु पर पूरी तरह पानी पहुँचाना है। वितरण की सामान्य प्रक्रिया, पाइप लाइन के नेटवक्र माध्यम से उपभोक्ता को आपूर्ति के पूर्व उच्च जलाशय में पानी का भण्डारण करना है। कभी-कभी कुछ कारणों से, नलकूपों से पाइप लाइन नेटर्वक में पानी सीधे प्रवाहित किया जाता है।

[41] भरतपुर जिला: नगर(3), सेवर(42), डूंगरपुर जिला: आसपुर(6), सागवाड़ा(1), जयपुर जिला: आमेर(61), चाकसू(1), सांगानेर(82), बस्सी(9), श्रीगंगानगर जिला: अनूपगढ़(1), भीलवाड़ा जिला: भीलवाड़ा (155) और टोंक जिला: निवाई(4)

### *2.3.9.2 ब्लीचिंग पाउडर का रख रखाव*

ब्लीचिंग पाउडर के **रख रखाव** की प्रक्रिया में निम्नलिखित विसंगतियां दृष्टिगत हुई:

- क्लोरिनीकरण के प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए तथा किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए, यह आवश्यक है कि क्लोरीन की आवश्यकता निर्धारण करने के लिए क्लोरीन की मात्रा, जो अन्तिम उपभोक्ता के छोर पर 0.2 एमजी/ली की अवशिष्ट क्लोरीन उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित हो, को मापा जाता है। मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) ने निर्देशित किया (जून 2011) कि आपूर्ति आदेश जारी करने से पहले वांछित ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा का आंकलन किया जाये।

तथापि, देखा गया कि नमूना जॉच किये जिलों में किसी भी खण्ड द्वारा ब्लीचिंग पाउडर की आपूर्ति के आदेश जारी करने से पहले क्लोरीन मांग का निर्धारण नहीं किया गया। इसी क्रम में मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) द्वारा निर्देश (जुलाई 2010) जारी किये गये कि सभी जलापूर्ति योजनाओं के लिये अवशिष्ट क्लोरीन की जॉच के लिये परीक्षण किट संधारित किये जाने चाहिए लेकिन नमूना जॉच जिलों के किसी भी उपखण्ड में, आवश्यक परीक्षण किट उपलब्ध नहीं थे।

- आईएस 1065:1989[42] आपूर्ति के समय ब्लीचिंग पाउडर में आवश्यक[43] विशिष्टताओं के परीक्षण किये जाने को निर्दिष्ट करता है। तथापि, यह देखा गया कि नमूना जॉच खण्डों में ब्लीचिंग पाउडर की आपूर्ति के लिये, इसमें से केवल उपलब्ध क्लोरीन के लिए ही परीक्षण आयोजित किये गये एवं खण्डीय भंडारों में आपूर्ति लेने से पहले अन्य विशिष्टताओं (स्थिरता, नमी की मात्रा तथा कण आकार) के लिये परीक्षण आयोजित नहीं किये गये।

---

42 आई एस 1065-1989 ब्लिचिंग पाउडर के लिए भारतीय मानक, स्थिरता-विनिर्देशन द्वितीय संस्करण 1990, पुनः पुष्टि 2003

43

| क्र.स. | विशिष्टताएं | आवश्यकता |
|---|---|---|
| 1. | उपलब्ध क्लोरीन (प्रतिशतता द्रव्यमान द्वारा) न्यूनतम | 32 |
| 2. | स्थिरता, प्रारम्भ में उपलब्ध क्लोरीन के आधार पर क्लोरीन की छीजत, अधिकतम | 1/11 |
| 3. | नमी (प्रतिशतता द्रव्यमान द्वारा), अधिकतम | 0.5 |
| 4. | कण आकार, प्रतिशतता द्रव्यमान द्वारा, न्यूनतम | 99.0 |

स्त्रोत: ब्लीचिंग पाउडर के लिए भारतीय मानक, स्थिरता विनिर्देशन द्वितीय संशोधन 1990, पुनः पुष्टि 2003; आईएस 1065-1989

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि स्थिरता, नमी मात्रा तथा कण आकार के परीक्षण आयोजित करने के लिये आवश्यक व्यवस्था की जा रही है।

यह देखा गया कि वर्ष 2011-14 के दौरान संबंधित अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा, पांच[44] जिलों में 25 प्रकरणों में, 279 मीट्रिक टन ब्लीचिंग पाउडर की आपूर्ति, इसमें क्लोरीन निर्दिष्ट मात्रा से कम होने पर भी, स्वीकार की गयी।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि कम क्लोरीन युक्त ब्लीचिंग पाउडर की आपूर्ति, आपूर्तिकर्ताओं के बीजक से आनुपातिक राशि की कटौती कर, आंशिक भुगतान किया गया। उत्तर पुष्टि करता है कि संबंधित अधिशाषी अभियंताओं द्वारा निर्दिष्ट मात्रा से कम क्लोरीन युक्त ब्लीचिंग पाउडर स्वीकार कर लिया गया था।

- आईएस 1065:1989 में प्रावधित है कि ब्लीचिंग पाउडर की गुणवत्ता विश्लेषण के लिये, नमूनों की यादृच्छिकता सुनिश्चित करते हुए, प्रत्येक लोट[45] से पर्याप्त[46] प्रतिनिधि नमूने, लिये जाने चाहिए।

यद्यपि आपूर्ति विभिन्न बैचों में प्राप्त हुई थी, प्रत्येक आपूर्ति के लिये पर्याप्त प्रतिनिधि नमूने लेने के बजाय केवल एक नमूना लिया गया और इसलिए अधीक्षण/वरिष्ठ/कनिष्ठ रसायनज्ञ द्वारा ब्लीचिंग पाउडर की गुणवत्ता आंकलन के परीक्षण हेतु, प्रत्येक लोट के पर्याप्त संख्या में प्रतिनिधित्व वाले नमूनें किसी भी नमूना जाँच जिले में नहीं लिये गये थे।

राज्य सरकार ने बताया(दिसम्बर 2014) कि आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा आईएस 1065:1989 की आवश्यकताओं की पालना की जा रही है। विभागीय परीक्षण करना एक अतिरिक्त जांच है। उत्तर से परिलक्षित हुआ कि विभाग, आईएस 1065:1989 के प्रावधानों की पालना की अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है।

- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को, खण्डीय भंडार में उपलब्ध ब्लीचिंग पाउडर के नमूनों का, समय के साथ क्लोरीन में कमी का आंकलन

---

[44] बाड़मेर: 1 आपूर्ति 5 एमटी; भरतपुर: 12 आपूर्ति 142 एमटी; जालौर: 1 आपूर्ति 12 एमटी; जोधपुर: 5 आपूर्ति 70 एमटी; तथा टोंक: 6 आपूर्ति 50 एमटी की।

[45] ब्लीचिंग पाउडर की समान श्रेणी के एक अकेले संप्रेषण में सभी पात्रों से विनिर्माण के एक अकेला बैच लोट गठित करेगा। यदि एक संप्रेषण विनिर्माण के विभिन्न बैचों से मिलाकर घोषित होता है, तो बैचों को पृथक से अंकित किया जावेगा और पात्रों का समूह प्रत्येक बैच में पृथक लोट गठित करेगा।

[46] लोट से कंटेनर की संख्या का चयन किया जाना लोट के आकार पर निर्भर करेगा और आईएस 1065:1989 के अनुलग्नक बी की तालिका 2, पैरा बी.2.2, के अनुसार रहेगा।

करने के लिए, प्रत्येक 15वें दिन में परीक्षणों का आयोजन करने के लिए निर्देश जारी (जुलाई 2010) किए।

सभी नमूना जांच किये जिलों में यह देखा गया कि मुख्य अभियन्ता (मु.) के निर्देशों की पालना नहीं की गई थी और खण्डीय भंडार में उपलब्ध ब्लीचिंग पाउडर में उपलब्ध क्लोरीन के लिए परीक्षण आयोजित नहीं किये गये थे।

### *2.3.9.3 रिसाव की मरम्मत के बाद पाइपलाइनों का क्लोरिनीकरण*

सीपीएचईईओ मैनुअल में यह उल्लेख है कि जब मुख्य पाइपलाइन के किसी भाग की मरम्मत की जाती है तो यह मान लिया जाना चाहिए कि बाहरी पदार्थ के प्रवेश को रोकने के लिये उठायी गयी सभी सावधानियों के बावजूद, पाइप संदूषित होता है। इस प्रकार मुख्य पाइपलाइन को पुनः कार्य में प्रयुक्त करने से पहले कीटाणुरहित किया जाना चाहिए।

नमूना जांच किये 21[47] ब्लॉकों की जांच में यह देखा गया कि पाइपलाइनों में रिसाव की मरम्मत या तो विभागीय मजदूरों द्वारा या ठेकेदारों के माध्यम से की गई थी। संबंधित अधिशाषी अभियन्ताओं ने सूचित किया कि, मरम्मत के बाद और आपूर्ति की बहाली से पहले, आवश्यक कीटाणुशोधन किया गया था। यद्यपि, लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच में प्रकट हुआ कि पाइप लाइन के कीटाणुशोधन के लिये आवश्यक ब्लीचिंग पाउडर विभागीय तथा संविदा मजदूरों, दोनों को ही जारी नहीं किया गया था। आगे, पांच खण्डीय कार्यालयों[48] में, ठेकेदारों को आवश्यक कीटाणुशोधन करने हेतु बाध्यकारी बनाने के लिये, रिसाव की मरम्मत के बाद पाइपलाइन के कीटाणुशोधन के प्रावधान को करारों में शामिल नहीं किया गया। इससे इंगित हुआ कि आवश्यक निर्देशों की ठीक तरह से पालना नहीं की जा रही थी।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया(दिसम्बर 2014) कि रिसाव की मरम्मत के बाद पाइप लाइनों के कीटाणुशोधन के प्रावधानों को करारों में शामिल करने के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

---

47 बाड़मेर, सिणधरी (बाड़मेर जिला); नगर, सेवर (भरतपुर जिला); आसीन्द, भीलवाड़ा, शाहपुरा (भीलवाड़ा जिला); आसपुर, सागवाड़ा (डूंगरपुर); आमेर, बस्सी (जयपुर जिला); भीनमाल, रानीवाड़ा (जालौर जिला); बालेसर, औसियाँ (जोधपुर जिला); नागौर, रियां (नागौर जिला); अनूपगढ़, सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) और निवाई, उनियारा (टोंक जिला)।

48 अनूपगढ़ खण्ड; डूंगरपुर खण्ड; जिला ग्रामीण खण्ड-II, जयपुर; सूरतगढ़ खण्ड तथा टोंक खण्ड।

### *2.3.9.4 पेयजल जलाशयों की सफाई*

पेयजल जलाशयों का मुख्य कार्य, पानी की दैनिक मांगों और विशेष रूप से पराकाष्ठा मांगों को पूरा करना है। भूतल जलाशय आमतौर पर एक भंडारण जलाशय होता है जबकि, उच्च जलाशय मुख्यत: वितरण जलाशयों के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जो आमतौर पर रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट (आरसीसी) से निर्मित किये जाते हैं। आरसीसी जलाशयों की छत की पट्टियों में क्लोरीन के प्रभाव के कारण जंग लगना एक आम प्रक्रिया है। भूतल जलाशयों के तलछट में संग्रह, जंग तथा रासायनिक तलछट से जलाशयों के पानी की रासायनिक गुणवत्ता में गिरावट हो सकती है। अत्यन्त लंबी अवधि तक स्थिरता की वजह से उच्च जलाशय (ओएचसएआर) में भी पानी की गुणवत्ता में गिरावट हो सकती है। अत: यह जलाशयों की नियमित सफाई, आंतरिक जंगक्षरण की रोकथाम और पेयजल की गुणवत्ता में सुधार के लिये आवश्यक है।

मुख्य अभियन्ता (मु.) ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रत्येक जलाशय (स्वच्छ जल जलाशय (सीडब्ल्यूआर), उच्च सेवा जलाशय (ओएचएसआर) तथा भूतल जल जलाशय (जीएलआर)) की वर्ष मे दो बार नियमित रूप से सफाई और कीटाणुशोधन के लिये तथा इसे क्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा सत्यापित करवाने के निर्देश जारी (अगस्त 1997) किये।यह भी निर्देशित किया कि उचित अभिलेख संधारित किये जाने चाहिए। नमूना जांच किये जिलों में, जलाशयों की सफाई या तो ठेकेदारों या विभागीय मजदूरों के माध्यम से की गयी थी।

तथापि, यह दृष्टिगत हुआ था कि 23 नमूना जांच ब्लाकों में से 21[49] में जलाशयों की आवधिक सफाई की पंजिकाएं संधारित नहीं की गई थी। यद्यपि संबंधित अभियन्ताओं ने सूचित किया कि जलाशयों की नियमित सफाई की गयी थी, लेकिन उचित अभिलेखों के अभाव में जलाशयों[50] की सफाई *के लिये, संचालन और रखरखाव पर सीपीएचईईओ मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया का पालन* किया गया या नहीं, सत्यापित नहीं किया जा सका।

---

[49] आमेर, बस्सी, सांगानेर (जयपुर जिला); रानीवाड़ा, भीनमाल (जालौर जिला); सूरतगढ़, अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर जिला); आसीन्द, शाहपुरा, भीलवाड़ा (भीलवाड़ा जिला); नगर, सेवर (भरतपुर जिला); बाड़मेर, सिणघरी (बाड़मेर जिला); नागौर, रियां (नागौर जिला); सगवाड़ा (डूंगरपुर); बालेसर ओसियां (जोधपुर); उनियारा, निवाई (टोंक)।

[50] जल आपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना, पानी का नमूना संग्रहण, और जीव विज्ञान विश्लेषण हेतु गाद/कीचड़ का संचय और धोंधा और कृमि की उपस्थिति हेतु, आन्तरिक दीवारों और पानी के होज सहित छत और बुश की घुलाई और रोगाणुनाशी (ब्लीचिंग पाउडर का अधिपृष्ठ) का दीवार और छतों पर जलाशयों को पुन भरे जाने से पूर्व उपयोग करना।

ब्लीचिंग पाउडर की भण्डार पंजिका की जांच के दौरान लेखा परीक्षा ने आगे देखा कि 23 नमूना जांच ब्लाकों में से किसी में भी मजदूरों और ठेकेदारों को ब्लीचिंग पाउडर जारी नहीं किया गया था (2011-14), जो जलाशयों के समुचित कीटाणुशोधन के लिये आवश्यक था। इसने इंगित किया कि जलाशयों की समुचित सफाई नहीं की जा रही थी।

### *2.3.10 जलमणी कार्यक्रम*

अतिरिक्त लौह, गंदगी और जीवाणु संदूषकों से निपटने तथा ग्रामीण विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये, पेय जल आपूर्ति विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने एक केन्द्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम 'जलमणी', शुरू (सितम्बर 2008) किया, जिसमें प्रत्येक विद्यालय में उपभोग बिन्दु पर पानी के उपचार के लिये सरल एकल जल शोधन प्रणाली[51] की स्थापना की परिकल्पना की गई।

राजस्थान के लिये, ग्रामीण आबादी के सघनता महत्व के आधार पर 3,443 विद्यालयों का चयन (जनवरी 2009) किया गया। एसएलएसएससी ने, इस तरह के ग्रामीण स्कूलों, जो सतही जल या वर्षा जल स्रोतों से आवरित तथा रासायनिक संदूषकों से मुक्त एवं जहां केवल जीवाणु प्रदूषण और गंदगी के उपचार की आवश्यकता है, में अल्ट्रा- फिल्टरेशन पॉट संयत्र[52] स्थापित करना सुनिश्चित किया (अक्टूबर 2011)। तत्पश्चात, मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) ने छः महीने के भीतर 13 जिलों[53] में, 3,000 अल्ट्रा फिल्टरेशन पॉट संयत्र की स्थापना और चालू करने तथा पांच वर्ष के लिए उनके रखरखाव करने हेतु एक ठेकेदार को आपूर्ति हेतु कार्य आदेश जारी (अप्रैल 2012) किये।

अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि जलमणी का क्रियान्वयन बहुत धीमा था क्योंकि भारत सरकार द्वारा जारी किये ₹ 6.85 करोड़ के विरूद्ध ₹ 0.95 करोड़ के खर्च के साथ, आदेशित 3,000 के समक्ष दो वर्ष व्यतीत होने के बाद भी केवल 2,367[54] अल्ट्रा फिल्टरेशन पॉट संयत्र स्थापित (मार्च 2014) किये गये थे।

---

51 प्रति 1000 लीटर (प्रति दिन प्रति व्यक्ति तीन लीटर की दर से) के लिये स्टैंड अलोन पेय जल शोधन प्रणाली की पूंजी लागत ₹ 40,000 से अधिक नहीं का अनुमान लगाया गया था।

52 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पॉट प्रौद्योगिकी स्कूलों को कवर करने के लिए थी जहां उपलब्ध जल की गुणवत्ता रासायनिक रूप में स्वीकार्य है तथा अल्ट्रा फिल्टर जल के भौतिक निस्पंदन (जीवाणु संदूषण और मैलापन) की पूर्ति करेगा।

53 भरतपुर: 153; बीकानेर: 106; चुरू 70; डूंगरपुर: 483; हनुमानगढ़: 146; जयपुर: 50; जोधपुर: 115; कोटा: 134; नागौर: 335; सीकर: 24; श्रीगंगानगर: 365; टोंक: 40; तथा उदयपुर: 979

54 बीकानेर: 390; डूंगरपुर: 483; तथा उदयपुर: 1494

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि जलमणी के कार्यान्वयन में देरी जलमणी के लिये अपनाई जाने वाली फिल्टरेशन तकनीकी को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण से थी।

सतह/वर्षा जल स्रोतों पर संयंत्रों की स्थापना करने के लिये मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) के निर्देश के बावजूद, डूंगरपुर जिले में सभी 483 संयत्र हैंडपंप पर स्थापित किये गये थे।

इसके अतिरिक्त, जलमणी के परिणाम डेटा को एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर प्रविष्ट किया जाना आवश्यक था। डीडीडब्ल्यूएस वेब पेज[55] से प्राप्त डेटा (10 मई 2014) 523 संयत्रों की स्थापना दर्शाता था, जबकि विभाग ने लेखा परीक्षा को 2,367 संयत्र स्थापित करना सूचित (मई 2014) किया। इस प्रकार वेबसाइट पर उपलब्ध आंकडें तथा विभाग द्वारा प्रदान किये गये आंकडों में विसंगति थी।

### *2.3.11 अपर्याप्त स्वच्छता सर्वेक्षण*

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी और सतक्रता कार्यक्रम पर क्रियान्वयन मैन्युअल, (एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसपी) (पैराग्राफ 6.3) बस्तियों के आधार पर, अवसंरचना स्थापनाओं के मुख्य बिन्दुओं (अन्तर्ग्रहण, उपचार, रोगाणुनाशन, भण्डारण और वितरण बिन्दुओं) पर वर्ष की कालावधि में में कम से कम एक बार सफाई सर्वेक्षण किये जाने का प्रावधान करता है।

यह पाया गया था कि 2011-14 के दौरान 7,26,507 योजनाओं/निर्गमन बिन्दुओं/अन्य स्त्रोतों में से, 18,558 (वार्षिक औसत 6,186 अर्थात 0.85 प्रतिशत) बिन्दुओं का सफाई सर्वेक्षण किया गया था। इस प्रकार, वांछनीय संख्या की तुलना में बहुत कम सर्वेक्षण कमजोर अनुश्रवण, इंगित करता है। आगे, एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसपी के मैन्युअल में विनिर्दिष्ट डाटा पृथक्करण के अभाव में, सफाई सर्वेक्षण किये जाने की नियमितता का सत्यापन नहीं किया जा सका।

### *2.3.12 पेयजल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिये प्रयोगशाला सुविधायें*

पीएचईडी ने, जल नमूनों के परीक्षण के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय प्रयोगशाला (डीएलएल), एक चल प्रयोगशाला तथा एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला (एसएलएल) के नेटवक्र की स्थापना की है। इन प्रयोगशालाओं द्वारा जल नमूनों के

[55] http://indiawater.gov.in/imisreports/nrdwpmain.aspx

परीक्षण के लिए वार्षिक लक्ष्य भी मुख्य रसायनज्ञ (सीसी) द्वारा राज्य योजना में आवंटित किये जाते हैं।

प्रयोगशालाएँ, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी और सतर्कता कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसपी) के तहत भारत सरकार से प्राप्त निधियों से भी, परीक्षण कर रही हैं। एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसपी का ध्यान जिला प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण करने, ब्लाक स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) से ग्राम पंचायत के स्तर पर जल का परीक्षण करके तथा संबद्ध गतिविधियों[56] के संस्थागत तंत्र पर केंद्रित है। डीडीडब्ल्यूएस द्वारा व्यापक वेब आधारित एकीकृत प्रबन्धन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस)[57] शुरू की गई है। जल नमूनों के परीक्षण से उत्पन्न आँकड़े डीडीडब्ल्यूएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

### *2.3.12.1 राज्य स्तरीय प्रयोगशाला में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा/परीक्षण सुविधाएँ*

एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसपी में प्रावधित है कि अधिक सटीक और विशिष्ट परीक्षणों के लिए जो कि जिला स्तरीय प्रयोशालाओं में संभव नहीं हो, के लिये राज्य स्तरीय प्रयोगशाला में बुनियादी ढ़ांचा उपलब्ध होना चाहिये।

जांच से प्रकट हुआ कि एसएलएल, जयपुर में स्वयं की सुविधा/बुनियादी ढांचा जैसे स्थान, उपकरण अभिकर्मक और मानवशक्ति नहीं थी और यह डीएलएल जयपुर की सुविधाओं का प्रयोग कर रही थी। एसएलएल में रासायनिक मापदण्डों[58], भारी धातु[59], सूक्ष्मजीवी मानकों[60] और विशिष्ट मापदण्डों[61] की जांच के लिए विशेष रूप से आवश्यक उपकरण[62] उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, एसएलएल एक विशिष्ट संस्थान के

---

56 जलापूर्ति योजनाओ के मुख्य बिन्दुओ का आवधिक सेनेटरी सर्वेक्षण, आईईसी गतिविधियाँ, एचआरडी गतिविधियाँ, डाटा रिर्पोटिंग, जल परीक्षण प्रलेखन एवं एफटीके का ओ एण्ड एम सहित पुनर्भरण आदि।

57 राज्य सरकारें मासिक आधार पर ऑनलाइन भौतिक और वित्तीय प्रगति की प्रविष्टि करती है तथा वार्षिक आधार पर आबादीवार आँकड़ों को अद्यतन करती है।

58 नाइट्रेट, सिलिका, सोडियम, पोटेशियम, बोरोन, कैल्सियम, मैगनिशियम।

59 कॉपर, क्रोमियम, केडमियम, लीड, निकल, आर्सेनिक, मक्करी, बैरियम, जिंक, एन्टीमोनी, सेलेनियम, सिल्वर और मोलीबेडेनम

60 ई-कोलाई, एमएस2फेज और वी. कोलेरा

61 पेस्टिसाइड रेसीड्यूस, रेडियोएक्टिव एलीमेंटस, सायनाइड, पोली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनस, पोलीक्लोरीनेटेड बाइफिनायल, क्लोरामाइन, फेनोलिक कम्पाउण्डस, एनीओनिक सरफेक्टेन्ट/डिटरजेन्ट/एमबीएएस, ट्राईहालोमिथेन्स और एन-नाइट्रोसोडिइथल एमीन

62 एटोमिक एब्जारपशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इनडक्टिवली कपलड प्लाज़मा आप्टीकल इमिशन स्पेक्ट्रोमीट्री, मिलीपोर फ्लिटरेशन असेम्बली विथ ए वेक्यूम पम्प, डीओ मीटर, जीसी-एमएस/एचपीएलसी, यूरेनियम एनालायजर, पीसीआर मशीन, डीप फ्रीजर(-20°सी), आर्सेनिक टेस्टिंग इन्स्ट्रूमेंटेशन।

रूप में और अधिक सटीक और विशिष्ट परीक्षणों के लिए, डीएलएल की किसी सहायता का कार्य नहीं कर रही थी।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि मय भारी धातुओं की जांच के इसे अन्य आवश्यक जांच उपकरणों से सुसज्जित कर, एसएलएल का सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन है।

### *2.3.12.2 जिला प्रयोगशालाओं में अर्याप्त बुनियादी ढांचा/जांच सुविधा*

नमूना जांच किये गये जिलों मे डीएलएल, सभी आवश्यक उपकरणों से पूर्णतया सज्जित नहीं थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.3*** में दर्शाया गया है। भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्मजीवी मापदण्ड की जांच के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी ***(परिशिष्ट-2.4)***। यद्यपि, बायोलोजिकल ऑक्सिजन डिमांड (बीओडी), केमिकल ऑक्सिजन डिमांड (सीओडी), सोडियम, पोटेशियम आदि की जांच हेतु फ्लैम फोटोमीटर जांच हेतु उपकरण डीएलएल, टोंक और भरतपुर में उपलब्ध थे, किन्तु कोई जांच नहीं की गई क्योंकि इन उपकरणों के संचालन के लिये आवश्यक प्रशिक्षण कर्मचारी प्रदान नहीं किये गये थे।

आगे, नमूना जांच जिलों में किसी भी डीएलएल में नमूनों के 24 घन्टों से अधिक अवधि तक संरक्षण हेतु, उपकरण उपलब्ध नहीं थे।

### *2.3.12.3 ब्लॉक स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना*

एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसपी नियम पुस्तिका अधिकृत जलगुणवत्ता आंकड़ों के लिए, ब्लॉक स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना का प्रावधान करती है, क्योंकि गांवों के सभी पेयजल स्त्रोतों का परीक्षण जिला प्रयोगशाला में करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। यह दृष्टिगत हुआ, कि वर्ष 2011-14 के दौरान 237 ब्लॉकों (33 जिले) में केवल 69 ब्लॉकों[63] (14 जिलों) में प्रयोगशालाएं स्थापित की गई। ये प्रयोगशालाएं भी वर्ष 2012-13 तक संचालित नहीं थी और वर्ष 2013-14 के दौरान 45 ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाओं (नौ जिलों) में केवल 27,937 परीक्षण किये गये थे।

### *2.3.12.4 प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की कमी*

मुख्य रसायनज्ञ ने सूचित किया (फरवरी 2014) कि प्रयोगशालाओं में कार्यभार की अधिकता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में अतिरिक्त पदों की आवश्यकता थी। 33

---

[63] अजमेर:8, अलवर: 7, बाड़मेर:2, बीकानेर:2, दौसा: 4, हनुमानगढ़: 1, जयपुर: 13, जालौर: 2, झुंझुनू: 8, जोधपुर: 5, पाली: 2, सीकर: 7, श्रीगंगानगर: 4 और उदयपुर: 4

जिला प्रयोगशाला में आवश्यक कर्मचारियों की स्थिति, स्वीकृत पदों और कार्यरत व्यक्तियों की स्थिति, ***परिशिष्ट 2.5*** में दी गयी है जो दर्शाती है कि:

- तकनीकी पदों की संख्या को स्वीकृत नहीं किया गया अथवा कम संख्या में स्वीकृत किया गया था। किसी भी प्रयोगशाला में सूक्ष्मजीव विज्ञानी का पद स्वीकृत नहीं किया गया था। नमूना संग्रहणकर्ता और वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों के सीमित पद स्वीकृत किये गये थे।

- आवश्यक प्रशासनिक पद जैसे डाटा एन्ट्री आपरेटर भी स्वीकृत नहीं किये गये थे।

- वर्ष 2011-14 के दौरान किसी भी नमूना जांच किये गये जिले में कोई पुनश्चर्या/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रयोगशाला कर्मचारियों के लिए आयोजित नहीं किये गये थे।

इस प्रकार, प्रयोगशालाओं में अपर्याप्त स्टाफ ने उनके सामान्य निष्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

### *2.3.12.5 चल प्रयोगशालाएं*

एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसपी नियम पुस्तिका के अन्तर्गत प्रभावी जलगुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए, विशेष रूप से पहाड़ी/दूर दराज के क्षेत्रों एवं क्षेत्र जहां से पानी के नमूने स्थिर प्रयोगशाला में निर्धारित समय के भीतर नहीं लाये जा सकते, चल प्रयोगशाला की स्थापना किया जाना आवश्यक था।

चल प्रयोगशाला, जयपुर द्वारा किये गये परीक्षणों की जांच में प्रकट हुआ कि वर्ष 2011-14 के दौरान किये गये कुल 24,625 परीक्षणों में से केवल 2,623 (11 प्रतिशत), परीक्षण ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित किये गये थे। आगे, 16,118 (65 प्रतिशत) परीक्षण, अवशिष्ट क्लोरीन के निर्धारण के लिए आयोजित किये गये थे। इस प्रकार, चल प्रयोगशाला एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसपी नियम पुस्तिका में परिकल्पित प्रभावी जल गुणवत्ता की निगरानी गतिविधियों का निष्पादन नहीं कर रही थी।

वरिष्ठ रसायनज्ञ ने सूचित किया (मई 2014) कि चल प्रयोगशाला का कार्य डीएलएल द्वारा जांचे गये नमूनों की प्रतिजांच और सार्वजनिक मेलों में जलगुणवत्ता और तत्संबंधी शिकायत प्रकरणों का अन्वेषण करना भी था। उत्तर संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि चल प्रयोगशाला, नियम पुस्तिका में सुनिश्चित किये गये कार्य नहीं कर रही थी। वर्ष

2011-14 के दौरान चल प्रयोगशाला द्वारा किये परीक्षणों को आईएमआईएस पर भी अपलोड नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि चल प्रयोगशाला आपात परिस्थितियों जैसे सार्वजनिक मेले और डीएलएल को मदद के लिए उपयोग में ली जा रही है। उत्तर इंगित करता है कि चल प्रयोगशाला का एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसपी नियम पुस्तिका में परिकल्पित प्रभावी जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए कार्यों का निष्पादन करने के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था।

### *2.3.12.6 विश्लेषण के लिए जल के प्रतिदर्श लेना*

एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एण्ड एसपी नियम पुस्तिका के अनुसार, पूर्ण और सही डाटा उल्लेखित करते हुए उनके परीक्षण का विस्तृत ब्यौरा आईएमआईएस पर प्रदर्शित करने हेतु सभी नमूनों को उचित तरीके से लेबल किया जाना था। तथापि, नमूना जांच किये गये जिलों में स्त्रोतों के पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं थे। नमूना जांच जिलों में डीएलएल अथवा खण्ड कार्यालय में जल स्त्रोतों/योजनाओं के लिए वर्षवार डेटाबेस उनके संग्रहण की तारीख के सन्दर्भ में संधारित नहीं किये गये थे।

- पॉलीथीन कन्टेनर पानी के नमूने एकत्र करने हेतु उपयोग करने से पूर्व नाईट्रिक एसिड/हाईड्रोक्लोरिक एसिड से साफ किये जाने थे। सभी नमूना जांच जिलों में यह देखा गया कि कन्टेनरों की समुचित सफाई के लिए सफाई अभिकर्मक (हाईड्रोक्लोरिक एसिड/नाईट्रिक एसिड) उपलब्ध नहीं थे। डीएलएल और उप-खण्डों के भण्डार लेजर की जांच में भी प्रकट हुआ कि उचित कन्टेनर उपलब्ध नहीं थे और नमूने लेने के लिए डिब्बा बन्द पीने के पानी की बेकार बोतलों का इस्तेमाल किया जा रहा था।



जिला प्रयोगशाला, टोंक पर डिब्बाबन्द पीने के पानी की बेकार बोतलों में प्राप्त नमूने

- वर्ष 2011-14 के दौरान, जोधपुर जिले के बालेसर ब्लाक के अलावा किसी भी नमूना जांच किये ब्लाकों में नियुक्त कर्मचारियों को नमूने संग्रहण करने का कोई

प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। इस प्रकार, प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा उचित नमूने लेना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- सात जिलों में पानी के 42 प्रतिशत नमूनों में स्वीकार्य सीमा से अधिक यूरेनियम की उपस्थिति के बारे में एक समाचार पत्र की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए क्षेत्रीय निदेशक, परमाणु उर्जा विभाग, जयपुर ने मुख्य रसायनज्ञ से परीक्षण हेतु पानी के नमूने उपलब्ध कराने के लिए (जनवरी 2013) अनुरोध किया। लेखापरीक्षा में देखा गया कि जांचे गये दो जिलों (नागौर और जोधपुर) में जांच हेतु कोई नमूने संग्रहित नहीं किये गये क्योंकि सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता और वरिष्ठ रसायनज्ञों के बीच प्रकरण का समाधान नहीं हो सका था।

### *2.3.12.7 फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से पानी के नमूनों का विश्लेषण*

फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके) मूल रूप से पानी के गुणात्मक मूल्यांकन के लिए होती है, जो उपयोग में लिए जा रहे असुरिक्षत जल आपूर्ति प्रणाली की तुरन्त पहचान करते हुए पानी के बारे में एक सामान्य धारणा बनाने हेतु उपभोक्ताओं की सहायता करती है। एफटीके ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी के सभी स्त्रोतों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए गांव के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं जैसे स्वास्थ्य कार्मिक/मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रदान किये जाने थे। एफटीके के वितरण, अभिकर्मकों का पुनर्भरण (जब मूल अभिकर्मक खाली हो जाएं तो एफटीके को अभिकर्मकों से पुनः भरना था) इनके द्वारा आयोजित किये गये परीक्षणों में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं थी:-

- एफटीके के माध्यम से जांचे गये पेयजल स्त्रोतों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में कुल 7,24,231 जल स्त्रोतों में, से औसतन 45,913 (6.34 प्रतिशत) जल स्त्रोतों का वर्ष 2011-14 ***(परिशिष्ट 2.6)*** के दौरान परीक्षण किया गया था जबकि सभी जल स्त्रोतों का वर्ष में एक बार परीक्षण होना चाहिए था।

- 2011-14 के दौरान एफटीके से नमूनों के परीक्षण के लक्ष्यों और एफटीके के वितरण एवं उनके पुनर्भरण की स्थिति नीचे दी गई है:

| गतिविधि | 2011-12 | | 2012-13 | | 2013-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| एफटीके से परीक्षित नमूनों का लक्ष्य | 9,51,258 | 57,014 (5.99 प्रतिशत) | 5,90,316 | 58,396 (9.89 प्रतिशत) | 1,75,110 | 1,22,940 (70.21 प्रतिशत) |
| उपलब्ध करवाई जाने वाली एफटीके रिफिलों की संख्या | 9,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वितरित किये जाने वाले एफटीके की संख्या | 4,43,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

स्त्रोत: पेयजल विभाग की वैबसाईट (http://indiawater.nic.in)

उक्त तालिका से यह प्रकट होता है कि न तो नमूना जाँचों की उपलब्धियां ही प्राप्त हुई थी, न ही एफटीके और उनके रिफिल ग्रामीण स्तर पर जमीनी कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराये गये थे, परिणामतः उपभोक्ता, उपभोग किये गये पानी की गुणवत्ता के बारे में त्वरित आश्वासन प्राप्त नहीं कर रहा था।

- डीएलएल द्वारा एफटीके से ग्रामीण स्तर पर पानी के परीक्षित नमूनों की कम से कम 30 प्रतिशत जांचों की प्रति जांच किये जाने के आवश्यक प्रावधानों के विरूद्ध, यह देखा गया कि नमूना जांच किये जिलों में 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः केवल 12, 21 और 6 प्रतिशत नमूनों की प्रति-जांच डीएलएल द्वारा की गई थी ***(परिशिष्ट 2.7)***।

### *2.3.13 पुरानी पाइपलाइनों का प्रतिस्थापन*

पाइपलाइनों का जीवन और स्थायित्व, पाइप सामग्री की अन्तर्निहित सुदृढ़ता, गुणवत्ता नियंत्रण के साथ विनिर्माण प्रक्रिया, संभाल, परिवहन, पाइपलाइनों को बिछाना और जोड़ना, पाइपलाइन के आस-पास की मिट्टी की स्थिति तथा वहन करने वाले पानी की गुणवत्ता सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। सीपीएचईईओ द्वारा जारी किये गए जल आपूर्ति तथा उपचार की नियम पुस्तिका में यह कहा गया है कि जहां वहन किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता गैर संक्षारक है, पाइप लाइन का सामान्य जीवन 30 वर्षों का माना जाता है।

लेखा परीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि 18 नमूना जांच किये ब्लाकों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की 50 जलापूर्ति योजनाओं में 2,410 किलोमीटर की पाइपलाइन 30 वर्ष से अधिक पुरानी थी, जिनमें से केवल 64 किलोमीटर पाइपलाइन को प्रतिस्थापित किया गया था। इस प्रकार, केवल 2.66 प्रतिशत पाइपलाइन को बदला गया तथा बाकी की पुरानी और जीर्ण हुई पाइपलाइनों का आवधिक प्रतिस्थापन नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि 30 वर्ष से अधिक पुरानी पाइपलाइनों का प्रतिस्थापन वित्तीय बाधाओं के कारण संभव नहीं है।

### *2.3.14 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण*

उपभोक्ताओं की शिकायतों/परिवेदनाओं को विभाग द्वारा ऑनलाइन परिवेदना निवारण ट्रेकिंग सिस्टम (ओजीआरटीएस) के साथ हाथ से संधारित पारंपरिक अभिलेखों के माध्यम से पंजीकृत किया जा रहा था और विभागीय कर्मचारियों अथवा ठेकेदार के माघ्यम से निराकरण किया जा रहा था।

### *2.3.14.1 ऑनलाईन परिवेदना निवारण ट्रेकिंग सिस्टम*

ओजीआरटीएस, मोबाईल गर्वमेन्ट (एम- गर्वमेन्ट)[64] के अन्तर्गत, वेब आधारित अनुप्रयोग है और सेवा चैनलों (टेलीफोन वैब एवं मोबाइल) का उपयोग करते हुए शिकायतों का पंजीकरण करता है। निराकरण के लिए समय सीमा 'राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारण्टी अधिनियम[65](आरजीडीपीएसए)-2011' के अनुसार परिभाषित है। विभागीय पदाधिकारी कार्रवाई को अद्यतन करते हैं।

- 2011-14 की अवधि के दौरान, कुल 88,483 ऑन लाईन शिकायतें ओजीआरटीएस के माध्यम से प्राप्त हुई ***(परिशिष्ट 2.8)*** निर्धारित तीन दिन के समय के भीतर निराकरण का औसत प्रतिशत केवल 41 प्रतिशत था। उपभोक्ताओं की शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने की कोई कार्यवाही अभिलेखों पर उपलब्ध नहीं थी।

- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) के निर्देशों (नवम्बर 2007) के विपरीत सभी 23 जांचे गये ब्लाकों के सम्बन्धित उप खण्डों ने ओजीआरटीएस के माध्यम से प्राप्त प्रदूषित जल के लिए शिकायतों को, जल गुणवत्ता हेतु नमूनों का परीक्षण किये बिना निपटान किया। जांचे गये ब्लाकों में असंतुष्ट उपभोक्ताओं द्वारा अनवरत शिकायतों के प्रकरण ध्यान में आये।

### *2.3.14.2 हाथ से पंजीकृत शिकायतों का अनुसरण*

सचिव, पीएचईडी ने (सितम्बर 2006) प्राप्त शिकायतों की पंजिका संधारण करने और निवारण के लिए की गई कार्रवाई एवं जल स्त्रोतों की मरम्मत/बहाली, लीकेज की 48 घन्टे की अधिकतम सीमा के भीतर प्रतिक्रिया देने हेतु, निर्देश जारी किये। लेखापरीक्षा के दौरान सभी 23 ब्लॉकों की जांच में यह पाया गया कि यद्यपि, शिकायत पंजिकाएं संधारित थी लेकिन उचित प्रारूप में नहीं थी और निपटान किये जाने व निवारण हेतु की गई सुधारात्मक कार्रवाई की अनुगामी तिथियों का उल्लेख नहीं किया गया था। वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान किसी भी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पंजिका की समीक्षा नहीं की गई थी, नतीजन, शिकायतों का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

---

[64] एम-गर्वमेन्ट, विस्तार है-ई-गर्वमेन्ट से मोबाइल प्लेटफार्म का, साथ ही शासकीय सेवाओं और अनुप्रयोगों का महत्वपूर्ण उपयोग, जो कि केवल सेल्यूलर/मोबाइल टेलीफोन, लेपटॉप कम्प्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट (पीडीएएस) और बेतार इंटरनेट ढ़ाँचें का उपयोग करते हुए ही संभव है।

[65] आरजीडीपीएसए, सुनिश्चित करता है कि सभी राज्य विभागों द्वारा नागरिकों को लोक सेवाएं-पारदर्शी, समय पर, दक्षता और उत्तरदायी तरीके से प्रदान की जाती है।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय पर निवारण करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

### *2.3.15 सूचना, शिक्षा और संचार अभियान*

पेयजल आपूर्ति विभाग ने वर्ष 2010 के दौरान प्रभावी सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियानो के लिए, जमीनी स्तर पर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से, समुदायों को शामिल करते हुए जमीनी स्तर पर जागरूकता शिविरों, अन्तर व्यक्तिगत संचार अभियान, मास मीडिया अभियानों के आयोजनों, आडियो विजुअल कार्यक्रम और दस्तावेज/पुस्तिका के वितरण हेतु दिशा-निर्देश जारी किये। हालांकि यह पाया गया कि 2011-14 के दौरान केवल झुंझुनू जिले में, केवल 15 जागरूकता शिविरों और चार अन्तर व्यक्तिगत संचार अभियानों को आयोजित किया गया। 2011-14 के दौरान अन्य जिलों में कोई आईईसी गतिविधियां नहीं की गई थी।

### *2.3.16 निष्कर्ष एवं सिफारिशें*

राजस्थान पेयजल के प्रयोजन के लिए मूल रूप से भूजल पर निर्भर है, राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में रासायनिक संदूषक हैं और भूजल संचय में क्षरण जल गुणवत्ता में गिरावट कर रहा है। 'राजस्थान एकीकृत फ्लोरोसिस शमन कार्यक्रम (आरआईएफएमपी)' राज्य सरकार द्वारा फ्लोराईड के शमन हेतु 2005 में प्रारम्भ किया गया था। राज्य सरकार ने राज्य जल नीति को संपोषणीय आधार पर जल संसाधन आयोजन हेतु 2010 में अपनाया। रिवर्स ऑस्मोसिस की एक परियोजना भी अन्य संदूषणों को दूर करने हेतु 2012-13 के दौरान शुरू की गयी। यद्यपि, विभिन्न कमियां दूर की जानी अभी भी शेष हैं।

एनएचएस द्वारा 2003 में प्रारम्भिक सर्वेक्षण के बाद, राज्य सरकार ने पेयजल की कम गुणवत्ता वाली बस्तियों का कोई पश्चात्वृत्ति सर्वेक्षण नहीं किया। व्यापक आँकड़ों के अभाव में, जल गुणवत्ता के उन्नयन की आयोजना करना संभव नहीं है।

***राज्य सरकार को जल गुणवत्ता के उन्नयन की आयोजना करने के लिए बस्तियों की पहचान हेतु आवधिक सर्वेक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।***

राज्य सरकार आरआईएफएमपी कार्यक्रम पूर्णतया क्रियान्वयन करने में असफल रही। तथ्य के बावजूद कि कार्यक्रम का चरण-III क्रियान्वयन अधीन है, बड़ी संख्या में बस्तियों में उच्च फ्लोराईड संदूषक स्तर थे।

अन्य संदूषकों को दूर करने के उपाय के लिए आरओ संयंत्र देरी से, वर्ष 2012-13 में, स्थापित किए गए और इसमें भी केवल 12 जिले शामिल किये गये। आरओ संयंत्रों के क्रियान्वयन में कई समस्याएं देखी गयी।

***राज्य सरकार आरआईएफएमपी के अन्तर्गत जल के फ्लोराइड निवारण द्वारा घरेलू जल गुणवत्ता के उन्नयन हेतु लक्ष्यों/गतिविधियों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। सभी प्रभावित बस्तियों में आरओ संयंत्रों के विस्तार को बढ़ाने हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आरओ संयंत्रों सहित सभी उपायों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना चाहिए।***

जहां नलकूपों से पानी सीधे ही पाइप लाइनों में आपूर्तित किया गया, उन परियोजनाओं में क्लोरिनीकरण नहीं किया गया था। यह देखा गया कि क्लोरीन की मांग का निर्धारण ब्लीचिंग पाउडर के क्रय से पूर्व नहीं किया गया था। आवश्यक मानक परीक्षण, परीक्षण के लिये उपयुक्त प्रतिदर्श और ब्लीचिंग पाउडर के उपलब्ध भंडार के आवधिक परीक्षण आयोजित नहीं किये गये। पाइपलाइनों में रिसाव बिन्दु से प्रतिदर्श नहीं लिए गए और मरम्मत के बाद पाइपलाइनों का क्लोरिनीकरण नहीं किया गया।

***राज्य सरकार पेयजल को उचित और नियमित विसंक्रमित करना सुनिश्चित करे और उपलब्ध कराये ब्लीचिंग पाउडर हेतु बीआईएस द्वारा नियत मानकों का पालन करे।***

राज्य/जिला स्तर प्रयोगशालाओं को पर्याप्त ढ़ांचा/परीक्षण सुविधाएं और योग्य कर्मचारी प्रदान नहीं किये गये थे। ब्लाक स्तर प्रयोगशालाओं को सभी ब्लाकों में स्थापित नहीं किया गया था। ग्रामीण स्तर पर पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए फील्ड टेस्टिंग किटों का वितरण एवं उपयोग भी अपर्याप्त था। ग्रामीण स्तर पर जल नमूनों के परीक्षण के लिये नियत लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये थे।

***राज्य सरकार सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रयोगशालाओं में जल परीक्षण सुविधाएं योग्य मानव शक्ति सहित प्रदान करे। एफटीके की आवश्यक संख्या उपलब्ध कराई जावे और ग्रामीण स्तर पदाधिकारियों को वितरित की जावे।***

उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण में विलम्ब किया गया तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों की पंजिका संधारित नहीं की गई थी। लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिये पर्याप्त संख्या में कार्यक्रम आयोजित नहीं किये गये थे।

***राज्य सरकार उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण निर्धारित समयसीमा में करना सुनिश्चित करें।***

# अध्याय III
# अनुपालन लेखापरीक्षा

# अध्याय III
# अनुपालन लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों एवं उनके क्षेत्रीय घटकों के लेनदेनों की एवं स्वायत्तशाषी निकायों की लेखापरीक्षा में संसाधनों के प्रबंधन में चूक तथा विनियमन, औचित्यता एवं मितव्ययिता के मापकों के अनुपालन में विफलता के कई दृष्टांत ध्यान में आये हैं, जिन्हें वृहद् विषयक शीर्षो के अन्तर्गत अनुवर्ती अनुच्छेदों में प्रस्तुत किया गया है।

## 3.1 नियमों एवं विनियमों की अनुपालना नहीं किया जाना

## जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

### 3.1.1 पाईपों की आपूर्ति पर परिहार्य व्यय

**संवेदकों द्वारा अनुचित उच्च दरों पर पाईपों की आपूर्ति किये जाने से ₹ 1.06 करोड़ का परिहार्य व्यय।**

मुख्य अभियन्ता, सामग्री व्यवस्था प्रकोष्ठ, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को केन्द्रीयकृत मदों के लिए, सूचना व्यवस्था प्रणाली के भाग के रूप में सामग्री व्यवस्था मोडयूल का उपयोग, उनकी आवश्यकतायें प्रेषित करने एवं ऐसी मदों, जिनके लिए दर संविदाऐं विगत हाल में फाइनल की जा चुकी हैं या जल्दी ही फाइनल की जानी हैं, की मांग प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया (मई 2009)। मुख्य अभियन्ता ने दिसम्बर 2010 और दिसम्बर 2011 के दौरान विभिन्न फर्मो के साथ डक्ट आईरन (डीआई) के-7 पाईपों[1] की आपूर्ति के लिए दर संविदाएँ निष्पादित की।

अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सवाई माधोपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (सितम्बर 2012) एवं तदुपरान्त संग्रहित (जुलाई 2013) सूचनाओं में पाया गया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की नीति निर्धारण समिति के दिशा-निर्देशों (मई 2006) के अनुसार परियोजना का लाभ जनता को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु "नलकूप, हैण्डपम्प, उच्च/भूतल जलाशयों का निर्माण, पाईप लाईन की आपूर्ति, जोड़ने एवं बिछाने" के ग्यारह कार्य, एकल दायित्व के आधार कर आवंटित किये गये। इससे यह स्पष्ट था कि संवेदक, पाईपों सहित सभी सामग्रियों की आपूर्ति के साथ, सम्पूर्ण परियोजना के निष्पादन के लिए जिम्मेदार था।

1 80 एमएम: ₹ 638; 100 एमएम: ₹ 649 से ₹ 725; 125 एमएम: ₹ 890 एवं 150 एमएम: ₹ 905 प्रति मीटर।

अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सवाई माधोपुर ने विभागीय दर विश्लेषण के आधार पर, विचार-विमर्श के बाद, ग्यारह कार्यो की निविदाऐं अनुमोदित (जून से नवम्बर 2011) की। इन कार्यो में विभिन्न निविदा दरों[2] पर डीआई के-7 पाईपों की आपूर्ति सम्मिलित थी। तद्नुसार, अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सवाई माधोपुर द्वारा इन 11 कार्यो के लिए कार्य आदेश, जून 2011 एवं जनवरी 2012 में जारी किये गये **(परिशिष्ट 3.1)**। इन कार्य आदेशों के अनुसार, कार्यो को अक्टूबर 2011 एवं सितम्बर 2012 के दौरान पूर्ण किया जाना था।

डीआई के-7 पाईपों की अनुमोदित दरों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि दर संविदा के माध्यम से पाईपों के लिए मांग, जैसा कि मुख्य अभियन्ता के निर्देशों में प्रावधित था, सामग्री व्यवस्था प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करने के बजाय अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सवाई माधोपुर ने दर संविदा की दरों से उच्च दरें अनुमोदित की **(परिशिष्ट 3.1)**। दरों में ₹ 465 तथा ₹ 945 प्रति मीटर के बीच का अंतर था। विभाग द्वारा की गई दर विश्लेषण के परीक्षण में पाया गया कि इसमें कर, परिवहन, जोड़ना एवं बिछाना, ठेकेदार का लाभ, विशिष्ट सामग्री आदि के प्रभारों को शामिल किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ठेकेदारों द्वारा पाईपों की आपूर्ति के लिए उच्च दरों का अनुमोदन हुआ। यह भी ध्यान में आया कि 11 कार्यो में से 2 कार्य 4 से 8 माह के विलम्ब से पूर्ण हुये तथा 8 कार्य माह मार्च 2014 तक प्रगति पर थे।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि विभागीय आपूर्ति के लिए की गयी दर संविदाओं में बिछाना, जोड़ना और विशिष्ट सामग्री (वाल्व, फायर हाईड्रेन्ट आदि) के प्रभारों को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए दर संविदा के तहत मात्र पाईपों की आपूर्ति की दरें परियोजना, जिसमें पाईपों की आपूर्ति, बिछाना एवं जोड़ना शामिल होता है, के अंतर्गत पाईपों की आपूर्ति दरों से कम होती हैं। कार्यो की विभिन्न मदों जैसे उच्च/भूतल जलाशयों, पुनर्भरण संरचनाओं एवं संचालन तथा संधारण को ध्यान में रखने के बाद ही दरों का अनुमोदन किया गया था। पाईपों के लिए दर विश्लेषण प्रचलित बाजार दरों, मूल खरीद लागत, परिवहन प्रभार, टूट-फूट, कर, रॉयल्टी, ठेकेदारों का लाभ, पाँच वर्षो के लिए संचालन तथा संधारण आदि को देखते हुए किया गया था।

सरकार का प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निविदा में पाईपों की आपूर्ति के लिए अलग मद रखी गयी थी एवं यह एक गैर मूल दर अनुसूची[3] (बीएसआर) मद थी। अत: विभाग द्वारा मुख्य अभियन्ता के निर्देशों के अनुसार पाईपों की आपूर्ति ली जानी थी क्योंकि इस अवधि के दौरान दर संविदा विद्यमान थी। निविदा में बिछाना, जोड़ना एवं विशिष्ट सामग्री की लागत अलग से इंगित की गई थी। आगे, प्रभारों को पहले से ही संविदा में एक पृथक मद के रूप में शामिल

2 ₹ 1105 (80 एमएम); ₹ 1190 से ₹ 1356 (100 एमएम); ₹ 1450 (125 एमएम) एवं ₹ 1849 से ₹ 1850 (150 एमएम) प्रति मीटर।

3 वे मदें जो मूल दर अनुसूची के अंतर्गत आवृत्त नहीं होती हैं।

किया गया था एवं इसे पाईपों की लागत में शामिल करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त, दर संविदा के अंतर्गत दरों में, राज्य में कहीं भी परेषिति (पाने वाले) के मण्डलीय भण्डार पर सुपुर्दगी एवं बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, चुंगी आदि की तरह प्रवेश कर, पैकिंग, बीमा, अग्रेषण, चढ़ाना, उतारना एवं चट्टे लगाने के प्रभार सम्मिलित थे। इसलिए, विभाग द्वारा किये गये दर विश्लेषण में इन प्रभारों को लादना त्रुटिपूर्ण था जिसके परिणामस्वरूप पाईपों की आपूर्ति के लिए उच्च दरें अनुमोदित की गई।

इस प्रकार से, संवेदकों द्वारा अनुचित उच्च दरों पर पाईपों की आपूर्ति करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.06 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए एकल दायित्व के आधार पर कार्यों के निष्पादन का उद्देश्य भी विफल रहा क्योंकि 10 कार्य निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं हुए।

### 3.1.2 अनियमित एवं अनधिकृत व्यय

**वित्तीय शक्तियों के विपरीत अतिरिक्त कार्यों के निष्पादन पर ₹ 19.38 करोड़ का अनियमित एवं अनधिकृत व्यय।**

राजस्थान लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के परिशिष्ट XIII का क्रम संख्या 24, किसी कार्य विशेष के 'जी' अनुसूची या मात्रा बिल (बीओक्यू) में विद्यमान मात्रा से अतिरिक्त मात्रा की स्वीकृति, निष्पादन एवं भुगतान की शक्ति प्रतिपादित करता है।

(i) प्रशासनिक विभाग- स्वीकृत कार्य की निविदत्त राशि के 50 प्रतिशत तक अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक मद की मूल मात्रा के 50 प्रतिशत तक।

(ii) मुख्य अभियन्ता (मुअ)/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (अमुअ)/अधीक्षण अभियन्ता (अधीअ)/अधिशाषी अभियन्ता (अअ)-संबंधित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कार्य की निविदत्त राशि के 5 प्रतिशत तक अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक मद की मूल मात्रा के 5 प्रतिशत तक। उक्त सीमा से अधिक होने की दशा में, शक्तियों का प्रयोग, प्रचलित निविदा प्रीमियम कार्यस्थल तथा बाजार की स्थिति का निर्धारण करते हुये, अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा, मूल मात्रा के 5 प्रतिशत से अधिक एवं 25 प्रतिशत तक तथा स्वीकृत कार्य की निविदत्त राशि के भी 5 प्रतिशत से अधिक एवं 25 प्रतिशत तक का, निर्धारण किया जायेगा।

अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जालौर, भीनमाल एवं ग्रामीण-II जयपुर खण्डों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच (फरवरी एवं मई 2014) के दौरान यह विदित हुआ कि इन प्राधिकारियों ने अवधि 2009-14 के दौरान ₹ 0.20 करोड़ एवं ₹ 1 करोड़ के मध्य, 14 कार्यों[4] के लिए संविदा

4 वाल्व एवं अन्य विशिष्ट पुर्जों सहित एसी/यूपीवीसी पाईप लाईन की आपूर्ति, बिछाना, जोड़ना, परीक्षण करना एवं चालू करना (सारणी के क्रम संख्या 1 से 8) तथा 125/200 एमएम व्यास के नलकूप के साथ पुनर्भरण संरचना का निर्माण एवं चालू करना (सारणी के क्रम संख्या 9 से 14)।

निष्पादित की। दरें एक वर्ष के लिए वैध थी। छः ठेकेदारों[5] को कार्य आदेश इस शर्त के साथ आवंटित किये गये थे कि वे कार्य आदेश में अंकित वित्तीय सीमा उपयोग करने के पश्चात् कार्य नहीं करेंगें।

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जॉच में पाया कि कार्यकारी प्राधिकारियों ने इन्हीं 14 कार्यो में अतिरिक्त कार्यो की स्वीकृति के लिए निवेदन किया। इन कार्यो का निष्पादन नयी निविदा आमन्त्रित किये बिना किया गया। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी ने निविदा राशि के 50 से 1250 प्रतिशत के मध्य उच्च व्यय स्वीकृत किया। नियमों के अंतर्गत इन प्राधिकारियों को प्रदत्त निर्धारित अधिकतम वित्तीय सीमा (25 प्रतिशत) से ये काफी बाहर थे, जैसा कि निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित किया गया है:

(₹ करोड़ में)

| क.सं. | कार्य स्वीकृति प्राधिकारी | कार्य आदेश सं. एवं दिनांक | निविदा/ कार्य आदेश राशि | अतिरिक्त कार्य अनुमोदन प्राधिकारी | अतिरिक्त कार्यो की अधिकतम सीमा (कार्य आदेश राशि के 25 प्रतिशतता) | अनुमोदित संशोधित राशि (कार्य आदेश राशि की प्रतिशतता) | किया गया व्यय | सीमा से अधिक व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | राशि | प्रतिशतता |
| 1 | अधीअ, वृत जालौर | 6331/6.1.14, 6334/6.1.14 | 0.20 | मुअ (मु), जयपुर | 0.050 | 2.70 (1250) | 1.91 | 1.71 | 855 |
| 2 | उपरोक्त | 3224/5.8.11 | 0.30 | अमुअ, जोधपुर | 0.075 | 2.50 (733) | 2.50 | 2.20 | 733 |
| 3 | उपरोक्त | 3230/5.8.11 | 0.30 | उपरोक्त | 0.075 | 2.50 (733) | 2.50 | 2.20 | 733 |
| 4 | उपरोक्त | 3237/5.8.11 | 0.30 | उपरोक्त | 0.075 | 2.50 (733) | 2.01 | 1.71 | 570 |
| 5 | उपरोक्त | 3244/5.8.11 | 0.30 | उपरोक्त | 0.075 | 2.50 (733) | 2.50 | 2.20 | 733 |
| 6 | अमुअ, जोधपुर | 6112/ 16.9.09 | 0.30 | अधीअ वृत जालौर | 0.075 | 1.00 (233) | 1.00 | 0.70 | 233 |
| 7 | उपरोक्त | 6109/ 16.9.09 | 0.30 | उपरोक्त | 0.075 | 1.50 (400) | 1.50 | 1.20 | 400 |
| 8 | उपरोक्त | 6106/ 16.9.09 | 0.30 | उपरोक्त | 0.075 | 1.50 (400) | 1.43 | 1.13 | 377 |
| 9 | अधीअ, वृत जयपुर | 3953-58/ 27.6.13 | 1.00 | मुअ (मु), जयपुर | 0.250 | 1.50 (50) | 1.97 | 0.97 | 97 |
| 10 | उपरोक्त | 3934-40/ 27.6.13 | 1.00 | उपरोक्त | 0.250 | 1.50 (50) | 1.65 | 0.65 | 65 |
| 11 | उपरोक्त | 3947-52/ 27.6.13 | 1.00 | उपरोक्त | 0.250 | 1.50 (50) | 1.88 | 0.88 | 88 |
| 12 | अमुअ, जयपुर | 4194-99/ 2.7.13 | 1.00 | उपरोक्त | 0.250 | 1.50 (50) | 1.92 | 0.92 | 92 |
| 13 | उपरोक्त | 4243-50/ 2.7.13 | 1.00 | उपरोक्त | 0.250 | 1.50 (50) | 2.01 | 1.01 | 101 |
| 14 | उपरोक्त | 4151-59/ 1.7.13 | 1.00 | उपरोक्त | 0.250 | 1.50 (50) | 2.90 | 1.90 | 190 |
| | | | **8.30** | | **2.075** | **25.70 (210)** | **27.68** | **19.38** | |

उपर्युक्त सारणी स्पष्ट दर्शाती है कि कुल मूल्य ₹ 8.30 करोड़ निविदा/कार्य आदेश के समक्ष वास्तव में ₹ 27.68 करोड़ की लागत पर कार्यो का निष्पादन किया गया। कार्य मदों का अतिरिक्त मूल्य, मूल निविदा मूल्य से 65 से 855

5 (i) मै. एम.एम. कन्स्ट्रक्शन कं., जालौर (ii) मै. गनी खान खुदा बक्स खान, भीनमाल (iii) मै. कृष्णा कन्स्ट्रक्शन कं. तिलोड़ा, जालौर (iv) मै. लक्ष्मण सिंह सूर सिंह, भीनमाल (v) मै. श्री श्याम ट्यूबवैल कं. शाहपुरा एवं (vi) मै. श्याम एन्टरप्राईजेज ।

प्रतिशत के बीच था और लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों (25 प्रतिशत) के काफी बाहर था। इस प्रकार, कार्यकारी प्राधिकारी न केवल उनके खण्डों में कार्य की आवश्यकताओं के आंकलन में विफल हुए बल्कि विभाग, निविदाओं के ₹ 0.20 करोड़ से ₹ 1.00 करोड़ के कम मूल्य रखने की वजह से, उच्च श्रेणी के ठेकेदारों से प्रतियोगितात्मक दरें प्राप्त करने से भी वंचित रहा। अनुमोदनकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अपनी वित्तीय सीमाओं का उल्लंघन किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 19.38 करोड़ का अनियमित एवं अनधिकृत व्यय हुआ।

कार्य आदेश संख्या 6331 और 6334 के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता, वृत जालौर ने लेखापरीक्षा का तर्क स्वीकार करते हुये स्पष्ट किया (अगस्त 2014) कि संबंधित अधिशाषी अभियन्ता ने कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व ही ₹ 2.70 करोड़ के अतिरिक्त कार्यों के लिए सीधे ही मुख्य अभियन्ता (मु) से, बिना निर्धारित विभागीय प्रक्रिया अपनाऐ तथा बिना अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता की टिप्पणी के, अनुमति प्राप्त की। यह उनकी वित्तीय सीमा से 1250 प्रतिशत अधिक था। मुख्य अभियन्ता (मु) ने अधिशाषी अभियन्ता के निवेदन पर अपनी सेवा निवृत्ति के दिन, यथा 31.12.2013 को, 'प्रस्तावों के अनुसार अनुमत्य' लिखते हुए अनुमोदित किया था। अनुमोदन वैध नहीं था क्योंकि यह मुख्य अभियन्ता (मु) की वित्तीय शक्तियों से बाहर था। साथ ही इस अनुमोदन की जाँच निचले स्तर के प्राधिकारियों द्वारा, उनकी टिप्पणी के लिये नहीं की गई थी। संबंधित अधिशाषी अभियन्ता ने अनुबंध के तहत ₹ 1.88 करोड़ का कार्य अनुबंध की स्वीकृति से पूर्व निष्पादित किया। अधीक्षण अभियन्ता ने यह भी स्वीकार किया कि यदि ₹ 1.88 करोड़ के कार्यों के लिए निविदाऐं आमन्त्रित की जाती तो विभाग को प्रतियोगितात्मक दरें प्राप्त होती तथा विभाग पाईपों की आपूर्ति पर उत्पाद शुल्क के लिए छूट का हकदार भी होता जिसे विभाग के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया।

अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड भीनमाल एवं ग्रामीण-II, जयपुर ने अवगत कराया (अप्रैल एवं मई 2014) कि निविदाऐं मुख्य अभियन्ता (मु) द्वारा अनुमोदित की गई थी एवं तदनुसार कार्य आदेश जारी किये गये और कार्य निष्पादित करवाया गया। प्रत्युत्तर उक्त नियमों के विपरीत था क्योंकि मुख्य अभियन्ता (मु) को प्रत्येक प्रकरण में कार्य आदेश/निविदा राशि से 25 प्रतिशत से अधिक के अतिरिक्त कार्य स्वीकृत करने की शक्तियां प्रदत्त नहीं की गई थी।

इस प्रकार, मूल स्वीकृति के 50 से 1250 प्रतिशत तक अतिरिक्त स्वीकृतियाँ जारी की गई और परिणामत: मूल कार्य आदेशों से 65 से 855 प्रतिशत तक व्यय अधिक किया गया था जो अनियमित एवं अनधिकृत था। निविदा प्राधिकारियों द्वारा जान बूझकर कार्य के क्षेत्र को कम करते हुए प्रतियोगितात्मक बोली के प्रवेश को प्रतिबंधित करने तथा विशेष ठेकेदारों को वित्तीय फायदा पहुँचाने की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता।

प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित (मई एवं जुलाई 2014) किया गया, जिसका प्रत्युत्तर प्रतीक्षित (नवम्बर 2014) था।

## 3.2 औचित्यता के विरूद्ध लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त न्यायोचितता के बिना व्यय के मामले

## श्रम विभाग

### 3.2.1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन नहीं किया जाना

**योजना के कमजोर क्रियान्वयन के कारण ऋण राशि ₹ 32.94 करोड़ का अनुपयोजित रहना एवं 27 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कर्ष केन्द्रो में उन्नयन नहीं किया जाना ।**

भारत सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को विशिष्ट व्यवसाय एवं कौशल के उत्कर्ष केन्द्रों में उन्नयन करने के उद्देश्य से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-12) के लिए 'निजी जन सहभागिता के माध्यम से 1396 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन' करने की योजना का अनुमोदन (अक्टूबर 2007) किया। योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना तथा उनके कौशल को उन्नत करना था ताकि वे स्थिर रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु प्रक्रिया की मार्गदर्शक/अगुवाई करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा एक औद्योगिक सहभागी की पहचान की जानी थी। केन्द्र सरकार (श्रम एवं नियोजन मंत्रालय), राज्य सरकार एवं औद्योगिक सहभागी द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया जाना था। योजना की विभिन्न गतिविधियों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा योजना की प्रगति का अनुश्रवण किये जाने हेतु प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु, औद्योगिक सहभागी की अध्यक्षता में एवं उसके द्वारा स्थानीय उद्योग से मनोनीत चार सदस्यों के साथ राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पाँच सदस्यों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य को पदेन सदस्य सचिव के रूप, संस्था प्रबन्ध समिति की स्थापना की जानी थी।

योजना के अंतर्गत भारत सरकार, श्रम एवं नियोजन मंत्रालय द्वारा प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को ₹ 2.50 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण सीधे ही संस्था प्रबन्ध समिति को उपलब्ध करवाया जाना था। इस ऋण राशि का उपयोग, अतिरिक्त सिविल कार्यो के लिए (25 प्रतिशत से अधिक नहीं), सीड मनी (50 प्रतिशत से अधिक नहीं) संचालन अवधि के दौरान आवृत्ति व्ययों की पूर्ति के लिए कोरपस निधि में रखे जाने तथा मशीनरी एवं उपकरण का क्रय और प्रशिक्षण के बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन से सीधे जुड़ी अन्य गतिविधियों पर उपयोग हेतु किया जाना था। सभी बुनियादी सुविधाओं का विकास, योजना के प्रथम दो वर्षो में किया जाना था। प्रत्येक चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की संस्था प्रबन्ध समिति

द्वारा, दीर्घ अवधि लक्ष्यों, कार्य संबंधी सुधार के लक्ष्यों, आधारभूत निष्पादन सूचकों एवं बुनियादी सुविधाओं वित्तीय आवश्यकताओं के विवरण को समाविष्ट करते हुए पाँच वर्ष की अवधि का 'संस्था विकास योजना' तैयार कर इसे राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को, प्रस्तुत करना था।

राजस्थान में उन्नयन के लिए 105 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चयनित किए गए थे एवं समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के उपरान्त, 2007-12 की अवधि के दौरान ऋण स्वीकृत किया गया। इनमें से 32 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिनकी पांच वर्ष की अवधि 31 मार्च 2014 को पूर्ण हो चुकी थी, लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए चयनित किया गया। निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर के अभिलेखों की नमूना जांच एवं संग्रहित सूचनाओं (जून 2011 से अगस्त 2014) में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

(अ) 2007-09 के दौरान स्वीकृत राशि की स्थिति एवं उपयोग (अक्टूबर 2014 तक) निम्नलिखित तालिका में दिखायी गयी है:

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | लेखापरीक्षा विश्लेषण के लिए चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या | स्वीकृत राशि | किया गया व्यय | सीडमनी | कुल उपयोग | अव्ययित शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 17[6] | 42.50 | 17.76 | 6.91 | 24.67 | 17.83 |
| 2008-09 | 15[7] | 37.50 | 17.36 | 5.03 | 22.39 | 15.11 |
| **योग** | **32** | **80.00** | **35.12** | **11.94** | **47.06** | **32.94** |

32 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्वीकृत ऋण ₹ 80 करोड़ के विरूद्ध बुनियादी सुविधाओं के विकास पर केवल ₹ 35.12 करोड़ (44 प्रतिशत) व्यय किये गये। राशि ₹ 11.94 करोड़ (30 प्रतिशत) मियादी जमाओं में सीडमनी के रूप में रखी गई जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार ₹ 40 करोड़ (50 प्रतिशत) तक की अनुमत्य राशि से बहुत कम थी। किसी भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने इस निधि से व्यय नहीं किया था। राशि ₹ 32.94 करोड़ का अव्ययित ऋण संबंधित संस्था प्रबन्ध समिति के बैंक खातों में पड़ा था जिससे 30 जून 2014 तक ₹ 17.17 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया।

6 आबू रोड, अजमेर (महिला), अलवर (महिला), बालोतरा, बांसवाडा, ब्यावर, भीलवाडा, भिवाडी, बून्दी, डूंगरपुर, जयपुर (महिला), झालावाड, खेतडी, लाखेरी, नागौर, प्रतापगढ़ एवं सीकर में स्थित ।

7 अन्ता, भवानीमण्डी, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जैतारण, जालौर, जोधपुर (महिला), करौली, किशनगढ़, रावतभाटा, सागवाडा, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर (महिला) में स्थित।

(ब) राज्य सरकार ने इन 32 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 138 नई व्यवसायिक इकाइयों[8] के साथ 36 व्यवसायों[9] को स्वीकृत (अक्टूबर 2009) किया। तदुपरान्त महानिदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, भारत सरकार द्वारा दिए गए सुझाव (सितम्बर 2010) पर व्यावसायिक ईकाइयों को बढ़ाकर 250 कर दिया गया। कोष जारी करते समय भारत सरकार ने जोर दिया कि राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) से सम्बद्धता प्राप्त कर बुनियादी संरचनाओं (कार्यशाला, कक्षाशाला, उपकरण, फर्नीचर आदि) के विकास में एनसीवीटी के मानकों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा के अनुसार इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक ईकाई की स्थिति तथा बुनियादी सुविधाओं के विकास की स्थिति (जून 2014) का वर्णन नीचे किया गया है:

**(₹ करोड़ में)**

| कार्य की स्थिति (अतिरिक्त सिविल कार्य) | नमूना जाँच की गई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की संख्या | किया गया व्यय | | | | | | कुल व्यय | व्यावसायिक ईकाइयों की स्थिति | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सिविल कार्य | | मशीनरी उपकरण[10] | | मानव शक्ति प्रशिक्षण | | | स्वीकृत | संबंद्धीकरण | प्रारम्भ की गई |
| | | परियोजना लागत | वास्तविक व्यय | परियोजना लागत | वास्तविक व्यय | परियोजना लागत | वास्तविक व्यय | | | | |
| पूर्ण | 15[11] | 9.53 | 9.41 | 14.88 | 12.24 | 7.57 | 3.20 | 24.85 | 122 | 74 | 74 |
| अपूर्ण | 8[12] | 4.91 | 2.46 | 8.85 | 4.14 | 4.05 | 0.73 | 7.33 | 56 | 12 | 12 |
| अप्रारम्भ | 9[13] | 5.47 | 0.17 | 9.32 | 2.32 | 4.51 | 0.45 | 2.91 | 72 | 10 | 10 |
| **योग** | **32** | **19.91** | **12.04** | **33.05** | **18.70** | **16.13** | **4.38** | **35.12** | **250** | **96** | **96** |

उपर्युक्त तालिका से निम्नलिखित दृष्टिगत हुआ:

(i) पन्द्रह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने स्वीकृत 122 व्यावसायिक यूनिटों के साथ अतिरिक्त सिविल कार्य (₹ 9.41 करोड़) एवं मशीनरी/उपकरण की खरीद (₹ 12.24 करोड़) कर कार्य पूर्ण किया। यद्यपि, एनसीवीटी के साथ केवल 74 व्यावसायिक यूनिटों की सम्बद्धता प्राप्त की गई। इन 15 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से केवल 5 ने (ब्यावर, बांसवाडा, हनुमानगढ, जैतारण एवं उदयपुर) उनको स्वीकृत सभी 42 व्यावसायिक ईकाइयाँ चालू कीं, 5 ने केवल 32

8 "व्यवसाय ईकाई" स्वीकृत व्यवसाय के अंतर्गत विद्यार्थियों का समूह/कक्षा है।

9 "व्यवसाय" एक कुशल प्लम्बर, विद्युतकर्मी, फिटर, वैल्डर, टर्नर, बढ़ई आदि का एक शाखा या पाठयक्रम है।

10 योजना में प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु आवश्यक मशीनों एवं उपकरणों की खरीद की विशिष्टिता नहीं की गई थी। संस्था विकास योजना के तहत व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार इन्हे खरीदा जाना था।

11 अन्ता, बांसवाडा, ब्यावर, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर (महिला), जैतारण, जोधपुर (महिला), खेतडी, सीकर, उदयपुर (महिला), लाखेरी, सिरोही एवं टोंक में स्थित।

12 अजमेर (महिला), भिवाडी, दौसा, जालौर, करौली, किशनगढ, नागौर एवं प्रतापगढ में स्थित।

13 आबू रोड़, अलवर (महिला), बालोतरा, भवानीमण्डी, भीलवाडा, बून्दी, झालावाड़, रावतभाटा एवं सागवाडा में स्थित।

व्यावसायिक ईकाइयां (52 के विरूद्ध) आरम्भ की जबकि 5 ने स्वीकृत 28 व्यावसायिक ईकाइयों में से कोई भी चालू नहीं की ।

(ii) आठ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने सिविल कार्य पर केवल ₹ 2.46 करोड़ (₹ 4.91 करोड़ के विरूद्ध) तथा मशीनरी/उपकरण खरीद पर केवल ₹ 4.14 करोड़ (₹ 8.85 करोड़ के विरूद्ध) व्यय किये और इस प्रकार से, बुनियादी कार्य पूर्ण नहीं किया। इन 8 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 56 व्यावसायिक ईकाइयाँ स्वीकृत थी जिसमें से केवल 12 व्यावसायिक ईकाइयों के लिए एनसीवीटी से संम्बद्धता प्राप्त की गई। ये 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (भिवाडी एवं किशनगढ़) उनके मौजूदा बुनियादी संरचनाओं के साथ चालू की जा चुकी है, एवं बाकी 4 व्यवसायिक ईकाइयां अभी चालू की जानी थी। शेष 6 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने स्वीकृत 40 व्यावसायिक ईकाइयों में कोई भी चालू नहीं की।

(iii) नौ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने कोई भी ढांचागत कार्य आरम्भ नहीं किया और सिविल कार्य पर ₹ 0.17 करोड़ (₹ 5.47 करोड़ के विरूद्ध) तथा मशीनरी/उपकरण की खरीद पर ₹ 2.32 करोड़ (₹ 9.32 करोड़ के विरूद्ध) अल्प व्यय किया। इन नौ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 72 व्यावसायिक ईकाइयां स्वीकृत की गई थी, इन में से 10 व्यावसायिक ईकाइयों के लिए एनसीवीटी से सम्बद्धता प्राप्त की गई, जिन्हें दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (अलवर एवं भवानीमण्डी) (20 के विरूद्ध) द्वारा इनके मौजूदा संरचनाओं में चालू किया गया। इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा शेष 62 व्यावसायिक ईकाइयों को चालू नहीं किया गया था।

(स) राज्य सरकार ने प्रारम्भ में 138 नयी ईकाइयों को चलाने के लिए 138 कनिष्ठ अनुदेशकों के पद सृजित (अक्टूबर 2009) किये, जिनमें नियमित आधार पर केवल 5 तथा संविदा आधार पर 45 अनुदेशक ही पदस्थापित किए गए। तदनन्तर व्यावसायिक ईकाइयों की संख्या 250 बढाने पर इन पदों में बढोतरी नहीं की गई। इस प्रकार 50 अनुदेशकों द्वारा 96 व्यावसायिक ईकाइयां चलाई जा रही थी।

(द) अधिकतर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने उनके बुनियादी संरचनाओं का विकास नहीं किया, यह स्पष्ट है कि योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन एवं इसकी प्रगति के अनुश्रवण को सुनिश्चित करने में संस्था प्रबन्ध समिति विफल रही, परिणामस्वरूप सिविल कार्य, मशीनरी की खरीद तथा अनुदेशकों की नियुक्ति आदि कार्य अपूर्ण रहे। केवल पाँच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ही सभी प्रकार से पूर्ण पाये गये।

(य) उन्नयन की प्रक्रिया की अगुवाई में प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक औद्योगिक सहभागी को शामिल किया गया था, जिसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के उन्नयन में वित्तीय अंशदान देना था यद्यपि इसकी कोई पूर्व शर्त नहीं

थी। वे मशीनरी एवं उपकरणों का योगदान भी कर सकते थे जिससे उपकरणीय सामर्थ्यता से योजना के उद्देश्य को आगे बढाया जा सकता था। तथापि, चार औद्योगिक सहभागियों, जिन्होने एक नलकूप (भीलवाडा), एक मोटर कार (भिवाडी), एक छात्रावास भवन (धौलपुर) और तीन कम्प्यूटर (हनुमानगढ़) दिये, के योगदान को छोड़कर योजना को किसी भी औद्योगिक सहभागी ने कोई वित्तीय सहयोग, मशीनरी या उपकरणों का योगदान नहीं दिया। इससे यह इंगित होता है कि विभाग, अधिकतर औद्योगिक सहभागियों को उनके दायित्वों को पूरा करने के लिए राजी नहीं कर पाया। दक्षता उन्नयन की प्रक्रिया में भी उनके मार्गदर्शक की भूमिका बहुत कमजोर रही क्योंकि ईकाईयों को चलाने में उन्होने कोई रूचि नहीं दिखाई।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुऐ अवगत कराया (अक्टूबर 2014) कि सिविल कार्यो को पूर्ण करवाने एवं शेष राशि के उपयोग के प्रयास किये जा रहे हैं। शेष व्यवसायों के उपयोग के लिए संसाधनों का विकास किया जा रहा है। आगे, यह भी अवगत करवाया कि अनुदान के उपयोग नहीं किये जाने की दशा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, उनके बाद के औद्योगिक विकास आयोजना के प्रस्तावों को प्रस्तुत कर उसका उपयोग आगामी पाँच वर्षो में लिया जा सकेगा।

तथ्य यह रहा कि योजना की धीमी गति से क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप 27 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पाँच वर्ष व्यतीत होने एवं ₹ 25.61 करोड़[14] व्यय होने के बावजूद भी 154 ईकाइयां (74 प्रतिशत) प्रारम्भ नहीं की जा सकी एवं ₹ 32.94 करोड़ की ऋण राशि भी अनुपयोजित रही।

## चिकित्सा शिक्षा विभाग

### 3.2.2 तीन वर्ष से अधिक समय तक निधियों का अवरोधन

**बिना कार्मिकों के परिनियोजन सुनिश्चित किये कार्डियो थोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी इकाई के निर्माण व उपकरणों के क्रय करने से ₹ चार करोड़ की निधियों का तीन वर्षो से भी अधिक समय तक अवरूद्ध रहना।**

राजस्थान सरकार ने दिसम्बर 2004 में शहरी विकास हेतु जनसाधारण से योगदान आमंत्रित करने के लिए एक शहरी जन सहभागी योजना (शजयो) प्रारम्भ की जिसमें सामान्य जागरूकता एवं विकास कार्य दो मुख्य घटक थे। योजना के तहत विकास परियोजनाओं की लागत का 50 प्रतिशत राज्य सरकार, 30 प्रतिशत जनसामान्य के योगदान तथा 20 प्रतिशत सम्बन्धित नगर परिषदों/नगर सुधार न्यासों के योगदान द्वारा वहन की जानी थी।

14 ₹ 35.12 करोड़- ₹ 9.51 करोड़ (पांच आईटीआई में सभी व्यवसाय चल रहे थे)

मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणा (अप्रैल 2007) की अनुपालना में चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार ने शहरी जन सहभागी योजना के अन्तर्गत जवाहर लाल नेहरू (जेएलएन) अस्पताल, अजमेर में भवन निर्माण व उपकरण क्रय कर एक कार्डियो थोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी इकाई (सीटीवीएसयू) के विकास का अनुमोदन (जून 2007) किया एवं तदनुसार अधीक्षक, जेएलएन अस्पताल को योगदान के लिए निजी दानदाताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करने तथा कलेक्टर, अजमेर को शहरी जन सहभागी योजना के अन्तर्गत निर्माण प्रारम्भ करने की स्वीकृति जारी करने को कहा (जून 2007) गया।

अधीक्षक, जेएलएन अस्पताल, अजमेर के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच (नवम्बर-दिसम्बर 2013) में प्रकट हुआ कि ₹ 4.02 करोड़[15] की उपलब्ध निधि के समक्ष भवन निर्माण पर ₹ 0.88 करोड़ व उपकरण क्रय पर ₹ 2.22 करोड़ व्यय किये गये। ₹ 0.92 करोड़[16] की शेष राशि विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों के पास पड़ी थी।

- राशि ₹ 0.88 करोड़ की लागत से निर्मित भवन जो कि जुलाई 2012 में पूर्ण हो चुका था, अनुपयोगी पड़ा रहा (मई 2014)।

- सीटीवीएसयू के संचालन के लिए ₹ एक करोड़ की लागत के उपकरण जनवरी से मार्च 2009 के मध्य तथा ₹ 1.22 करोड़ के उपकरण सितम्बर 2012 से मार्च 2013 के मध्य क्रय किये गए। ये सभी उपकरण क्रय करने के बाद से ही अनुपयोगी पड़े थे। बिना उपयोग के लम्बे समय तक महंगे उपकरणों का भंडारण करना, उन्हें अप्रभावी व अनुपयोज्य बना सकता है।

- अस्पताल, योजनानुसार निजी दानदाताओं से कोई भी योगदान प्राप्त करने में असफल रहा जैसाकि योजना में परिकल्पित था।

- यह भी पाया गया कि सीटीवीएसयू के संचालन के लिए आवश्यक 86 कार्मिकों के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा केवल 32 पद ही स्वीकृत (नवम्बर 2012) किये और ये भी खाली पड़े थे (मई 2014)।

राज्य सरकार ने बताया (मई व सितम्बर 2014) कि एक डॉक्टर को कार्डियो थोरेसिक सर्जन के रूप में जून 2008 में पदस्थापित किया गया था, जिसने सितम्बर 2012 तक रोगियों[17] को चिकित्सीय सुविधाएँ उपलब्ध करवाई तथा ₹ 2.22 करोड़ की लागत के उपकरण उनके क्रय करने के बाद से ही उपयोग में लिए गए, अत: सीटीवीएसयू पर व्यय राशि को निष्फल नहीं कहा जा सकता।

---

15 नगर सुधार न्यास, अजमेर से ₹ 3.00 करोड़ तथा राज्य सरकार से ₹ 1.02 करोड़।

16 उपकरण के पेटे राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के पास ₹ 0.78 करोड; भवन निर्माण के पेटे सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास ₹ 0.12 करोड़ तथा राजकोष में समर्पित राशि ₹ 0.02 करोड़।

17 ओपीडी: 2302; आईपीडी: 1012; क्लोज हार्ट सर्जरी: 154; थोरेसिक सर्जरी: 54; वैस्कुलर सर्जरी: 97; ट्रौमा: 90; मेजर ऑपरेशन: 4 एवं ओपन हार्ट सर्जरी: 1

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, सीटीवीएसयू भवन का निर्माण व अस्पताल प्रशासन को इसका सुपुर्दगी ही जुलाई 2012 में किया गया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा दल द्वारा उप अधीक्षक, जेएलएन अस्पताल के साथ किए गए संयुक्त निरीक्षण (दिसम्बर 2013) में यह प्रकट हुआ कि इकाई भवन एवं उपकरणों का उपयोग हुआ ही नहीं था। अत: सरकार का तर्क कि उपकरण उपयोग में लाए जा रहे थे सही नहीं था।

इस प्रकार, विभाग द्वारा सीटीवीएसयू भवन व इससे सम्बन्धित उपकरणों के उपयोग में असफल होने से न केवल ₹ चार करोड़[18] की निधियाँ तीन वर्षों से भी अधिक समय तक अवरूद्ध रहीं बल्कि रोगी भी तत्काल राहत मिलने से वंचित रहे। साथ ही निजी दान के सृजन में निष्ठापूर्वक प्रयासों की कमी के कारण सारी लागत राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास को वहन करनी पड़ी।

## जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

### 3.2.3 परियोजना के निष्पादन में विलम्ब

**33 केवी फीडर लाईन के कार्य का निष्पादन नहीं करने के कारण ₹ 4.12 करोड़ की निधियाँ सात वर्ष से अधिक के लिए अवरूद्ध रही एवं 138 गांवों की जनता पेयजल योजना की आपूर्ति से वंचित रही।**

अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजीव गांधी लिफ्ट नहर वृत-II, जोधपुर ने मुख्य अभियन्ता, परियोजना आयोजना एवं प्रबन्धन (पीपीएम) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को नर्मदा नहर से पेयजल आपूर्ति परियोजना के लिए, अविरल विद्युत आपूर्ति हेतु डेडीकेटेड फीडर लाईन की व्यवस्था करने का निवेदन (फरवरी एवं अगस्त 2006) किया। तद्नुसार जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने एक अन्तरिम अनुमान (₹ 22.75 करोड़)[19] प्रस्तुत (अक्टूबर 2006) किया जिसमें 95 किलोमीटर (किमी)[20] की डेडीकेटेड फीडर लाईन के लिए

---

18 किया गया व्यय: ₹ 3.10 करोड़, सानिवि के पास: ₹ 0.12 करोड़ और आरएमआरएस के पास अनुपयोगी पड़ा: ₹ 0.78 करोड़ ।

19 95 किमी 33 केवी लाईन हेतु: ₹ 10.45 करोड़; 33/3.3 केवी एवं 33/0.4 केवी 3 उपकेन्द्र हेतु: ₹ 4.80 करोड़; 33/0.4 केवी 6 उपकेन्द्र हेतु: ₹ 7.50 करोड़ = योग: ₹ 22.75 करोड़।

20 एफआर; परियोजना: 33 केवी फीडर लाईन सांचौर से तेतरोल = 25 किमी; दसपा से बागोड़ा हेडवर्क = 24 किमी; सायला से उम्मेदाबाद = 10 किमी; पहाड़पुर से सिल्लू = 10 किमी ।

डीआर परियोजना: 33 केवी फीडर लाईन सांचौर से अगार = 6 किमी; अगार से पहाडपुर = 3 किमी; साकड से सरनाऊ: 6 किमी; साकड से कुढा: 9 किमी और रानीवाड़ा से देवपुरा: 2 किमी।

33 केवी लाईन हेतु ₹ 10.45 करोड़ (मार्च 2007 में 102 किमी हेतु ₹ 11.22 करोड़ संशोधित) शामिल थे। इसकी अनुपालना में, अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नर्मदा नहर परियोजना (ननप) खण्ड, सांचौर ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को ₹ 10.72 करोड़ (नवम्बर 2006: ₹ 7.20 करोड़ एवं मार्च 2007: ₹ 3.52 करोड़) अग्रिम जमा करवाये। इस राशि में एफआर परियोजना के लिए राशि ₹ 6.60 करोड़ एवं डीआर परियोजना के लिए ₹ 4.12 करोड़, दोनों की फीडर लाईन कार्य के लिए, शामिल थे। 76 किमी के लिए एफआर परियोजना का कार्य अप्रैल 2014 में पूर्ण कर लिया गया था।

दो परियोजनाओं, यथा एफआर-आरडी- 44.22 ट्रांसमीशन मेन-I, तेतरोल-बागड़ा -जालौर-अहोर (एफआर परियोजना) एवं डीआर-आरडी-16.00 ट्रांसमीशन मेन-I सांचौर-रानीवाडा-जसवंतपुरा (डीआर परियोजना), को सम्मिलित कर 102 किमी की डेडीकेटेड फीडर लाईन के लिए 33 केवी लाईन, का कार्य जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सौंपा गया। अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ननप वृत, सांचौर के अभिलेखों की नमूना जाँच (दिसम्बर 2012) एवं अतिरिक्त संग्रहित सूचनाओं (अगस्त 2013 एवं अप्रैल 2014) में प्रकट हुआ कि:

- डीआर परियोजना में ₹ 4.12 करोड़ की अनुमानित लागत की 26 किमी फीडर लाईन के कार्य से, जालौर जिले के सांचौर कस्बे के साथ-साथ 138 गांवो को, लाभ पहुँचाने का उद्देश्य था। डीआर परियोजना (सिविल कार्य) के निष्पादन के लिए एकल बिन्दु दायित्व[21] (एसपीआर) पर निविदा अप्रैल 2007 एवं पुन: अक्टूबर 2007 में आमन्त्रित की गई थी।

- तथापि, वित्त समिति ने निविदा प्रक्रिया को बंद करने तथा परियोजना को वार्षिक भुगतान आधार पर कराऐ जाने का निर्णय (अक्टूबर 2007) लिया। राज्य सरकार ने इस परियोजना को बनाना-संचालन-स्थानान्तरण (बीओटी) आधार पर किए जाने वाली परियोजनाओं की सूची में शामिल किया (जून 2008)।

- इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए अधीक्षण अभियन्ता ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 33 केवी लाईन के निर्माण का कार्य आगामी सूचना तक प्रारम्भ नहीं करने के निर्देश जारी (मार्च 2009) किये ।

- राज्य सरकार द्वारा इस कार्य को प्राथमिकता नहीं दी गयी और इसके लिए तीन वर्ष छ: माह तक निधियां भी आवंटित नहीं की। सिविल कार्य के लिए एकल बिन्दु दायित्व आधार पर नवम्बर 2012 में निविदा आमन्त्रित की गई तथा

21 एकल बिन्दु दायित्व का उपयोग टर्नकी परियोजना के लिए किया जाता है जिसके अन्तर्गत सभी कार्य की मदों को ठेकेदार द्वारा एकल बिन्दु दायित्व जैसे निष्पादित किया जाता है।

कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि फरवरी 2015 के साथ यह कार्य आवंटित (फरवरी 2013) किया गया।

परियोजना का निष्पादन बीओटी अथवा अन्य आधार पर करवाने में सरकार के अनिर्णय की स्थिति के कारण पाँच से अधिक वर्षों (अप्रैल 2007 से फरवरी 2013) का असामान्य विलम्ब हुआ और 138 गांवो की जनसंख्या, नलों से पेयजल प्राप्त करने से वंचित रही। इसके अतिरिक्त, जैसे ही वित्त समिति ने परियोजना को बीओटी आधार पर लिये जाने का निर्णय (अक्टूबर 2007) लिया था, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को दिये गये अग्रिम (₹ 4.12 करोड़) की वसूली की जानी चाहिए थी। इस राशि की वसूली नहीं करने के परिणामस्वरूप सरकारी धन का अवरोधन हुआ। इसके अलावा, सरकार के अनिर्णय की स्थिति के कारण परियोजना की लागत भी ₹ 64.99 करोड़ से (₹ 194.62 करोड़ - ₹ 129.63 करोड़) बढ़ गयी।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवम्बर 2014) कि क्योंकि परियोजना के लिए नई स्वीकृति जारी नहीं की गई थी अपितु मूल स्वीकृति की संशोधित स्वीकृति 28 अगस्त 2012 को जारी की गई थी, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पास जमा राशि वापिस नहीं ली गई। प्रत्युत्तर पुष्टि करता है कि सरकारी धन सात वर्षों से अधिक के लिए अवरूद्ध रहा।

### 3.2.4 परिहार्य अतिरिक्त दायित्व का सृजन

**द्वितीय निम्न बोली दाता की समझौता दरें, जो अनुमानित लागत से कम थी, को निरस्त करने एवं निविदा प्रकिया के अन्तिमीकरण में असामान्य देरी के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप, कार्य का आवंटन ₹ 8.02 करोड़ की अतिरिक्त परिहार्य लागत/दायित्व पर किया जाना।**

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल की नीति निर्धारण समिति ने बारां जिले की अन्ता, बारां एवं मंगलोर तहसीलों के 42 गांवों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 'नागदा अन्ता बलदेवपुरा जल आपूर्ति परियोजना' हेतु ₹ 71.68 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी (दिसम्बर 2010) की। तदनुसार अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, कोटा ने कार्य के लिए निविदा आमन्त्रित (अप्रैल 2011) की।

मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विशेष परियोजना (विप), जयपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (जनवरी 2014) में यह ध्यान में आया कि उक्त कार्य के लिए पाँच निविदाऐं प्राप्त हुई (15 अप्रैल 2011), मैं. श्रीराम ईपीसी लिमिटेड, चेन्नई (ठेकेदार 'अ'), ₹ 49.10 करोड़ के प्रस्ताव के साथ निम्नतम

बोलीदाता पाया गया, जो अनुमानित लागत (₹ 51.85 करोड[22]) से 5.30 प्रतिशत कम थी एवं इसलिए उसकी निविदा की सिफारिश, सचिव, राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल, जयपुर द्वारा अनुमोदन के लिए प्रेषित की गई। (13 मई 2011)। ठेकेदार 'अ' के विरूद्ध निविदा पूर्व योग्यता के मापदण्ड पूर्ण करने हेतु अनुभव प्रमाण-पत्रों में जालसाजी करने के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुयी (17 मई 2011) शिकायत के आधार पर, राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल की वित्त समिति ने प्रकरण की जाँच की और इसे सही पाये जाने पर, निविदा आमन्त्रण सूचना के वाक्यांश 28 को लागू करते हुये, ठेकेदार 'अ' की निविदा निरस्त करने का निर्णय लिया (24 मई 2011)। ठेकेदार 'अ' को एक वर्ष के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से बहिष्कृत किया गया तथा द्वितीय निम्न बोलीदाता मै. एसपीएमएल इन्फ्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली (ठेकेदार 'ब') से उसके प्रस्ताव कम करने के लिए समझौता वार्ता की गई।

ठेकेदार 'ब' ने समझौता वार्ता के दौरान उसके मूल प्रस्ताव को ₹ 49.08 करोड़ संशोधित (मई 2011) मूल्य के साथ ₹ 34.98 लाख तक कम किया जो अनुमानित लागत (₹ 51.85 करोड़) से 5.34 प्रतिशत एवं प्रथम निम्नतम दर से ₹ 0.02 करोड़ कम था। तथापि, ठेकेदार 'ब' के प्रस्ताव को विचार करते समय वित्त समिति ने पाया (जून 2011) कि द्वितीय न्यूनतम निविदादाता की दरें हाल के अतीत में अनुमोदित दरों से उच्च (20.19 प्रतिशत से 28.58 प्रतिशत) थी, अत: नये सिरे से निविदा आमन्त्रित करने का निर्णय किया गया।

वित्त समिति द्वारा ठेकेदार 'अ' को बहिष्कृत करने सम्बन्धी लिए गये निर्णय को बाद में वित्त समिति द्वारा इस आधार पर निरस्त (जुलाई 2011) कर दिया गया। लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के परिशिष्ट -16 के नियम VIII.5 के प्रावधानों के अन्तर्गत उसको सूची से बहिष्कृत किया जाना आवृत्त नहीं होता।

तदनुसार, दरों की मूल अनुसूची (बीएसआर) 2011 पर आधारित संशोधित अनुमानित लागत (₹ 62.55 करोड़) पर 27 सितम्बर 2011 को पुन: निविदा आमन्त्रित की गई तथा छ: वैध प्रस्ताव प्राप्त किये जिनमें निम्नतम प्रस्ताव ₹ 57.10 करोड़ ठेकेदार 'अ' का था। इस तथ्य के बाबजूद कि पहले उसका प्रस्ताव (₹ 49.10 करोड़) जाली दस्तावेजों के आधार पर निरस्त कर दिया गया था एवं द्वितीय न्यूनतम निविदादाता का, ₹ 49.08 करोड़ का समझौता वार्ता का प्रस्ताव उच्च समझा गया था, ठेकेदार 'अ' का नया ₹ 57.10 करोड़ का प्रस्ताव, प्रथम बोली के द्वितीय निविदादाता की समझौता वार्ता प्रस्ताव से 16.34 प्रतिशत उच्च होने के

22 इसमें एनिकट निर्माण: ₹ 8.55 करोड़; आकस्मिकताऐं: ₹ 3.12 करोड़; निष्पादन अवधि के दौरान मूल्य वृद्धि: ₹ 0.16 करोड़; संस्थापन एवं पर्यवेक्षण प्रभार: ₹ 2.81 करोड; शहरी घटको पर अनुपात: ₹ 3.16 करोड़; बिजली संबंध: ₹ 0.90 करोड़ एवं विविध कार्य: ₹ 1.13 करोड़ शामिल नहीं हैं।

बावजूद, 2 जुलाई 2012 को अनुमोदित कर दिया गया। ठेकेदार 'अ' को कार्य का आवंटन 14 सितम्बर 2012 को (अनुमोदन के दो माह बाद) किया गया।

इस प्रकार, मई 2011 में द्वितीय निम्नतम निविदादाता के समझौता वार्ता प्रस्ताव ₹ 49.08 करोड़ को निरस्त करने एवं सितम्बर 2012 में पुन: निविदा पर संवेदक 'अ' को ₹ 57.10 करोड़ पर कार्य आवंटन किये जाने के अविवेकी निर्णय से ₹ 8.02 करोड़[23] की अतिरिक्त परिहार्य लागत परिणामित हुई। इसके अतिरिक्त 42 गांवों की जनता एक वर्ष से अधिक अवधि तक सुरक्षित पेयजल से वंचित रही।

प्रकरण राज्य सरकार को फरवरी 2014 में प्रेषित किया गया, प्रत्युत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2014)।

## 3.3 सतत् एवं व्यापक अनियमितताऐं

### वित्त विभाग

### 3.3.1 पेंशन का सतत् अधिक भुगतान

**कोषाधिकारियों द्वारा निर्धारित जांच करने में असफल रहने के कारण पेंशन/ पारिवारिक पेंशन राशि ₹ 153.75 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान हुआ।**

राजस्थान सिविल सेवाऐं (पेंशन) नियम, 1996 का परिशिष्ट-VI (क्र.सं.9) अनुबन्धित करता है कि कोषाधिकारी (टीओ), बैंकों द्वारा किये गये भुगतानों की शुद्धता जांच, उसके द्वारा संधारित अभिलेखों से करेगा और इसके बाद ही व्यवहार को अपने लेखों में सम्मिलित करेगा।

जन लेखा समिति ने, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए प्रतिवेदन (सिविल) राजस्थान सरकार के अनुच्छेद 3.3.1 का परीक्षण करते समय, सिफारिश की (फरवरी 2013) कि विभाग भविष्य में ऐसे अधिक भुगतानों की पुनरावृत्ति को रोकने के कदम उठाये और इस बारे में प्रधान महालेखाकार व जन लेखा समिति को सूचित करे।

विभाग ने बैंकों को (दिसम्बर 2012 और अप्रैल 2013) और कोषाधिकारियों को (मार्च 2013) आवश्यक निर्देश जारी किये कि ऐसे अधिक भुगतान की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए वे बैंकों का दौरा करें।

23 ₹ 57.10 करोड़ (-) ₹ 49.08 करोड़।

116 बैंकों एवं 195 कोषालयों/उप कोषालयों द्वारा किये गये पेंशन भुगतानों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2013 से मार्च 2014) में प्रकट हुआ कि 308 पेंशनरों को अधिवार्षिकी/पारिवारिक पेंशन का मई 1995 से जनवरी 2014 की अवधि में निम्न विवरणानुसार राशि ₹ 153.75 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान हुआ:

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | विवरण | किया गया अधिक भुगतान | |
|---|---|---|---|
| | | प्रकरणों की संख्या | राशि |
| 1 | निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् पारिवारिक पेंशन का कम नहीं किया जाना (राजस्थान सिविल सेवाऐं (पेंशन) नियम 1996 का नियम-62) | 79 | 57.93 |
| 2 | आश्रितों द्वारा 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने/विवाह करने/नियोजन के पश्चात् भी पारिवारिक पेंशन बंद नहीं किया जाना (नियम-67) | 03 | 3.63 |
| 3 | लघुकरण के पश्चात् भी पेंशन, कम नहीं किया जाना (नियम-28) | 114 | 25.39 |
| 4 | पेंशनरों की मृत्यु के पश्चात् भी पेंशन का भुगतान | 08 | 1.39 |
| 5 | पेंशनरों को उनके पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान मंहगाई राहत का भुगतान (नियम-164) | 03 | 1.61 |
| 6 | मंहगाई राहत का गलत भुगतान | 06 | 3.97 |
| 7 | पेंशन एवं मंहगाई राहत का अनुमत्य से अधिक दर पर भुगतान | 44 | 40.07 |
| 8 | उपादान भुगतानों से देयताओं की वसूली नहीं किया जाना (नियम-92) | 40 | 14.72 |
| 9 | विविध | 11 | 5.04 |
| | **योग** | **308** | **153.75** |

विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2014) कि इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं।

- इन्टीग्रेटेड फाईनेन्शियल मेनजमेन्ट सिस्टम के 'सिविल पेंशन मोडयूल' के अंतर्गत संधारित किये जा रहे 'आन लाइन पेंशन जाँच रजिस्टर' सत्यापन के पश्चात् मासिक लेखे प्रत्येक माह प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

- कोषाधिकारियों को सिविल पेंशन के अद्यतन आँकडों को तैयार करने एवं पेंशन भुगतानों की 100 प्रतिशत् शुद्धता की जाँच के बाद ही मासिक लेखों में पेंशन भुगतानों को शामिल करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

- बैंकों द्वारा प्रत्येक महीने सिविल पेंशन की वेबसाइट पर पेंशन भुगतान के ई-स्क्रोल दर्ज किये जा रहे हैं।

तथापि, विभाग द्वारा लिए गए इन कदमों के बावजूद भी अनियमितताएं सतत् रूप से जारी थी। इसलिए विभाग द्वारा ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आन्तरिक नियत्रंण की प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2014) कि ₹ 113.11 लाख की वसूली की जा चुकी है (लेखापरीक्षा के आग्रह पर) एवं शेष राशि की वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

## 3.4 कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं शासन में विफलता

## जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

### 3.4.1 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना का क्रियान्वयन

कक्षा 6 से 12 तक के जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने हेतु राजस्थान में 'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना' वर्ष 2002-03 में प्रारम्भ की गयी। योजना के अनुसार, ये आवासीय विद्यालय थे और इनके द्वारा विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा एवं आधारभूत सुविधाऐं यथा भोजन, पोशाक, स्वेटर, जूते, जूराबें इत्यादि उपलब्ध कराया जाना था। योजना के अन्तर्गत, निधियाँ 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जानी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनजाति जनसंख्या 92.39 लाख थी जो कि राजस्थान की कुल जनसंख्या (685.48 लाख) का 13.48 प्रतिशत थी। अब तक, आठ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय इस योजनान्तर्गत संचालित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, छ:[24] एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन हैं।

जनजाति मामलात् मंत्रालय, भारत सरकार इस योजना हेतु मार्गदर्शिका जारी करता है, उसमें संशोधन, क्रियान्वयन की समीक्षा एवं अनुश्रवण करता है। राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, योजना का संपूर्ण प्रभारी है। आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर योजना के संपूर्ण अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। जिला स्तर पर, परियोजना अधिकारी जनजातीय अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

[24] अलवर में मलाना, करौली में रानोली, सवाई माधोपुर में बरनाला, जयपुर में बिहारीपुरा, बॉसवाड़ा में पाडोला, और डूँगरपुर में गढ़ अरण्डिया।

लेखापरीक्षा द्वारा राज्य में योजना के क्रियान्वयन के आंकलन की समीक्षा, चार संचालित आवासीय विद्यालयों[25] (दो लड़कियों एवं दो लड़कों) में की गयी एवं सभी छः निर्माणाधीन आवासीय विद्यालयों की प्रगति का भी मूल्यांकन किया गया। कक्षा 6 से 12 तक के 350 विद्यार्थी क्षमता वाले तीन आवासीय विद्यालय (हनोतिया, कोटड़ा एवं निवाई), शैक्षणिक सत्र 2002-03 से प्रारम्भ किए गए थे, जबकि कक्षा 6 से 8 तक का 210 विद्यार्थी क्षमता वाला एक आवासीय विद्यालय (टिमरवा) शैक्षणिक सत्र 2012-13 से प्रारम्भ किया गया था।

## योजना का क्रियान्वयन

### *3.4.1.1 विद्यार्थियों का नामांकन*

नमूना जाँच किए गए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में वर्ष 2011-14 के दौरान विद्यार्थियों की नामांकन क्षमता एवं उनके समक्ष वास्तविक नामांकन की स्थिति निम्नानुसार थी:

| | विद्यालय का नाम | जिले का नाम | स्वीकृत संख्या | 2011-12 | | 2012-13 | | 2013-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | वास्तविक नामांकन | कमी का प्रतिशत | वास्तविक नामांकन | कमी का प्रतिशत | वास्तविक नामांकन | कमी का प्रतिशत |
| 1 | हनोतिया | बारॉं | 350 | 308 | 12 | 314 | 10 | 312 | 11 |
| 2 | कोटड़ा | उदयपुर | 350 | 293 | 16 | 272 | 22 | 250 | 29 |
| 3 | निवाई | टोंक | 350 | 342 | 2 | 344 | 2 | 339 | 3 |
| 4 | टिमरवा | प्रतापगढ़ | 210 | शैक्षणिक सत्र 2012-13 से प्रारम्भ | | 60 | 71 | 90 | 57 |

स्रोत : एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना ।

उपरोक्त तालिका में यह देखा गया कि:

(i) आवासीय विद्यालय कोटड़ा (उदयपुर) के लिए, नामांकन में 16 से 29 प्रतिशत की कमी हुयी। नामांकन में यह कमी अध्यापन स्टॉफ की अनुपलब्धता एवं निकटवर्ती क्षेत्र में अन्य विद्यालयों की उपलब्धता के कारण थी।

(ii) आवासीय विद्यालय हनोतिया (बारॉं) में नामांकन की कमी में लगभग स्थिरता रही।

लेखापरीक्षा आक्षेप का प्रत्युत्तर देते हुए राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि नामांकन की कमी में सुधार हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे।

[25] एआआवि हनोतिया (बारॉं), कोटड़ा (उदयपुर), निवाई (टोंक) एवं टिमरवा (प्रतापगढ़) में स्थित है।

### *3.4.1.2 अध्यापन स्टॉफ की कमी*

मार्गनिर्देशिका के अनुच्छेद संख्या IV(viii) के अनुसार, अध्यापकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा चुनी गई सोसायटी द्वारा उस पद्धति से, जो सर्वोत्तम उपयुक्त हो, की जावेगी।

लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना के अन्तर्गत विद्यालयों के लिए नियमित अध्यापकों की भर्ती हेतु कोई तंत्र मौजूद नहीं था। नमूना जांच किए गए विद्यालयों में सभी नियुक्त अध्यापक, शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर अथवा आकस्मिक स्टॉफ के रूप में नियुक्त थे, जैसाकि स्वीकृत एवं कार्यरत अध्यापन स्टॉफ की नीचे दिखाई गयी स्थिति से स्पष्ट है :

| क्रम संख्या | एआवि का नाम | स्वीकृत पद | 31 मार्च 2014 को कार्यरत पद | | | कमी (प्रतिशतता) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रतिनियुक्ति पर | संविदा आधार पर | योग | |
| 1 | हनोतिया (बारॉं) | 18 | 6 | 7 | 13 | 5 (28) |
| 2 | कोटड़ा (उदयपुर) | 26 | 3 | 3 | 6 | 20 (77) |
| 3 | निवाई (टोंक) | 25 | 18 | – | 18 | 7 (28) |
| 4 | टिमरवा (प्रतापगढ़) | 6 | 4 | – | 4 | 2 (33) |
| | **योग** | **75** | **31** | **10** | **41** | **34** (45) |

स्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

नमूना जाँच किए गए चार आवासीय विद्यालयों में, 31 मार्च 2014 को 75 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 41 अध्यापक प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर कार्यरत थे। इस प्रकार, वहाँ 34 (45 प्रतिशत) अध्यापकों की कमी थी। अध्यापकों की अधिकतम कमी (77 प्रतिशत) आवासीय विद्यालय कोटड़ा (उदयपुर) में थी, जिसका कि एक मुख्य कारण, नामांकन की कम प्रतिशतता एवं विद्यालय छोड़ना था।

इन विद्यालयों में प्रारम्भ से ही 31 अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर थे तथा शेष 10 अध्यापक, विद्यार्थी मित्र के रूप में संविदा आधार पर नियुक्त थे, यद्यपि इसे माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय (अप्रेल 2014) के अनुसार अवैधानिक तथा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। आवासीय विद्यालय हनोतिया (बारॉं) में नियुक्त संविदा अध्यापकों में से तीन के पास आवश्यक शिक्षण योग्यता[26] नहीं थी। इस प्रकार, अध्यापकों की भर्ती हेतु नियमित आधार पर कोई तंत्र मौजूद नहीं था।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि आवासीय विद्यालय कोटड़ा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में है, इसलिए, अध्यापक प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन नहीं करते। तथापि, कमी को पूरा करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर अध्यापकों के चयन तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय (अप्रेल 2014) की अनुपालना में विद्यार्थी मित्रों को प्रतिस्थापित करने हेतु प्रवेश साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे है।

[26] एसटीसी /बी.एड./एम.एड.।

तथ्य यह रहा कि अध्यापकों की कमी ने योजना के मुख्य उद्देश्य, अर्थात् जनजातीय बच्चों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, को विफल कर दिया। इसने आवासीय विद्यालयों में छात्रों की उत्तीर्ण प्रतिशतता एवं नामांकन को भी प्रभावित किया।

### *3.4.1.3 बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण प्रतिशतता का कम होना*

मार्गनिर्देशिका के अनुच्छेद (IV) (IX) के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक एवं पाठ्येत्तर उत्कृष्टता हेतु अध्यापकों एवं स्टॉफ के चयन में उच्चतम गुणवत्ता बनाए रखना आवश्यक था।

अवधि 2011-14 के दौरान, कक्षा 10 स्तर की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम नीचे तालिकाबद्ध किये गये हैं:

| एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय* का नाम | मार्च 2012 | | मार्च 2013 | | मार्च 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | विद्यार्थियों की संख्या | | विद्यार्थियों की संख्या | | विद्यार्थियों की संख्या | |
| | उपस्थित | उत्तीर्ण (प्रतिशतता) | उपस्थित | उत्तीर्ण (प्रतिशतता) | उपस्थित | उत्तीर्ण (प्रतिशतता) |
| हनोतिया (बालक) | 43 | 21 (49) | 48 | 9 (19) | 38 | 13 (34) |
| कोटड़ा (बालक) | 40 | 4 (10) | 47 | 13 (28) | 34 | 4 (12) |
| निवाई (बालिका) | 50 | 28 (56) | 50 | 43 (86) | 50 | 43 (86) |

*टीमरवा, प्रतापगढ़ (बालिका) शैक्षणिक वर्ष 2012-13 से प्रारम्भ किया गया, अत: इसमें बोर्ड परीक्षा नहीं थी।
स्रोत: एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना ।

आवासीय विद्यालय निवाई (टोंक) की उत्तीर्ण प्रतिशतता (86 प्रतिशत तक) संतोषप्रद थी । तथापि, अन्य आवासीय विद्यालयों में उत्तीर्ण प्रतिशतता 10 एवं 49 के मध्य काफी कम थी। कोटड़ा के प्रकरण में यह प्रतिशतता बहुत कम थी।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि ये आवासीय विद्यालय दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं एवं इनमें उच्चतर परिणामों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थापित अध्यापकों की अरूचि, कम योग्यता वाले संविदा अध्यापकों का होना इत्यादि कुछ कारक, न्यून उत्तीर्ण प्रतिशतता के लिये, उत्तरदायी हो सकते हैं।

### *3.4.1.4 विद्यालय छोड़ने की दर*

वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान विद्यालय छोड़ने की प्रतिशतता, नमूना जाँच किए गए चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में से तीन में 1.7 (निवाई) से 7.2 (कोटड़ा) के मध्य रही जबकि टिमरवा (प्रतापगढ़) में किसी ने विद्यालय नहीं छोड़ा।

वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान, बालिकाओं में विद्यालय छोड़ने की दर आवासीय विद्यालय निवाई में 1.7 से 4.4 प्रतिशत एवं टिमरवा में शून्य थी जबकि बालकों में विद्यालय छोड़ने की दर आवासीय विद्यालय हनोतिया एवं कोटड़ा में 2.9 से 7.2 प्रतिशत के मध्य रही।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं।

### *3.4.1.5 आधारभूत सुविधाओं की कमी*

आवासीय विद्यालयों द्वारा सुविधायें, जैसे रैम्प, वर्षा जल संरक्षण तंत्र, विज्ञान प्रयोगशाला, चारदीवारी, विश्वसनीय जल आपूर्ति व्यवस्था, शौचालय, वार्डन, सुरक्षा कर्मियों एवं स्टॉफ के लिए आवास इत्यादि उपलब्ध करवाये जाने चाहिए।

### *(अ) विज्ञान प्रयोगशालाओं के बिना विज्ञान कक्षाओं का संचालन*

- राज्य सरकार ने बजट सत्र 2010-11 में घोषणा की कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2011-12 से विज्ञान संकाय प्रारम्भ किये जायेंगें। लेखापरीक्षा के दौरान दर्शित हुआ कि आवासीय विद्यालय निवाई (टोंक) में कक्षा 11 एवं 12 को शैक्षणिक वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 से विज्ञान संकाय अर्थात् भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान, बिना किसी विज्ञान प्रयोगशाला के पढ़ायी जा रहीं थी ।

जानकारी में लाए जाने पर राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इसका तात्पर्य है कि 2012-13 एवं 2013-14 के बैच, विज्ञान प्रयोगशालाओं का लाभ लिए बिना ही 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण हुए थे।

आवासीय विद्यालय हनोतिया (बारां) एवं कोटड़ा (उदयपुर) में, विज्ञान का अध्यापक पदस्थापित नहीं किया गया था और इसलिए किसी भी विद्यार्थी ने विज्ञान संकाय का विकल्प नहीं लिया। जानकारी में लाए जाने पर आवासीय विद्यालय हनोतिया (बारां) एवं कोटड़ा (उदयपुर) के प्राचार्यों ने यह तथ्य स्वीकारा (जून 2014) कि विज्ञान के अध्यापक की अनुपस्थिति में विद्यार्थियों ने प्रवेश के लिए आवेदन नहीं किया और विज्ञान संकाय प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

- आवासीय विद्यालय कोटड़ा (उदयपुर) में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान प्रयोगशालाऐं, शैक्षणिक सत्र 2011-12 से खोलने के लिए, राज्य सरकार ने ₹ 6 लाख स्वीकृत किये (फरवरी 2011) और इसे प्रयोगशलाओं की सामग्री क्रय करने हेतु परियोजना अधिकारी जनजातीय, उदयपुर को स्थानान्तरित (मार्च 2011) किया। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए ₹ 4.49 लाख की क्रय की गई सामग्री आवासीय विद्यालय कोटड़ा (उदयपुर) को अगस्त 2011 में निर्गमित की गयी, जो विज्ञान अध्यापक की अनुपस्थिति में विज्ञान संकाय नहीं खोलने के कारण तीन सत्रों (2011-12 से 2013-14) तक अनुपयोजित पड़ी रही। किसी भी विद्यार्थी ने विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं लिया। तत्पश्चात्, परियोजना अधिकारी, जनजातीय, उदयपुर ने इस सामग्री को मॉडल पब्लिक रेजीडेन्सियल स्कूल (एमपीआरएस), ढीकली (उदयपुर) को स्थानान्तरित करने के आदेश (दिसम्बर 2013) जारी किये और इन्हें अप्रेल 2014 में स्थानान्तरित कर

दिया गया। तथापि, प्रधानाध्यापक, एमपीआरएस ने सूचित किया (जून 2014) कि इस सामग्री की न तो उन्होंने मांग की थी और न ही उनके द्वारा इसे उपयोग में लिया गया है।

राज्य सरकार ने तथ्य स्वीकारते हुए बताया (अक्टूबर 2014) कि बेहतर उपयोग के लिए यह सामग्री एमपीआरएस, ढीकली (उदयपुर) को स्थानान्तरित की गई थी। यहाँ विज्ञान संकाय संचालित था।

### *(ब) कम्प्यूटर सहाय्य शिक्षण का अभाव*

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना की मार्गदर्शिका के परिशिष्ट के अनुसार, कम्प्यूटर प्रयोगशालाऐं आवासीय विद्यालय के ले आउट प्लान में सम्मिलित की जानी चाहिए। आवासीय विद्यालय टिमरवा (प्रतापगढ़) एवं हनोतिया (बाराँ) की नमूना जाँच के दौरान, यह दृष्टिगत हुआ कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय टिमरवा (प्रतापगढ़) में न तो कोई कम्प्यूटर और न ही कम्प्यूटर प्रयोगशाला थी, जबकि आवासीय विद्यालय हनोतिया (बाराँ) में दस कम्प्यूटर थे परन्तु कम्प्यूटर अध्यापक पदस्थापित नहीं था। परिणामत: इन उपकरणों का अनुपयोजन हुआ और विद्यार्थी कम्प्यूटर सहाय्य शिक्षण से वंचित रहे।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि समस्त आवासीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यो को आवश्यक उपकरणों के प्रस्ताव भिजवाने के लिए कहा जा चुका है। आवासीय विद्यालय टिमरवा को कम्प्यूटर शीघ्र ही उपलब्ध करवा दिए जायेंगे और जहाँ कहीं इंटरनेट ढाँचा उपलब्ध होगा, इंटरनेट संबद्धता भी उपलब्ध करवा दी जावेगी।

### *(स) छात्रावासों में सुविधाओं का अभाव*

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना आवासीय विद्यालय स्थापित किये जाने की परिकल्पना करती है। अत: प्रत्येक आवासीय विद्यालय के साथ पर्याप्त क्षमता वाले छात्रावास उपलब्ध करवाये जाने थे। नमूना जाँच किए गए आवासीय विद्यालय में छात्रों के लिए उपलब्ध आवास और बिस्तर सुविधा निम्न प्रकार थी:

| क्रम संख्या | आवासीय विद्यालय का नाम | निर्धारित प्रवेश क्षमता | विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध आवास | बिस्तरों की उपलब्धता | नामांकित विद्यार्थी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
| 1 | हनोतिया (बाराँ) | 350 | 313 | 298 | 308 | 314 | 312 |
| 2 | कोटड़ा (उदयपुर) | 350 | 192 | 303 | 293 | 272 | 250 |
| 3 | निवाई (टोंक) | 350 | 350 | 350 | 342 | 344 | 339 |
| 4 | टिमरवा (प्रतापगढ़) | 210 | 60 | 60 | – | 60 | 90 |

उपरोक्त तालिका से यह दर्शित होता है कि:

(i) आवासीय विद्यालय कोटड़ा (उदयपुर) के छात्रावास में, 2011-12 से 2013-14 के दौरान, 192 विद्यार्थियों की क्षमता के विरूद्ध 250 से 293 विद्यार्थी

रह रहे थे। इसी प्रकार, आवासीय विद्यालय टीमरवा के छात्रावास में, 2013-14 के दौरान, 60 विद्यार्थियों की क्षमता के विरूद्ध 90 विद्यार्थी रह रहे थे । इस प्रकार, इन आवासीय विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए मौजूदा छात्रावास भवनों के विस्तार की आवश्यकता है।

आवासीय विद्यालय कोटड़ा (उदयपुर) ने अवगत कराया (जून 2014) कि छात्रावास मरम्मत में था और इसमें आधारभूत सुविधाऐं नहीं थी इसलिए यह 2008 से ही निवास योग्य नहीं था।

(ii) इसी प्रकार, आवासीय विद्यालय हनोतिया में, 2011-12 से 2013-14 के दौरान, 308 से 314 नामांकित विद्यार्थियों के विरूद्ध मात्र 298 बिस्तर थे और आवासीय विद्यालय टिमरवा में, 2013-14 के दौरान, 90 नामांकित विद्यार्थियों के विरूद्ध मात्र 60 बिस्तर उपलब्ध थे। जानकारी में लाए जाने पर (जून 2014), प्रधानाचार्य, आवासीय विद्यालय हनोतिया (बाराँ), ने बताया कि एक बिस्तर कक्षा छः के दो विद्यार्थियों के मध्य साझा किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने प्रत्युत्तर में बताया (अक्टूबर 2014) कि अतिरिक्त निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा बिस्तर एवं अन्य सामग्री क्रय करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यह इंगित करता है कि विद्यार्थियों को उपलब्ध करायी जाने वाली आवासीय सुविधाओं से समझौता किया गया, जो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा एवं आराम में प्रभाव डाल सकता है।

(iii) प्रधानाचार्य, आवासीय विद्यालय निवाई (टोंक) ने विद्यालय भवन एवं छात्रावास की मरम्मत व रखरखाव हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक को निवेदन (जनवरी 2012) किया। इस तथ्य के बावजूद कि इस उद्देश्य हेतु ₹ तीन लाख पूर्व में ही (फरवरी 2010) जिला परिषद को प्राप्त हो चुके थे, यह राशि आवासीय विद्यालय पर व्ययित नहीं की गयी। यह दर्शित हुआ कि जिला परिषद ने कार्य के आंकलन के लिए फरवरी 2012 में कहा था, परन्तु इसे आवासीय विद्यालय द्वारा प्रस्तुत ही नहीं किया गया (जून 2014)।

(iv) आवासीय विद्यालय निवाई (टोंक) और हनोतिया (बाराँ) में निःशक्त विद्यार्थियों की सुविधा के लिए रैम्प सुविधा, जैसाकि योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार आवश्यक थी, उपलब्ध नहीं थी। राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि संबंधित जिला अधिकारियों को इन आवासीय विद्यालयों में रैम्प निर्माण हेतु कहा गया है (सितम्बर 2014)। तथ्य यह रहा कि कार्यवाही अभी की जानी बाकी है।

(v) प्रधानाचार्य, आवासीय विद्यालय निवाई (टोंक) ने, अतिरिक्त आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को (दिसम्बर 2006) छात्राओं की सुरक्षा

के लिए चारदीवारी अपर्याप्त होने और निवासिनी बालिकाओं की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ऊँचाई दो फुट बढ़ाने का, निवेदन किया। राज्य सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि चारदीवारी की ऊँचाई बढ़ाने की स्वीकृति जारी की जा रही है।

(vi) मार्गदर्शिका के अनुसार, विद्यालय/छात्रावास भवनों के साथ अध्यापकों, सुरक्षा कर्मियों तथा सहायक स्टॉफ के लिए आवासीय गृह निर्मित किए जाने चाहिए थे। आवासीय विद्यालय टिमरवा, प्रतापगढ़ (बालिका विद्यालय) में स्टॉफ एवं वार्डन के आवास निर्मित नहीं किए गए यद्यपि जिलाधीश, प्रतापगढ़ ने इस हेतु आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को निवेदन किया था (जून 2012)। राज्य सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि उक्त कार्य के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

(vii) योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार, आवासीय विद्यालय भवनों में वर्षा जल संरक्षण संरचना होनी चाहिए। तथापि जानकारी में आया कि आवासीय विद्यालय निवाई (टोंक), कोटड़ा (उदयपुर) और हनोतिया (बारॉं) के विद्यालय भवनों में वर्षा जल संरक्षण तंत्र विद्यमान नहीं थे। परिणामतः वर्षा जल का संरक्षण नहीं हुआ। राज्य सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि संबंधित कार्य योजना में वर्षा जल संरक्षण संरचना का निर्माण सम्मिलित नहीं था तथापि छात्रावास/विद्यालय में सुविधाओं के विस्तार के समय यह सुविधा उपलब्ध करवा दी जावेगी।

(viii) टोंक जिले के भूजल में अधिक फ्लोराईड की समस्या है। आवासीय विद्यालय निवाई (टोंक) ने जिलाधीश टोंक को फ्लोराईड मुक्त जल आपूर्ति के लिए निवेदन किया (जुलाई 2012)। राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि पेयजल सुविधा के लिए ₹ 13 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी (जून 2014) की गयी है। तथापि, आरओ संयंत्र अभी तक (अक्टूबर 2014) स्थापित नहीं किया गया है।

(ix) आवासीय विद्यालय कोटड़ा (उदयपुर) में विद्युत उपलब्ध होने पर ही नलकूप से जल आपूर्ति की जाती है लेकिन पानी की पाइप लाईन एवं टैंक के क्षतिग्रस्त होने एवं रिसाव के कारण, आपूर्ति किये जाते समय जल का भण्डारण नहीं हो पाता है। इससे विद्यालय/छात्रावास में जल की कमी रहती है। राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि ऑवरहैड टैंक निर्माण का कार्य स्वीकृत कर दिया गया है (फरवरी 2014)। तथापि, निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है (अक्टूबर 2014)।

(x) लेखापरीक्षा में निरीक्षण के दौरान, पाया गया कि आवासीय विद्यालय कोटड़ा (उदयपुर) के विद्यालय और छात्रावास का स्नान घर एवं शौचालय, 2004 से

अवरूद्ध पड़े हुए थे। राज्य सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2014) कि अब इनकी मरम्मत की जा चुकी है।

### *(द) स्वास्थ्य परीक्षण*

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने के निर्देश (अगस्त 2011) जारी किये। नमूना जांच किए गए समस्त आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की लंबाई एवं भार का नियमित अनुश्रवण किया जा रहा था। यह दर्शित हुआ कि नर्स द्वारा आवासीय विद्यालय टिमरवा (प्रतापगढ़) में वर्ष 2012-13 में 60 में से 10 विद्यार्थी एवं वर्ष 2013-14 में 90 में से 15 विद्यार्थी कम वजन के पाए गए। तथापि, आवासीय विद्यालय का स्वास्थ्य परीक्षण करने अथवा कम वजन के विद्यार्थियों को उपचार बताने हेतु किसी भी चिकित्सक ने दौरा नहीं किया जैसाकि आवासीय विद्यालय द्वारा अवगत कराया गया (जून 2014)। इससे जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी निर्देशों के उद्देश्य विफल हुए।

राज्य सरकार ने तथ्य स्वीकार करते हुए सुनिश्चित किया (अक्टूबर 2014) कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के अभिलेखन हेतु स्वास्थ्य पंजिका संधारित की जावेगी ।

### *3.4.1.6 नये आवासीय विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण कार्य*

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (पीडब्ल्यूएफ एण्ड एआर) के नियम 298 के अनुसार किसी कार्य की आयोजना एवं अभिकल्पना के लिए भूमि की उपलब्धता पूर्वाकांक्षित शर्त है और इस लिए कोई भी सरकारी विभाग, कार्यकारी एजेन्सी को आयोजना प्रारम्भ करने के लिए तब तक नहीं कहेगा जब तक कि भूमि भौतिक रूप से उसके कब्जे में न हो। आगे, भारत सरकार ने भी राज्य सरकार को आदेश दिया (दिसम्बर 2009) कि आवासीय विद्यालय के प्रस्ताव भेजते समय, विभाग विशिष्ट रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि उपलब्ध भूमि सभी बाधाओं से मुक्त हो।

जनजाति मामलात् मंत्रालय, भारत सरकार ने राजस्थान के छः गाँवों[27] में आवासीय विद्यालय स्थापित करने हेतु ₹ 72 करोड़ (₹ 12 करोड़ प्रति विद्यालय) स्वीकृत किए (सितम्बर 2010) और सितम्बर 2010 से फरवरी 2013 तक ₹ 66 करोड़ जारी किये। छः विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य आरएसआरडीसी, जयपुर को सौंपा गया (अक्टूबर 2010)। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने आरएसआरडीसी को ₹ 51.42 करोड़ की निधियाँ जारी की। आरएसआरडीसी ने इसमें से ₹ 49.56 करोड़ का व्यय किया। ज्ञातव्य हुआ कि मात्र ₹ 43.02 करोड़ के उपयोगिता

[27] अलवर में मलाना, करोली में रानोली, सवाई माधोपुर में बरनाला, जयपुर में बिहारीपुरा, बाँसवाडा में पाडोला और डूगरपुर में गढ़ अरण्डिया।

प्रमाणपत्र जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को भेजे गए, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

| क्र. स. | एआआवि का नाम | भारत सरकार से प्राप्त निधियाँ | आरएसआरडीसी को जारी निधियाँ | किया गया व्यय | आरएसआरडीसी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र | कार्य की स्थिति (31 मार्च 2014 को) | पूर्ण नहीं होने के कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बरनाला, सवाई माधोपुर | 12.00 | 9.82 | 7.42 | 7.41 | छात्रावास के ब्लॉक अ एवं ब छत के स्तर तक पूर्ण हो चुके थे। क्वार्टर्स फिनिशिंग की स्थिति में थे। | वर्षा ऋतु के दौरान कार्य स्थल तक पहुँच उपलब्ध नहीं होने से कार्य विलंबित हुआ। आरएसआरडीसी द्वारा कंक्रीट मार्ग निर्मित किया गया। |
| 2 | बिहारीपुरा, बस्सी, जयपुर | 12.00 | 6.00 | 12.14 | 10.87 | एक छात्रावास प्रारम्भ नहीं किया गया। अन्य कार्य पूर्ण हो गए थे। | कार्यकारी एजेन्सी को निधियाँ स्थानान्तरित नहीं की गयी थी। |
| 3 | मलाना, राजगढ़, अलवर | 6.00 | 6.00 | 3.12 | 3.12 | विद्यालय भवन, लड़कों एवं लड़कियों के छात्रावास प्लिन्थ स्तर तक पूर्ण हो गए थे। | प्रस्तावित स्थल पर अतिक्रमण के कारण भूमि हस्तांतरण में विलम्ब। |
| 4 | रानोली, करौली | 12.00 | 8.00 | 9.62 | 9.62 | छात्रावास के ब्लॉक अ एवं ब एवं अतिथि कक्ष छत स्तर तक पूर्ण हो गए थे तथा फिनिशिंग कार्य प्रगति पर था । | कार्यकारी एजेन्सी को निधियाँ स्थानान्तरित नहीं की गयी थी। |
| 5 | पाडोला, बागीडोरा, बाँसवाड़ा | 12.00 | 10.80 | 9.65 | 6.00 | फिनिशिंग कार्य प्रगति पर था। | भूमि आवंटन में विलम्ब किया गया। |
| 6 | अरण्डिया, आसपुर, डूँगरपुर | 12.00 | 10.80 | 7.61 | 6.00 | फिनिशिंग कार्य प्रगति पर था। | भूमि आवंटन में विलम्ब किया गया। |
| | **योग** | **66.00** | **51.42** | **49.56** | **43.02** | | |

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ (जून 2014) कि समस्त छ: विद्यालयों के निर्माण कार्य भूमि आवंटन में विलम्ब, अतिक्रमण के कारण भूमि हस्तांतरण में विलम्ब एवं बची हुई निधियों (₹ 14.58 करोड़) के स्थानान्तरित नहीं होने के कारण पूर्ण नहीं हो सके (जून 2014)। अत: अतिक्रमणों से मुक्त भूमि और आरएसआरडीसी को पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध कराने में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप विद्यालय भवन, कार्य पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथि (जून से सितम्बर 2012) से लगभग दो वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी पूर्ण नहीं हुए। राज्य सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2014) कि सभी कार्य प्रगति पर हैं।

मार्गदर्शिका के अनुच्छेद संख्या V(ii) के अन्तर्गत राज्यों को, विद्यालय भवनों में ईंधन की बचत एवं अक्षय उर्जा प्रौद्योगिकी का सदुपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया

गया था, किंतु आवासीय विद्यालय भवनों में ऐसी किसी प्रौद्योगिकी को प्रयुक्त नहीं किया गया। विभाग ने इन तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2014)।

### *3.4.1.7 लड़को की तुलना में लड़कियों के लिए कम विद्यालय*

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मार्गनिर्देशिका के पैराग्राफ III (स) के अनुसार लड़के एवं लड़कियों के लिए सीटों की संख्या समान होनी चाहिए। जाँच में पाया गया कि 2660 सीटों वाले आठ संचालित आवासीय विद्यालयों में से 2100 सीटों वाले छः[28] आवासीय विद्यालय, लड़कों के लिए थे जबकि 560 सीटों वाले (21 प्रतिशत) दो[29] आवासीय विद्यालय (25 प्रतिशत) लड़कियों के लिए थे। यह योजना की मार्गनिर्देशिका का उल्लंघन था। इस प्रकार, लड़कों एवं लड़कियों को शिक्षा में समान अवसर प्रदान नहीं किए जा रहे थे।

जानकारी में लाए जाने पर (जून-जुलाई 2014), राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि छः नव निर्माणाधीन आवासीय विद्यालयों में समान संख्या में लड़कों एवं लड़कियों को प्रवेश दिया जायेगा।

### *3.4.1.8 वित्तीय स्थिति*

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त अनुदान (पूँजी एवं राजस्व), परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण, अर्थात् आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, को 30 दिनों के अन्दर स्थान्तरित किए जाने थे। ये निधियाँ आगे संबंधित परियोजना अधिकारी (जनजातीय) अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद), को उनके क्षेत्राधीन आवासीय विद्यालय पर व्यय करने हेतु स्थानान्तरित की जानी थी।

नए आवासीय विद्यालय भवनों के निर्माण पर व्यय के सन्दर्भ में 2011-14 के दौरान प्राप्त पूँजी अनुदान ₹ 66 करोड़ के उपयोजन की स्थिति पर अनुच्छेद 3.4.1.6 में टिप्पणी की गयी है।

(अ) 2011-14 के दौरान प्राप्त संपूर्ण राजस्व अनुदान और आवासीय विद्यालय पर किए गए व्यय की स्थिति निम्नानुसार थी:

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | राजस्व अनुदान | | |
|---|---|---|---|
| | प्राप्ति | व्यय किया | अनुपयोगी |
| 2011-12 | 5.47 | 5.36 | 0.11 |
| 2012-13 | 7.79 | 6.61 | 1.18 |
| 2013-14 | 8.21 | 8.32 | -0.11 |
| **योग** | **21.47** | **20.29** | **1.18** |

स्रोत : सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी ।

[28] लड़कों के: खेरवाड़ा (उदयपुर), कोटड़ा (उदयपुर), कुशलगढ़ (बाँसवाड़ा), सिमलवाड़ा (डूँगरपुर), आबू रोड़ (सिरोही), हनोतिया (बारॉ)।

[29] लड़कियों के: निवाई (टोंक) एवं टीमरवा (प्रतापगढ़)।

लेखापरीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि भारत सरकार से, वर्ष 2011-12 के लिए 30 जून 2011 को प्राप्त राजस्व अनुदान ₹ 5.47 करोड, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को 8 सितम्बर 2011, अर्थात् 40 दिवस के विलम्ब से स्थानान्तरित किया गया। इसी प्रकार, भारत सरकार से वर्ष 2013-14 के लिए 26 सितम्बर 2013 को प्राप्त राजस्व अनुदान ₹ 8.21 करोड़, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को 15 जनवरी 2014, अर्थात् 81 दिवस के विलम्ब से स्थानान्तरित किया गया। इस प्रकार, अनुदान को 30 दिवस के अन्दर स्थानान्तरित करने की शर्त की पालना नहीं की गयी ।

(ब) राजस्व अनुदान (स्टॉफ के वेतन एवं भत्ते और छात्रावास संचालन का व्यय इत्यादि) परियोजना अधिकारी (जनजातीय/जिला परिषद) को विभिन्न आवासीय विद्यालय पर व्यय हेतु स्थानान्तरित किए गए। नमूना जाँच किए गए आवासीय विद्यालय को प्राप्त अनुदान तथा उनके विरूद्ध किये गये व्यय की स्थिति निम्नानुसार थी:

**(₹ लाख में)**

| एआआवि का नाम | 2011-12 | | 2012-13 | | 2013-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवंटन | अनुदान उपयोग (प्रतिशत) | आवंटन | अनुदान उपयोग (प्रतिशत) | आवंटन | अनुदान उपयोग (प्रतिशत) |
| हनोतिया (बारॉं) | 74.86 | 55.63 (74) | 94.16 | 58.17 (62) | 125.00 | 73.57 (59) |
| निवाई (टोंक) | 115.59 | 102.73 (89) | 139.27 | 118.24 (85) | 145.73 | 143.57 (99) |
| टीमरवा (प्रतापगढ़) | शैक्षणिक सत्र 2012-13 से प्रारम्भ | | 25.00 | 5.29 (21) | 50.00 | 38.59 (77) |

**कोटड़ा (उदयपुर) के लिए आवासीय विद्यालय-वार विवरण उपलब्ध नहीं था (दो आवासीय विद्यालय के लिए संधारित)**

**स्रोत: सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई ।**

उपरोक्त तालिका से निम्नलिखित दर्शित होता है:

(i) नमूना जॉच किए गए आवासीय विद्यालयों में अनुदान उपयोग 21 एवं 99 प्रतिशत के मध्य रहा ।

(ii) आवासीय विद्यालय हनोतिया (बारॉं) में अध्यापन स्टॉफ की कमी एवं क्षमता के विरूद्ध विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश में कमी के कारण अनुदान के उपयोग में 74 प्रतिशत से 59 प्रतिशत की गिरावट हुई ।

(iii) 2012-13 के दौरान आवासीय विद्यालय टिमरवा (प्रतापगढ़) में अनुदान का न्यूनतम उपयोग हुआ। शैक्षणिक सत्र 2012-13 से विद्यालय प्रारम्भ होने से, इसकी अनुदान उपयोगिता में 2013-14 तक 77 प्रतिशत का सुधार हुआ।

### *3.4.1.9 योजना का अनुश्रवण*

### *(अ) सोसायटी का गठन*

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की योजना में राज्य स्तर पर एक सोसायटी स्थापित करने का उपबंध किया गया था जिसे विद्यालय प्रवेश, कर्मचारियों की

नियुक्ति, व्यक्तिगत मामले और विद्यालयों का संपूर्ण प्रबंधन, व्यक्तियों तथा संस्थानों से चंदा/अंशदान एवं अनुदान स्वीकार करना इत्यादि को संभालना था। आवासीय विद्यालयों के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों के अनुश्रवण एवं प्रबंधन हेतु प्रत्येक विद्यालय के लिए एक प्रबंधन समिति स्थापित किए जाने को भी आवश्यक किया गया।

यह ज्ञात हुआ कि राज्य स्तरीय सोसायटी गठित नहीं की गयी। नमूना जॉच किए गए चार आवासीय विद्यालय में से तीन[30] में प्रबंधन समिति भी गठित नहीं की गई। राज्य सरकार ने प्रत्युत्तर में बताया (अक्टूबर 2014) कि 'राजस्थान आवासीय शैक्षणिक संस्थागत सोसायटी' नाम की एक राज्य स्तरीय सोसायटी गठित कर ली गई है और इस सोसायटी के द्वारा आवासीय विद्यालय चलाए जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। तथ्य यह रहा कि उक्त सोसायटी कार्यशील नहीं थी (अक्टूबर 2014)।

### *(ब) विद्यालयों का निरीक्षण*

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, ने सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) और परियोजना अधिकारी जनजातीय को, उनके क्षेत्राधीन आवासीय विद्यालयों का प्रत्येक सप्ताह निरीक्षण करने एवं उपनिदेशक (शिक्षा) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये (अप्रेल 2007) थे।

आवासीय विद्यालय टिमरवा (प्रतापगढ़) और हनोतिया (बारॉ) में यद्यपि अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था परन्तु निरीक्षण एवं निरीक्षण उपरान्त की गई सुधारात्मक कार्यवाही के अभिलेख संधारित नहीं थे। 2011-12 से 2013-14 के दौरान आवासीय विद्यालय निवाई (टोंक) एवं कोटड़ा (उदयपुर) में क्रमशः केवल 6 एवं 11 निरीक्षण किए गए थे, लेकिन इन निरीक्षणों के निष्कर्षो पर की गई कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किए जा रहे थे। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इन निरीक्षणों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, निरीक्षणों की कमी/अपर्याप्तता एवं अभिलेखों का संधारण नहीं होना, अनुश्रवण में चूकों को प्रकट करता है। ऑनलाईन अनुश्रवण तंत्र भी विकसित नहीं किया गया जैसाकि मार्गदर्शिका के अन्तर्गत आवश्यक था।

### *3.4.1.10 निष्कर्ष*

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जनजाति विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारम्भ किए गए थे। यह दर्शित हुआ कि राज्य स्तरीय

[30] कोटड़ा (उदयपुर), निवाई (टोंक) एवं टीमरवा (प्रतापगढ़)।

सोसायटी और विद्यालय स्तर पर प्रबंधन समिति, जिसका गठन आवासीय विद्यालयों के कामकाज का प्रबंध करने के लिए अपेक्षित था, कार्यशील नहीं थी। विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन उनकी क्षमता से कम था और विद्यार्थियों का प्रतिधारण भी कम था। अध्यापकों की कमी थी और विज्ञान संकाय बिना प्रयोगशालाओं के काम कर रहे थे। छात्रावासों में सुविधाऐं अपर्याप्त थीं जोकि योजना के संपूर्ण निष्पादन को प्रभावित कर रही थी।

नए आवासीय विद्यालयों के निर्माण की प्रगति धीमी थी और इनको पूर्ण किये जाने के निर्धारित दिनांक से दो वर्ष से अधिक बीत जाने के उपरान्त भी ये अपूर्ण थे, जिससे विद्यार्थियों को योजना के लाभों से वंचित रहना पड़ा।

## महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गृह विभाग

### 3.4.2 बालिकाओं के साथ भेदभाव को रोकने की योजनाओं का क्रियान्वयन

बालिकायें भारतीय समाज की सबसे कमजोर सदस्य हैं। बालिका के जीवन में भेदभाव के तत्व जीवन के हर कदम पर परिलक्षित होते हैं। राजस्थान के सामाजिक परिवेश में बालिकाओं एवं महिलाओं के खिलाफ लैंगिक भेदभाव उनके जीवन के हर स्तर पर होता है। बालिकाओं के साथ घर, विद्यालय, समुदाय तथा समाज में, हर कदम पर बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जाता हैं। सामाजिक-आर्थिक परिवेश, अक्षमता एवं निवास का स्थान (ग्रामीण-शहरी) उसकी असुरक्षा को और भी बढ़ा देती है एवं उसे अधिक हानि पहुँचाती है।

तकनीकी विकास का सहयोग, पुत्रियों के प्रति घृणा एवं पुत्रों को वरीयता प्रदान करने की गहरी मानसिकता की वजह से भारत में एवं विशेषकर राजस्थान में बाल लिगांनुपात में भारी गिरावट आयी है, जो एक वीभत्स परिदृश्य प्रस्तुत करता है। 2011 की जनगणना में राजस्थान में बाल लिगांनुपात (0-6 वर्ष), 21 अंको की गिरावट के साथ 909 बालिकाओं (2001) से घटकर 888 प्रति 1000 बालक (2011) की नकारात्मक वृद्धि के साथ उजागर हुयी। यह अखिल भारतीय सर्वलिंगानुपात 943:1000 की तुलना में, जो कि राजस्थान में 928:1000 है, भी गिरावट परिलक्षित करता है। राजस्थान में 2011 की जन गणना के अनुसार महिला साक्षरता दर भी 52.1 प्रतिशत थी, जो सर्व साक्षरता दर 66.1 प्रतिशत से कम एवं समग्र महिला साक्षरता दर की सूची में सबसे नीचे थी। बाल लिंगानुपात में गिरावट एवं महिला साक्षरता की निम्न दर, राजस्थान में अन्तर्निहित सामाजिक-आर्थिक स्थिति एवं बालिकाओं के प्रति सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों की गहरी जड़ों को परिलक्षित करता हैं।

यह परिदृश्य, सर्वलिगांनुपात, विशेषकर बाल लिंगानुपात में भारी गिरावट के कारणों से निपटने के लिये ठोस कार्यवाही करने का आह्वान करता है। बालिकाओं से जन्म से पूर्व एवं जन्म के बाद, भेदभाव को रोकने के लिये स्वास्थ्य एवं पोषाहार

तथा शिक्षा के क्षेत्र सहित, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किये हैं। बालिकाओं के विरूद्ध भेदभाव को खत्म करने, उनके स्वास्थ्य में सुधार करने तथा बाल लिंगानुपात को बढ़ाने के लिये कई योजनायें प्रारम्भ की गयी हैं एवं कानून पारित किये गये हैं, जिनका विवरण नीचे है:

- भारत सरकार द्वारा ऐसी तकनीकों, जिससे बालिका भ्रूण हत्या होती है, के भ्रूण लिंग निर्धारण में दुरूपयोग के विरूद्ध निवारक रूप से कार्य करने हेतु 'गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) (पीसी एण्ड पीएनडीटी) अधिनियम 1994', बनाया गया। राजस्थान में इस अधिनियम का क्रियान्वयन 1 अप्रेल 1996 से किया गया। आगे, पीसी एण्ड पीएनडीटी अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन के लिये 'मुखबिर योजना' नामक एक स्कीम भी राज्य सरकार द्वारा 27 दिसम्बर 2011 से प्रारम्भ की गयी।

- बालिकाओं के समय पूर्व विवाह एवं समय पूर्व मातृत्व के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करने हेतु, भारत सरकार द्वारा अधिनियमित बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, दिनांक 1 नवम्बर 2007 से प्रभावी हुआ।

- भारत सरकार द्वारा 'किशोरी शक्ति योजना', केन्द्र प्रायोजित योजना, वर्ष 2000-01 में प्रारम्भ की गयी। इस योजना का उद्देश्य, बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार, उन्हें घरेलू व्यावसायिक कौशल में सक्षम बनाने, उसमें उन्नयन एवं सुधार और आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा बाल विकास परियोजना कार्यालयों की गतिविधियों के माध्यम से उनके समग्र विकास को बढ़ावा देना, था।

- किशोरी बालिकाओं के बहु-आयामी समस्याओं के समाधान हेतु किशोरी शक्ति योजना एवं किशोरी बालिका पोषाहार कार्यक्रम को समाहित करते हुये एक व्यापक योजना, 'राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना' अथवा 'सबला' दिसम्बर 2010 से राजस्थान के 10 जिलों[31] में प्रारम्भ की गयी थी। शेष जिलों में किशोरी शक्ति योजना पहले की तरह जारी रही।

- एक अथवा दो बालिकाओं के जन्म के पश्चात नसबन्दी को प्रोत्साहित करने के लिये 1 अप्रेल 2007 से राज्य सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री बालिका सम्बल योजना' प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत एक अथवा दो बालिकाओं के पश्चात नसबन्दी करवाने वाले दम्पति की प्रत्येक बालिका को भारतीय यूनिट ट्रस्ट के ₹ 10,000 के बॉण्ड उपलब्ध कराये जायेंगे। योजना का उद्देश्य गिरते बाल लिंगानुपात को रोकना था।

ऊपर उल्लिखित योजनाओं एवं अधिनियमों के अतिरिक्त बालिकाओं पर केन्द्रित महत्वपूर्ण घटकों युक्त कुछ अन्य मुख्य योजनायें, 'समेकित बाल विकास सेवायें'[32]

---

31 बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपूर, जयपुर, जोधपुर, झालावाड़ श्री गंगानगर एवं उदयपुर।

32 बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर को बेहतर करने एवं बाल मृत्युदर, बीमारी एवं कुपोषण कम करने के लिए समेकित बाल विकास सेवाये है।

एवं 'सर्व शिक्षा अभियान'[33] हैं। 'समेकित बाल विकास सेवायें' पर एक निष्पादन लेखा परीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ सरकार (सिविल) के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रतिवेदन (2012-13 का प्रतिवेदन संख्या-22) में सम्मिलित की जा चुकी हैं।

सर्व शिक्षा अभियान पर भी एक निष्पादन लेखा-परीक्षा इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ संख्या 2.1 में सम्मिलित की गई है। क्योंकि इन योजनाओं की समीक्षा हाल ही में की जा चुकी है/वर्तमान प्रतिवेदन में सम्मिलित की गई है अतः इन्हें विनिर्दिष्ट रूप से यहाँ सम्मिलित नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षा में बालिकाओं की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न अधिनियम एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि उनको समुचित रूप से वित्त पोषित एवं प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वित किया गया है। बालिकाओं के विरूद्ध भेदभाव के निराकरण से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिये 9 जिलों[34] का चयन यादृच्छिक आधार पर किया गया था।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष दो खण्डों, अर्थात 'क' एवं 'ख' में विभाजित किया गया हैं। भारत सरकार द्वारा बालिकाओं की सुरक्षा के लिये 2 अधिनियम, 'गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम 1994' एवं 'बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006' पारित किये गये हैं। इन अधिनियमों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा खण्ड 'क' में की गई है। जबकि खण्ड 'ख' में बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दे सम्मिलित किये गये हैं।

## खण्ड-'क' वैधानिक ढांचा

### *3.4.2.1 'गर्भाधानपूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम (पीसी एण्ड पीएनडीटी)1994' का क्रियान्वयन*

पीसी एण्ड पीएनडीटी अधिनियम 1994, यथा संशोधित 2003, बाल लिंगानुपात में गिरावट रोकने के लिये एक महत्वपूर्ण विधायी कदम है। यह गर्भाधान से पहले अथवा बाद में लिंग चयन का निषेध एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के लिंग चयन हेतु दुरूपयोग से होने वाली कन्याभ्रूण हत्याओं को अधिनियमित करता है। इस अधिनियम के अनुसार अनुवांशिक परामर्श केन्द्रों, अनुवांशिक प्रयोगशालाओं एवं अनुवांशिक जांच केन्द्रों का पंजीकरण आवश्यक है तथा अपंजीकृत व्यक्तियों, प्रयोगशालाओं इत्यादि को अल्ट्रासाउन्ड मशीनों का विक्रय निषेध है। प्रत्येक अनुवांशिक जांच केन्द्र, अल्ट्रासाउन्ड जांच केन्द्र, छाया केन्द्र द्वारा प्रपत्र 'एफ' में अल्ट्रासोनोग्राफी की जाने वाली गर्भवती महिलाओं का अभिलेख संधारण किया जाना आवश्यक है।

---

[33] प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वलोकीकरण के उद्देश्य हेतु भारत सरकार की मुख्य योजना सर्व शिक्षा अभियान है।

[34] बांरा, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झून्झूनू, नागौर, सीकर एवं सिरोही।

अधिनियम की धारा 17 (2) के अनुसार राज्य सरकार, प्रसवपूर्व गर्भ निर्धारण के कारण होने वाली कन्याभ्रूण हत्या की समस्या की गम्भीरता के अनुसार पूरे अथवा राज्य के किसी भाग के लिये एक अथवा अधिक समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी। राज्य सरकार द्वारा, अनुवांशिक परामर्श केन्दों, अनुवांशिक प्रयोगशालाओं एवं अनुवांशिक जांच केन्द्रों के निलम्बन/निस्तारण, एवं उनके अनुवांशिक परामर्श केन्दों, अनुवांशिक प्रयोगशालाओं एवं अनुवांशिक जांच केन्द्रों के लिये निर्धारित मानदण्डों को लागू करने, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायतों का अनुसंधान करने, किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्थान पर लिंग चयन तकनीक के उपयोग के विरूद्ध उपयुक्त विधिक कार्यवाही करने इत्यादि के लिये, राज्य समुचित प्राधिकारी, जिला स्तरीय समुचित प्राधिकारी तथा उपखण्ड स्तरीय समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति (जून/जुलाई-2001) की गयी। पंजीकरण की शिकायत, निलम्बन एवं निरस्तीकरण के आवेदनों पर विचार करने तथा उन पर परामर्श देने के लिये जुलाई 2001 में राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया।

पीसी एण्ड पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, जुलाई 2003 में, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन किया गया। अधिनियम के क्रियान्वयन का प्रबोधन, राज्य में गर्भपूर्व लिंग चयन तथा प्रसव पूर्व भ्रूण के लिंग निर्धारण के कारण होने वाली कन्या भ्रूण हत्या के विरूद्ध जन जागरूकता पैदा करना तथा राज्य में कार्यरत समुचित प्राधिकारियों की गतिविधियों की समीक्षा तथा उपयुक्त कार्यवाही की अनुशंषा इत्यादि बोर्ड के कार्य हैं।

### *(क) सलाहकार समितियों की रचना*

सरकार द्वारा नामित जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, विधि विशेषज्ञ, वरिष्ठतम स्त्रीरोग विशेषज्ञ, वरिष्ठतम शिशुरोग विशेषज्ञ, अनुवांशिकी चिकित्सक, तीन प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मिलित करते हुये, राज्य सरकार ने जिला एवं उप खण्ड स्तर पर सलाहकार समितियों के गठन की अधिसूचना (जून 2001) जारी की।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि नमूना जांच जिलों में राज्य सरकार ने अनुवांशिक चिकित्सक, प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता एवं विधि विशेषज्ञ को नामित नहीं किया जिससे जिला एवं उपखण्ड स्तरीय सलाहकार समितियों का गठन अपूर्ण (अगस्त 2014) रहा। इस प्रकार समुचित प्राधिकारियों (जिला स्तरीय समुचित प्राधिकारी एवं उपखण्ड स्तरीय समुचित प्राधिकारी) को अनुवांशिक सामाजिक एवं विधिक विशेषज्ञों का परामर्श उपलब्ध नहीं हुआ।

### *(ख) गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अनुसंधान ब्यूरो का गठन*

राज्य एवं जिला स्तर पर 'गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अनुसंधान ब्यूरो' का गठन करने के लिये चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय

द्वारा राज्य स्तर पर 18 पद[35] एवं जिला स्तर पर 3 पद[36] स्वीकृत (दिसम्बर 2012) किये गये। इनमें से राज्य स्तर पर छः[37] कर्मचारियों की नियुक्ति वर्ष 2013 में की गयी तथा इनमें से भी केवल तीन[38] ही अगस्त 2014 को कार्यरत थे। नमूना जांच जिलों में यह दर्शित हुआ कि सभी स्वीकृत तीन पद रिक्त पड़े थे। गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के 1996 से अस्तित्व में होते हुये भी मुख्य पदों के रिक्त रहने से, अनुसंधान ब्यूरो प्रभावी रूप से क्रियाशील नहीं थी। यदि मुख्य पदों पर नियुक्ति कर, जिला स्तरीय अनुसंधान ब्यूरो को क्रियाशील कर दिया गया होता, तो यह 'गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम' के सख्ती से पालन होने से अधिक प्रभावी होता तथा अधिक सफल कार्यवाही (छापामारी) प्रतिपादित कर सकता था। जैसे कि मुखबिर योजना से संबंधित उप अनुच्छेद में वर्णित किया गया है।

### *(ग) सोनोग्राफी केन्द्रों का निरीक्षण*

'गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक नियम 1996' के नियम 11 एवं 12 के अनुसार समुचित प्राधिकारी अथवा इस निमित्त अधिकृत अधिकारी, प्रत्येक सोनोग्राफी केन्द्र में किसी भी उचित समय पर प्रवेश एवं तलाशी कर सकेगा एवं सोनोग्राफी केन्द्र समुचित प्राधिकारी को इसके लिये स्थान, उपकरण एवं अभिलेखों के निरीक्षण के लिये सभी उचित सुविधायें प्रदान करेगा।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय ने जिला समुचित प्राधिकारियों एवं उपखंड समुचित प्राधिकारियों के सोनोग्राफी केन्द्रों के निरीक्षण के लिये लक्ष्य निर्धारित (फरवरी 2012) किये हैं।

चयनित जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2012 से 2014 की अवधि में सोनोग्राफी केन्द्रों के निर्धारित निरीक्षण नहीं किये गये थे। निरीक्षणों में कमी निम्न प्रकार रही:

| जिलों का नाम | 2012-13 | | 2013-14 | | योग | | कमी | कमी का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | | |
| बीकानेर | 408 | 20 | 408 | 07 | 816 | 27 | 789 | 97 |
| झुन्झुनू | 408 | 273 | 108 | 92 | 816 | 365 | 451 | 55 |
| नागौर | 504 | 52 | 504 | 17 | 1008 | 69 | 939 | 93 |
| सीकर | 360 | 40 | 360 | 19 | 720 | 59 | 661 | 92 |
| बांरा | 264 | 36 | 264 | 02 | 528 | 38 | 490 | 93 |
| सिरोही | 264 | 37 | 264 | 11 | 528 | 48 | 480 | 91 |
| डूंगरपूर | 120 | 38 | 120 | 18 | 240 | 56 | 184 | 77 |
| चित्तौड़गढ़ | 360 | 29 | 360 | 07 | 720 | 36 | 684 | 95 |
| भीलवाड़ा | 408 | 42 | 408 | 16 | 816 | 58 | 758 | 93 |

स्त्रोत: जिला समन्वयक गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाऐं।

---

35 परियोजना निदेशक: 1, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक: 1, जन सम्पर्क अधिकारी: 1, चिकित्सा अधिकारी: 1, पुलिस निरीक्षक: 5, सहायक निदेशक अभियोजन: 1, विधि सहायक: 1, मुख्य कॉन्सटेबल: 1, कॉन्सटेबल: 4, सूचना तकनीकी सहायक: 1, कनिष्ठ लिपिक: 1

36 पुलिस निरीक्षक: 1, विधि परामर्शी: 1 और कनिष्ठ लिपिक:1

37 कनिष्ठ लिपिक: 1, कॉन्सटेबल: 3, सूचना तकनीकी सहायक: 1, और पुलिस निरीक्षक: 1

38 कनिष्ठ लिपिक: 1, कॉन्सटेबल: 1, और सूचना तकनीकी सहायक: 1

इस प्रकार सभी नमूना जांच जिलों में निरीक्षण की बहुत कमी थी जो 55 प्रतिशत एवं 97 प्रतिशत के बीच रही जो अधिनियम के असन्तोषजनक क्रियान्वयन को प्रतिदर्शित करती हैं।

चयनित 9 जिलों में, वर्ष 2006 से 110 प्रकरण दर्ज हुये तथा केवल एक प्रकरण में सजा हुयी (जिसमें अपील लम्बित है)। 18 प्रकरणों में दोष मुक्ति आदेश जारी किये गये तथा 91 प्रकरण न्यायालय में लंबित थे।

लड़कियों से भेदभाव उनके जन्म लेने से पहले ही शुरू हो जाता है। राजस्थान में 2001 से 2011 की जनगणना में बाल लिंगानुपात में 21 अंको की उल्लेखनीय गिरावट आयी। यह गिरावट बाल लिंगानुपात में सुधार और सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश को बदलने के लिये पूर्वापेक्षी कदम उठाये जाने के लिये अधिनियम के क्रियान्वयन की महत्ता को दर्शाती है जिससे लड़कियों के प्रति भेदभाव कम हो सके।

### *(घ) मुखबिर योजना*

मुखबिर, आस-पास के क्षेत्र में सोनोग्राफी मशीनों के अवैधानिक इस्तेमाल की सूचना देते हैं और ऐसे मुखबिरों को उचित ईनाम दिया जाता है। ये चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय को गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के संदिग्ध उल्लंघनकर्ता सोनोग्राफी केन्द्रों पर 'छापेमारी' की कार्यवाही करने में सहायता करते हैं।

मुखबिर योजना (दिसम्बर 2011 से प्रारम्भ) के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना देने वाले (मुखबिर) को सफल छापामारी कार्यवाही के बाद सूचना सही पाये जाने पर ₹ 50,000 दिये जायेगें। सूचना देने वाले को अगले ₹ 25000, न्यायालय में अधिनियम के उल्लंघनकर्ता व्यक्ति के विरूद्ध आरोप तय होने के बाद दिये जायेंगे। अन्तिम ₹ 25000, आरोपी के विरूद्ध लिंगचयन का अपराध सिद्ध होने पर दिये जायेंगे।

यह दर्शित हुआ कि दिसम्बर 2011 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान जयपुर में केवल सात सफल छापामारी[39] सम्पादित की गई और प्रथम किश्त के ₹ 3.25 लाख का भुगतान किया गया। इनमें से दो प्रकरण अनुसंधान अभिकरण द्वारा न्यायालय में दर्ज करवा दिये गये थे और शेष 5, एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने पर भी अभी तक अनुसंधानाधीन थे। नमूना जांच के 9 जिलों में उक्त अवधि के दौरान कोई छापे की कार्यवाही सम्पादित नहीं की गई थी। जिसकी आंशिक जिम्मेदारी अनुसंधान ब्यूरो के सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाने को जाती है।

[39] 21 मार्च 2012 को (एक), 9 नवम्बर 2012 (एक), 21 जनवरी 2013 (दो) 2 मई 2013 (दो) और 18 दिसम्बर 2013 (एक)।

इस प्रकार अधिनियम को लागू करने के लिए समुचित अधिकारियों को जून 2001 तक अधिसूचित नहीं किया गया था और 18 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी सदस्यों का नामांकन कर जिला स्तरीय सलाहकार समिति का गठन पूरा नहीं किया गया था। अधिनियम के अन्तर्गत गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अनुसंधान ब्यूरो भी प्रभाव में नहीं आया था, जो यह दर्शाता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिये प्रभावी कदम नहीं उठाये जा रहे हैं।

राज्य में बाल लिंगानुपात में चिन्हित गिरावट के बावजूद गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम मात्र लागू ही किया गया था। सोनोग्राफी केन्द्रों का निरीक्षण सामान्यत: नहीं किया गया और मुखबिर योजना भी अजन्मे बच्चों का लिंग ज्ञात करने के अवैधानिक कार्य को रोकने में बहुत प्रभावी नहीं रही।

### *3.4.2.2 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006*

'बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006', भारत सरकार द्वारा जनवरी 2007 में अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य, बाल विवाह को रोकना, बाल विवाह पीड़ितों को संरक्षण एवं राहत देना तथा ऐसे विवाह को उकसाने, बढ़ावा देने अथवा आयोजित करवाने वालों को सजा देने का प्रावधान करना है। बाल विवाह, जो बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण पर अत्यन्त हानिकारक प्रभाव डालता है, को अब बच्चों के मानवाधिकारों का उल्लंघन माना गया है।

'सेव द चिल्ड्रन' संगठन द्वारा 'भारत की लड़कियों का संसार' पर प्रकाशित 'स्थिति प्रतिवेदन-विंग्स-2014' के अनुसार राजस्थान में 40 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले होना पाया गया। यह बाल विवाह की व्यापक मौजूदगी एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए सक्रिय कदम उठाये जाने की आवश्यकता को दर्शाता है।

### *(क) बाल विवाह से सम्बन्धित शिकायतों पर अनुवर्ती कार्यवाही*

राजस्थान बाल विवाह निषेध नियम 2007 के नियम 5 के अनुसार, बाल विवाह निषेध अधिकारी, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में होने वाली शादी के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा जानकारी प्राप्त होने पर, अधिनियम की धारा 4, 5 एवं 13 के अन्तर्गत, समुचित कार्यवाही करेगा। बाल विवाह निषेध अधिकारी बाल विवाह की बुराईयों से सम्बन्धित जागृति पैदा करने एवं बाल विवाह के मुद्दे पर समाज को संवेदनशील बनाने के लिए किसी सम्माननीय स्थानीय सदस्य, सरकार के अधिकारी अथवा गैर सरकारी संगठन के पदाधिकारियों की सहायता प्राप्त कर सकता है।

नमूना जांच जिलों में, जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के अनुसार, सूचित किये गये 651 शिकायती प्रकरणों में से 196 प्रकरण या तो झूठे पाये गये या उनमें बच्चे बालिग पाये गये। 454 प्रकरणों में संबंधित बाल विवाह निषेध अधिकारी द्वारा शादियाँ रूकवा दी गई और केवल एक प्रकरण न्यायालय में दायर किया गया। नौ नमूना जांच जिलों के जिला मुख्यालयों पर पदस्थापित बाल

विवाह निषेध अधिकारी के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि यद्यपि रोकथाम की कार्यवाही हेतु शिकायतें संबंधित पुलिस थाना, तहसीलदार और महिला अधिकारिता विभाग के कार्यक्रम अधिकारियों को अग्रेषित की गई थी, तथापि अभिलेखों में, बाल विवाह की सामाजिक बुराई के संबंध में सामुदायिक जागृति हेतु कुछ भी करना नहीं पाया गया।

### *(ख) अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाना*

अधिनियम की धारा 16 (1) के अन्तर्गत, राज्य सरकार ने (नवम्बर 2007) सभी उप-खण्ड अधिकारियों को उनके उप-खण्डों के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी अधिसूचित किये। राजस्थान बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 के नियम 4 के अनुसार, बाल विवाह निषेध अधिकारी समय-समय पर अपने क्षेत्राधिकार में विवाह पंजीकरण अधिकारियों के अभिलेखों का निरीक्षण करेगा और आंकलन करेगा कि कोई बाल विवाह नहीं हुआ है। यदि कोई बाल विवाह होना पाया जाता है तो वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा। सभी नौ नमूना जांच जिलों के जिला मुख्यालयों पर पदस्थापित बाल विवाह निषेध अधिकारियों के अभिलेखों की संवीक्षा मे दर्शित हुआ कि बाल विवाह निषेध अधिकारी द्वारा विवाह पंजीकरण कार्यालयों के अभिलेखों का निरीक्षण नहीं किया जा रहा था।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि विवाह पंजीकरण कार्यालयों के अभिलेखों के निरीक्षण हेतु सभी जिला मजिस्ट्रेटों को इस संबंध में पत्र जारी किये जा चुके हैं एवं नियमों के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

## खण्ड 'ख'-बालिकाओं का कल्याण

इस खण्ड में, लेखा परीक्षा में सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए पोषण आधारित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं सशर्त नकद हस्तान्तरण योजनाओं की क्रियान्विति की जांच की गई।

### *3.4.2.3 किशोरी शक्ति योजना*

इस योजना का उद्देश्य, दो उप योजनाओं के अन्तर्गत बालिकाओं के पोषण स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, उनके गृह आधारित व्यावसायिक कौशल में उन्नयन एवं सुधार, और उनके सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है। योजना-I गरीब परिवार की 11 से 15 वर्ष की बालिकाओं, जिनकी वार्षिक आय ₹ 6400 प्रतिवर्ष से कम है, के लिए तैयार की गई है। योजना- II का लक्ष्य परिवार की आय स्तर पर विचार किये बगैर, 11 से 18 वर्ष आयु समूह की सभी बालिकाओं तक पहुँचना था। योजना- II में गरीब परिवार की 11 से 15 वर्ष की आयु समूह में भी अपेक्षाकृत छोटी आयु की बालिकाओं को पहचान प्रक्रिया में स्पष्ट प्राथमिकता प्राप्त थी।

इस योजना में 20 से 25 किशोरी बालिकाओं वाले प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र पर चिन्हित की गई कुपोषित बालिकाओं की वास्तविक संख्या से इतर, केवल दो बालिकाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाना है। पूरक पोषाहार, समेकित बाल विकास सेवाऐं परियोजना के अन्तर्गत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं

को दिये जाने वाले मानक (₹ 5 प्रति दिन प्रति लाभार्थी) के समान दिया जाना है।

किशोरी शक्ति योजना, राज्य के सभी 33 जिलो में लागू की गई थी। वर्ष 2011-12 से, 10 जिलों[31] में इसे 'सबला' में बदल दिया गया और शेष 23 जिलों के 35,646 आँगनबाड़ी केन्द्रों (190 परियोजनाओं) में यह निरन्तर जारी रखी गयी, जिनमें से, 10629 आँगनबाड़ी केन्द्रों (59 परियोजनाओं) के साथ 6 जिलों[40] का लेखा परीक्षा में समीक्षा के लिए चयन किया गया।

### *(क) किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार*

योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र की 11 से 15 वर्ष आयु समूह की दो कुपोषित बालिकाओं को सप्ताह में छः दिन, 500 कैलोरी उर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन (पूरक पोषाहार) का भोजन प्रदान किये जाने के लिए चिन्हित किया जाना था। पोषाहार घटक समेकित बाल विकास सेवाऐं परियोजना से दिया जाना था।

यह दर्शित हुआ कि नमूना जांच किये गये बारां, सिरोही एवं नागौर जिलों में, वर्ष 2011-14 में दो चिन्हित बालिकाओं को पूरक पोषाहार (पूर्व मिश्रित उपमा और हलवा), 4 से 36 महिनों के मध्य की अवधि तक प्रदान नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट 3.2)***।

इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले पोषाहार घटक ₹ 5 प्रति व्यक्ति प्रति दिन की तुलना, 'मध्यान्ह भोजन योजना' में प्रदान किये जाने वाले घटक से करने पर यह पाया गया कि मध्यान्ह भोजन योजना में 150 ग्राम अनाज (700 कैलोरी) ₹ 5.38, प्रतिदिन प्रति लाभार्थी, भोजन पकाने की लागत के साथ दिया जाता है जो केन्द्रीकृत रसोई के आधारभूत ढ़ाँचे में लगी लागत के अतिरिक्त है।

राज्य सरकार ने (दिसम्बर 2014) स्वीकार किया कि बारां जिले में पूरक पोषाहार का वितरण नहीं किया गया था जबकि नागौर जिले में यह नवम्बर 2011 के बाद वितरित किया गया। तथापि सभी जिलों को पूरक पोषाहार के नियमित वितरण के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

### *(ख) व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं परिचयात्मक यात्राओं का अभाव*

योजना के दिशा निर्देशों (अनुच्छेद 10.4) के अनुसार, प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र की दो चयनित बालिकाओं को 60 दिनों का व्यावसायिक प्रशिक्षण[41] दिया जाकर उन्हें, आँगनबाड़ी केन्द्र की अन्य बालिकाओं में गृह आधारित एवं व्यावसायिक कौशल में सुधार हेतु प्रशिक्षण दन के लिए, सक्षम बनाना था। दिशा निर्देश, प्रत्येक बालिका

---

40 बारां, चित्तौड़गढ़, झुन्झूनू, नागौर, सीकर और सिरोही।

41 जीवन शिक्षा पाठ्यक्रम, व्यावसायिका प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (सिलाई, आभूषण निर्माण, वस्त्र सिलाई और सौन्दर्यकरण इत्यादि) अनौपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा पाठ्यक्रम एवं विधिक शिक्षा इत्यादि।

को उनके क्षेत्र में उपलब्ध महत्वपूर्ण सुविधाओं जैसे डाक घर, बैंक, पंचायत, अस्पताल इत्यादि स्थानो की परिचयात्मक यात्रायें करा कर जानकारी अर्जित कराना भी प्राविधित करते हैं।

(i) अभिलेखों की संवीक्षा मे पाया गया कि विभाग द्वारा नागौर एवं सिरोही जिलों में अवधि 2011-14 तथा चित्तौड़गढ़ जिले में अवधि 2011-12 एवं 2013-14 में आँगनबाड़ी केन्द्रों में, नामांकित किशोरी बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

राज्य सरकार ने (दिसम्बर 2014) तथ्यों को स्वीकार करते हुये कहा कि सिरोही जिले में, क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों के पदों के रिक्त होने के कारण व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका जबकि चित्तौड़गढ़ जिले में 2013-14 की अवधि में, भारत सरकार द्वारा निधियों का आवंटन नहीं करने से व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका।

(ii) बारां जिले के सभी बाल विकास परियोजना कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं (अगस्त 2014) एवं अभिलेखों की संवीक्षा में यह देखा गया कि वर्ष 2012-13 के दौरान आठ 'समेकित बाल विकास सेवायें' परियोजनाओं के 133 आँगनबाड़ी केन्द्रों की 318 बालिकाओं को कृषि विज्ञान केन्द्र, अन्ता द्वारा योजना के अन्तर्गत आवश्यक 60 दिनों के विरूद्ध केवल दो से तीन दिनों का ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आगे, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये दो चयनित किशोरी बालिकाऐं, आँगनबाड़ी केन्द्रों की शेष किशोरी बालिकाओं को प्रशिक्षण देने में असमर्थ रही। तथ्य रहा कि छः नमूना जांच जिलों में आमतौर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2014) कि निदेशक, महिला अधिकारिता द्वारा जारी (मई 2011) दिशा निर्देशों में धन की उपलब्धि के अनुसार विकल्प चुनने और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्पादित करने का कार्य, जिलों के विवेक पर छोड़ दिया गया था। उत्तर, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं था।

चित्तौड़गढ़ जिले में 2012-14 और सिरोही जिले में 2013-14 की अवधि में परिचयात्मक यात्रायें नहीं कराई गई। राज्य सरकार ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2014) कि सिरोही जिले में क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण परिचयात्मक यात्रायें नहीं कराई जा सकी, जबकि चित्तौड़गढ़ जिले मे वर्ष 2013-14 की अवधि में भारत सरकार द्वारा धन आवंटन नहीं करने के कारण परिचायत्मक यात्रायें नहीं कराई जा सकी।

### *(ग) बजट आवंटन का कम उपयोग*

दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 12 एवं 13 के अनुसार योजना के अन्तर्गत क्रिया कलापों पर स्वीकृत राशि ₹ 1.10 लाख प्रति ब्लॉक/समेकित बाल विकास सेवायें

परियोजना प्रतिवर्ष तक सीमित रखते हुये. राज्य सरकार एक कार्य योजना तैयार कर सकेगी।

राजस्थान में किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत 190 परियोजनाऐं कार्यरत हैं। अत: आवंटन किये जाने हेतु अपेक्षित धन राशि ₹ 2.09 करोड़ होती हैं। इसके विरूद्ध वर्ष 2011-12 में ₹ 3.53 करोड़[42] उपलब्ध थे। इसमें से अव्ययीत अवशेष ₹ 2.21 करोड़ के साथ वर्ष के दौरान केवल ₹ 1.32 करोड़ का व्यय किया गया।

राशि उपलब्ध होने के बावजूद महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अवधि 2012-14 के लिए कार्य योजनाऐं तैयार नहीं की गई और इस कारण भारत सरकार द्वारा इस अवधि में कोई राशि आवंटित नही की गयी। इस प्रकार 2012-14 के दौरान किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत कोई क्रिया कलाप नहीं किये गये।

राज्य सरकार ने तथ्य स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2014) कहा कि रिक्त पदों और कर्मचारी वर्ग की कमी के कारण कार्य योजना के कुछ क्रिया कलापों को परिलक्षित नहीं किया जा सका। आगे, कहा कि भारत सरकार ने वित्तीय वर्षो 2012-14 के दौरान किशोरी शक्ति योजना के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया, इसलिये उक्त उल्लेखित वर्षो के लिए कार्य योजना तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

उत्तर दिशा निर्देशों के पैराग्राफ 12 के अनुरूप नहीं था जो किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत कार्य योजना तैयार करने और इसे भारत सरकार के साथ साझा करने को कहता है।

इस प्रकार किशोरी शक्ति योजना में 2012-13 से 2013-14 के दौरान बजट आवंटन नहीं किये जाने के कारण व्यावसायिक प्रशिक्षण, परिचयात्मक यात्रायें एवं जीवन यापन प्रशिक्षण के उद्देश्य प्राप्त नहीं किये जा सके। किशोरी बालिकाओं में कुपोषण एवं एनिमिया को देखते हुए केवल दो गरीब कुपोषित बालिकाओं को पोषाहार का लाभ पहुँचाना, योजना के दायरे को गम्भीर रूप से सीमित करता है। अत: पोषाहार घटक में संशोधन की आवश्यकता हैं इसके अतिरिक्त ₹ 5 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानदण्ड दिसम्बर 2008 में निश्चित किया गया था एवं इसकी समीक्षा की भी आवश्यकता है।

### *3.4.2.4 किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना (सबला)*

योजना के उद्देश्य, किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण और स्वविकास में सक्षम बनाना; उनके पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना; किशोरी प्रजनन एवं लैंगिक स्वास्थ्य तथा परिवार एवं शिशु देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाना; उनके गृह

[42] प्रारभिक शेष ₹ 2.48 करोड़ एवं जारी की गई निधि ₹ 1.05 करोड़ का योग।

आधारित कौशल, जीवन कौशल एवं व्यावसायिक कौशल का उन्नयन करना; विद्यालय नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना, तथा उन्हें उपलब्ध लोक सेवाओं के बारे में सूचित एवं पथप्रदर्शित करना था। सबला राज्य के 10 जिलों में प्रारम्भ की गयी, इन जिलों में किशोरी शक्ति योजना को सबला से प्रतिस्थापित किया गया।

किशोरी शक्ति योजना एवं सबला में मुख्य अन्तर है कि किशोरी शक्ति योजना में पोषाहार केवल दो निर्धन कुपोषित बालिकाओं को उपलब्ध करवाया जाता है जबकि सबला में यह सभी बालिकाओं के लिये है।

### *(क) धन का कम जारी किया जाना*

सबला के बजट प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार को प्रति समेकित बाल विकास सेवायें परियोजना के लिये गैर पोषणीय भाग[43] की लागत के लिये ₹ 3.80 लाख आवंटित करना था। इसके अतिरिक्त पूरक पोषाहार ₹ 5 प्रति किशोरी प्रतिदिन की दर से वर्ष में 300 दिवस हेतु, वास्तविक आधार पर उपलब्ध करवाया जाना था। इस प्रकार भारत सरकार को, 10 जिलों की 114 समेकित बाल विकास सेवायें परियोजनाओं हेतु गैर पोषणीय भाग के लिये ₹ 4.33 करोड़ और पोषणीय भाग के लिये वास्तविक आवश्यकतानुसार जारी करना था। वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 4.33 करोड़ की आवश्यकता के विरूद्ध गैर पोषणीय भाग के लिए भारत सरकार ने ₹ 3.10 करोड़ स्वीकृत कर जारी किये। इसी प्रकार वर्ष 2013-14 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 4.36 करोड़ स्वीकृत कर केवल ₹ 2.18 करोड़ ही जारी किये। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा गतिविधियों को चलाने के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक धन उपलब्ध नहीं करवाया गया।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 की द्वितीय किश्त (₹ 2.18 करोड़) 6 मई 2014 को प्राप्त की गई। अतः इसे भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु पुनः नवीनीकरण करवा लिया गया था।

### *(ख) पोषण कार्यक्रम*

दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 6.1.1 के अनुसार, पूरक पोषाहार ₹ 5 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन के हिसाब से, वर्ष में 300 दिवस के लिये, घर ले जाने का राशन अथवा गर्म पका हुआ भोजन, जैसा किशोरी बालिका के लिये उपयुक्त हो, उपलब्ध करवाया जाना चाहिये।

---

[43] पूरक पोषाहार के अतिरिक्त किशोरी बालिकाओं (कि.बा.) के लिए स्वयं के विकास एवं सशक्तिकरण की सभी गतिविधियों को गैर पोषणीय भाग कहा जाता है।

नमूना जांच जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2011-14 की अवधि के दौरान, भीलवाड़ा, बीकानेर तथा डूंगरपुर जिलों में नीचे सारणी में वर्णित अनुसार 9 से 45 प्रतिशत नामांकित बालिकाओं को पोषाहार उपलब्ध नहीं करवाया गया:

| वर्ष | सर्वे के अनुसार कि.बा. की संख्या | नामांकित कि.बा. की संख्या (प्रतिशत) | पोषाहार उपलब्ध कराये गये कि. बा.की संख्या | पोषाहार उपलब्ध नहीं कराये गये कि.बा. की संख्या | पोषाहार उपलब्ध नहीं करायी गयी कि.बा. का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| भीलवाड़ा | | | | | |
| 2011-12 | 107904 | 56980 (53) | 49647 | 7333 | 13 |
| 2012-13 | 117843 | 65067 (55) | 55460 | 9607 | 15 |
| 2013-14 | 111018 | 64671 (58) | 54616 | 10055 | 16 |
| बीकानेर | | | | | |
| 2011-12 | 134884 | 61342 (45) | 38497 | 22845 | 37 |
| 2012-13 | 119174 | 62456 (52) | 36862 | 25594 | 41 |
| 2013-14 | 135130 | 62454 (46) | 49949 | 12505 | 20 |
| डूंगरपुर | | | | | |
| 2011-12 | 101453 | 69360 (68) | 37929 | 31431 | 45 |
| 2012-13 | 111605 | 69340 (62) | 49757 | 19583 | 28 |
| 2013-14 | 111008 | 76153 (69) | 69899 | 6254 | 9 |

दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 6.2.1 के अनुसार सभी किशोरी बालिकाओं को, जब भी वे आँगनबाड़ी केन्द्र पर आती हैं, दो आयरन फोलिक एसिड गोलियां दी जानी हैं। बीकानेर में पाया गया कि अवधि 2011-14 के दौरान आठ परियोजनाओं में आयरन फोलिक एसिड गोलियां नियमित रूप से वितरित नहीं की गयी।

राज्य सरकार ने पोषाहार कम वितरण का कारण बाल विकास परियोजना अधिकारियों तथा महिला पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को बताया (दिसम्बर 2014)। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पूरक पोषाहार आँगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से वितरित किया जाता है।

### *(ग) व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव*

(i) दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 6.8 के अनुसार, विद्यालय छोड़ने वाली अथवा मौजूदा कार्मिकों इत्यादि किशोरी बालिकाओं (16 वर्ष एवं उससे अधिक) को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करने के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से, प्रदान किया जायेगा। नमूना जांच जिलों, भीलवाड़ा एवं बीकानेर के परियोजना अधिकारियों के अभिलेखों की संवीक्षा में यह दर्शित हुआ कि 3.30 लाख चिन्हित बालिकाओं को अवधि 2011-13 के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया। राज्य सरकार ने (दिसम्बर 2014) इन तथ्यों को स्वीकार किया।

(ii) दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 5.2 के अनुसार प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्रत्येक वर्ष किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक एवं कानूनी मुद्दों को समझने में सहायक एक प्रशिक्षण किट उपलब्ध करवाया जायेगा। अवधि 2012-13 के दौरान इस तरह के कोई भी किट उपलब्ध नहीं करवाये गये।

राज्य सरकार ने (दिसम्बर 2014) तथ्यों को स्वीकारते हुये कहा कि किट की सामग्री में बदलाव के कारण आदेशों को लागू करने में समय लगा।

इस प्रकार, सबला का लाभ 31 से 55 प्रतिशत बालिकाओं का नामांकन नहीं होने के कारण सभी पात्र बालिकाओं तक नहीं पहुँचाया गया। नामांकित बालिकाओं में से 9 से 45 प्रतिशत को पोषाहार का लाभ नहीं पहुँचाया गया। इनमें से भी, दो नमूना जांच जिलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया। आगे, अवधि 2012-13 के दौरान किसी भी जिले में प्रशिक्षण किटों का वितरण नहीं किये जाने से योजना के उद्देश्य प्राप्त नहीं किये गये।

### *(घ) किशोरी कार्डों का संधारण*

सबला योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्रत्येक किशोरी बालिका के लिए 'किशोरी कार्ड' संधारित किया जावेगा। इस कार्ड में वजन, ऊँचाई, बॉडी मास इंडेक्स, आयरन फोलिक एसिड अनुपूरक, तथा सबला के अन्तर्गत प्राप्त सन्दर्भ (रेफरल्स) एवं सेवायें जैसी सूचनायें सम्मिलित होंगी। इस कार्ड में बालिका के जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे कि स्कूल जाने, छोड़ने और विवाह इत्यादि भी सम्मिलित होंगे।

नमूना जांच के तीन जिलों में यह दर्शित हुआ कि किसी भी किशोरी बालिका के लिये किशोरी कार्ड संधारित नहीं किया गया था। किशोरी कार्डों की अनुपलब्धता में सबला योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को प्रदान किये गये लाभों को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2014) कि 2012-13 एवं 2013-14 की अवधि के दौरान भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होने के कारण कार्डों का मुद्रण एवं वितरण नहीं किया जा सका।

## *3.4.2.5 किशोरी शक्ति योजना एवं सबला योजना की बुनियादी सुविधायें एवं निगरानी*

किशोरी शक्ति योजना एवं सबला दोनों योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए 'समेकित बाल विकास सेवाऐं' योजना के बुनियादी ढांचे, अर्थात आंगनबाड़ी केन्द्रों का उपयोग किया जाना था। लेखापरीक्षा ने इस बुनियादी ढांचे की उपलब्धि की समीक्षा की तथा परिणाम नीचे दिये गये हैं:

### *(क) आधारभूत सुविधाओं का अभाव*

दिशा निर्देशों के अनुसार सबला एवं किशोरी शक्ति योजना दोनों योजनाओं को समेकित बाल विकास सेवाऐं योजनाओं द्वारा प्रदान किये गये बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुये आंगनवाड़ी केन्द्र के माध्यम से लागू की जानी थी। सबला योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 5.6 के अनुसार जहाँ आंगनबाड़ी केन्द्र पर

आधारभूत सुविधायें, जैसे कि समुचित स्थान, शौचालय, पेयजल (परिसर में नल एवं हैण्डपम्प) इत्यादि आदि प्रचुर नहीं हों तो योजना वैकल्पिक व्यवस्था कर, जैसे विद्यालय भवनों, पंचायत भवनों, सामुदायिक भवनों इत्यादि में, इस हेतु स्थान चिन्हित किया जाकर चलाई जा सकती हैं।

विभाग द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार (9 नमूना जांच जिलों के लिए) कुल 15,972 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 3,943 (25 प्रतिशत) निजी भवनों में चल रही थी। मार्च 2014 को शौचालय एवं पेयजल सुविधाओं के अभाव की स्थिति निम्न प्रकार थी:

| जिले का नाम | कुल आ.बा.के. | शौचालय सुविधा का अभाव | पेयजल सुविधा का अभाव (परिसर में नल अथवा हैण्डपम्प) |
|---|---|---|---|
| बारां | 1,574 | 867 | 495 |
| भीलवाड़ा | 2,189 | 1,878 | 474 |
| बीकानेर | 1,477 | 215 | 0 |
| चित्तौड़गढ़ | 1,756 | 1,209 | 729 |
| डूंगरपुर | 1,625 | 1,062 | 102 |
| झुन्झुनू | 1,567 | 0 | 0 |
| नागौर | 2,824 | 2,351 | 2,020 |
| सीकर | 2,124 | 403 | 0 |
| सिरोही | 836 | 537 | 149 |
| **योग** | **15,972** | **8,522 (53 *प्रतिशत*)** | **3,969 (25 *प्रतिशत*)** |

स्त्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त सूचनायें

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 25 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल और 53 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तथापि सुविधाओं के अभाव के बावजूद योजनाओं को चलाने के लिए योजनाओं में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई।

राज्य सरकार ने तथ्य को स्वीकार (दिसम्बर 2014) करते हुये कहा कि आंगनवाड़ी केन्द्र बिना लागत के किराये, निजी अथवा सामुदायिक भवनों में, चल रहे हैं, जिस वजह से विभाग, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधायें प्रदान करने में समस्याओं का सामना कर रहा है। निदेशकों को सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों को विद्यालय भवनों में स्थानान्तरित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

### *(ख) निगरानी का अभाव*

दिशा निर्देशों के अनुसार सबला एवं किशोरी शक्ति योजना को लागू, क्रियान्वयन एवं निगरानी 'समेकित बाल विकास सेवाऐं' द्वारा की जानी थी। 9 नमूना जांच जिलों के समेकित बाल विकास सेवा में पद स्थापित, बाल विकास परियोजना अधिकारी/सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा महिला पर्यवेक्षक (समेकित बाल विकास सेवाऐं कार्मिक) प्रचेता एवं साथिन (महिला सशक्तिकरण कार्मिक) की स्वीकृत एवं वास्तविक संख्या, मार्च 2014 के अनुसार नीचे तालिका में दी गई है:

| जिले का नाम | बा.वि.प.अ./स. बा.वि.प.अ. | | महिला पर्यवेक्षक | | प्रचेता | | साथिन | | योग | | रिक्त (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत | कार्यरत संख्या | स्वीकृत | कार्यरत संख्या | स्वीकृत | कार्यरत संख्या | स्वीकृत | कार्यरत संख्या | स्वीकृत | कार्यरत संख्या | |
| बारां | 8 | 6 | 51 | 34 | 4 | 1 | 214 | 165 | 277 | 206 | 71 (26) |
| बीकानेर | 14 | 4 | 58 | 41 | 6 | 1 | 219 | 177 | 297 | 223 | 74 (25) |
| भीलवाड़ा | 12 | 5 | 74 | 52 | 11 | 1 | 383 | 345 | 480 | 403 | 77 (16) |
| चित्तौड़गढ़ | 12 | 5 | 53 | 36 | 11 | 10 | 288 | 258 | 364 | 309 | 55 (18) |
| डूंगरपुर | 15 | 4 | 76 | 49 | 5 | 1 | 237 | 221 | 333 | 275 | 58 (17) |
| झुन्झुनू | 13 | 5 | 58 | 53 | 8 | 2 | 288 | 271 | 367 | 331 | 36 (10) |
| नागौर | 13 | 7 | 102 | 57 | 11 | 1 | 461 | 409 | 587 | 474 | 113 (19) |
| सीकर | 19 | 6 | 75 | 52 | 8 | 2 | 329 | 310 | 431 | 370 | 61 (14) |
| सिरोही | 6 | 3 | 29 | 22 | 4 | 0 | 151 | 61 | 190 | 86 | 104 (54) |
| **योग/रिक्त पदों का प्रतिशत** | 112 | 45 (60) | 576 | 396 (31) | 68 | 19 (72) | 2570 | 2217 (14) | 3326 | 2677 | 649 (19) |

स्त्रोत: उपनिदेशक/परियोजना अधिकारियों/ बाल विकास परियोजना कार्यालयों द्वारा प्रदत्त सूचनायें

वांछित पर्यवेक्षकों, कार्मिकों के अभाव में योजनाओं की समुचित निगरानी सुनिश्चित नहीं की जा सकी। यद्यपि विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2014) कि राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर निगरानी की जा रही है। आंगनवाड़ी केन्द्रों, बाल विकास परियोजना कार्यालयों से मासिक प्रगति प्रतिवेदन एकत्र किये जा रहे हैं एवं इस संबंध में संबंधितों को निर्देश जारी किये जा रहे हैं। निर्देशों पर क्या कार्यवाही हुई, सूचित नहीं किया गया।

राज्य सरकार द्वारा तथ्य स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2014) कहा गया कि प्रचेताओं की प्रतिनियुक्त हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित की गयी समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है। अन्य विभागों मे कर्मचारियों की कमी के कारण प्रचेताओं की प्रतिनियुक्ति को कार्यान्वित नहीं किया जा सका अत: विभाग में प्रचेताओं के पद रिक्त हैं। तथापि सीधी भर्ती हेतु राजस्थान महिला विकास सेवा नियमों में संशोधन प्रक्रियाधीन है। साथिनों के संबंध में बताया गया कि इनका चयन ग्राम सभाओं द्वारा किया जा रहा है तथा इन पदों को भरने के लिए अतिरिक्त प्रयास किया जायेगा।

### *3.4.2.6 मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना*

वर्ष 2007 से लागू योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, उन दम्पत्तियों, जिन्होनें केवल एक या दो बालिका शिशु के जन्म के बाद नसबन्दी करवा दी है, की प्रत्येक पाँच वर्ष तक की बालिका के नाम ₹ 10,000 की राशि के यूटीआई बॉण्ड 'बच्चों के कैरियर योजना' के तहत जमा करायेगा।

यूटीआई बॉण्ड की परिपक्वता राशि का भुगतान बालिका को केवल इस शर्त पर किया जायेगा कि उसकी 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले शादी नहीं हुई हो। बॉण्ड हेतु प्रार्थना पत्र जिलों के अतिरिक्त/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) को प्रस्तुत किये जायेंगे, जो कि प्रार्थना पत्र को माह

की 5 व 20 तारीख को अतिरिक्त निदेशक (परिवार कल्याण) जयपुर को अग्रेषित करेगें। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर यूटीआई बॉण्डों को बालिका शिशु के पक्ष में जारी किया जायेगा एवं लाभार्थियों को वितरण करने हेतु अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी परिवार कल्याण को अग्रेषित किया जायेगा।

नमूना जांच किये जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि:

- इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की संख्या की पहचान के लिये कोई अभिलेख संधारित नहीं था जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सका कि सभी पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुँचाया जा रहा है।
- अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्यालयों में आवेदन प्राप्तियों का कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया था।
- नमूना जांच जिलों में पाया गया कि वर्ष 2011-14 में अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 444 आवेदन, अतिरिक्त निदेशक (परिवार कल्याण) को अग्रेषित किये गये। इनमें से 283[44] आवेदन, नसबन्दी की तिथि के 6 माह से 74 माह से अधिक की देरी से अग्रेषित किये गये, जिससे बॉण्ड के जारी होने एवं प्राप्त होने में भी देरी हुई, जिससे दर्शित होता है कि प्राधिकारी इस योजना को लागू करने के प्रति गंभीर नहीं थे।
- वर्ष 2007-14 के दौरान, 2916 लाभार्थियों के प्राप्त आवेदनों के लिये निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को ₹ 10,000 प्रति बालिका की दर से राशि ₹ 2.92 करोड़ बॉण्ड जारी करने के लिये यूटीआई को जमा करवाने थे। अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि राज्य सरकार ने यूटीआई को जमा करवाने के लिये वांछित राशि आवंटित नहीं की। परिणामस्वरूप बॉण्ड जारी करने में विलम्ब हुआ। मार्च 2014 के अंत तक वांछित बजट एवं इसके आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार थी:

(₹ लाख में)

| विवरण | 2007-08 व 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नसबंदी करवाये गये लाभार्थी परिवारों से प्राप्त आवेदनों की संख्या | 548 | 378 | 394 | 471 | 525 | 600 |
| बॉण्ड हेतु वांछित निधि (बकाया को शामिल करते हुय) ₹ 10,000 की दर से | 54.80 | 42.60 (37.80+4.80) | 52.00 (39.40+12.60) | 69.10 (47.10+22.00) | 81.60 (52.50+29.10) | 91.60 (60.00+31.60) |
| बजट आवंटन | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 90.00 |
| यू.टी.आई. को जमा | 50.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 85.60 |
| **कमी** | **4.80** | **12.60** | **22.00** | **29.10** | **31.60** | **6.00** |

स्त्रोत: अतिरिक्त निदेशक द्वारा प्रदत्त सूचनाऐं।

[44] 127 आवेदन 7-12 माह की देरी से, 97 आवेदन 13-24 माह की देरी से, 27 आवेदन 25-36 माह की देरी से, 18 आवेदन 37-48 माह की देरी से तथा 14 आवेदन चार वर्ष से अधिक देरी से अग्रेषित किये गये।

इस प्रकार 60 आवेदनों के विरूद्ध ₹ 6 लाख अभी भी जमा कराये जाने शेष थे (मार्च 2014) परिणामस्वरूप इन प्रकरणों में बॉण्ड जारी करने में देरी हुई।

- नमूना जांच नौ जिलों में यूटीआई द्वारा लाभार्थियों को वितरण हेतु बॉण्ड, अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) को अग्रेषित नहीं किये गये। अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सूचित किया (अगस्त 2014) कि यूटीआई द्वारा बॉण्ड सीधे ही लाभार्थियों को भेजे जा रहे थे। तथापि, अभिलेखों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या सभी बाण्ड जारी कर दिये गये थे।

### *3.4.2.7 निष्कर्ष और अनुशंसा*

भारत सरकार और राज्य सरकार ने बालिकाओं के साथ हो रहे भेदभाव को मिटाने के लिए कई उपाय किये हैं। तद्नुसार बालिकाओं के प्रति जन्म से ही भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करने और बाल विवाहों के समाप्ति के लिए कुछेक अधिनियम पारित किये गये हैं। देखा गया कि 'गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम' का क्रियान्वयन अप्रभावी रहा जैसा कि बाल लिंगानुपात में तीव्र गिरावट से दर्शित होता हैं। सोनोग्राफी केन्द्रों के निरीक्षण में भी कमी रही। आगे, मुख्य पदों के रिक्त रहने के कारण 'गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अन्वेषण ब्यूरो' का कार्यान्वयन नहीं हो सका। बाल विवाह निषेध अधिनियम भी विवाह की उम्र बढ़ाने में अधिक प्रभाव नहीं डाल पाया। इन दोनों अधिनियमों के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार से उस सांस्कृतिक वातावरण, जिसमें बच्चे विशेष तौर पर बालिकायें पलती हैं, में बदलाव लाने के लिये सटीक और सकारात्मक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

**राज्य सरकार द्वारा गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम की ठोस क्रियान्वति, विशेष तौर पर सोनोग्राफी केन्द्रों के निरीक्षण और गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अन्वेषण ब्यूरों के कार्यान्वयन के क्षेत्रों में प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।**

किशोरी शक्ति योजना और सबला दोनों योजनाओं के अन्तर्गत पोषाहार का लाभ ₹ 5 प्रति दिन प्रति लाभार्थी की दर से प्रदान किया गया, जो कि अपर्याप्त है। जबकि मध्यान्ह भोजन योजना में 150 ग्राम खाद्यान्न (700 कैलोरी) भोजन पकाने की लागत के साथ ₹ 5.38 प्रतिदिन प्रति लाभार्थी, प्रदान किया जाता हैं। साथ ही किशोरी शक्ति योजना में किशोरी बालिकाओं के एक बड़े भाग को पोषाहार का लाभ नहीं दिया गया।

**राज्य सरकार द्वारा किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले लाभार्थियों के व्याप्ति की समीक्षा की आवश्यकता हैं। किशोरी शक्ति योजना एवं सबला के विलय पर भी विचार किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि दोनों ही योजनायें, एक जैसे मुद्दो को संबोधित करती हैं। राज्य में किशोरी बालिकाओं में व्याप्त कुपोषण एवं एनिमिया के कारण बालिकाओं को प्रदान किये जाने वाले पोषण की निर्धारित लागत सीमा की समीक्षा किये जाने की भी आवश्यकता हैं।**

## युवा मामले एवं खेल विभाग

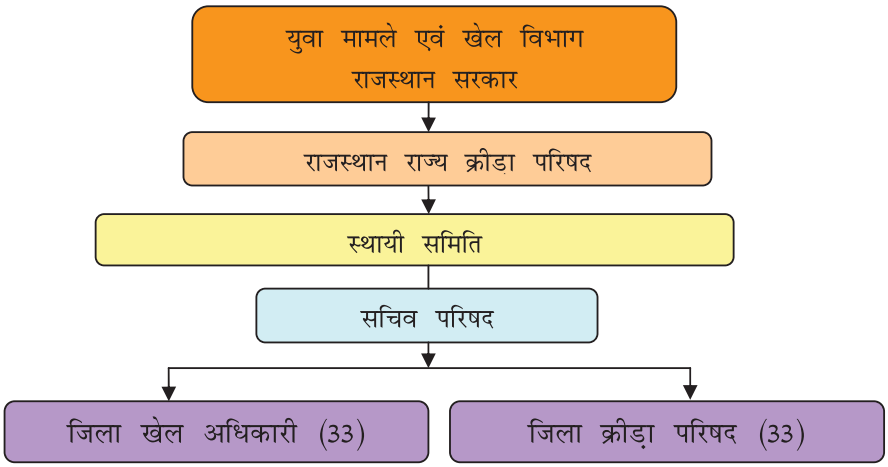
### 3.4.3 खेल अवसंरचना/स्टेडियम का निर्माण

खेल-कूद अच्छे स्वास्थ्य और सौहार्दपूर्ण प्रतिस्पर्धा की भावना को बढावा देते हैं जो युवाओं और समाज के समग्र व्यक्तित्व विकास पर सकारात्मक प्रभाव सृजित करता है। खेल-कूद, उत्पादक एवं अर्थपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, युवा उर्जा संचरण का भी एक प्रभावी माध्यम हैं। खेल, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के द्वितीय सूची (राज्यसूची) में प्रगणित (प्रविष्टि-33), राज्य का विषय हैं और इसी लिये राज्य सरकार को (भारत सरकार के समर्थन के साथ) खेलों के सम्बन्ध मे कानून बनाने के लिये अनन्य प्राधिकार प्राप्त हैं।

'राष्ट्रीय खेल नीति 2001' के अनुसार केन्द्र सरकार राज्य सरकारों, ओलंपिक संघ, एवं राष्ट्रीय खेल संघ के साथ संयोजन कर, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के व्यापक आधार तैयार करने एवं उत्कृष्टता प्राप्त करने के दोहरे उद्देश्यों को सम्मिलित रूप से प्राप्त करने का प्रयास करेगी। 'राज्य खेल नीति' अप्रेल 2013 में आरम्भ की गई जिसमें खेलों के प्रति बच्चों में अधिकतम आकर्षण हेतु उपयुक्त खेल वातावरण, बुनियादी ढांचे के विकास तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की भागीदारी को बढ़ावा देने एवं श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु सुविधाऐं उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गयी।

यद्यपि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के आधार पर राजस्थान, देश में आठवें स्थान पर है, परन्तु 34 वें राष्ट्रीय खेल 2011 में राज्य का स्थान 20 वें पायदान पर था। इससे इंगित होता हैं कि राज्य में खेल गतिविधियों में सुधार की व्यापक गुजांइश हैं।

युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार, द्वारा राज्य खेल नीति (अप्रेल 2013) बनाई गई, जिसका क्रियान्वयन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद (परिषद) द्वारा किया जाता है जिसमें सभी खेल गतिविधियों जैसे खेल की आधारभूत संरचना का निर्माण एवं बढ़ावा देना, खिलाडियों को प्रोत्साहित करना एवं खेल वातावरण को बढ़ावा देना है। राज्य एवं जिलों में खेलों के प्रबंधन एवं निष्पादन हेतु विभिन्न प्रभारी प्राधिकारियों के संगठन का चित्रण निम्न प्रकार हैं:



खेलों के लिये निधियां तीन योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित की जाती हैं। दो योजनाऐं 'पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान' और 'शहरी क्रीड़ा अवसंरचना योजना' केन्द्र द्वारा प्रवर्तित है, एक योजना 'समन्वित स्टेडियम (खेल अवसंरचना) विकास कार्यक्रम 2007 (सस्टेविका)' राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। शहरी क्रीड़ा अवसंरचना योजना और सस्टेविका, जिलों में जिला क्रीड़ा परिषद/जिला खेल अधिकारी द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं जबकि पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान जिला परिषद, ब्लाक/ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं।

लेखा परीक्षा द्वारा भौगोलिक विविधता को शामिल करते हुऐ 12 जिलों[45] में (7 सम्भागों के 33 जिलों में से) उपरोक्त तीन योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गयी। इन योजनाओं की 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के क्रियान्वयन की नमूना जाँच की गयी।

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और जिला क्रीड़ा परिषद के अभिलेखों के साथ चयनित जिलों के कार्यकारी एजेन्सियों सार्वजनिक निर्माण विभाग (सानिवि), राजस्थान आवास विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रेल से जुलाई 2014) में निम्नलिखित आक्षेप ज्ञात हुये:

### *3.4.3.1 खेल परिषद के गठन का अभाव*

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के ज्ञापन के अनुच्छेद 2 के अनुसार, 21 सदस्यीय खेल परिषद का गठन किया जाना चाहिये, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, 6 सरकारी पदेन सदस्य तथा अन्य अधिकतम 12 सदस्य हों जिनमें से कम से कम एक महिला प्रतिनिधि होनी चाहिये। खेल-कूद के सर्वांगीण विकास हेतु योजना बनाना एवं बढ़ावा देना, खेल-कूद के प्रशिक्षण, कोचिंग एवं शिक्षा हेतु आयोजन करना, स्टेडियमों, खेल मैदानों आदि के निर्माण कार्यों के अनुश्रवण एवं निष्पादन द्वारा बुनियादी सुविधाऐं स्थापित करना एवं बनाये रखना, परिषद के लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं।

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जिसका गठन मई 2001 में किया गया था, राज्य सरकार के जनवरी 2004 के आदेश से भंग कर दी गयी। नई परिषद के गठन तक तीन सरकारी अधिकारियों[46] को परिषद का कार्य करने के लिये मनोनीत किया गया। यह भी ध्यान में आया कि परिषद के ज्ञापन में परिषद के सदस्य के रूप में विभिन्न खेलों का प्रतिनिधित्व निर्धारित नहीं किया गया था। यह भी देखा गया

---

[45] अजमेर, अलवर, बांरा, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, नागौर, उदयपुर।

[46] युमा एवं खेवि का सचिव: अध्यक्ष, युमा एवं खेवि का उप सचिव: उपाध्यक्ष, युमा एवं खेवि का सहायक लेखाधिकारी: विभाग का कोषाध्यक्ष।

कि दस वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत होने के बाद भी, खेल निकायों के प्रतिनिधियों का समावेश करते हुये, विधिवत खेल परिषद का गठन नहीं किया गया और परिषद केवल राज्य सरकार द्वारा नामित सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रबन्धित की जा रही थी।

परिषद ने बताया (सितम्बर 2014) कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाना था एवं उन्होने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के गठन हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया था (सितम्बर 2014)। राज्य सरकार की तरफ से कार्यवाही अपेक्षित (नवम्बर 2014) थी।

इसी तरह, प्रत्येक जिले में अधिकतम 30[47] मनोनीत सदस्यों के साथ एक जिला क्रीड़ा परिषद होनी चाहिये। सभी जिला क्रीड़ा परिषदों को फरवरी 2004 में भंग कर दिया गया था और इनका पुनर्गठन अभी तक लम्बित है। जिला क्रीड़ा परिषदों में जनप्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों, खिलाड़ियों, महिला इत्यादि के प्रतिनिधित्व के अभाव में आयोजना एवं खेलों के संपूर्ण विकास के प्रोत्साहन में खिलाड़ियों सहित, विभिन्न हित धारकों का दृष्टिकोण प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

यह अनुशंसा की जाती है कि समिति को खेलों में प्रतिनिधि स्वरूप लाने एवं व्यावसायिक रुप से खेल परिषद को चलाने के लिये, विभिन्न खेल संस्थाओं से प्रतिनिधित्व निर्धारित करने के लिये खेल परिषद की सदस्यता हेतु ज्ञापन में विधिवत संशोधन किया जाना चाहिये।

### *3.4.3.2 समन्वित स्टेडियम (खेल अवसंरचना) विकास कार्यक्रम (सस्टेविका), 2007*

संभाग, जिला और तहसील स्तर पर आधारभूत खेल सुविधाओं का सृजन करने, मौजूदा खेल मैदानों के संरक्षण और उपयुक्त खेल मैदानों, स्टेडियमों का विकास इत्यादि के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 'सस्टेविका 2007' शुरू की गयी। सस्टेविका, राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा जुटाये गये संसाधनों, स्थानीय निकायों, कॉर्पोरेट घरानों, खेल संघों आदि द्वारा वित्त पोषित है। स्वीकृति के 10 प्रतिशत के बराबर अनुपातिक राशि, लोकसभा सदस्यों/विधानसभा सदस्यों के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि एवं अन्य स्त्रोतों से वांछनीय है।

कुछ प्रमुख खेल परियोजनाओं को प्रक्रियात्मक और अन्य देरी के कारण नहीं लिये जाने से खिलाड़ी आधुनिक ट्रेक/मैदानों पर अभ्यास करने से वंचित रहे जिसकी चर्चा नीचे की गयी है:

---

[47] 30 नामित सदस्यो में जिला प्रमुख, एमएलए, प्रधान, पुलिस अधीक्षक, अध्यक्ष (नगर पालिका, परिषद), जिला शिक्षा अधिकारी, सक्रिय खेल भागीदार (11), जिला खेल संघ का प्रतिनिधि (1), प्रतिभावान खेल व्यक्ति (2), महिला (2), अजा/अजजा/अपिव के प्रतिनिधि (3)।

### *(i) प्रदेश में खेल अवसंरचनाओं का अभाव*

सस्टेविका के मानदण्डों के अनुसार, संभाग स्तर पर एक इन्डोर स्टेडियम के अतिरिक्त 10 सुविधाऐं[48] वाले एक बाह्य स्टेडियम की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये जबकि जिला स्तर पर एक इन्डोर स्टेडियम के अतिरिक्त 9 सुविधाऐं[49] वाले एक बाह्य स्टेडियम की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये। सस्टेविका के दिशानिर्देशों के अनुसार यह भी परिकल्पना की गयी कि राज्य सरकार 2007 से आगामी तीन वर्षों में, समयबद्ध तरीके से स्टेडियमों का निर्माण करे।

लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि 5 सम्भागीय तथा 26 जिला स्तरीय स्टेडियमों, में 6 वर्ष बाद भी पर्याप्त खेल अवसंरचना/सुविधाऐं उपलब्ध नहीं थी (जून 2014)। परिषद द्वारा धन की कमी को इसका कारण बताया गया। इस प्रकार प्रदेश में खेल की आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता में भारी कमी रही। इसके बावजूद भी पर्याप्त आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध करवाने हेतु कोई समयबद्ध कार्य योजना तैयार नहीं की गयी।

परिषद ने बताया (सितम्बर 2014) कि आधारभूत संरचनाओं/सुविधाओं का निर्माण राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही किया जाता है। तथ्य यह है कि युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा राज्य में खेल सुविधाओं के विकास के लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया।

यह भी देखा गया कि परिषद द्वारा खेल आधारभूत संरचनाओं का कोई हस्तलिखित/ कम्प्यूटराईज्ड डाटा बेस तैयार नहीं किया गया है। सूचित किया गया कि निर्मित खेल आधारभूत सुविधाओं की प्रविष्टि, सम्पत्ति पंजिका में दर्ज की जा रही है जो स्टेडियम पर्यवेक्षक द्वारा संधारित की जाती है यद्यपि यह पंजिका भी अपूर्ण पाई गयी।

***(ii)*** सस्टेविका के तहत, वर्ष 2007-08 से 2013-14 के दौरान, स्टेडियमों के निर्माण, खेल आधारभूत सुविधाओं के सृजन और राज्य के 33 जिलों में स्थित स्टेडियमों के रखरखाव के 89 कार्यों के लिये स्वीकृत राशि ₹ 64.59 करोड़ के समक्ष परिषद द्वारा ₹ 55.41 करोड़ ही जारी किये गये। इन कार्यों की स्थिति निम्न प्रकार है:

- अनुबन्धित किये गये 89 कार्यों में से केवल 24 कार्य (27 प्रतिशत) ₹ 11.09 करोड़ की लागत से पूर्ण हुये जबकि 49 कार्य (55 प्रतिशत) ₹ 18.79 करोड़ खर्च करने के बाद भी प्रगति पर हैं और 16 कार्य (18 प्रतिशत) अपूर्ण निविदा प्रक्रिया, भूमि विवाद या कार्य आदेश में विलम्ब के कारण प्रारम्भ नहीं हो पाये।

---

[48] एथलेटिक्स ट्रैक (400 मीटर), फुटबॉल, हॉकी, हेन्डबॉल, बास्केटबॉल, वॉलिबॉल, टेनिस, खो-खो, कबड्डी और तरणताल।

[49] एथलेटिक्स ट्रैक (400 मीटर), फुटबॉल, हॉकी, हेन्डबॉल, बास्केटबॉल, वॉलिबॉल, टेनिस, खो-खो और कबड्डी।

- 24 पूर्ण हो चुके कार्यों में से बारां और फतेहगढ़ स्टेडियम में खेल सुविधाओं से सम्बन्धित दो निर्माण कार्य, जो राजस्थान आवास विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा क्रमशः मार्च 2012 व दिसम्बर 2013 में पूर्ण किये गये, परिषद को क्रमशः 31 और 10 माह की अवधि के बाद भी हस्तान्तरित नहीं किये गये (अक्टूबर 2014)। परिणामस्वरूप खेल सुविधाओं का उपयोग नहीं हो सका और युवा अभीष्ट लाभ से वंचित रहे।

परिषद ने बताया (सितम्बर 2014) कि जल संचय प्रणाली और जल भराव समस्या सहित कुछ कार्यों के अपूर्ण रहने के कारण परिषद ने खेल सुविधाओं को कब्जे में नहीं लिया। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिषद को समय पर कार्य पूर्ण कराने और तकनीकी नियंत्रण का अनुश्रवण करना चाहिये था।

- नमूना जांच 12 जिलों से संबंधित कार्यों (सस्टेविका के अन्तर्गत) की स्थिति निम्न प्रकार थी:

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | कार्यों की संख्या | स्वीकृत राशि | कार्यकारी एजेन्सी को जारी राशि | कार्यों की स्थिति | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कार्य शुरू नहीं किये गये | | कार्य प्रगति पर थे | | पूर्ण किये गये कार्य | |
| | | | | संख्या | व्यय | संख्या | व्यय | संख्या | व्यय |
| 2007-08 | 02 | 3.85 | 4.14 | – | – | 02 | 3.54 | – | – |
| 2008-09 | 15 | 6.81 | 3.63 | 07 | 0.01 | 03 | 0.20 | 05 | 2.44 |
| 2009-10 | 01 | 1.72 | 1.40 | – | – | – | – | 01 | 1.87 |
| 2010-11 | 03 | 4.60 | 3.86 | – | – | 03 | 1.64 | – | – |
| 2011-12 | 06 | 1.39 | 1.39 | – | – | 01 | 0.21 | 05 | 0.98 |
| 2012-13 | 11 | 13.17 | 13.47 | 01 | – | 10 | 3.47 | – | – |
| 2013-14 | 06 | 7.96 | 8.19 | 02 | – | 04 | 1.40 | – | – |
| **कुल योग** | **44** | **39.50** | **36.08** | **10** | **0.01** | **23** | **10.46** | **11** | **5.29** |

स्रोत: परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

कार्य आदेश जारी किये गये 44 कार्यों में से केवल 11 कार्य (25 प्रतिशत) ₹ 5.29 करोड़ के व्यय के साथ पूर्ण हुए थे, जबकि 10 कार्य निविदाओं को अन्तिम रूप न देने, भूमि विवाद या कार्यादेश देरी से जारी करने के कारण प्रारम्भ नहीं हुए और 23 कार्य ₹ 10.46 करोड़ रूपये खर्च होने के बाद अभी तक प्रगति पर थे। यह कार्यों की धीमी प्रगति को दर्शाता है। इन कार्यों की संशोधित स्वीकृति या इनके अन्तिम भुगतान तक, लागत में हुयी वृद्धि को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

परिषद ने बताया (जुलाई 2014) कि विभाग द्वारा धन उपलब्ध न करवाये जाने के कारण कार्य पूर्ण नहीं किये जा सके। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कार्यकारी एजेंसी द्वारा सभी 89 कार्यों हेतु जारी की गई राशि ₹ 55.41 करोड़ में से केवल ₹ 29.89 करोड़ ही खर्च किये। साथ ही, नोडल एजेंसी होने के कारण परिषद को कार्यों के पूरा कराये जाने पर निगरानी रखनी चाहिये थी।

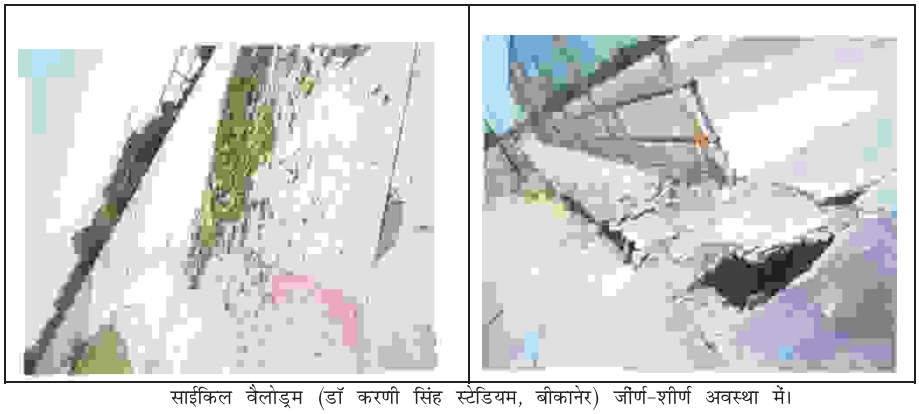
### *(iii) निधियों का अवरूद्ध रहना*

बजट 2012-13 में जोधपुर के गौशाला खेल परिसर में ₹ पांच करोड़ की लागत के सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण की घोषणा की गई थी। इस कार्य हेतु वर्ष 2012-13 में ₹ तीन करोड़ का प्रावधान किया गया। विभाग ने परिषद को 30 जून 2013 तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये (मई 2012)। राज्य सरकार ने परिषद के निजी निक्षेप खाते में ₹ तीन करोड़ हस्तान्तरित कर दिये (दिसम्बर 2012), जिसे आगे कार्यकारी एजेन्सी जोधपुर विकास प्राधिकरण को अप्रैल 2013 में हस्तान्तरित किया गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 15 अप्रैल 2013 को निविदाऐं आमंत्रित की गई। तकनीकी बोली 17 मई 2013 को खोली गई, परन्तु निविदाओं की स्वीकृति और कार्य आदेश जारी करने के 90 दिनों की वैधता अवधि के भीतर मूल्यांकन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप बोलियां व्यपगत हो गई जिससे जोधपुर विकास प्राधिकरण को निविदा प्रक्रिया को रद्द करना पड़ा। फरवरी 2014 में पुन: निविदाऐं आमंत्रित की गयी जिन्हें अक्टूबर 2014 तक भी अन्तिम रूप नहीं दिया गया। इस प्रकार, निविदा को अन्तिम रूप देने में अनुचित ढील से जोधपुर विकास प्राधिकरण के पास ₹ तीन करोड़, अप्रैल 2013 से अवरूद्ध पड़े रहे जिससे सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण कार्य शुरू नही किया जा सका। इस प्रकार काम की लागत में वृद्धि की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि निविदा को अन्तिम रूप देने सम्बन्धित कार्यवाही जोधपुर विकास प्राधिकरण के पास प्रगति में हैं और देरी के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भ की जानी है। जोधपुर विकास प्राधिकरण से भी समय पर बोलियों का मूल्याकंन नहीं करने का कारण पूछा गया (सितम्बर 2014) जिसका उत्तर अपेक्षित रहा।

### *(iv) वैलोड्रम के निर्माण का अभाव*

वर्ष 1980 में करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में एक साईकिल वैलोड्रम का निर्माण किया गया था। वैलोड्रम उचित रख-रखाव और मरम्मत के अभाव में जीर्ण-क्षीर्ण हो गया और साईकिल चालकों हेतु अनुपयोगी रहा।



साईकिल वैलोड्रम (डॉ करणी सिंह स्टेडियम, बीकानेर) जीर्ण-शीर्ण अवस्था में।

युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा राजस्थान आवास विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के माध्यम से एक नये वैलोड्रम के निर्माण के लिए राशि ₹ एक करोड़ के अनुदान की स्वीकृति दी गई (जुलाई 2008)। परिषद, जिसे स्थान के चयन का कार्य सौंपा गया था, ने एक नये वैलोड्रम के बजाय मौजूदा वैलोड्रम की मरम्मत सार्वजनिक निर्माण विभाग (सानिवि) द्वारा कराने की सिफारिश की (अप्रैल 2009)। प्रक्रिया में विलम्ब के कारण जिला खेल परिषद, बीकानेर को राशि, 5 वर्ष से अधिक देरी से मई 2014 को जारी की गई जबकि कार्य अभी शुरू होना है। परिणामस्वरूप वैलोड्रम की मरम्मत नहीं हुई और साईकिल चालक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु अभ्यास से वंचित रहे।

तथ्यों को स्वीकार करते हुये परिषद ने बताया (जुलाई 2014) कि जिला खेल परिषद, बीकानेर को ₹ 0.50 करोड़ जारी (मई 2014) कर दिये गये हैं, और यह भी कि जयपुर स्थित वैलोड्रम पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए साईकिल चालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। तथापि, जिला खेल अधिकारी, बीकानेर ने सूचित किया (जून 2014) कि साईकिल वैलोड्रम के अभाव में खिलाडियों को पिछले 7 वर्षों से राष्ट्रीय राजमार्ग बीकानेर पर अभ्यास के लिए विवश होना पड़ रहा है।

इस प्रकार ढुल-मुल निर्णय की वजह से परिषद, जिला क्रीड़ा परिषद, बीकानेर और विभाग ने ना तो मौजूदा साईकिल वैलोड्रम की मरम्मत करवायी गई और ना ही स्वीकृति के छः वर्ष बाद भी नये वैलोड्रम का कार्य आरम्भ किया (सितम्बर 2014)। वैलोड्रम खराब स्थिति में बना रहा और साईकिल चालक सुविधा का लाभ उठाने से वंचित रहे।

परिषद ने आगे बताया (सितम्बर 2014) कि अध्यक्ष, जिला क्रीड़ा परिषद, बीकानेर (जिलाधीश) ने सूचित किया (जून 2014) कि ₹ 5.88 करोड़ की लागत से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का वैलोड्रम का निर्माण किया जायेगा जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी की जानी है। राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है (नवम्बर 2014)।

### *(v) कार्य निष्पादन का अभाव*

शासन उपसचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा बजट घोषणा 2011-12 की अनुपालना में लोहागढ़ स्टेडियम, भरतपुर में कुश्ती हॉल का निर्माण और चारदीवारी एवं संपर्क सड़क के नवीनीकरण के लिये राशि ₹ 1.99 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई (जून 2013)। कार्य सानिवि द्वारा किया जाना था। कार्य के सामान्य सार के अनुसार 50×20 वर्गमीटर माप के कुश्ती हॉल के साथ-साथ एक चारदीवारी (₹ 0.07 करोड़) और सम्पर्क सड़क (₹ 0.34 करोड़) का निर्माण किया जाना था। बाद में जिलाधीश, भरतपुर के निर्देश पर कुश्ती हॉल की माप बढ़ाकर 50×30 वर्गमीटर कर दी गई। इस अतिरिक्त कार्य (₹ 0.32 करोड़) के कारण चारदीवारी एवं सम्पर्क सड़क से सम्बन्धित कार्य, सानिवि द्वारा छोड़ दिया गया। अतिरिक्त कार्य की स्वीकृति अभी तक अपेक्षित थी (जून 2014)।

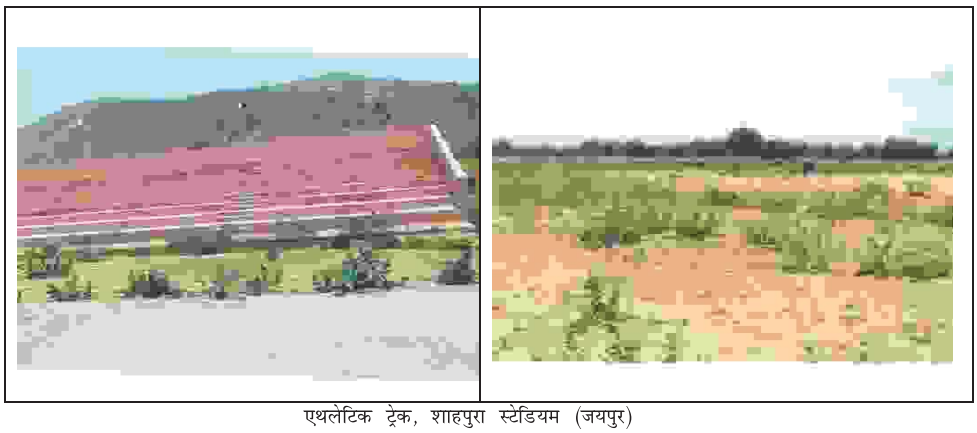
अधिशाषी अभियंता, सानिवि, भरतपुर ने बताया (जून 2014) कि अतिरिक्त कार्य के निष्पादन की वजह से कोई राशि नहीं बची। अत: चारदीवारी एवं सम्पर्क सड़क, नवीनीकरण का कार्य नहीं कराया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चारदीवारी व सम्पर्क सड़क के अभाव में, निर्मित कुश्ती हॉल के समुचित उपयोग एवं सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

परिषद ने बताया (सितम्बर 2014) कि विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति सीधे ही सानिवि को जारी की गई थी, इसलिए यह मामला विभाग एवं सानिवि के मध्य का है। यह परिषद, विभाग और सानिवि के बीच समन्वय और सम्पर्क की कमी को दर्शाता है। चारदीवारी और सम्पर्क सड़क के निर्माण को छोड़ने के निर्णय की समीक्षा की भी आवश्यकता है।

### *(vi) एथलेटिक ट्रैक और बैठक कतार के निर्माण पर निष्फल व्यय*

शाहपुरा स्टेडियम में 400 मीटर एथलेटिक ट्रैक और बैठक कतार के निर्माण हेतु मुख्य अभियंता, सानिवि, जयपुर के पक्ष में युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा ₹ 40 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान (नवम्बर 2011) की गयी। कार्य 31 मार्च 2012 तक पूर्ण किया जाना था, जिसे मार्च 2013 में पूर्ण किया गया। कार्य पूर्ण होने के बाद इसे कार्यकारी एजेन्सी द्वारा, जिला खेल अधिकारी को हस्तान्तरण करने में लगभग एक वर्ष लगा (फरवरी 2014)।

लेखापरीक्षा दल द्वारा स्थल निरीक्षण (20 जून 2014) में प्रकट हुआ कि स्टेडियम में कोई प्रशिक्षक नियुक्त नहीं किया गया था (अक्टूबर 2014) और ट्रैक पर झाड़ और झाड़ियां उग आयी थीं और उस पर घरेलू जानवर चर रहे थे इसलिये निर्मित सुविधा का संधारण नहीं किया जा रहा था जैसा कि नीचे चित्र में दिखायी देता है:



एथलेटिक ट्रेक, शाहपुरा स्टेडियम (जयपुर)

इस प्रकार, शाहपुरा स्टेडियम में एथलेटिक ट्रेक और बैठक कतार के निर्माण पर व्यय ₹ 40 लाख अलाभकारी रहा।

अधिशाषी अभियंता, सानिवि, शाहपुरा ने बताया (जून 2014) कि परिषद द्वारा जिलाधीश, जयपुर से लिखित अनुमति चाहने के कारण ट्रेक को सौंपने में देरी

हुई। उत्तर तर्क संगत नहीं था, क्योंकि जिलाधीश से अनुमति प्राप्त करने में 11 महीने की देरी न्यायोचित नहीं थी।

परिषद ने बताया (सितम्बर 2014) कि ट्रैक को साफ करा दिया गया है और सम्बन्धित अधिकारियों को सुविधा को उपयोग में लेने हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी किये जा चुके हैं (सितम्बर 2014)।

### *3.4.3.3 शहरी खेल अवसंरचना योजना (यूएसआईएस)*

यूएसआईएस, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में शहरी क्रीड़ा अवसंरचना को समर्थन करने हेतु एक व्यापक योजना के रूप में, प्रारम्भ की गई थी। प्रारंभ में योजना 'खेल परिस्थितिकी प्रणाली' को समग्र रूप से संबोधित करने यथा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, कोचिंग और आधारभूत सुविधाओं के विकास के उद्देश्य से प्रायोगिक आधार पर दो वर्ष के लिए (2010-12) शुरू की गई थी। योजना में सामुदायिक क्रीड़ा मैदानों का विकास, कोचिंग तथा कोच विकास कार्यक्रम एवं खिलाड़ियों हेतु अकादमियों के विकास की परिकल्पना की गई थी। इसमें अन्य बातों के साथ, प्रत्येक राज्य में, वर्ष में एक परियोजना के विकास पर अधिकतम ₹ छः करोड़ की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया। शेष लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी।

वर्ष 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर यूएसआईएस के अन्तर्गत जोधपुर, करौली एवं अलवर में बहुउद्देशीय इन्डोर हॉल के निर्माण के तीन कार्य स्वीकृत किये गये। स्वीकृत राशि ₹ 18 करोड़ के समक्ष दो कार्यों पर ₹ 5.88 करोड़ खर्च किये गये (मई 2014)। एक कार्य शुरू नहीं किया गया (जून 2014)। इन कार्यों की विस्तृत स्थिति नीचे तालिका में दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

| क्रम संख्या | कार्य का नाम | वर्ष | स्वीकृत राशि | जारी की गई राशि | किया गया व्यय | कार्यकारी एजेन्सी | कार्यों की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जोधपुर में बहुउद्देशीय इन्डोर हॉल का निर्माण | 2011-12 | 6.00 | 4.50 | 5.23 | राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम। | कार्य प्रगति पर है। |
| 2 | करौली में बहुउद्देशीय इन्डोर हॉल का निर्माण | 2012-13 | 6.00 | 1.80 | 0.65 | राजस्थान आवास विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। | कार्य प्रगति पर है। |
| 3 | अलवर में बहुउद्देशीय इन्डोर हॉल का निर्माण | 2012-13 | 6.00 | 1.00 | – | सार्वजनिक निर्माण विभाग। | कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ क्योंकि निष्पादन एजेन्सी के अन्तिमीकरण में देरी हुई फलस्वरूप ₹ एक करोड़ अवरूद्ध रहे। |
| **योग** | | | **18.00** | **7.30** | **5.88** | | |

स्रोत: परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

इन कार्यों में निम्न विसंगतियां पाई गयी:

***कार्य निष्पादन की धीमी गति***

यूएसआईएस के अन्तर्गत करौली जिले में बहुउद्देशीय इन्डोर हॉल के निर्माण हेतु परिषद ने भारत सरकार को ₹ 6.51 करोड़ का प्रस्ताव भेजा (सितम्बर 2011)। भारत सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना व समय सारणी तथा निष्पादन एजेंसी का पुष्टिकरण मांगा (अप्रेल 2012)। परिषद ने निष्पादन एजेंसी के रूप में राजस्थान आवास विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तथा कार्य पूर्ण का समय दो वर्ष सूचित किया (मई 2012)। ₹ 6 करोड़ की स्वीकृत अनुदान के ऊपर उल्लेखित खर्च ₹ 0.51 करोड़ को नगर परिषद करौली ने वहन करने की सहमति दी (मई 2012)। तद्नुसार, भारत सरकार ने ₹ 6 करोड़ का अनुदान स्वीकृत कर (अक्टूबर 2012) ₹ 1.80 करोड़ की प्रथम किश्त जारी की। अगली किश्त व्यय और उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ प्रगति प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने के पश्चात जारी की जानी थी।

अभिलेखों की समीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि परिषद ने ₹ एक करोड़ (नवम्बर 2012) और ₹ 0.80 करोड़ (अप्रेल 2014) राजस्थान आवास विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. को हस्तान्तरित किये। राजस्थान आवास विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने कार्यादेश फरवरी 2013 में जारी किया। कार्य पूर्ण होने की निर्धारित दिनांक 20 फरवरी 2014 थी तथापि, मई 2014 तक केवल ₹ 0.65 करोड़ ही खर्च किये गये। इस प्रकार कार्य की धीमी गति के परिणामस्वरूप शेष ₹ 4.20 करोड़ की राशि जारी नहीं हो पायी।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि निष्पादन एजेन्सी को कार्य पूरा करने के लिये कह दिया गया है।

### *3.4.3.4 पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए)*

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए), लड़कों और लड़कियों में सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण आबादी में उपलब्ध तथा संभावित खेल प्रतिभाओं के दोहन पंचायत स्तर पर आधारभूत खेल अवसंरचना और उपकरण प्रदान करने के उद्देश्य से, प्रारम्भ (मई 2008) किया गया था। देश में वर्ष 2016-17 तक 9 वर्ष की अवधि में सभी ग्राम पंचायतों एवं ब्लॉक पंचायतों को कार्यक्रम में शामिल करने का उद्देश्य था। पीवाईकेकेए के अन्तर्गत 4600 (राष्ट्रीय औसत) की न्यूनतम जनसंख्या वाली ग्राम

पंचायतें अनुदान हेतु पात्र थी। बहुत छोटी पंचायतों के मामले में इसे सामूहिक दृष्टिकोण अपनाते हुये दो से तीन पंचायतों को समेकित कर अपनाना था। पीवाईकेकेए के अन्तर्गत एकमुश्त पूंजी अनुदान, भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य 75:25 के अनुपात में खेल सुविधाओं के विकास के लिए ग्राम पंचायतों के लिए ₹ एक लाख और ब्लॉक पंचायतों के लिए ₹ पाँच लाख स्वीकृत किया गया।

राज्य में अप्रेल 2014 में 9177 ग्राम पंचायतें और 248 ब्लॉक पंचायतें थी।

वर्ष 2008-09 से 2013-14 के दौरान ग्राम/ब्लॉक पंचायतों के वर्ष-वार चयन और उसके समक्ष उपलब्धियाँ निम्न प्रकार थी:

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | शामिल की जाने वाली पंचायतों का प्रतिशत | पंचायतों की संख्या जिनका चयन किया जाना था। (10 प्रतिशत 2008-09 से 2011-12 तक तथा 12 प्रतिशत 2012-13 से 2013-14 तक) | | चयनित पंचायतों की वास्तविक संख्या | | कमी | | भारत सरकार की ओर से देय राशि (ग्राम पंचायत: 0.75 लाख ब्लाक पंचायत: 3.75 लाख) | भारत सरकार से प्राप्त राशि | कम/ अप्राप्त अनुदान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ग्राम पंचायत | ब्लाक पंचायत | ग्राम पंचायत | ब्लाक पंचायत | ग्राम पंचायत | ब्लाक पंचायत | | | |
| 2008-09 | 10 | 869 | 24 | 869 | 24 | – | – | 7.42 | 7.42 | – |
| 2009-10 | 10 | 917 | 25 | 917 | 25 | – | – | 7.82 | 2.75 | 5.07 |
| **योग** | | **1786** | **49** | **1786** | **49** | | | **15.24** | **10.17** | **5.07** |
| 2010-11 | 10 | 917 | 25 | – | – | 917 | 25 | 7.82 | – | 7.82 |
| 2011-12 | 10 | 917 | 25 | – | – | 917 | 25 | 7.82 | – | 7.82 |
| 2012-13 | 12 | 1101 | 30 | – | – | 1101 | 30 | 9.38 | – | 9.38 |
| 2013-14 | 12 | 1101 | 30 | – | – | 1101 | 30 | 9.38 | – | 9.38 |
| **योग** | | **4036** | **110** | – | – | **4036** | **110** | **34.40** | – | **34.40** |

स्रोत: परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

उपरोक्त तालिका की जाँच से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:

### *(i) उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण कम अनुदान प्राप्त होना*

पीवाईकेकेए के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 10 प्रतिशत ग्राम पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों का चयन किया जाना था। वर्ष 2009-10 के लिए, 917 ग्राम पंचायतों और 25 ब्लॉक पंचायतों के लिए ₹ 7.82 करोड़ स्वीकृत राशि के समक्ष भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में ₹ 2.75 करोड़ जारी किये गये। स्वीकृति की शर्तो के अनुसार,

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 माह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना था। तथापि, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने वर्ष 2008-09 के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया। परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने वर्ष 2009-10 का शेष अनुदान ₹ 5.07 करोड़ तथा राज्य सरकार द्वारा समतुल्य राज्यांश ₹ 1.69 करोड़[50] जारी नहीं किया।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र सितम्बर 2014 में भेज दिया गया है। तथापि, उपयोगिता प्रमाण-पत्र का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया।

### *(ii) पंचायतों को शामिल नहीं करने के कारण भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होना।*

पीवाईकेकेए के दिशा निर्देशों के अनुसार, पंचायत स्तर पर आधारभूत क्रीड़ा अवसंरचना और उपकरण उपलब्ध कराये जाने थे। तद्नुसार, वर्ष 2008-09 से 2013-14 के दौरान, इसमें 5,822 ग्राम पंचायतें एवं 159 ब्लॉक पंचायतें शामिल की जानी थी। तथापि, वर्ष 2008-09 से 2009-10 के दौरान केवल 1,786 ग्राम पंचायतें एवं 49 ब्लॉक पंचायतें ही शामिल की गई और इसके बाद कोई शामिल नहीं की गई। इस प्रकार, 4,036 ग्राम पंचायतों (69 प्रतिशत) और 110 ब्लॉक पंचायतों (69 प्रतिशत) को शामिल करने की कमी पाई गयी। परिणामस्रूप, केन्द्रीय अनुदान ₹ 34.40 करोड़ प्राप्त नहीं हुआ।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि भारत सरकार को वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए अनुदान स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे गये थे, लेकिन उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के कारण अनुदान जारी नहीं किया गया। यद्यपि, इस तरह के प्रस्तावों का ब्यौरा नहीं दिया गया।

### *(iii) अवितरित/अप्रयुक्त अनुदान को वापस नहीं लौटाया जाना*

पीवाईकेकेए के अन्तर्गत भारत सरकार की अनुदान स्वीकृति की शर्त संख्या 4(1) के अनुसार, अनुदान राशि जिस उद्देश्य के लिए स्वीकृत की गई उसी पर खर्च की जानी थी और अप्रयुक्त अनुदान, यदि कोई हो तो परियोजना के पूरा होने के बाद शीघ्र लौटाई जानी थी।

---

[50] केन्द्र एवं राज्य द्वारा निधियाँ 75:25 के अनुपात में जारी की जानी थी। इसलिये कम प्राप्त केन्द्रीय अनुदान ₹ 5.07 करोड़ के विरूद्ध राज्य का योगदान 5.07÷75×25= ₹ 1.69 करोड़ आता है।

पीवाईकेकेए के अन्तर्गत अनुदान प्राप्ति और उपयोग की स्थिति निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ों में)

| वर्ष | प्राप्त अनुदान | | | किया गया खर्च (जिला परिषदों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र) | जिला परिषदों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने बकाया। | परिषद द्वारा अव्ययित शेष राशि जो भारत सरकार एवं राज्य सरकार को वापस नहीं लौटाई गई। (4-(5+6)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | भारत सरकार | राज्य सरकार | योग | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2008-09 | 7.42 | 2.47 | 9.89 | 8.62 | 0.06 | 1.21 |
| 2009-10 | 2.75 | 0.91 | 3.66 | 2.32 | 0.49 | 0.85* |
| **योग** | **10.17** | **3.38** | **13.55** | **10.94** | **0.55** | **2.06** |

*जारी नहीं की राशि ₹ 0.36 करोड़ सहित

उपरोक्त तालिका में यह प्रकट होता है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने ₹ 2.06 करोड़ की शेष राशि सरकार को नहीं लौटायी। तथ्यों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि अब वापसी योग्य राशि सहित, असमायोजित सम्पूर्ण राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेज दिये गये हैं (सितम्बर 2014)।

### *3.4.3.5 राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा वित्तीय प्रबन्धन*

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, खेलों के आधारभूत ढांचे के विकास की नोडल संस्था होने के कारण भारत सरकार एवं राज्य सरकार से सभी प्रकार की सहायता अनुदान प्राप्त करती हैं। राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, ब्याज रहित निजी निक्षेप खाते मे जमा की जाती हैं। पीवाईकेकेए एवं यूएसआईएस के अन्तर्गत प्राप्त सहायता अनुदान, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद सीधे ही अपने बचत बैंक खातों[51] में प्राप्त करती है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद अन्य विविध लेन-देन (फीस, किराया इत्यादि प्राप्तियों तथा प्रशासनिक व्यय के भुगतान) के लिए अलग से एक बैंक खाता[52] संधारित कर रही है। तथापि, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा सहायता अनुदान की वर्ष-वार प्राप्ति और प्रत्येक अनुदान के समक्ष किये गए व्यय का विवरण, अनुरोध किये जाने (अप्रैल 2014-जुलाई 2014) के बावजूद, उपलब्ध नहीं कराया गया।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 5 और 48(v) प्राधिकृत करते हैं कि सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त सभी राशियाँ बैंक खाते में प्रेषित की जायेगी।

---

51 एस.बी.बी.जे. तिलक मार्ग सी.स्कीम, जयपुर बचत बैंक खाता संख्या 61065782759

52 यूको बैंक गांधी सर्किल, जयपुर चालू खाता संख्या 13850200000027 और एस.बी.बी.जे. बापूनगर, जयपुर खाता संख्या 51015730237

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर के अभिलेखों की जॉच के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 दौरान निविदा शुल्क, स्टेडियम किराया, तरणताल से आय एवं विविध तथा अन्य प्राप्तियों से आय की ₹ 14.49 लाख से ₹ 46.59 लाख के बीच की राशियों को परिषद के बैंक खाते में जमा न करा कर नकदी के रूप में रखी गयी। नकद राशि का सीधे ही खरीद व्यय, अग्रिम भुगतान, यात्रा भत्ता, बैठकों, शिविरों के आयोजन इत्यादि के भुगतान में उपयोग किया गया, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

(₹ लाख में)

| वर्ष | आरम्भिक शेष | वर्ष के दौरान प्राप्ति | किया गया व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | 1.50 | 22.29 | 21.95 | 1.84 |
| 2009-10 | 1.84 | 41.29 | 39.26 | 3.87 |
| 2010-11 | 3.87 | 14.49 | 16.72 | 1.64 |
| 2011-12 | 1.64 | 20.51 | 18.90 | 3.25 |
| 2012-13 | 3.25 | 46.59 | 41.31 | 8.53 |
| **योग** | | **145.17** | **138.14** | |

स्रोत: परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, खेल मैदानों के आकस्मिक रख-रखाव और बिजली के अत्यधिक बिलों की प्रत्याशा के लिए नकद शेष राशि रखी जाती हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि इस तरह के भुगतान चैक/ऑन लाईन के माध्यम से किये जा सकते हैं।

भारी नकद शेष रखना और बिना बैंक में जमा कराये इसका उपयोग करना, उपरोक्त नियमों का उल्लंघन था। नकद का आकस्मिक भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया। रोकड़िये द्वारा फिडिलिटी गारंटी पॉलिसी के भरने से संबन्धित सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गयी (सितम्बर 2014)। इन जॉचों के अभाव में अनधिकृत उद्देश्यों के लिये धन का उपयोग और गलत प्रबन्धन/घटन के कारण नुकसान होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

### *3.4.3.6 निष्कर्ष*

लेखा परीक्षा जांच में राज्य में उपलब्ध कराई गई खेल अवसंरचना में व्यापक खामियाँ पायी गयीं। राज्य क्रीड़ा परिषद और जिला क्रीड़ा परिषदों का गठन 2004 से नहीं किया गया, जिसके अभाव में खेल सुविधा की आवश्यकता के आंकलन के लिए एवं जिला और राज्य स्तर पर खेलों के समग्र विकास के लिए, जन प्रतिनिधि, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, खिलाड़ियों, महिला सदस्यों इत्यादि का परामर्श प्राप्त नहीं किया जा सका।

खेलों के बुनियादी ढ़ांचे के उन्नयन/निर्माण में धीमी प्रगति रही। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद एवं युवा मामले एवं खेल विभाग कार्यकारी एजेन्सियों को कार्य आवंटन किये गये भौतिक और वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण नहीं कर रहे थे और इस तरह योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्धियाँ कुल मिलाकर नगण्य रहीं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, योजनाओं के लिये वर्ष वार बजट आवंटन और उसके समक्ष किये गये व्यय का ब्यौरा रखने में असफल रहा। इस प्रकार धन राशि की प्राप्ति और इसका व्यय के साथ मिलान करना सम्भव नहीं था। बड़ी मात्रा में नकद प्राप्तियों को बैंक खाते में जमा नहीं किया गया।

## चिकित्सा शिक्षा विभाग

### 3.4.4 सरकारी देयताओं की वसूली का अभाव

**कम निःशुल्क जाँच प्रकरणों पर अनुज्ञप्तिधारी से ₹ 85.30 लाख की वसूली न करना एवं अदेय मौद्रिक लाभ पहुँचाना।**

सदस्य सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी (आरएमआरएस) व चिकित्सा अधीक्षक, सवाई मान सिंह (एसएमएस) अस्पताल, जयपुर ने एसएमएस अस्पताल में कैंसर रोगियों की जांच हेतु 'लीनियर एक्सेलरेटर मशीन' की स्थापना एवं संचालन करने के लिए मैसर्स इमेजिंग सुपर कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड (अनुज्ञप्तिधारी), जयपुर से एक अनुबंध निष्पादित किया (जुलाई 2007)। अनुबंध की अवधि, सुविधा की चालू होने/संचालन की तिथि (28 अप्रैल 2009) से 10 वर्ष थी। अनुबंध के वाक्यांश 7 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी प्रति माह एकत्रित कुल राजस्व का 21.21 प्रतिशत हिस्सा आरएमआरएस को भुगतान करेगा। साथ ही वाक्यांश 8 अनुज्ञप्तिधारी को पाबंद करता है कि वह अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट (भेजे गये) प्रकरणों में से 20 प्रतिशत प्रकरणों की निःशुल्क जाँच करेगा। यदि निःशुल्क प्रकरणों की संख्या 20 प्रतिशत से अधिक रहती है तो आरएमआरएस अधिक प्रकरणों का भुगतान करेगा और यदि यह संख्या 20 प्रतिशत से कम रहती है तो अनुज्ञप्तिधारी इस कमी के लिए प्रत्येक छह माह में आरएमआरएस को धनराशि वापस करेगा। अनुबंध में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सरकार को देय राशि का निर्धारित समय में भुगतान नहीं करने की स्थिति में ब्याज लगाने सम्बन्धी कोई वाक्यांश शामिल नहीं किया गया।

एसएमएस अस्पताल, जयपुर के अभिलेखों के नमूना जाँच (जनवरी-फरवरी 2014) में प्रकट हुआ कि अनुज्ञप्तिधारी ने 2009-10 और 2012-13 के मध्य अस्पताल

प्राधिकारियों द्वारा आठ जाँचों[53] के लिए, 5457 सन्दर्भित प्रकरणों की जाँच की, जिनमें से अनुज्ञप्तिधारी को केवल 666 नि:शुल्क प्रकरण ही निर्दिष्ट थे। यह अनिवार्य 20 प्रतिशत (1091 प्रकरणों) नि:शुल्क जाँच से 425 प्रकरण कम थे। अनुज्ञप्तिधारी ने 4791 जाँच (5457-666) से संग्रहित राजस्व ₹ 8.63 करोड़ में से आरएमआरएस को ₹ 1.83 करोड़ (21.21 प्रतिशत) की राशि का भुगतान किया, परन्तु उसने अनुबन्ध के वाक्यांश 8 के अनुसार, निम्न 425 कम किये गये नि:शुल्क जांच प्रकरणों की, निर्धारित दर के हिसाब से राशि ₹ 90.30 लाख का भुगतान आरएमआरएस को नहीं किया:

(₹ लाख में)

| वर्ष | जांचें[54] जिनमें नि:शुल्क प्रकरणों की संख्या कम रही | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | की गई कुल जांचें | कॉलम 2 की अनिवार्य 20 प्रतिशत जांचें | नि:शुल्क प्रकरणों की वास्तविक संख्या | निर्धारित नि:शुल्क प्रकरणों से कम संख्या | प्रत्येक जांच हेतु निर्धारित दर पर आरएमआरएस द्वारा वसूलनीय राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2009-10 | 956 | 190 | 63 | 127 | 25.80 |
| 2010-11 | 1125 | 225 | 112 | 113 | 21.92 |
| 2011-12 | 1474 | 295 | 179 | 116 | 24.73 |
| 2012-13 | 1902 | 381 | 312 | 69 | 17.85 |
| **कुल** | **5457** | **1091** | **666** | **425** | **90.30** |

लेखापरीक्षा द्वारा एसएमएस अस्पताल, जयपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक (मई 2011) में यह निर्णय लिया था कि यदि अनुज्ञप्तिधारी बकाया राशि जमा नहीं कराता है तो उसे निर्देशित किया जाये कि वह सभी की गई जांचों/प्रक्रियाओं की राशि आरएमआरएस को जमा कराए तथा आरएमआरएस अपना हिस्सा काटकर बाकी राशि अनुज्ञप्तिधारी को भुगतान करें। तीन वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी इस निर्णय पर कोई कार्यवाही नहीं की गई परिणामस्वरूप ₹ 90.30 लाख की वसूली नहीं हुई।

---

53 (i) बिना जटिल योजना के साधारण उप शामक जाँच; (ii) जटिल उपशामक जाँच; (iii) रोगनिवारण इरादे से साधारण गैर-उपशामक रेडियोथेरेपी का पूर्ण कोर्स; (iv) रोगनिवारक इरादे से जटिल गैर-उपशामक रेडियोथेरेपी का पूर्ण कोर्स; (v) रोगनिवारण इलेक्ट्रान थेरेपी (vi) 3 DTPS पर पूर्ण जाँच आयोजन; (vii) 3 D सदृश्य रेडियोथेरेपी तथा (viii) तीव्रता अधिमिश्रित विकरण थेरेपी (आईएमआरटी)।

54 (i) बिना जटिल योजना के साधारण उपशामक जाँच: ₹ 5,000/- (ii) जटिल उपशामक जाँच: ₹ 7,500/- (iii) रोगनिवारण इरादे से साधारण गैर-उपशामक रेडियोथेरेपी का पूर्ण कोर्स: ₹ 15,000/- (iv) रोगनिवारक इरादे से जटिल गैर-उपशामक रेडियोथेरेपी का पूर्ण कोर्स: ₹ 22,500/- (v) रोगनिवारक इलेक्ट्रान थेरेपी: ₹ 15,000/- (vi) 3 DTPS पर पूर्ण जाँच आयोजन: ₹ 5,000/- (vii) 3 D सदृश्य रेडियोथेरेपी: ₹ 25,000/- तथा (viii) आईएमआरटी: ₹ 1,00,000/-

राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2014) कि अनुज्ञप्तिधारी ने केवल ₹ 19.15 लाख (₹ 90.30 लाख का 21.21 प्रतिशत) की राशि को वसूलनीय माना है तथा ₹ 5 लाख आपत्ति के साथ जमा करवाये (अप्रैल 2014) हैं। जवाब सही नहीं है क्योंकि अनुबंध के वाक्यांश 8 में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि अस्पताल द्वारा निर्दिष्ट नि:शुल्क प्रकरणों के 20 प्रतिशत से कम रहने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी कम रहे प्रकरणों की राशि प्रत्येक छह माह में आरएमआरएस को भुगतान करेगा। तथ्य यह रहा कि अनुज्ञप्तिधारी से शेष राशि ₹ 85.30 लाख आज तक अप्राप्त रहे (अगस्त 2014)।

इस प्रकार, अस्पताल प्राधिकारी एक से चार वर्ष व्यतीत होने पर भी निर्धारित नि:शुल्क प्रकरणों से कम जाँच के लिए अनुज्ञप्तिधारी से ₹ 85.30 लाख वसूलने में असफल रहे फलस्वरूप अनुज्ञप्तिधारी को अदेय मौद्रिक लाभ पहुँचाया गया। इसके अतिरिक्त, अनुबंध में ब्याज वसूलने के प्रावधान के अभाव में सरकार विलम्बित भुगतान पर ब्याज नहीं लगा सकी।

## जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

### 3.4.5 निधियों के अवरोधन से ब्याज की हानि

**33 केवी डेडीकेटेड पावर फीडर लाईन के निष्पादन नहीं होने से ₹ 17.57 करोड़ की निधियां लगभग तीन वर्षो के लिए अवरूद्ध रही तथा उस पर ₹ 1.99 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।**

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल की नीति निर्धारण समिति ने 5 कस्बों एवं 502 गांवों की जनता को लाभ पहुँचाने हेतु नागौर लिफ्ट जल आपूर्ति परियोजना के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (₹ 761.01 करोड़) जारी की (अगस्त 2006)। तकनीकी स्वीकृति ₹ 630.72 करोड़ की जारी की गई थी (अगस्त 2006)। परियोजना को सात पैकेजो[55] में विभाजित किया गया। प्रत्येक को बजट की उपलब्धता के अनुसार लिया जाना था।

55 पैकेज 1: इनलेट सम्प, पंप हाऊस फिल्टर प्लाण्ट, हेडवर्क आदि (₹ 272 करोड़); पैकेज 2: 171 गांव एवं 2 कस्बे नागौर तथा बासनी गांव के आवरक समूह विस्तार (₹ 81.56 करोड़); पैकेज 3: समूह वितरण तंत्र, पम्प हाऊसेज, स्वच्छ जलाशय, उच्च जलाशय, 33 केवी स्वीच यार्ड एवं गांव में वितरण तंत्र का निर्माण, पूर्ण प्रणाली का संचालन तथा संधारण आदि (₹ 122.13 करोड़), पैकेज 4: मेड़ता सिटी कस्बा एवं 188 गांवों का आवरक समूह विस्तार (₹ 105.76 करोड़); पैकेज 5: नागौर, मुण्डवा, कुचेरा, बासनी एवं मेड़ता सिटी में मौजूदा वितरण प्रणाली का उन्नयन एवं मजबूतीकरण का प्रावधान (₹ 5 करोड़); पैकेज 6: 502 गांवो के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों का प्रावधान (₹ 5.02 करोड़); पैकेज 7: विविध मदों के लिए प्रावधान जैसे: निक्षेप निर्माण, सिंचाई विभाग द्वारा नहरों का निर्माण, रेलवे क्रासिंग, भूमि अधिग्रहण आदि (₹ 39.25 करोड़)।

अधिशाषी अभियन्ता (अअ), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नागौर लिफ्ट परियोजना खण्ड-I, नागौर के अभिलेखों की नमूना जाँच (फरवरी 2013) एवं एकत्रित की गई अतिरिक्त सूचनाओं (दिसम्बर 2013) से प्रकट हुआ कि जबकि पैकेज-I के अन्तर्गत सिविल कार्य[56] पूर्ण किये जा चुके थे (जनवरी 2012), पैकेज 2,3 एवं 4 के अंतर्गत कार्य प्रगति पर थे, पैकेज 5 और 6 के अंतर्गत कार्य अभी किए जाने थे, पैकेज 7 के कार्य निक्षेप निर्माण[57] के रूप में कराए जाने प्रस्तावित थे। परियोजना की स्वीकृति में 132 केवी/33 केवी पावर फीडर सिस्टम एवं पैकेज 1,2,3 एवं 4 के अंतर्गत 33 केवी पॉवर फीडर लाईन का निर्माण शामिल था। ये कार्य पैकेज 1 के लिए पूर्ण कर लिये गये थे, पैकेज 2 तथा 3 के लिये प्रगति पर थे एवं पैकेज 4 के लिए अभी आवंटित नहीं किये थे।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि:

- पैकेज 3 के अंतर्गत, अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नागौर ने 33 केवी डेडीकेटेड पॉवर फीडर लाईनो के बिछाने के लिए अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को निवेदन किया (जून 2011)। निवेदन स्वीकार करते हुऐ अधिशाषी अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने ₹ 27.95 करोड़ (पैकेज 02: ₹ 10.38 करोड़ तथा पैकेज 3: ₹ 17.57 करोड़) का समेकित मांग पत्र जारी किया (जून 2011) । जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नागौर लिफ्ट परियोजना खण्ड-प्रथम द्वारा संधारित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम[58] के बचत खाते से राशि का भुगतान किया गया था (जून 2011) ।

- इस पैकेज का सिविल कार्य, पूर्ण करने की तिथि 14 जुलाई 2015 निर्धारित करते हुये, जुलाई 2012 में मै. एसपीएमएल इन्फ्रा. लिमिटेड़, गुड़गांव को आवंटित किया गया, यद्यपि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को अग्रिम भुगतान जून 2011 में अर्थात उपर्युक्त कार्य आवंटन के एक वर्ष पूर्व ही कर लिया गया था।

- अधिशाषी अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने पुष्टि की (मई 2014) कि बिजली फीडर लाईन बिछाने का कार्य अप्रैल 2014 तक प्रारम्भ नहीं किया गया था।

---

56 सिविल कार्यो (विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य) में समूह वितरण तंत्र, पंप हाऊस, स्वच्छ जलाशय, उच्च जलाशय, पाईप लाईन बिछाना एवं जोड़ने आदि का निर्माण शामिल था।

57 निक्षेप निर्माण वे कार्य हैं जो अग्रिम लागत जमा करवाने पर अन्य अभिकरणों द्वारा निष्पादन कराए जाते हैं।

58 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्मुक्त निधियां क्रियान्वयन अभिकरण के बचत बैंक खाते में रखी जाती हैं तथा बचत पर अर्जित ब्याज दिशा-निर्देशों में अनुमत्य मदों पर खर्च किया जाता है।

इस प्रकार विभाग द्वारा, संबंधित सिविल कार्य आवंटन से पूर्व ही अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को ₹ 17.57 करोड़ के प्रेषण का, अविवेकपूर्ण निर्णय एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 33 केवी डेडीकेटेड पॉवर फीडर लाईन का निष्पादन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 17.57 करोड़ लगभग तीन वर्षो के लिए अवरूद्ध रही तथा इस पेटे ₹ 1.99 करोड़[59] के अनुवर्ती ब्याज की हानि हुई। देरी के परिणामस्वरूप जल के समूह वितरण तंत्र, पम्प हाऊसों, स्वच्छ जलाशयों, उच्च जलाशयों एवं गांव का वितरण तन्त्र का निर्माण भी पूर्ण नहीं किया गया जिससे दो कस्बों (मुण्डवा एवं कुचेरा) के साथ-साथ 143 गांवों की जनसंख्या पैकेज 3 के लाभ से वंचित रही।

राज्य सरकार ने पुष्टि की (अक्टूबर 2014) कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा अनेक स्मरण पत्रों के बाबजूद भी कार्य पूर्ण नहीं किये गये, इसलिए प्रकरण उच्चतर स्तर पर उठाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा संगणित हानि काल्पनिक है जैसाकि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा अग्रिम माँग प्रासंगिक समय (जून 2011) की प्रचलित दरों पर आधारित थी। वर्तमान दरों पर यह माँग काफी अधिक होती। इसलिए हानि का निर्धारण सही प्रतीत नहीं होता।

प्रत्युत्तर स्वीकार योग्य नहीं हैं क्योंकि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ ने अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया है एवं निगम को भुगतान की गई अग्रिम राशि बिना किसी उपयोग के अवरूद्ध रहने के कारण ब्याज की हानि हुई। साथ ही यह तर्क कि अग्रिम राशि प्रासंगिक समय पर प्रचलित दरों पर आधारित थी मायने नहीं रखती क्योंकि कार्यो के निष्पादन में देरी का अन्तिम परिणाम लागत में वृद्धि होगी और सरकार द्वारा अन्तर राशि का भुगतान अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को करना पड़ेगा।

## सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

### 3.4.6 गैर-परिचालित छात्रावासों से अनुदान की वसूली का अभाव

**छात्रावासों का परिचालन नहीं करवाने वाली संस्थानों से ₹ 6.97 करोड़ के अनुदान की वसूली का अभाव**

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (एसजेईडी), राजस्थान सरकार ने सरकारी/गैर-सरकारी महाविद्यालयों, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों (शिक्षण संस्थाओं) के अनुदानित छात्रावासों के लिए केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित

59 ₹ 17.57 करोड़ X 4 प्रतिशत (ब्याज) X 34 महीने।

जनजाति, सफाइकर्मी और विमुक्त जातियों के छात्रों हेतु 'सरकारी तथा गैर-सरकारी महाविद्यालयों, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अनुदानित छात्रावासों के परिचालन नियम 2007' बनाये (अप्रैल 2007)। एसजेईडी ने नियम 15 में उप-नियम 11 सम्मिलित करते हुए नियमों में संशोधन किया (सितम्बर 2007), जिसमें ऐसे शिक्षण संस्थानों में छात्रावासों के निर्माण करने का प्रावधान किया गया। प्रत्येक छात्रावास के निर्माण के लिए अधिकतम राशि ₹ 40 लाख तक निर्धारित[60] की गई। जिन संस्थानों में एसजेईडी ने जिलाधिकारी की अनुशंषा पर, छात्रावास भवन का निर्माण कार्य अनुमोदित किया, उनके संस्थान प्रमुखों को स्वीकृति जारी होने की तिथि से 60 दिन के भीतर निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाना था। अनुदान की राशि निर्माण के विभिन्न चरणों में तीन किश्तों[61] में दी जानी थी।

परिचालन नियमों के नियम 5(3) के अनुसार यदि कोई शिक्षण संस्थान छात्रावास परिचालन करने में असफल रहती है तो अनुदान की वसूली की जायेगी। नियम 10(1) के अनुसार भोजन तथा अन्य सुविधाओं के लिए ₹ 400/- प्रति छात्र प्रतिमाह देय होंगे। यदि किसी संस्थान द्वारा यह राशि अपर्याप्त पाई जाती है तो वह अतिरिक्त राशि की व्यवस्था दानदाताओं अथवा छात्रों से कर सकते हैं।

आयुक्त, एसजेईडी, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (अक्टूबर 2013) में प्रकट हुआ कि एसजेईडी ने दिसम्बर 2007 और अप्रैल 2008 के मध्य 50 शैक्षणिक संस्थानों के लिए, प्रत्येक में एक छात्रावास भवन निर्माण हेतु, ₹ 9.13 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की। इनमें से, 2012-14 के दौरान 10 छात्रावास भवन निर्माण पूर्ण कर संचालित किये गए जबकि दो संस्थानों (पीलीबंगा व झाड़ोल) ने निधि (₹ 0.26 करोड़) विभाग को वापस लौटा दी।

शेष 38 छात्रावासों में से 35 संस्थानों द्वारा ₹ 6.76 करोड़ का व्यय कर भवन निर्माण का कार्य जून 2008 और मार्च 2011 के मध्य पूर्ण कर लिया गया परन्तु वे संचालित नहीं किये गये। इनमें से छह संस्थानों ने छात्रावास संचालन के लिए मान्यता प्रमाणपत्र[62] प्राप्त नहीं किये जबकि 29 ने ₹ 400/- प्रति छात्र प्रतिमाह में छात्रावास संचालन में अपनी असमर्थता व्यक्त की। तीन संस्थानों ने मार्च 2014 तक ₹ 0.21 करोड़ व्यय करने के बावजूद भवन निर्माण पूर्ण नहीं करवाया।

यह पाया गया कि 80 प्रतिशत छात्रावास (50 में से 40) राशि स्वीकृत होने के छह वर्ष बाद भी संचालित नहीं किये जा सके। चूँकि लक्षित समूह समाज के वंचित वर्ग से सम्बन्धित हैं, यह इंगित करता है कि प्रति छात्र प्रतिमाह ₹ 400/- निर्धारण करते समय पूर्ण व्यवहार्यता का अध्ययन नहीं किया गया। क्योंकि ये

60 25 छात्रों की क्षमता वाली एक इकाई (छात्रावास) के लिए ₹ 10 लाख; 50 छात्रों के लिए ₹ 20 लाख; 75 छात्रों के लिए ₹ 30 लाख; एवं 100 छात्रों के लिए ₹ 40 लाख।

61 प्लिंथ स्तर तक कार्य पूर्ण होने पर 30 प्रतिशत, छत स्तर पूर्ण होने पर 50 प्रतिशत तथा तकनीकी अधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात् 20 प्रतिशत

62 नियम 15(3) के अनुसार सम्बन्धित जिलाधिकारियों से अनुशंसा प्राप्त होने पर एसजेईडी तीन वर्षों के लिए मान्यता प्रदान करेगा।

नियम सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को रिहायशी छात्रावास उपलब्ध कराने हेतु ध्यान में रखकर बनाए गए थे, अत: सरकार को ऐसे छात्रों की सीमित सामर्थ्य को देखते हुये, ₹ 400/- प्रतिमाह से अधिक की अतिरिक्त राशि प्रतिपूरित करनी चाहिए थी। चूँकि सरकार का इरादा विकासात्मक अथवा कल्याणात्मक था इसलिए केवल छात्रावासों को बंद करने या आवंटित निधि की वसूली करने से न तो समस्या का समाधान मिलता है और न ही इससे प्रयोजन सिद्ध होता है। इसलिए सरकार को ₹ 400/- प्रतिमाह के अनुदान में संशोधन करने पर विचार करना चाहिए ताकि यह कुछ हद तक वर्तमान व्यय की दर से मेल खा सके।

इस प्रकार ₹ 6.97 करोड़ की लागत से निर्मित/अपूर्ण 38 छात्रावास असंचालित रहे जिससे, किया गया व्यय निष्फल रहा। व्यय से अधिक महत्वपूर्ण यह रहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य छात्रों को आवासीय स्थान उपलब्ध करवाने का सामाजिक उद्देश्य विफल हुआ। क्योंकि अधिकतर संस्थान प्रमुखों ने निधियों की व्यवस्था के लिए दानदाताओं और छात्रों से प्रयास नहीं किये तथा उन्होंने छात्रावास संचालित करने की इच्छा भी नहीं दिखायी, इसलिए नियम 5(3) के तहत इन संस्थानों से अनुदान की राशि वसूल की जानी थी। यद्यपि, विभाग ने अब तक (जून 2014) राशि वसूल नहीं की।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुए (अक्टूबर 2014) कहा कि संस्थानों द्वारा विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा जिलाधिकारियों की अनुशंषा के अभाव के कारण छह छात्रावासों को मान्यता प्रदान नहीं की जा सकी। इन संस्थानों को, छात्रावास संचालन हेतु अथवा आवंटित राशि जमा कराने के लिए निर्देशित कर दिया है तथा इसकी वसूली के प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं।

इस प्रकार सरकार छात्रावासों को स्वीकृति के छह वर्ष के बाद भी संचालित करने में असफल रही तथा प्रति छात्र स्वीकृत राशि अपर्याप्त होने के कारण योजना असफल रही।

## जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

### 3.4.7 विशेष केन्द्रीय सहायता का अनुपयोगी रहना

**क्रियान्वयन एजेंसी के चयन में सही प्रक्रिया का पालन न होने से विशेष केन्द्रीय सहायता ₹ 9.36 करोड़ के उपयोग का अभाव तथा जनजातीय छात्रों का रोजगार के अवसरों से वंचित रहना।**

जनजाति उप-योजना (टीएसपी) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) राज्य की टीएसपी के लिए एक योज्य है तथा इसका मन्तव्य विकट अंतरों को भरकर

अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक व आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने और रोजगार एवं आय के अवसर उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को आवृत करना है।

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (टीएडी), राजस्थान सरकार, उदयपुर के अभिलेखों की नमूना-जाँच (अक्टूबर 2013) में यह प्रकट हुआ कि 'एसटेल टेक्नोलॉजीज'(एसटेल), जो कि दूर संचार में प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एक संस्था है, ने 'जनजातीय छात्रों के दक्षता वर्धन प्रशिक्षण एवं परिनियोजन' कार्यक्रम का प्रस्ताव सीधे ही राज्य सरकार को प्रस्तुत (फरवरी 2011) किया जिसे फरवरी 2011 में ही आयुक्त, टीएडी को परीक्षण के लिए अग्रेषित किया गया। अतिरिक्त आयुक्त, टीएडी ने इस प्रस्ताव में कई कमियाँ[63] पायीं (4 मार्च 2011) और राज्य सरकार को, इसमें आवश्यक संशोधनों के पश्चात् ही, भारत सरकार को अग्रेषित करने की सलाह दी। अतिरिक्त आयुक्त द्वारा इंगित की गई कमियों को ठीक करने तथा चयन की सही प्रक्रिया की पालना किये बिना ही, राज्य सरकार ने ₹ 19,500/- प्रति छात्र की दर से 8,000 जनजातीय छात्रों को टीएसपी के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने के लिए एसटेल के ₹ 15.60 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित (मार्च 2011) कर दिया। भारत सरकार ने 4,800 जनजातीय छात्रों के लिए राशि ₹ 9.36 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त पर जारी की (मार्च 2011) कि राज्य सरकार प्रशिक्षणार्थियों को 100 प्रतिशत प्लेसमेंट सुनिश्चित करेगी तथा क्रियान्वयन एजेंसी का चयन पारदर्शी प्रक्रिया व सम्बन्धित वित्तीय नियमों[64] की पालना करते हुए किया जायेगा। तथापि, भारत सरकार द्वारा 9 जून 2011 को, राज्य सरकार के प्रस्तावानुसार, क्रियान्वयन एजेंसी (एसटेल) की सहमति प्रदान की गई। भारत सरकार से प्राप्त अनुदान (₹ 9.36 करोड़) को विभाग द्वारा आयुक्त, टीएडी, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित (जनवरी 2012) किया गया।

एसटेल टेक्नोलॉजीज द्वारा विभाग के समक्ष प्रेजेंटेशन (जुलाई 2011) में आयुक्त ने इसमें कुछ और कमियाँ[65] पाई (अगस्त 2011) तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के

---

63 प्रति छात्र लागत ₹ 19,500/- से अधिक थी; अग्रिम भुगतान की शर्त; केवल 10प्रतिशत छात्रों को प्लेसमेंट; जिला-वार लक्ष्यों का अभाव; प्रशिक्षण की अवधि निर्दिष्ट नहीं थी इत्यादि।

64 लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 306A के परिशिष्ट VII A के आइटम संख्या 9 के अनुसार, परामर्श सेवाओं के चयन प्रक्रिया में शामिल हैं (i) वित्त विभाग का अनुमोदन (ii) अधिकार सीमा की शर्तों (iii) लागत अनुमान तैयार करना (iv) विज्ञापन (v) परामर्शदाताओं का लघुसूचियन (vi) मूल्यांकन इत्यादि।

65 दसवीं कक्षा एवं अधिक के छात्रों के लिए प्रशिक्षण प्रस्तावित था जबकि उनका अनुभव इंजीनियरिंग छात्रों को ही प्रशिक्षित करने का था; दसवीं कक्षा के छात्रों के ड्राप दर की आशंका अधिक थी; प्रशिक्षित छात्रों को नौकरी मिलने की संभावना कम थी क्योंकि उनकी उम्र 18 वर्ष से कम होती; एजेंसी ने प्रशिक्षण हेतु आश्रम छात्रावासों या आवासीय स्कूलों की मांग की जो कि उपलब्ध नहीं थे; प्रेजेंटेशन में प्रशिक्षण के तरीके व आवश्यक राशि का अभाव था; केवल 10 प्रतिशत छात्रों को प्लेसमेंट।

लिए एजेंसी का चयन खुली निविदा द्वारा किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया। राज्य सरकार ने भी (फरवरी 2012) क्रियान्वयन एजेंसी (एसटेल) के चयन की प्रक्रिया स्पष्ट व पारदर्शी नहीं पायी। अत: राज्य सरकार द्वारा सभी वित्तीय स्वीकृतियाँ रद्द करते हुए एसटेल के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित कराने के आदेश निरस्त कर दिए गये। अव्ययित अनुदान राशि प्रारम्भ में राजकोष में जमा की गई जिसे अन्त में भारत सरकार द्वारा एससीए के अन्तर्गत टीएसपी में राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली आगामी अनुदानों में समायोजित कर दिया गया।

अत: बिना उचित प्रक्रिया अपनाये एजेंसी के चयन के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम निरस्त हुआ और राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता ₹ 9.36 करोड़ अनुपयोजित रही।

बिना पारदर्शी प्रक्रिया की पालना किये एसटेल के चयन के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम के निरस्त होने वाले तथ्यों को स्वीकारते हुए (मार्च 2014) विभाग ने तर्क दिया कि चूँकि निधि का दुरूपयोग नहीं किया गया अत: किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रशिक्षण कार्यक्रम रद्द और निरस्त होने से ₹ 9.36 करोड़ का उपयोग नहीं हो सका जिसके फलस्वरूप जनजातीय क्षेत्र रोजगार के अवसरों से वंचित रहे।

प्रकरण राज्य सरकार को फरवरी 2014 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2014)।

## सामान्य

### 3.4.8 लेखापरीक्षा प्रेषणों का उत्तर

**लेखापरीक्षा निष्कर्षों के प्रत्युत्तर देने में धीमी गति।**

सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के नियम 327 (1) के अनुसार, विभिन्न लेखा अभिलेखों की प्रतिधारण अवधि, लेखापरीक्षा के पश्चात, एक से तीन वर्ष तक होती है। निरीक्षण प्रतिवेदनों (निप्र) के अनुच्छेदों की अनुपालना निर्धारित प्रतिधारण अवधि में नहीं करने से अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण उनके निपटारे की संभावना क्षीण हो जाती है।

31 मार्च 2014 को बकाया एवं वर्ष 2013-14 की अवधि के दौरान जारी और निस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन/अनुच्छेदों की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शायी गयी है:

| वर्ष | प्रारम्भिक शेष | | वृद्धि | | निस्तारण | | बकाया | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | निप्र | अनुच्छेद | निप्र | अनुच्छेद | निप्र | अनुच्छेद | निप्र | अनुच्छेद |
| 2007-08 तक | 1,128 | 3,458 | - | - | 23 | 170 | 1,105 | 3,288 |
| 2008-09 | 377 | 1,144 | - | - | 4 | 16 | 373 | 1,128 |
| 2009-10 | 777 | 2,542 | - | - | 5 | 55 | 772 | 2,487 |
| 2010-11 | 876 | 3,076 | - | - | 8 | 83 | 868 | 2,993 |
| 2011-12 | 921 | 3,698 | - | - | 23 | 133 | 898 | 3,565 |
| 2012-13 | 981 | 5,485 | - | - | 32 | 217 | 949 | 5,268 |
| 2013-14 (सितम्बर 2013 तक) | 598 | 3,130 | 136 | 940 | 7 | 74 | 727 | 3,996 |
| **योग** | **5,658** | **22,533** | **136** | **940** | **102** | **748** | **5,692** | **22,725** |

स्थिति दर्शाती है कि वर्ष 1992-93 से 2013-14 (सितम्बर 2013 तक) की अवधि के दौरान जारी 5692 निरीक्षण प्रतिवेदन से संबंधित 22,725 अनुच्छेद निस्तारण हेतु बकाया थे, जो विभागों द्वारा नि.प्र./अनुच्छेदों के उत्तर देने की धीमी गति को इंगित करता है।

चिकित्सा विभाग (665 निप्र) एवं श्रम विभाग (94 निप्र) की विभिन्न ईकाइयों को जारी 759 निप्र के विश्लेषण में प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2014 को 2,945 अनुच्छेद बकाया थे। निरीक्षण प्रतिवेदन में आक्षेपित अनियमितताओं का श्रेणीवार ब्यौरा **परिशिष्ट 3.3** में दिया गया है।

राज्य सरकार ने सभी विभागीय अधिकारियों को बकाया निप्र तथा अनुच्छेदों के शीघ्र निपटारे हेतु निप्र की प्रथम अनुपालना एक माह के अन्दर तथा आगे के लेखापरीक्षा आक्षेपों के उत्तर एक पखवाड़े के अन्दर भेजने के अनुदेश जारी किये थे (अगस्त 1969)। इन अनुदेशों की समय-समय पर पुनरावृत्ति की गई। मार्च 2002 में जारी किये गये अनुदेशों में, लेखापरीक्षा से संबंधित समस्त मामलों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में विभागीय समिति एवं नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, परिकल्पित थी। नवीनतम अनुदेश जनवरी 2010 में जारी किये गये।

वित्त विभाग ने लेखापरीक्षा समितियों की प्रत्येक वर्ष में चार बैठकें आयोजित करने के अनुदेश जारी(नवम्बर 2004) किए। वर्ष 2013-14 के दौरान 21 विभागों द्वारा लेखापरीक्षा समितियों की केवल 36 बैठकें आयोजित की गई।

लेखापरीक्षा, सुशासन के लिए प्रबन्धन की सहायक है। सरकार को मामले पर गौर करना चाहिए एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखापरीक्षा प्रेषणों पर शीघ्र एवं उचित प्रतिक्रिया देने, चूककर्ता कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान की वसूलियों को समयबद्ध तरीके से करने हेतु, प्रक्रिया मौजूद हों।

प्रकरण सरकार को सितम्बर 2014 में प्रेषित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2014)।

जयपुर,

(दिव्या मल्होत्रा)
प्रधान महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

# परिशिष्ट

## परिशिष्ट 2.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.8.4, पृष्ठ 32 )

## प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दर्शाता हुआ विवरण पत्र

| जिला | नामांकन रेंज | प्रा.वि. की संख्या | आवश्यक शिक्षकों की संख्या | पदस्थापित शिक्षकों की संख्या | कमी | नामांकन | छात्र शिक्षक अनुपात |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4-5) | 7 | 8(7/4) |
| **120 तक नामांकन** | | | | | | | |
| अलवर | 1-60 | **1147** | **2294** | **2257** | **37** | | |
| | 61-90 | 302 | 906 | 746 | 160 | 26856 | 36:1 |
| | 91-120 | 152 | 608 | 434 | 174 | 18228 | 42:1 |
| | **उप-योग** | **1601** | **3808** | **3437** | **371** | | |
| भीलवाड़ा | 1-60 | 1612 | 3224 | 2710 | 514 | | |
| | 61-90 | 325 | 975 | 718 | 257 | 23452 | 33:1 |
| | 91-120 | 103 | 412 | 281 | 131 | 10561 | 38:1 |
| | **उप-योग** | **2040** | **4611** | **3709** | **902** | | |
| झालावाड़ | 1-60 | 809 | 1618 | 1486 | 132 | | |
| | 61-90 | 188 | 564 | 470 | 94 | 13621 | 29:1 |
| | 91-120 | 75 | 300 | 264 | 36 | 7725 | 29:1 |
| | **उप-योग** | **1072** | **2482** | **2220** | **262** | | |
| जोधपुर | 1-60 | 2005 | 4010 | 3725 | 285 | | |
| | 61-90 | 346 | 1038 | 875 | 163 | 25122 | 29:1 |
| | 91-120 | 147 | 588 | 441 | 147 | 15232 | 35:1 |
| | **उप-योग** | **2498** | **5636** | **5041** | **595** | | |

| जिला | नामांकन रेंज | प्रा.वि. की संख्या | आवश्यक शिक्षकों की संख्या | पदस्थापित शिक्षकों की संख्या | कमी | नामांकन | छात्र शिक्षक अनुपात |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6(4-5)** | **7** | **8(7/4)** |
| करौली | 1-60 | 881 | 1762 | 1666 | 96 | | |
| | 61-90 | 148 | 444 | 376 | 68 | 10816 | 29:1 |
| | 91-120 | 65 | 260 | 204 | 56 | 6696 | 33:1 |
| | **उप-योग** | **1094** | **2466** | **2246** | **220** | | |
| सीकर | 1-60 | 1262 | 2524 | 2476 | 48 | | |
| | 61-90 | 137 | 411 | 403 | 8 | 10100 | 25:1 |
| | 91-120 | 50 | 200 | 192 | 8 | 5100 | 27:1 |
| | **उप-योग** | **1449** | **3135** | **3071** | **64** | | |
| टोंक | 1-60 | 905 | 1810 | 1775 | 35 | | |
| | 61-90 | 124 | 372 | 322 | 50 | 8880 | 28:1 |
| | 91-120 | 26 | 104 | 88 | 16 | 2733 | 31:1 |
| | **उप-योग** | **1055** | **2286** | **2185** | **101** | | |
| **120 से अधिक नामांकन** | | | | | | | |
| अलवर | 121-200 | 151 | 755 | 523 | 232 | 25252 | 48:1 |
| | 200 और उससे ज्यादा | 19 | 114 | 82 | 32 | 4264 | 52:1 |
| | **उप-योग** | **170** | **869** | **605** | **264** | | |
| भीलवाड़ा | 121-200 | 67 | 335 | 230 | 105 | 9866 | 43:1 |
| | **उप-योग** | **67** | **335** | **230** | **105** | | |
| झालावाड़ | 121-200 | 60 | 300 | 225 | 75 | 8924 | 40:1 |
| | 200 और उससे ज्यादा | 9 | 54 | 26 | 28 | 2136 | 82:1 |
| | **उप-योग** | **69** | **354** | **251** | **103** | | |
| जोधपुर | 121-200 | 98 | 490 | 356 | 134 | 14879 | 42:1 |
| | 200 और उससे ज्यादा | 13 | 78 | 51 | 27 | 2936 | 58:1 |
| | **उप-योग** | **111** | **568** | **407** | **161** | | |

| जिला | नामांकन रेंज | प्रा.वि. की संख्या | आवश्यक शिक्षकों की संख्या | पदस्थापित शिक्षकों की संख्या | कमी | नामांकन | छात्र शिक्षक अनुपात |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6(4-5)** | **7** | **8(7/4)** |
| करौली | 121-200 | 47 | 235 | 197 | 38 | 3587 | 43:1 |
| | **उप–योग** | **47** | **235** | **197** | **38** | | |
| सीकर | 121-200 | 28 | 140 | 138 | 2 | 4055 | 29:1 |
| | 200 और उससे ज्यादा | 2 | 12 | 7 | 5 | 456 | 65:1 |
| | **उप–योग** | **30** | **152** | **145** | **07** | | |
| टोंक | 121-200 | 14 | 70 | 61 | 9 | 2040 | 33:1 |
| | **उप–योग** | **14** | **70** | **61** | **09** | | |
| | **महा–योग** | **11317** | **27007** | **23805** | **3202** | | |

स्त्रोतः- जिपस का प्रारूप 1.4(i)

टिप्पणी: उप्रावि एवं झुन्झुनू जिले में शिक्षकों का पदस्थापन मानकों के अनुरूप था।

# परिशिष्ट 2.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.2.8, पृष्ठ 49)

## वर्ष 2009-14 के दौरान विभिन्न घटकों के प्रापण में भौतिक एवं वित्तीय कमी को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | घटक | वर्ष | भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदें | | प्रापण | | कमी | | कमी प्रतिशतता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| 1 | गतिशीलता (वाहन) | 2009-10 | 414 | 16.28 | 314 | 11.83 | 100 | 4.45 | 24 | 27 |
| | | 2010-11 | 588 | 24.25 | 484 | 16.43 | 104 | 7.82 | 18 | 32 |
| | | 2011-12 | 506 | 19.96 | 341 | 17.49 | 165 | 2.47 | 33 | 12 |
| | | 2012-13 | 702 | 40.53 | 22 | 1.21 | 680 | 39.32 | 97 | 97 |
| | | 2013-14 | 420 | 19.89 | 42 | 3.37 | 378 | 16.52 | 90 | 83 |
| 2 | अस्त्र-शस्त्र | 2009-10 | 9407 | 23.17 | 103 | 0.46 | 9304 | 22.71 | 99 | 98 |
| | | 2010-11 | 1450 | 5.36 | 1133 | 3.96 | 317 | 1.40 | 22 | 26 |
| | | 2011-12 | 1664 | 5.43 | 1373 | 9.60 | 291 | (-)4.17 | 17 | (-)77 |
| | | 2012-13 | 1450 | 4.09 | 348 | 1.71 | 1102 | 2.38 | 76 | 58 |
| | | 2013-14 | 1913 | 6.39 | 1005 | 4.09 | 908 | 2.30 | 47 | 36 |
| 3 | संचार उपकरण | 2009-10 | 1908 | 2.38 | 771 | 1.12 | 1137 | 1.26 | 60 | 53 |
| | | 2010-11 | 1081 | 2.98 | 1946 | 5.45 | (-)865 | (-)2.47 | (-)80 | (-)83 |
| | | 2011-12 | 1 | 1.50 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 100 | 100 |
| | | 2012-13 | 1576 | 7.83 | 502 | 2.17 | 1074 | 5.66 | 68 | 72 |
| | | 2013-14 | 464 | 2.82 | 0 | 0 | 464 | 2.82 | 100 | 100 |
| 4 | विधि विज्ञान प्रयोगशाला उपकरण | 2009-10 | 385 | 2.95 | 154 | 1.02 | 231 | 1.93 | 60 | 65 |
| | | 2010-11 | 66 | 2.12 | 0 | 0 | 66 | 2.12 | 100 | 100 |
| | | 2011-12 | 18 | 1.16 | 0 | 0 | 18 | 1.16 | 100 | 100 |
| | | 2012-13 | 31 | 1.00 | 0 | 0 | 31 | 1.00 | 100 | 100 |
| | | 2013-14 | 75 | 1.30 | 0 | 0 | 75 | 1.30 | 100 | 100 |
| 5 | प्रशिक्षण उपकरण | 2009-10 | 8 | 0.76 | 6 | 0.41 | 2 | 0.35 | 25 | 46 |
| | | 2010-11 | 19 | 1.40 | 4 | 0.09 | 15 | 1.31 | 79 | 94 |
| | | 2011-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2012-13 | 1 | 0.80 | 1 | 0.78 | 0 | 0.02 | 0 | 3 |
| | | 2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| क्र.सं. | घटक | वर्ष | भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदें | | प्रापण | | कमी | | कमी प्रतिशतता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| 6. | सीआईडी/एसएसबी/एसीबी | 2009-10 | 434 | 7.77 | 324 | 2.51 | 110 | 5.26 | 25 | 68 |
| | | 2010-11 | 211 | 4.56 | 125 | 1.49 | 86 | 3.07 | 41 | 67 |
| | | 2011-12 | 137 | 0.76 | 213 | 1.43 | (-)76 | (-)0.67 | (-)55 | (-)88 |
| | | 2012-13 | 306 | 7.18 | 84 | 0.78 | 222 | 6.40 | 73 | 89 |
| | | 2013-14 | 172 | 4.35 | 189 | 1.77 | (-)17 | 2.58 | (-)10 | 59 |
| 7 | होम गार्ड उपकरण | 2009-10 | 81 | 0.98 | 83 | 0.61 | (-)2 | 0.37 | (-)2 | 38 |
| | | 2010-11 | 582 | 0.97 | 869 | 1.10 | (-)287 | (-)0.13 | (-)49 | (-)13 |
| | | 2011-12 | 3490 | 1.69 | 107 | 0.20 | 3383 | 1.49 | 97 | 88 |
| | | 2012-13 | 1794 | 3.71 | 799 | 0.30 | 995 | 3.41 | 55 | 92 |
| | | 2013-14 | 206 | 0.84 | 0 | 0.42 | 206 | 0.42 | 100 | 50 |

(-) संख्यायें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित से अधिक प्रापण/व्यय को दर्शाती है

स्त्रोत: पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रदत्त सूचनायें

## परिशिष्ट 2.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.3.12.2; पृष्ठ 87)

**जिला प्रयोगशालाओं में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण पत्र**

| क्र.सं. | उपकरणों के नाम | जिलों में स्थित प्रयोगशालाओं में अनुपलब्ध उपकरण |
|---|---|---|
| 1 | सभी सहायक सामग्री के साथ हाईड्राइड जनरेटर, फ्यूम कूप बोर्ड, आर्गन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर(एएस/एडवांस्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ प्रयोग किया जाये), कजेलडाल डिस्टिलेशन उपकरण, प्रेशर पम्प, मेम्ब्रेन फिल्टरेशन | डूंगरपुर, जालौर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, बाडमेर, जोधपुर, नागौर, टोंक, भरतपुर |
| 2 | माइक्रोस्कोप | डूंगरपुर, जालौर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, बाडमेर, जोधपुर, नागौर, टोंक, भरतपुर |
| 3 | प्लेट काउन्ट और कॉलोनी काउन्टर | डूंगरपुर, जालौर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, बाडमेर, जोधपुर, नागौर, टोंक, भरतपुर |
| 4 | आर्सेनिक टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंटेशन (पोर्टेबल टाइप) | डूंगरपुर, जालौर, श्रीगंगानगर, बाडमेर, जोधपुर, नागौर, टोंक, भरतपुर |
| 5 | ऑटो ब्यूरेट् और ऑटो-पिपेट् | डूंगरपुर, जालौर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, बाडमेर, नागौर, टोंक, भरतपुर |
| 6 | सेन्ट्रीफ्यूज | डूंगरपुर, जालौर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, बाडमेर, जोधपुर, नागौर, टोंक, भरतपुर |
| 7 | वेक्यूम पम्प | डूंगरपुर, जालौर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, बाडमेर, टोंक, भरतपुर |
| 8 | डबल डिस्टिलेशन उपकरण | डूंगरपुर, जालौर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, बाडमेर, नागौर, टोंक |

## परिशिष्ट 2.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.3.12.2; पृष्ठ 87)

### जिला प्रयोगशालाओं में अपर्याप्त परीक्षण सुविधाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण पत्र

| मापदण्ड | | जिला प्रयोगशालाओं में अनुपलब्ध परीक्षण सुविधाएं |
|---|---|---|
| **भौतिक मापदण्ड** | | |
| | तापमान | बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, टोंक, भरतपुर |
| | स्वाद | डूंगरपुर, जालौर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, टोंक |
| **रासायनिक मापदण्ड** | | |
| | अमोनिया | डूंगरपुर, जालौर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, टोंक, भरतपुर |
| | सल्फेट | श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, टोंक, भरतपुर |
| | सोडियम, पोटेशियम | जालौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, टोंक, भरतपुर |
| **भारी धातु** | | |
| | सिल्वर सेलेनियम, एल्यूमिनियम, जिंक, टोटल आर्सेनिक(एज ए एस), निकेल, लीड़, टोटल क्रोमियम (एज सीआर), कॉपर, मैंगनीज | डूंगरपुर, जालौर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, टोंक, भरतपुर |
| | आइरन | जालौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, टोंक, भरतपुर |

| मापदण्ड | | जिला प्रयोगशालाओं में अनुपलब्ध परीक्षण सुविधाएं |
|---|---|---|
| **भौतिक मापदण्ड** | | |
| **सूक्ष्म जैविकी** | | |
| | टोटल कोलीफॉर्मस | डूंगरपुर, जालौर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, टोंक, भरतपुर |
| | ई-कोलाई/थर्मोटॉलरेण्ट कॉलीफार्म्स | जालौर, बाड़मेर, नागौर, टोंक, भरतपुर |
| | ऑइल्स एण्ड ग्रीस | डूंगरपुर, जालौर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, टोंक, भरतपुर |
| | केमीकल आक्सीजन डिमाण्ड(सीओडी) | जालौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, टोंक, भरतपुर |

## परिशिष्ट 2.5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.3.12.4; पृष्ठ 88)

## प्रयोगशालाओं में आवश्यक स्टॉफ, स्वीकृत पदों और कार्यरत व्यक्तियों की स्थिति

| पदनाम | आवश्यक स्टॉफ (स्टॉफ प्रस्ताव) | स्वीकृत पद | कार्यरत व्यक्ति | रिक्तियां |
|---|---|---|---|---|
| मुख्य रसायनज्ञ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| अधीक्षक रसायनज्ञ | 4 | 3 | 3 | 0 |
| जीव विज्ञानी | 1 | 1 | 1 | 0 |
| सूक्ष्म जीव विज्ञानी/जीवाणु विज्ञानी | 33 | 0 | 0 | 0 |
| वरिष्ठ रसायनज्ञ | 10 | 9 | 9 | 0 |
| कनिष्ठ रसायनज्ञ | 28 | 26 | 20 | 6 |
| तकनीकी सहायक | 5 | 5 | 4 | 1 |
| वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक | 36 | 35 | 18 | 17 |
| कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक | 53 | 51 | 48 | 3 |
| नमूना संग्रहकर्त्ता | 37 | 3 | 1 | 2 |
| प्रयोगशाला परिचारक | 53 | 51 | 38 | 13 |
| डेटा एन्ट्री आपरेटर | 35 | 0 | 0 | 0 |
| **योग** | **296** | **185** | **143** | **42** |

# परिशिष्ट 2.6

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.3.12.7; पृष्ठ 90)

## एफटीके के माध्यम से परीक्षण किये जल स्त्रोतों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण पत्र

| क्रम संख्या | जिला | 2011-12 | | | | | 2012-13 | | | | 2013-14 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जल स्त्रोतों की संख्या | परीक्षित स्त्रोतों की संख्या | प्रतिशत | दूषित स्त्रोतों की संख्या | प्रतिशत | परीक्षित स्त्रोतों की संख्या | प्रतिशत | दूषित स्त्रोतों की संख्या | प्रतिशत | परीक्षित स्त्रोतों की संख्या | प्रतिशत | दूषित स्त्रोतों की संख्या | प्रतिशत |
| 1 | अजमेर | 29027 | 216 | 0.74 | 125 | 57.87 | 882 | 3.04 | 229 | 25.96 | 2058 | 7.09 | 53 | 2.58 |
| 2 | अलवर | 43535 | 244 | 0.56 | 5 | 2.05 | 2301 | 5.29 | 10 | 0.43 | 3169 | 7.28 | 8 | 0.25 |
| 3 | बांसवाड़ा | 33166 | 2611 | 7.87 | 109 | 4.17 | 6086 | 18.35 | 4 | 0.07 | 5352 | 16.14 | 7 | 0.13 |
| 4 | बारां | 12334 | 756 | 6.13 | 170 | 22.49 | 749 | 6.07 | 172 | 22.96 | 370 | 3.00 | 65 | 17.57 |
| 5 | बाड़मेर | 28076 | 125 | 0.45 | 78 | 62.40 | 194 | 0.69 | 131 | 67.53 | 5541 | 19.74 | 758 | 13.68 |
| 6 | भरतपुर | 31146 | 844 | 2.71 | 347 | 41.11 | 1264 | 4.06 | 497 | 39.32 | 2906 | 9.33 | 507 | 17.45 |
| 7 | भीलवाड़ा | 25681 | 2101 | 8.18 | 802 | 38.17 | 3212 | 12.51 | 578 | 18.00 | 3384 | 13.18 | 367 | 10.85 |
| 8 | बीकानेर | 14811 | 640 | 4.32 | 67 | 10.47 | 730 | 4.93 | 63 | 8.63 | 2509 | 16.94 | 17 | 0.68 |
| 9 | बूंदी | 19286 | 666 | 3.45 | 27 | 4.05 | 1539 | 7.98 | 130 | 8.45 | 3689 | 19.13 | 320 | 8.67 |
| 10 | चित्तौड़गढ़ | 30198 | 2243 | 7.43 | 86 | 3.83 | 3282 | 10.87 | 19 | 0.58 | 2590 | 8.58 | 17 | 0.66 |
| 11 | चुरू | 14469 | 70 | 0.48 | 9 | 12.86 | 63 | 0.44 | 0 | 0.00 | 4355 | 30.10 | 0 | 0.00 |
| 12 | दौसा | 28505 | 27 | 0.09 | 16 | 59.26 | 402 | 1.41 | 127 | 31.59 | 2820 | 9.89 | 48 | 1.70 |
| 13 | धौलपुर | 17229 | 687 | 3.99 | 108 | 15.72 | 451 | 2.62 | 61 | 13.53 | 696 | 4.04 | 0 | 0.00 |
| 14 | डूँगरपुर | 13366 | 2 | 0.01 | 1 | 50.00 | 79 | 0.59 | 10 | 12.66 | 288 | 2.15 | 47 | 16.32 |
| 15 | श्रीगंगानगर | 14950 | 2977 | 19.91 | 678 | 22.77 | 2469 | 16.52 | 420 | 17.01 | 2329 | 15.58 | 319 | 13.70 |

| क्रम संख्या | जिला | 2011-12 | | | | | 2012-13 | | | | 2013-14 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जल स्त्रोतों की संख्या | परीक्षित स्त्रोतों की संख्या | प्रतिशत | दूषित स्त्रोतों की संख्या | प्रतिशत | परीक्षित स्त्रोतों की संख्या | प्रतिशत | दूषित स्त्रोतों की संख्या | प्रतिशत | परीक्षित स्त्रोतों की संख्या | प्रतिशत | दूषित स्त्रोतों की संख्या | प्रतिशत |
| 16 | हनुमानगढ़ | 10325 | 3410 | 33.03 | 8 | 0.23 | 2007 | 19.44 | 21 | 1.05 | 2341 | 22.67 | 2 | 0.09 |
| 17 | जयपुर | 60067 | 2119 | 3.53 | 12 | 0.57 | 234 | 0.39 | 28 | 11.97 | 3752 | 6.25 | 69 | 1.84 |
| 18 | जैसलमेर | 9181 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 422 | 4.60 | 0 | 0.00 |
| 19 | जालौर | 12644 | 5 | 0.04 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 76 | 0.60 | 0 | 0.00 |
| 20 | झालावाड़ | 14299 | 19 | 0.13 | 0 | 0.00 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00 | 2570 | 17.97 | 151 | 5.88 |
| 21 | झुंझुनू | 27831 | 1053 | 3.78 | 50 | 4.75 | 374 | 1.34 | 0 | 0.00 | 6040 | 21.70 | 11 | 0.18 |
| 22 | जोधपुर | 38577 | 319 | 0.83 | 23 | 7.21 | 229 | 0.59 | 93 | 40.61 | 3255 | 8.44 | 0 | 0.00 |
| 23 | करौली | 13582 | 52 | 0.38 | 40 | 76.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 47 | 0.35 | 0 | 0.00 |
| 24 | कोटा | 13924 | 467 | 3.35 | 127 | 27.19 | 459 | 3.30 | 77 | 16.78 | 3580 | 25.71 | 67 | 1.87 |
| 25 | नागौर | 16532 | 1583 | 9.58 | 784 | 49.53 | 1032 | 6.24 | 587 | 56.88 | 3200 | 19.36 | 471 | 14.72 |
| 26 | पाली | 18005 | 577 | 3.20 | 200 | 34.66 | 577 | 3.20 | 209 | 36.22 | 2288 | 12.71 | 1024 | 44.76 |
| 27 | राजसंमद | 22143 | 200 | 0.90 | 72 | 36.00 | 16 | 0.07 | 2 | 12.50 | 2558 | 11.55 | 3 | 0.12 |
| 28 | सवाईमाधोपुर | 11982 | 78 | 0.65 | 29 | 37.18 | 74 | 0.62 | 33 | 44.59 | 60 | 0.50 | 18 | 30.00 |
| 29 | सीकर | 33100 | 51 | 0.15 | 18 | 35.29 | 388 | 1.17 | 12 | 3.09 | 2830 | 8.55 | 576 | 20.35 |
| 30 | सिरोही | 6551 | 18 | 0.27 | 7 | 38.89 | 23 | 0.35 | 6 | 26.09 | 568 | 8.67 | 0 | 0.00 |
| 31 | टोंक | 22267 | 13 | 0.06 | 6 | 46.15 | 7 | 0.03 | 1 | 14.29 | 2487 | 11.17 | 172 | 6.92 |
| 32 | उदयपुर | 37442 | 781 | 2.09 | 15 | 1.92 | 2457 | 6.56 | 1 | 0.04 | 3074 | 8.21 | 0 | 000 |
| **कुल योग** | | **724231** | **24954** | 3.45 | **4021** | 16.11 | **31582** | 4.36 | **3521** | 11.15 | **81204** | 11.21 | **5097** | 6.28 |

## परिशिष्ट 2.7

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.3.12.7; पृष्ठ 91)

## 2011-14 की अवधि के दौरान एफटीके के माध्यम से किये गये जल नमूनों का परीक्षण और जिला प्रयोगशालाओं में उनके प्रति-सत्यापन का विवरण पत्र

| क्रम संख्या | जिला | जल स्त्रोतों की कुल संख्या | 2011-12 | | | 2012-13 | | | 2013-14 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्त्रोतों की कुल संख्या | | क्रास सत्यापन का प्रतिशत | स्त्रोतों की कुल संख्या | | क्रास सत्यापन का प्रतिशत | स्त्रोतों की कुल संख्या | | क्रास सत्यापन का प्रतिशत |
| | | | एफटीके के माध्यम से परीक्षण | क्रास सत्यापन | | एफटीके के माध्यम से परीक्षण | क्रास सत्यापन | | एफटीके के माध्यम से परीक्षण | क्रास सत्यापन | |
| 1 | बाड़मेर | 28076 | 125 | 0 | **0.00** | 194 | 0 | **0.00** | 5541 | 0 | **0.00** |
| 2 | भरतपुर | 31146 | 844 | 65 | **7.70** | 1264 | 28 | **2.22** | 2906 | 73 | **2.51** |
| 3 | भीलवाड़ा | 25681 | 2101 | 257 | **12.23** | 3212 | 242 | **7.53** | 3384 | 302 | **8.92** |
| 4 | डूंगरपुर | 13366 | 2 | 0 | **0.00** | 79 | 0 | **0.00** | 288 | 0 | **0.00** |
| 5 | श्रीगंगानगर | 14950 | 2977 | 730 | **24.52** | 2469 | 618 | **25.03** | 2329 | 719 | **30.87** |
| 6 | जयपुर | 60067 | 2119 | 0 | **0.00** | 234 | 0 | **0.00** | 3752 | 0 | **0.00** |
| 7 | जालौर | 12644 | 5 | 0 | **0.00** | 0 | 0 | **0.00** | 76 | 0 | **0.00** |
| 8 | जोधपुर | 38577 | 319 | 0 | **0.00** | 229 | 103 | **44.98** | 3255 | 133 | **4.09** |
| 9 | नागौर | 16532 | 1583 | 194 | **12.26** | 1032 | 862 | **83.53** | 3200 | 406 | **12.69** |
| 10 | टोंक | 22267 | 13 | 0 | **0.00** | 7 | 0 | **0.00** | 2487 | 0 | **0.00** |
| | **कुल योग** | **263306** | **10088** | **1246** | **12.35** | **8720** | **1853** | **21.25** | **27218** | **1633** | **6.00** |

**टिप्पणी:** वर्ष 2011-12 में, 'एफटीके' के माध्यम से परीक्षित 10,088 नमूनों में से, 30 प्रतिशत का जिला प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाना था। यद्यपि, केवल 12.35 प्रतिशत परीक्षण किये गये। इसी प्रकार के निष्कर्ष अन्य वर्षों के लिए है।

## परिशिष्ट 2.8

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.3.14.1; पृष्ठ 92)

### ऑनलाइन पंजीकृत शिकायतों की देरी से निवारण करने की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्र

| क्र.सं. | जिला का नाम | 2011–12 | | | 2012–13 | | | 2013–14 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्राप्त शिकायतों की संख्या | समय से देरी से निवारण | प्रतिशत | प्राप्त शिकायतों की संख्या | समय से देरी से निवारण | प्रतिशत | प्राप्त शिकायतों की संख्या | समय से परे निवारण | प्रतिशत |
| 1 | अजमेर | 898 | 430 | 48 | 719 | 451 | 63 | 710 | 488 | 69 |
| 2 | भीलवाड़ा | 2606 | 1016 | 39 | 4358 | 2175 | 50 | 3548 | 1957 | 55 |
| 3 | नागौर | 1799 | 667 | 37 | 1228 | 418 | 34 | 1356 | 374 | 28 |
| 4 | टोंक | 536 | 440 | 82 | 458 | 346 | 76 | 467 | 385 | 82 |
| 5 | भरतपुर | 1314 | 1041 | 79 | 911 | 737 | 81 | 929 | 710 | 76 |
| 6 | धौलपुर | 755 | 539 | 71 | 1039 | 774 | 74 | 919 | 716 | 78 |
| 7 | करौली | 967 | 749 | 77 | 612 | 505 | 83 | 540 | 398 | 74 |
| 8 | सवाईमाधोपुर | 690 | 583 | 84 | 501 | 447 | 89 | 494 | 422 | 85 |
| 9 | बीकानेर | 1738 | 928 | 53 | 1273 | 947 | 74 | 1280 | 992 | 78 |
| 10 | चुरू | 913 | 652 | 71 | 805 | 600 | 75 | 678 | 520 | 77 |
| 11 | श्रीगंगानगर | 904 | 383 | 42 | 692 | 400 | 58 | 581 | 365 | 63 |
| 12 | हनुमानगढ़ | 1047 | 458 | 44 | 706 | 478 | 68 | 666 | 471 | 71 |
| 13 | अलवर | 1006 | 632 | 63 | 584 | 448 | 77 | 705 | 516 | 73 |
| 14 | दौसा | 1094 | 670 | 61 | 677 | 520 | 77 | 571 | 443 | 78 |

| क्र.सं. | जिला का नाम | 2011-12 | | | 2012-13 | | | 2013-14 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्राप्त शिकायतों की संख्या | समय से देरी से निवारण | प्रतिशत | प्राप्त शिकायतों की संख्या | समय से देरी से निवारण | प्रतिशत | प्राप्त शिकायतों की संख्या | समय से परे निवारण | प्रतिशत |
| 15 | जयपुर | 5348 | 2254 | 42 | 2903 | 1366 | 47 | 4226 | 1912 | 45 |
| 16 | झुंझुनू | 1038 | 672 | 65 | 905 | 609 | 67 | 711 | 511 | 72 |
| 17 | सीकर | 985 | 680 | 69 | 673 | 479 | 71 | 710 | 505 | 71 |
| 18 | बाड़मेर | 1604 | 1191 | 74 | 1882 | 1274 | 68 | 1442 | 1036 | 72 |
| 19 | जैसलमेर | 788 | 617 | 78 | 655 | 475 | 73 | 511 | 355 | 69 |
| 20 | जालौर | 1007 | 702 | 70 | 629 | 479 | 76 | 700 | 520 | 74 |
| 21 | जोधपुर | 2585 | 1590 | 62 | 1787 | 1054 | 59 | 1849 | 980 | 53 |
| 22 | पाली | 664 | 312 | 47 | 442 | 210 | 48 | 371 | 212 | 57 |
| 23 | सिरोही | 312 | 200 | 64 | 141 | 108 | 77 | 216 | 164 | 76 |
| 24 | बारां | 223 | 160 | 72 | 141 | 135 | 96 | 114 | 108 | 95 |
| 25 | बूँदी | 561 | 378 | 67 | 712 | 514 | 72 | 813 | 319 | 39 |
| 26 | झालावाड़ | 227 | 175 | 77 | 151 | 122 | 81 | 160 | 122 | 76 |
| 27 | कोटा | 596 | 353 | 59 | 385 | 181 | 47 | 371 | 200 | 54 |
| 28 | बाँसवाड़ा | 199 | 68 | 34 | 169 | 94 | 56 | 139 | 46 | 33 |
| 29 | चित्तौड़गढ़ | 207 | 117 | 57 | 93 | 69 | 74 | 117 | 61 | 52 |
| 30 | डूंगरपुर | 105 | 61 | 58 | 203 | 105 | 52 | 196 | 77 | 39 |
| 31 | प्रतापगढ़ | 110 | 52 | 47 | 63 | 34 | 54 | 61 | 16 | 26 |
| 32 | राजसमन्द | 315 | 70 | 22 | 291 | 79 | 27 | 199 | 51 | 26 |
| 33 | उदयपुर | 888 | 124 | 14 | 615 | 155 | 25 | 695 | 183 | 26 |
| | **योग** | **34029** | **18964** | **56** | **27408** | **16791** | **61** | **27046** | **16135** | **60** |

# परिशिष्ट 3.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.1.1; पृष्ठ 96)

## मुअ, जस्वाअवि एवं अधिअ, सवाईमाधोपुर द्वारा अनुमोदित पाईप की दरों के बीच अन्तर को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(राशि ₹ में)

| क्र.सं. | अधीअ, जस्वाअवि, सवाईमाधोपुर द्वारा दिया गया कार्य | | | | | मुअ, जस्वाअवि जयपुर द्वारा निष्पादित दर संविदा | | | अन्तर दर (प्रति मीटर) (5-8) | अधिक भुगतान(4 x 9) | पूर्ण करने की निर्धारित तिथि | पूर्ण करने की वास्तविक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कार्य का नाम | ठेकेदार का नाम | साईज | मार्च 2014 तक आपूर्ति किये पाईपों की मात्रा (मीटर में) | अनुमोदित दर (प्रति मीटर) | दर संविदा फर्म का नाम | कब तक वैधता | दर संविदा दर (प्रति मीटर) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | गांव मोरपा में एकल बिन्दु पर 200 एमएम नलकूप निर्माण एवं पाईप लाईन आपूर्ति, बिछाना तथा जोडना | मै. बनवारी लाल मीणा | 80 एमएम | 750 | 1105 | मै. जिन्दल शॉ लि., नई दिल्ली | 2.9.11 | 638 | 467 | 3,50,250 | 23.10.11 | कार्य प्रगति पर |
| 2 | गांव जाट बरोदा में एकल बिन्दु पर 200 एमएम नलकूप निर्माण एवं पाईप लाईन आपूर्ति, बिछाना तथा जोडना | मै. ब्रहमानन्द अग्रवाल | 100 एमएम | 957 | 1200 | मै. जिन्दल शॉ लि., नई दिल्ली | 2.9.11 | 649 | 551 | 5,27,307 | 14.10.11 | कार्य प्रगति पर |
| 3 | ग्रामीण उपखण्ड सवाईमाधोपुर में डी.आई. पाईप लाईन आपूर्ति बिछाना एवं जोडना | मै. आर.के. कन्स्ट्रक्शन हिण्डौन सिटी | 100 एमएम | 1492.90 | 1190 | मै. जिन्दल शॉ लि., नई दिल्ली | 13.9.12 | 725 | 465 | 6,94,199 | 18.09.12 | 24.01.13 |
| 4 | गांव सुकार में एकल बिन्दु पर 200 एमएम नलकूप निर्माण एवं पाईपलाईन आपूर्ति, बिछाना एवं जोडना | मै. प्रकाश चन्द्र मीणा | 100 एमएम | 1494 | 1200 | मै. जिन्दल शॉ लि., नई दिल्ली | 2.9.11 | 649 | 551 | 8,23,194 | 18.04.12 | 19.12.12 |
| | | | 125 एसएम | 502 | 1450 | मै. इलैक्ट्रोस्टील कास्टिंग लि. कोलकाता | 10.11.11 | 890 | 560 | 2,81,120 | 18.04.12 | 19.12.12 |

| क्र.सं. | अधीअ, जस्वाअवि, सवाईमाधोपुर द्वारा दिया गया कार्य | | | | | मुअ, जस्वाअवि जयपुर द्वारा निष्पादित दर संविदा | | | अन्तर दर (प्रति मीटर) (5-8) | अधिक भुगतान(4 x 9) | पूर्ण करने की निर्धारित तिथि | पूर्ण करने की वास्तविक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कार्य का नाम | ठेकेदार का नाम | साईज | मार्च 2014 तक आपूर्ति किये पाईपों की मात्रा (मीटर में) | अनुमोदित दर (प्रति मीटर) | दर संविदा फर्म का नाम | कब तक वैधता | दर संविदा दर (प्रति मीटर) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | गांव अमरगढ में एकल बिन्दु पर 200 एमएम नलकूप निर्माण तथा पाईपलाईन आपूर्ति, बिछाना एवं जोडना | मै. खेमा शंकर शर्मा | 100 एमएम | 1000 | 1250 | मै. जिन्दल शॉ लि., नई दिल्ली | 2.09.11 | 649 | 601 | 6,01,000 | 20.12.11 | कार्य प्रगति पर |
| 6 | गांव खानपूर बरोदा में एकल बिन्दु पर 200 एमएम नलकूप निर्माण तथा पाईपलाईन आपूर्ति, बिछाना एवं जोड़ना | मै. ब्रहमानन्द अग्रवाल | 100 एमएम | 1045.50 | 1200 | मै. जिन्दल शॉ लि., नई दिल्ली | 02.09.11 | 649 | 551 | 5,76,070 | 14.10.11 | कार्य प्रगति पर |
| 7 | गांव श्यामपुरा में एकल बिन्दु पर 200 एमएम नलकूप निर्माण तथा पाईपलाईन आपूर्ति, बिछाना एवं जोडना | मै. बत्ती लाल मीणा | 100 एमएम | 597.50 | 1200 | मै. जिन्दल शॉ लि., नई दिल्ली | 02.09.11 | 649 | 551 | 3,29,223 | 24.09.11 | कार्य प्रगति पर |
| 8 | गांव जटवाडा कलां में एकल बिन्दु पर 200 एमएम नलकूप निर्माण तथा पाईपलाईन आपूर्ति, बिछाना एवं जोडना | मै. रामरतन घनश्याम | 100 एमएम | 2949 | 1150 | मै. जिन्दल शॉ लि., नई दिल्ली | 02.09.11 | 649 | 501 | 14,77,449 | 20.02.12 | कार्य प्रगति पर |
| 9 | गांव सेवा में एकल बिन्दु पर 200 एमएम नलकूप निर्माण तथा पाईपलाईन आपूर्ति, बिछाना एवं जोडना | मै. रामरतन घनश्याम | 100 एमएम | 2497 | 1200 | मै. जिन्दल शॉ लि., नई दिल्ली | 02.09.11 | 649 | 551 | 13,75,847 | 09.12.11 | कार्य प्रगति पर |

| क्र.सं. | अधीअ, जस्वाअवि, सवाईमाधोपुर द्वारा दिया गया कार्य | | | | | मुअ, जस्वाअवि जयपुर द्वारा निष्पादित दर संविदा | | | अन्तर दर (प्रति मीटर) (5-8) | अधिक भुगतान(4 x 9) | पूर्ण करने की निर्धारित तिथि | पूर्ण करने की वास्तविक तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कार्य का नाम | ठेकेदार का नाम | साईज | मार्च 2014 तक आपूर्ति किये पाईपों की मात्रा (मीटर में) | अनुमोदित दर (प्रति मीटर) | दर संविदा फर्म का नाम | कब तक वैधता | दर संविदा दर (प्रति मीटर) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | सवाईमाधोपुर खण्ड की शजआयो, गंगापुर सिटी में डी.आई. पाईपलाईन आपूर्ति, बिछाना एवं जोड़ने तथा चालू करने का कार्य | मै. आर.के. कन्स्ट्रक्शन, हिण्डौन सिटी | 100 एमएम | 2146.80 | 1355.50 | मै. जिन्दल शॉ लि., नई दिल्ली | 02.09.11 | 649 | 706.50 | 15,16,714 | 19.06.12 | 18.06.12 |
| | | | 150 एमएम | 972 | 1850.50 | मै. जय बालाजी इन्डस्ट्रीज लि. कोलकत्ता | 02.09.11 | 905 | 945.50 | 9,19,026 | 19.06.12 | 18.06.12 |
| 11 | सवाईमाधोपुर खण्ड की शजआयो, सवाईमाधोपुर में डी.आई. पाईपलाईन आपूर्ति, बिछाना एवं जोड़ने तथा चालू करने का कार्य | मै. लक्ष्मण प्रसाद शर्मा | 100 एमएम | 776 | 1356 | मै. जिन्दल शॉ लि., नई दिल्ली | 02.09.11 | 649 | 707 | 5,48,632 | 13.05.12 | कार्य प्रगति पर |
| | | | 150 एमएम | 649 | 1849 | मै. जय बालाजी इन्डस्ट्रीज लि. कोलकत्ता | 02.09.11 | 905 | 944 | 6,12,656 | 13.05.12 | कार्य प्रगति पर |
| | **योग** | | | | | | | | | **1,06,32,687** | | |

## परिशिष्ट 3.2

**(सन्दर्भ अनुच्छेद (क): 3.4.2.3; पृष्ठ 133)**

## किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध नहीं कराये जाने का विवरण पत्र

| जिला | सिरोही | | | | | | नागौर | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ब्लॉक का नाम | सिरोही | पिंडवाड़ा | शिवगंज | देवदर | आबू रोड़ (ग्रामीण) | आबू रोड़ (शहरी) | नागौर के 10 ब्लॉक[1] | डेगाना ब्लॉक |
| पूरक पोषाहार नहीं दिये जाने की अवधि | अप्रेल से जुलाई 2011 | अप्रेल 2011 से जनवरी 2012 | अप्रेल 2011 से जनवरी 2012 | अप्रेल 2011 से मार्च 2014 | अप्रेल 2011 से अगस्त 2013 | अप्रेल 2011 से मार्च 2014 | अप्रेल से नवम्बर 2011 | अप्रेल 2011 से दिसम्बर 2013 |
| अवधि माह में | 4 | 10 | 10 | 36 | 29 | 36 | 8 | 33 |

| District | बारां | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ब्लॉक का नाम | अंता | बारां (शहरी) | छबड़ा | छीपा बड़ोद | शाहाबाद |
| पूरक पोषाहार नहीं दिये जाने की अवधि | अप्रेल 2011 से नवम्बर 2011 | अप्रेल 2011 से नवम्बर 2011 | मई 2011 से नवम्बर 2011 | जुलाई 2011 से अक्टूबर 2011 | अगस्त 2011 से नवम्बर 2011 |
| अवधि माह में | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 |

स्त्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गयी सूचना

1 डीडवाना (ग्रामीण), डीडवाना (शहरी), जायल, कुचामन सिटी, मकराना (शहरी), मकराना (ग्रामीण), मेड़ता सिटी, मूण्डवा, नागौर एवं परबतसर।

# परिशिष्ट 3.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद: 3.4.8; पृष्ठ 166)

## निरीक्षण प्रतिवेदनों में टिप्पणी की गई अनियमिताऐं जोकि मार्च 2014 तक लम्बित थी, के श्रेणीवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्र

(₹ लाख में)

| क्र.सं. | अनियमितता की श्रेणी | चिकित्सा विभाग | | श्रम विभाग | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुच्छेदों की संख्या | राशि | अनुच्छेदों की संख्या | राशि | अनुच्छेदों की संख्या | राशि |
| 1. | कपट/दुर्विनियोजन/गबन/हानियां/नकद एवं भण्डार की चोरी | 23 | 365.47 | 1 | - | 24 | 365.47 |
| 2. | लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गयी वसूलियां एवं अधिक भुगतान | 122 | 2176.61 | 51 | 4895.83 | 173 | 7072.44 |
| 3. | संविदात्मक बाध्यताओं का उल्लंघन एवं संवेदकों को अनुचित सहायता | - | - | - | - | - | - |
| 4. | परिहार्य/अधिक व्यय | - | - | 9 | 52.01 | 9 | 52.01 |
| 5. | निरर्थक/निष्फल व्यय | - | - | 28 | 415.84 | 28 | 415.84 |
| 6. | विनियामक प्रकरण | 8 | 356.79 | 66 | 4223.53 | 74 | 4580.32 |
| 7. | निष्क्रिय निवेश/संस्थापन/भण्डार उपकरण/निधियों का अवरोधन | 80 | 6606.80 | 28 | 529.94 | 108 | 7136.74 |
| 8. | उपकरणों की संस्थापना में विलम्ब | - | - | - | - | - | - |
| 9. | उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होना | - | - | 37 | 239.12 | 37 | 239.12 |
| 10. | विविध | 2393 | 261776.90 | 99 | 625.32 | 2492 | 262402.22 |
| | **योग** | **2626** | **271282.57** | **319** | **10981.59** | **2945** | **282264.16** |